सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सिलाई...
आधुनिक के साथ परम्परागत
वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

वस्त्र मंत्रालय
भारत सरकार

कवर फोटो का श्रेय : www.textilestock.in

वार्षिक रिपोर्ट

2016-17

वस्त्र मंत्रालय

भारत सरकार

विषय सूची

अध्याय सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	सिंहावलोकन	1
2	कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा	20
3	संगठित वस्त्र क्षेत्र	28
4	निर्यात	44
5	कपास	50
6	पटसन और पटसन वस्त्र	56
7	रेशम एवं रेशम उत्पादन	62
8	ऊन एवं ऊनी वस्त्र	76
9	विद्युतकरघा	82
10	हथकरघा	92
11	हस्तशिल्प	110
12	कौशल विकास	152
13	सार्वजनिक उपक्रम	174
14	वस्त्र अनुसंधान	195
15	पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र	210
16	नागरिकों/ग्राहकों का चार्टर	219
17	कल्याणकारी उपाय	234
18	राजभाषा	236
19	वस्त्र क्षेत्र में डिजिटल पहल	238
20	लैंगिक न्याय और लैंगिक बजट	242
21	सतर्कता संबंधी कार्यकलाप	247
22	निःशक्त व्यक्ति	250
23	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	251
24	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यकलाप	252
25	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियां	253

अध्याय–1

सिंहावलोकन

1.1 भारतीय वस्त्र उद्योग का व्यापक क्षेत्र एक ओर हाथ से बुने हुए क्षेत्र तथा दूसरी ओर पूंजी गहन मिल क्षेत्र तक फैला हुआ है। इस आयाम में विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा, हौज़री तथा निटिंग क्षेत्र, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के क्रियाकलापों सहित मानव निर्मित फाइबर,कपास,रेशम,पटसन तथा ऊन जैसे फाइबरों की विस्तृत श्रृंखला भी शामिल है। वस्त्र उद्योग विनिर्माण उत्पादन का 10% भारत की जीडीपी में 2% तथा देश की निर्यात आय में 13% का योगदान देता है। लगभग 45 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने वाला वस्त्र उद्योग देश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है।

1.2 भारत के विकास को समावेशी तथा प्रतिभागी बनाने के लिए सरकार का मुख्य जोर सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण अवसंरचना तैयार करके,प्रौद्योगिकी के उन्नयन,नवाचार को बढ़ावा देने, वस्त्र क्षेत्र में कौशल तथा परपंरा को बढ़ाकर वस्त्र विनिर्माण में वृद्धि करना रहा है। **वर्ष 2016–17 की कुछ प्रमुख पहलें तथा मुख्य आकर्षण इस प्रकार हैं:**

महामहिम राष्ट्रपति जी दिनांक 09.12.2016 को मेधावी शिल्पियों को शिल्प गुरू और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए

1.2.1 परिधान और मेडअप्स क्षेत्रों में रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुधारः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून, 2016 और सितम्बर, 2016 में क्रमशः परिधान और मेडअप्स क्षेत्रों में रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के सुधारों का अनुमोदन किया था। परिधान और मेडअप्स क्षेत्र में अगले तीन वर्षों में एक करोड़ ग्यारह लाख तक की नौकरियां सृजित किए जाने के उद्देश्य से अपैरल पैकेज के लिए 6000 करोड़ रुपए के बजट का अनुमोदन किया गया था। पैकेज में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) तीन वर्ष की अवधि के बाद अतिरिक्त उत्पादन और रोजगार होने पर 10% की अतिरिक्त सब्सिडी के साथ वर्धित संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए–टीयूएफएस) के माध्यम से उत्पादन प्रोत्साहन;

(ii) पहले तीन वर्षों के लिए ईपीएफओ में पंजीकृत होने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत पहले से शामिल 8.33% के अतिरिक्त नियोक्ता के अंशदान का 3.67% अतिरिक्त हिस्सा प्रदान करने के लिए परिधान और मेडअप्स क्षेत्र (अपैरल के लिए) के लिए प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई);

(iii) निर्यात पर बढ़े हुए ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए अपैरल और मेडअप्स क्षेत्र में राज्य लेवियों की छूट (आरओएसएल) योजना;

माननीय प्रधान मंत्री जी टीएफसीएंडसीएम, वाराणसी के प्रथम चरण के उद्घाटन के अवसर पर स्टेकहोल्डरों को संबोधित करते हुए।

नई दिल्ली में दिनांक 10.11.2016 को राज्यों के वस्त्र मंत्रियों का वार्षिक सम्मेलन

(iv) विशेष अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत परिधान क्षेत्र में सभी उद्योग के अंतर्गत ड्यूटी ड्रॉबैक; और

(v) श्रम कानूनों का सरलीकरण:

- मेडअप्स विनिर्माण क्षेत्र में अनुज्ञेय समयोपरि भत्ते को प्रति तिमाही 100 घंटे तक बढ़ाना;
- 15,000/– रूपए का मासिक से कम आय वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में कर्मचारियों के अंशदान को वैकल्पिक बनाना; और
- परिधान क्षेत्र के लिए रोजगार की निश्चित अवधि।

1.2.2 राज्यों के वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन : राज्यों के वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन माननीया केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी की अध्यक्षता में 10 नवम्बर,2016 को आयोजित किया गया। 12 राज्यों के मंत्रियों सहित 25 से अधिक राज्यों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों के समक्ष आ रही कठिनाइयों का मंथन किया गया तथा वस्त्र क्षेत्र के समक्ष आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए हस्तक्षेपों और नवाचारों पर भी चर्चा की गई।

1.2.3 हस्तशिल्पः भारतीय कारीगरों को आई.डी. कार्ड जारी करने और उन्हें नई पहचान देने के लिए कारीगरों के आई.डी. कार्ड पंजीकरण शिविर के लिए 'पहचान' का शुभारंभः माननीया वस्त्र मंत्री, भारत सरकार श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी ने संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 को **'पहचान'** का शुभारंभ किया जो वस्त्र मंत्रालय के लाभों तक हस्तशिल्प के कारीगरों की बेहतर पहुंच के लिए उन्हें आई.डी. कार्डों के लिए पंजीकृत करने और इन्हें प्रदान करने की पहल है और जहां श्री शरद त्रिपाठी, संसद सदस्य,

सम्मानित अतिथि थे। संत कबीर नगर में धातु शिल्प के लिए कलस्टर विकास की भी घोषणा की गई जिससे इस क्षेत्र के 1000 से अधिक कारीगर लाभान्वित होंगे। महिलाओं और बीपीएल के धातु शिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस पहल के तहत मुफ्त उपकरण और सुरक्षा उपस्कर भी वितरित किए जाएंगे।

'पर्यटन को वस्त्र से जोड़ने' के कार्यक्रम के तहत बड़े पर्यटक स्थलों को हस्तशिल्प कलस्टरों के साथ जोड़ा जा रहा है और ऐसे कलस्टरों को साफ्ट इंटरवेंशन के साथ अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत उड़ीसा के पुरी जिले में शिल्प विरासत के गांव रघुराजपुर का समग्र विकास करने के लिए इसे चुना गया है। यह गांव भुवनेश्वर–पुरी–कोणार्क पर्यटक सर्किट में एनएच–203 पर स्थित है। इस कार्यक्रम के तहत रघुराजपुर में 10.00 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से शिल्प ग्राम स्थापित किए जाने की परियोजना मंजूर की गई है और ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (आईडीसीओ)को 6.00 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। शिल्प ग्राम परियोजना के तहत सोसाइटी की मौजूदा बिल्डिंग का पुनरुद्धार और खुले सभागार के पुनरुद्धार का काम पूरा हो गया है।

1.2.4 हथकरघा क्षेत्र

- **दूसरा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोहः** वस्त्र मंत्रालय द्वारा पूरे देश में दिनांक 7 अगस्त, 2016 को दूसरा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में मुख्य आयोजन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने संत कबीर पुरस्कार, 2015, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2015, इंडिया हैंडलूम ब्रांड डिजाइन प्रतियोगिता और निफ्ट की 'डिजाइन सूत्र' प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।
- **तीन वर्षों में पांच लाख हथकरघा बुनकरों ने मुद्रा ऋण प्राप्त किएः** इस लक्ष्य की घोषणा दिनांक 29 जून, 2016 को विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में हथकरघा बुनकरों और कारीगरों के लिए आयोजित मुद्रा योजना के संबंध में एक राष्ट्रीय कार्यशाला में केंद्रीय वस्त्र सचिव श्रीमती रश्मि वर्मा द्वारा की गई थी। श्रीमती वर्मा ने सूचित किया कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए मुद्रा योजना के तहत एक नया मॉडल तैयार किया है। नए मॉडल में मार्जिन मनी ब्याज परिदान और ऋण गारंटी कवच जैसे रियायती ऋण के तत्व शामिल हैं। वस्त्र मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से तीन वर्षीय कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया ताकि पांच लाख के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
- **हथकरघा संवर्धन सहायता (एचएसएस):** वाराणसी में दिनांक 7 अगस्त, 2016 को दूसरे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के अवसर पर माननीय वस्त्र मंत्री ने फैब्रिक

की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर करघों और सहायक उपकरणों की सहायता के लिए हथकरघा बुनकरों की जरूरता को पूरा करने के लिए 'हथकरघा संवर्धन सहायता' की घोषणा की।

- **बुनकर मित्र– हथकरघा हेल्प लाइन सेंटरः** गरीब बुनकर इन समस्याओं को दूर कर सकें इसके लिए वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 4 जनवरी, 2017 को **'बुनकर मित्र–हथकरघा हेल्प लाइन सेंटर'** का शुभारंभ किया जहां इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा इस व्यवसाय से संबंधित बुनकरों के प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। यह हेल्पलाइन पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे तक कार्य करेगी और शुरू में यह हिंदी, अंग्रेजी और 4 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं (तेलुगू, तमिल, बंगाली और असमी) में कार्य करेगी।

1.2.5 संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस): सरकार ने बेंचमार्क वाली पात्र मशीनरी के लिए एकबारगी पूंजी सब्सिडी से वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 'संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि येाजना (ए–टीयूएफएस)' अधिसूचित की है। परिधान और तकनीकी वस्त्र जैसे अधिक रोजगार और निर्यात की क्षमता होगी वे 30 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 15% की दर पर पूंजी सब्सिडी के पात्र होंगे। बिल्कुल नए शटल रहित करघों के लिए बुनकरी (बुनकरी की तैयारी और निटिंग सहित), प्रोसेसिंग, पटसन, रेशम और हथकरघे जैसे सेगमेंट 20 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 10% की दर से सब्सिडी के पात्र हैं। वर्ष 2015–16 से 2021–22 तक की सात वर्ष के लिए 17,822 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का अनुमोदन किया गया है। इस योजना से एक लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा और 30.51 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। मंत्रालय ने दिनांक 25.07.2016 के सकंल्प के तहत परिधान क्षेत्र में उत्पादन और **रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एटीयूएफस के तहत परिधान इकाइयों के लिए उत्पादन और रोजगार संबद्ध सहायता योजना (एसपीईएलएसजीयू) भी अधिसूचित की है।** उन परिधान इकाइयों को 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जो तीन वर्ष की अवधि के बाद बेंचमार्क वाली पात्र मशीनरी स्थापित करने के लिए एटीयूएफएस के तहत 15% पूंजी निवेश सब्सिडी प्राप्त करेंगे।

1.2.6 पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस): सभी पूर्वोत्तर राज्यों में अपैरल और परिधान विनिर्माण केंद्रों का निर्माण करने के लिए नागालैंड में दिनांक 01.12.2014 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के साथ एनईआरटीपीएस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार का संवर्धन करना और परिधान के क्षेत्र, जिसमें देश और विदेश दोनों में अपार संभावना है, में विशेष रूप से महिलाओं में उद्यमशीलता

को प्रोत्साहित करना है। तदनुसार सभी 8 राज्यों में केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं और प्रचालन आरंभ होने वाला है। नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणालच प्रदेश और मणिपुर में केंद्रों का उद्घाटन पहले ही कर दिया गया है।

1.2.7 एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस): सुशासन दिवस के अवसर पर दिनांक 25 दिसम्बर, 2014 को, 15 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए 1900 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 12वीं योजना के दौरान आईएसडीएस का विस्तार किया गया है। आईएसडीएस का उद्देश्य उद्योगोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वस्त्र उद्योग में कुशल जनशक्ति के नाजुक अंतर को पूरा करना है; इसे 86 क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा 3 संघटकों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। कुशल कार्यबल के लिए उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने और इसके द्वारा इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सहयोग प्रदान करने के लिए इस योजना में अभी तक 8.49 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिसमें से 7.50 लाख का मूल्यांकन किया गया है और 5.79 लाख की तैनाती की गई है। इस योजना को कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के सामान्य मानदंडों के साथ काफी सीमा तक मिलान किया गया है। सिस्टम में 'सुशासन दिवस' के भाग के रूप में और अधिक पारदर्शिता लाने के प्रयासों के अनुपालन में इस योजना के अंतर्गत सभी चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के राज्य–वार ब्यौरे के साथ आईएसडीएस की प्रगति से संबंधित सूचना को मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक रूप से देखे जाने के लिए खोला था। एमआईएस से प्राप्त की जा रही सूचना को देश भर में इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की राज्य–वार, क्षेत्र–वार, श्रेणी–वार प्रगति दर्शाते हुए उपयोगकर्ता के अनुकूल डैशबोर्ड प्रपत्र में मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

1.2.8 एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस): वस्त्र मंत्रालय समुद्री, नदी तटीय और शून्य तरल उत्सर्जन (जेडएलडी) तकनीक जैसी उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने में वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र को समर्थ बनाने के लिए आईपीडीएस को क्रियान्वित कर रहा है। भारत सरकार 75.00 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्रों (सीईटीपी) के लिए परियोजना लागत के 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मंत्रालय ने लगभग 2000 एसएमई इकाइयों को राहत प्रदान करते हुए राजस्थान में 4 परियोजनाओं और तमिलनाडु में 2 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है।

1.2.9 विद्युतकरघा क्षेत्र: विद्युतकरघा क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करने और आगे का रास्ता निकालने के लिए केंद्रीय वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2016 को नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सचिव (वस्त्र) तथा वस्त्र, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा, दो राज्य मंत्रियों नामतः वस्त्र राज्य मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री ने भाग लिया। प्रमुख विद्युतकरघा

कलस्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई सांसदों ने भी इस विचार–विमर्श में भाग लिया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह था कि इस बैठक में स्टेकहोल्डरों और देश भर के विद्युतकरघा एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। वर्ष के दौरान साधारण विद्युतकरघा का उन्नयन करने के लिए प्रमुख बल दिया गया है। भारत सरकार की ओर से 105 करोड़ रुपए की सब्सिडी के साथ संयुकत रूप से 100,000 से अधिक करघों का उन्नयन किया गया है। इससे गुणवत्ता, उत्पादकता और आय में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसके अलावा पिछले दो वर्षों में 125 समूह वर्कशेड स्वीकृत किए गए हैं। उचित दर पर कच्ची सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में 20 यार्न बैंक स्वीकृत किए गए थे। विद्युतकरघा क्षेत्र की सहायता के लिए 3 वर्ष पहले 12 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2016–17 में 115 करोड़ रुपए तक विस्तार किया गया है।

1.2.10 पटसन क्षेत्र में पहलः भारत सरकार पटसन सामग्री पैकिंग अधिनियम, 1987 के अंतर्गत पटसन थैलों में खाद्यान्न और चीनी की अनिवार्य पैकिंग के मानदंडों को अधिसूचित करके इस क्षेत्र को सहायता प्रदान करती है। पटसन कामगारों और पटसन किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए इन मानदंडों को मजबूत बनाया गया है। इसके अलावा भारतीय पटसन निगम जब कभी कच्ची पटसन का मूल्य एमएसपी से नीचे आ जाता है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियानों के माध्यम से पटसन किसानों को सहायता प्रदान कर रही है। वर्ष के दौरान एक प्रमुख पहल जेसीआई का वाणिज्यिक प्रचालन रहा है जिसके अंतर्गत 1.5 लाख से अधिक कच्ची पटसन की गांठों की खरीद की गई है। इन पहलों से लगभग 3. 70 लाख पटसन कामगारों को और देश भर के 40 लाख किसानों के परिवारों को सीधे लाभ प्राप्त हो रहा है। **पटसन स्मार्ट**– 'ई–गवर्नेंस पहल' **बी–ट्विल सैंकिंग की खरीद के लिए एक स्मार्ट व्यवस्था है जिसकी शुरूआत सुशासन दिवस, 2016 को माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा की गई थी।** (जूट स्मार्ट जूट बी–ट्विल बैग आपूर्ति प्रबंधन एवं मांग व्यवस्था) जो पटसन क्षेत्र के लिए आसानी से सूचना प्राप्त करने, अधिक पारदर्शिता और आसानी से व्यवसाय के लिए सभी स्टेकहोल्डरों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए एक एकीकृत प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है। इस प्रकार बी–ट्विल सैंकिंग की खरीद से संबंधित एंड टू एंड लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए जूट स्मार्ट एक वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित किया गया है।

1.2.11 कपास किसानों की सुरक्षाः कपास मौसम 2016–17 (दिनांक 01.10.2016 से 30.09.2017 तक) के लिए संबंधित राज्य सरकारों सहित भारतीय कपास निगम लि. (सीसीआई) ने कपास किसानों द्वारा मजबूरन बिक्री से बचने के लिए सभी कपास उत्पादक राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियानों की आकस्मिकता को पूरा करने के लिए प्रबंध किए हैं। एमएसपी अभियान 2015–16 के आधार पर सीसीआई ने जब कभी आवश्यकता हो, और अधिक पारदर्शिता तरीके से एमएसपी खरीद करने के लिए अपनी समग्र अवसंरचना को

बढ़ाया है। सीसीआई देश के सभी 11 कपास उत्पादक राज्यों के 92 जिलों में वर्ष 2015–16 के दौरान एमएसपी के अंतर्गत देश भर के 341 से अधिक खरीद केंद्रों का प्रचालन करता है। सभी प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों को क्रियाविधि तैयार करने की सलाह दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नोडल एजेंसियों को केवल असली कपास किसान ही अपने उत्पाद की बिक्री करते हैं।

1.2.12 तकनीकी वस्त्र – फोकस इनक्यूबेशन सेंटर (एफआईसी): तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में संभावित उद्यमियों की मदद के लिए वस्त्र मंत्रालय प्लग और प्ले मॉडल पर तकनीकी वस्त्र संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी) के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्रों में फोकस इनक्यूबेशन सेंटर (एफआईसी) की स्थापना कर रहा है। तदनुसार एफआईसी की स्थापना के लिए 6 उत्कृष्टता केंद्रों नामतः एटीआईआरए, डीकेटीई, एनआईटीआरए, पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नालाजी, एसएएसएमआईआरए और एसआईटीआरए के लिए 17.45 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

1.3 भारतीय वस्त्र परिदृश्यः भारतीय वस्त्र क्षेत्र में सूती वस्त्र, संगठित वस्त्र मिल, मानव निर्मित फाइबर और फिलामेंट यार्न उद्योग, ऊन एवं उनी वस्त्र उद्योग, रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र, विद्युतकरघा, हथकरघा, हस्तशिल्प, पटसन और पटसन वस्त्र उद्योग, अपैरल तथा परिधान शामिल हैं। प्रमुख क्षेत्रों का सिंहावलोकन निम्नलिखित प्रकार से हैः

1.3.1 कपास

कपास सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगद फसलों में से एक है और यह कुल वैश्विक फाइबर उत्पादन का लगभग 25% है। कपास भारत में उत्पादन किए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों में से एक भी है। भारतीय वस्त्र उद्योग की कच्ची सामग्री खपत में कपास का अनुपात लगभग 59% है। कपास भारत में उत्पादन किए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों में से एक भी है। यह अनुमानतः 5.8 मिलियन कपास किसानों की आजीविका चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और 40–50 मिलियन लोग कपास प्रसंस्करण और व्यापार जैसे संबद्ध कार्यकलापों में लगे हैं। भारतीय वस्त्र उद्योग में व्यापक श्रेणी के फाइबर और यार्न की खपत होती है। कपास की खपत 300 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) प्रतिवर्ष से अधिक है। कपास उद्योग को सहायता करने के लिए भारत सरकार ने 2 प्राथमिक रेशा समूह अर्थात् मध्यम लंबे रेशे और लंबे रेशे वाले कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारतीय कपास निगम (सीसीआई) विद्यमान बीज कपास का मूल्य एमएसपी स्तर तक पहुंच जाने पर एमएसपी अभियान चलाने के लिए भारत सरकार की नामित एजेंसियों में से एक है।

1.3.2 पटसन

पटसन उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में

महत्वपूर्ण स्थान है। यह रेशा पूर्वी क्षेत्र विशेषकर पश्चिम बंगाल में प्रमुख उद्योगों में से एक है। पटसन जो सुनहरा फाइबर है, प्राकृतिक, नवीकरणीय, जैव–अवक्रमणीय तथा पारिअनुकूल उत्पाद होने के कारण'सुरक्षित'पैकेजिंग के सभी मानदंडों को पूरा करता है। अनुमान है कि पटसन उद्योग तृतीय क्षेत्र सहित संगठित मिलों तथा विविध इकाईयों में लगभग 0. 37 मिलियन कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और लगभग 4.0 मिलियन खेतीहर किसानों की आजीविका में सहयोग प्रदान करता है। इसके अलावा पटसन के व्यापार में काफी लोग लगे हुए हैं।

1.3.3 रेशम

भारत 28,523 एमटी रेशम के उत्पादन के साथ चीन के पश्चात विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्पादन की जाने वाली रेशम की 4 किस्मों में वर्ष 2015–16 में कच्ची रेशम की कुल 28,523 एमटी उत्पादन में मलबरी 71.8% (20478 एमटी), तसर 9.9% (2819 एमटी), ऐरी 17.7% (5060 एमटी) और मूगा 0.6% (166 एमटी) है। वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारित कच्ची रेशम के उत्पादन का लक्ष्य 32,000 एमटी है जिसमें मलबरी कच्ची रेशम के लिए 22,660 एमटी और वान्या रेशम के लिए 9340 एमटी लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान सूखा, बेमौसम की बारिश, चक्रवात आदि के बावजूद रेशम के उत्पादन में बढोत्तरी हुई है। आयात विकल्प बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन 3870 एमटी से बढकर 4613 एमटी हो गया और इसमें 19.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। वन्या रेशम उत्पादन 7318 एमटी से बढकर 8045 एमटी हो गया और इसमें 9.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। एरी और मूगा रेशम ने अब तक का सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः 5060 एमटी और 166 एमटी दर्ज किया और विकास में नए रिकार्ड कायम किए।

1.3.4 हथकरघा

हथकरघा विविंग कृषि के बाद सबसे बड़े आर्थिक कार्यकलापों में से एक है जो 43 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है। देश में वस्त्र उत्पादन में इस क्षेत्र का लगभग 15% योगदान है और यह देश की निर्यात आय में भी योगदान कर रहा है। विश्व में हाथ से बुनी फैब्रिक का 95% भारत से आता है।

1.3.5 हस्तशिल्प

हस्तशिल्प क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में दस्तकारों के बड़े समूह को रोजगार प्रदान करता है और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। हस्तशिल्प में विशाल संभावनाएं हैं क्योंकि इसमें न केवल देश के सभी भागों में फैले हुए लाखों कारीगरों को बल्कि बड़ी संख्या में प्रवेश पाने वाले नए कारीगरों को रोजगार देने की क्षमता है। फिलहाल हस्तशिल्प रोजगार सृजन

और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तथापि, हस्तशिल्प क्षेत्र को असंगठित होने के कारण और शिक्षा की कमी, कम पूंजी, नई प्रौद्योगिकियों की जानकारी न होने, बाजार स्थिति की जानकारी न होने और अपर्याप्त सांस्थानिक ढांचे के कारण काफी क्षति पहुंची है। अनुमान है कि यह क्षेत्र वर्तमान में 68.86 लाख दस्तकारों को रोजगार देता है और हाथ से बुने गलीचों सहित हस्तशिल्प क्षेत्र का निर्यात अक्तूबर, 2016 तक 20,869.29 करोड़ रुपए रहा है और वर्ष 2016–17 के दौरान योजना आवंटन 219.00 करोड़ रुपए है।

1.3.6 विद्युतकरघा

विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र फैब्रिक उत्पादन और रोजगार सृजन के संदर्भ में वस्त्र उद्योग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ईकाइयों में से एक है। यह 64.36 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है और देश में वस्त्र के कुल उत्पादन में 60% योगदान करता है। सिलेसिलाए वस्त्र और घरेलू वस्त्र क्षेत्र अपनी फैब्रिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्युतकरघा क्षेत्र पर निर्भर हैं। 31 अक्तूबर, 2016 तक लगभग 25.74 लाख विद्युतकरघा थे। इस क्षेत्र का प्रौद्यगिकी स्तर साधारण करघा से लेकर उच्च प्रौद्योगिकी शटल रहित करघों तक भिन्न–भिन्न है। इस क्षेत्र में लगभग 1.50 लाख शटलरहित करघे हैं। अनुमान है कि 75% से अधिक शटल करघे 15 वर्ष से अधिक समय तक चलने के कारण पुराने और अप्रचलित हो गए हैं और उनमें वस्तुतः कोई प्रक्रियागत या गुणवत्ता नियंत्रण युक्ति/सुविधा नहीं है। वस्त्र क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र के प्रौद्योगिकी स्तर में काफी सुधार हुआ है।

1.3.7 मिल क्षेत्र

संगठित वस्त्र क्षेत्र में छोटे पैमाने के उद्योग और गैर छोटे पैमाने के उद्योग दोनों में 3400 से अधिक वस्त्र मिल हैं। तकलों की कुल स्थापित क्षमता 50 मिलियन से अधिक तकलों और 842000 रोटर के साथ विश्व में सर्वाधिक है। मिल क्षेत्र में 2500 मिलियन किलोग्राम मानवनिर्मित फाइबर और मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न के अलावा लगभग 2500 मिलियन वर्गमीटर कपड़े का उत्पादन किया जाता है।

1.3.8 अपैरल तथा परिधान

भारतीय वस्त्र क्षेत्र में एक वृहद अपैरल तथा परिधान क्षेत्र है जिसमें 12.3 मिलियन व्यक्ति कार्यरत हैं तथा 3.6 मिलियन टन अपैरल और परिधान का उत्पादन किया जाता है। सिलेसिलाए परिधानों का भारतीय वस्त्र निर्यात में 42% योगदान है जिसमें सूती परिधान तथा एक्सेसरी, मानवनिर्मित फाइबर परिधान और अन्य वस्त्र क्लोदिंग शामिल है।

1.3.9 निर्यात संवर्धन

भारत वस्त्र उद्योग चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता और निर्यातक है। भारत के कुल निर्यात में वस्त्र और अपैरल का कुल हिस्सा 15% है। वस्त्र और अपैरल में वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा 5% है। हस्तशिल्प सहित वस्त्र और

अपैरल उत्पाद के लिए भारत का समग्र निर्यात वर्ष 2014–15 में 13.6% से बढ़कर 15% हो गया है। वर्ष 2015–16 में सिलेसिलाए परिधानों (आरएमजी) का निर्यात कुल वस्त्र निर्यातों का 42% तक हो गया है। वर्ष 2016–17 (अप्रैल–सितम्बर) के दौरान कुल वस्त्र और अपैरल के निर्यात की कीमत इसी अवधि के दौरान 132 बिलियन अमरीकी डॉलर के भारत के कुल निर्यात में 14% हिस्सेदारी के साथ 18.7 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है।

1.4 वस्त्र संवर्धन के लिए योजनाएं

1.4.1 हथकरघा

1.4.1.1 रियायती ऋण

एकीकृत हथकरघा विकास योजना (आईएचडीएस) के अंतर्गत संस्थागत ऋण संघटक को प्रति बुनकर 4200 रुपए की मार्जिन मनी सहायता, 3% ब्याज सब्सिडी और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से ऋण गारंटी के प्रावधान साथ दिसम्बर, 2011 में अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा 6% ब्याज की दर से हथकरघा क्षेत्र को ऋण के लिए बजट 2013–14 की घोषणा के अनुसार आईएचडीएस के अंतर्गत संस्थागत ऋण संघटक को आरआरआर पैकेज के साथ विलय कर दिया गया था और 'रियायती ऋण संघटक' को सितम्बर, 2013 में अनुमोदित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत ऋण 3 वर्ष की अवधि के लिए 6% की रियायती ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं। मार्जिन मनी सहायता अधिकतम 10000 रुपए प्रति बुनकर और ऋण गारंटी 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। पूर्व में ऋण बुनकर क्रेडिट कार्ड (डब्ल्यूसीसी) के रूप में मंजूर किए जाते थे। अब हथकरघा बुनकरों और बुनकर उद्यमियों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए मुद्रा प्लेटफार्म को अपनाया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान 159.05 करोड़ रुपए के ऋण के साथ 51095 ऋण स्वीकृत किए गए थे। वर्ष 2016–17 के दौरान दिनांक 30.11.2016 तक 60.45 करोड़ रुपए के ऋण के साथ 16919 ऋण स्वीकृत किए गए थे।

1.4.1.2 ब्लॉक स्तर कलस्टर अप्रोच

कलस्टर विकास कार्यक्रम एनएचडीपी के संघटकों में से एक है। ब्लॉक स्तर के कलस्टर अप्रोच, जो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण के उच्च स्तर के साथ कलस्टर की आवश्यकता के लिए अपेक्षाकृत अधिक लचीला है, राज्य वित्त पोषण अंशदान को रोकना, क्रियान्वयन एजेंसी को निधियां शीघ्र जारी करने, पीसीएस के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में निधियां सीधे हस्तांतरित करने आदि को शामिल करने के लिए जून, 2015 में एनएचडीपी के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया था। इसके अलावा ब्लॉक का कोई स्तर सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) की स्थापना करना, वस्त्र डिजाइनर एवं विपणन कार्यपालक की तैनाती, वर्कशेड का निर्माण, कलस्टर विकास कार्यपालक

की नियुक्ति (सीडीई), प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल उन्नयन आदि जैसी विभिन्न पहलों के लिए 2.00 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर डाई हाउस की स्थापना करने के लिए 50.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

वर्ष 2016–17 के दौरान 9 राज्यों के लिए 63 ब्लॉक स्तर के कलस्टर स्वीकृत किए गए हैं और 27.56 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

1.4.1.3 व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)

- वाराणसी मेगा हथकरघा कलस्टर में हथकरघा उत्पादों एवं उत्पादकता की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हथकरघा बुनकरों को 45253 हथकरघा पुर्जे और 4000 बैट्रीयुक्त इनवर्टर लाइटिंग यूनिट (बीएलआईएलयू) वितरित किए गए हैं।
- वाराणसी में 9 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्वीकृत किए गए और सभी कार्यशील हैं।
- ब्लॉक स्तर के कलस्टर अप्रोच को शामिल करने के लिए अगस्त, 2015 में सीएचसीडीएस के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है।
- 7 मेगा हथकरघा कलस्टरों अर्थात वाराणसी, विरूद्धनगर, गोड्डा एवं पड़ोसी जिलों, प्रकाषम तथा गुंटूर जिले, भागलपुर, शिवसागर एवं त्रिची के डीपीआर को परियोजना अनुमोदन एवं मॉनीटरिंग समिति (पीएएमसी) के अनुमोदन से संशोधित किया गया।
- शिवसागर (असम), भागलपुर (बिहार), गोड्डा एवं पड़ोसी जिले (झारखंड), विरूद्धनगर (तमिलनाडु) और वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में 43 ब्लॉक स्तर के कलस्टर स्वीकृत किए गए हैं।

1.4.1.4 हथकरघे के ब्रांड का निर्माण

'दि इंडिया हैंडलूम' ब्रांड (आईएचबी) की शुरूआत भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 07.08.2015 को प्रथम हथकरघा दिवस के अवसर पर की गई थी ताकि उपभोक्ताओं का विश्वास प्राप्त करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय अनुपालनों के अलावा कच्ची सामग्री, प्रसंस्करण, विविंग और अन्य मानदंडों के संबंध में उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। 'दि इंडिया हैंडलूम' ब्रांड केवल उन्हीं उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले त्रुटि रहित प्रमाणित हथकरघा उत्पादों को ही प्रदान किया जाता है जो वास्तविक हस्त निर्मित उत्पाद की मांग कर रहे हैं। 'दि इंडिया हैंडलूम' ब्रांड का उद्देश्य बुनकरों के लिए विशेष बाजार और बढ़ी हुई आय का सृजन करना है। इस प्रकार 'इंडिया हैंडलूम' की अवधारणा हथकरघा उत्पादों को एक ब्रांड बनाना है जो सामाजिक–पर्यावरणीय रूप से सचेत उपभोक्ता की 'गुणवत्ता' आवश्यकता को नितांत रूप से पूरा कर रहे हैं।

(i) **क्रियान्वयनः** इंडिया हैंडलूम ब्रांड की पहल

को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन वस्त्र समिति की सहायता से विकास आयुक्त हथकरघा द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। विकास आयुक्त हथकरघा ने इस उद्देश्य हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया है तथा देश भर में 28 बुनकर सेवा केंद्र, इंडिया हैंडलूम ब्रांड के अंतर्गत पंजीकरण प्रक्रिया के लिए विभिन्न पार्टियों से आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। आवेदनों और उत्पादों की प्रारंभिक जांच के पश्चात आवेदनों को उत्पादन नमूनों की जांच के लिए मुंबई स्थित वस्त्र समिति की प्रयोगशाला को अग्रेषित किए जाते हैं। जांच के पश्चात यदि उत्पाद के नमूनों को आईएचबी उत्पाद विनिर्देशन में उल्लिखित सभी अपेक्षित मानदंड को पूरा करता हुआ पाया जाता है तो वस्त्र समिति, मुंबई अभ्यर्थी के लिए आईएचबी पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या जारी करती है। उत्पादों की बिक्री करते समय आवेदक उस विशिष्ट उत्पाद में लेबल के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या का उपयोग कर सकता है।

(ii) **हैंडलूम मार्क:** हैंडलूम मार्क की शुरूआत क्रेताओं द्वारा खरीदे जा रहे हथकरघा उत्पादों के संबंध में उन्हें गारंटी प्रदान करने के लिए की गई थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह एक हाथ का बुना हुआ वास्तविक उत्पाद है न कि विद्युतकरघा अथवा मिल निर्मित उत्पाद है। हैंडलूम मार्क को समाचार पत्रों और पत्रिकाओं, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सिंडीकेट लेखों, फैशन शो, फिल्मों आदि में विज्ञापन के माध्यम से संवर्धन और लोकप्रिय बनाया जाता है। वस्त्र समिति हैंडलूम मार्क के संवर्धन के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है। जुलाई, 2016 की स्थिति के अनुसार 8.20 करोड़ (संचयी) हैडलूम मार्क वाले लेबल बेचे गए हैं। 815 खुदरा आउटलेट हैंडलूम मार्क लेबल के साथ हथकरघा के सामान बेच रहे हैं।

(iii) **ई–विपणन:** हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने, बिचौलियों को समाप्त करने के लिए ई–वाणिज्यक के माध्यम से बुनकरों और हथकरघा कोऑपरेटिव के हथकरघा उत्पादों का विपणन करने के लिए हथकरघा बुनकरों को ऑनलाइन विपणन प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए दिनांक 25 अगस्त, 2014 को फ्लिपकार्ट के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके पश्चात और अधिक ऑनलाइन विपणन सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 के दौरान तदनुसार हथकरघा उत्पादों की बिक्री के लिए ई–वाणिज्यक इकाइयों को आमंत्रित करने के लिए एक ओपन डोर पॉलिसी विकसित की गई थी। हथकरघा उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा 20 एजेंसियों को तैनात किया गया है।

1.4.2 हस्तशिल्प

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय वर्ष 2016–17 के दौरान सर्वांगीण तरीके से हस्तशिल्प कलस्टर का विकास करने के लिए एकीकृत अप्रोच पर जोर देने के लिए एक व्यापक योजना नामतः **'राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)'** के अंतर्गत हस्तशिल्प क्षेत्र

के संवर्धन और विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। एनएचडीपी के संघटक निम्नलिखित हैं:

क. **अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना**– दस्तकार सशक्तिकरण योजना, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन, मानव संसाधन विकास, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ और अवसंरचना तथा प्रौद्योगिकी सहायता।

ख. **मेगा कलस्टर**– विपणन सहायता एवं सेवा और अनुसंधान तथा विकास सहित पहलें।

1.4.3 रेशम कीट पालन

सीएसबी के क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास, अनुसंधान विस्तार, प्रशिक्षण, 4 टियर वाले रेशम कीट बीज उत्पादन नेटवर्क का रखरखाव करना, वाणिज्यिक रेशम कीट बीज उत्पादन में नेतृत्व की भूमिका, मानकीकरण और विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में गुणवत्ता के मानदंडों को पूरा करना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रेशम का संवर्धन तथा रेशम कीट पालन और रेशम उद्योग से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना है। केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) गुणवत्ता वाले प्राथमिक तथा वाणिज्यिक बीजों का उत्पादन और आपूर्ति करता है तथा विभिन्न रेशम कीट पालन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों को सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड, राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तर पर रेशम कीट पालन की सांख्यिकी का संग्रह और संकलन भी करता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड के इन अधिदेशित क्रियाकलापों को निम्नलिखित 4 संघटकों के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात **'एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना'** के माध्यम से विभिन्न राज्यों में स्थित सीएसबी की 324 इकाइयों द्वारा पूरा किया जा रहा है:

(i) अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण एवं आईटी पहलें

(ii) बीज संगठन/समन्वय एवं बाजार विकास

(iii) गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली

(iv) निर्यात/ब्रांड संवर्धन और प्रौद्योगिकी उन्नयन

उपर्युक्त सभी संघटक एक दूसरे से संबद्ध हैं जिनका उद्देश्य कच्ची रेशम की गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि करना है ताकि स्टेकहोल्डरों की आय में वृद्धि की जा सके। इन योजना संघटकों का उद्देश्य रेशम उद्योग का व्यापक और धारणीय विकास करना है।

1.4.4 पटसन

राष्ट्रीय पटसन नीति, 2005 के अनुसरण में वस्त्र मंत्रालय और इसके नियत्रांधीन संगठन पटसन किसानों और पटसन कामगारों की सहायता करने के लिए पटसन उत्पादों के विविधीकरण को प्राथमिकता देते रहे हैं। पटसन क्षेत्र के संवर्धन की योजनाएं प्राथमिक रूप से राष्ट्रीय पटसन बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। यह बोर्ड एक सांविधिक निकाय है जिसका निर्माण पटसन क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए किया गया है। एनजेबी द्वारा

क्रियान्वित की गई योजनाओं में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के विकास के लिए केंद्रित विपणन पहल, बेहतर पटसन कृषि संबंधी प्रक्रियाओं के संवर्धन के लिए जूट आई–केयर योजना, महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पटसन विविधीकरण के संवर्धन हेतु पटसन सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) योजना, संयंत्र और मशीनरी के अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहन योजना और कामगार कल्याण योजना आदि शामिल है।

1.4.5 विद्युतकरघा

विद्युतकरघा क्षेत्र को बढावा देने वाली योजनाओं में एकीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजना (आईएसपीएसडी), साधारण विद्युतकरघा स्वस्थाने उन्नयन योजना, समूह वर्कशेड योजना, व्यापक हस्तकरघा महासमूह विकास योजना आदि शामिल हैं। इन योजनाओं की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं –

1.4.5.1 एकीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजना (आईएसपीएसडी): इस योजना के संघटकों में शामिल है (i) **सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी)**– किसी समूह से सम्बद्ध और सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना करने के लिए इच्छुक विद्युतकरघा बुनकरों को आधारिक संरचना सहायता प्रदान करना। इसके आरंभ से लेकर अब तक 10 सीएफएसी परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं (तमिलनाडु: 5, कर्नाटक: 1, तेलंगाना: 1, उत्तर प्रदेश: 2, मध्य प्रदेश: 1) और भारत सरकार की 0.06 करोड़ रुपए की सहायता जारी कर दी गई है। **(ii) यार्न बैंक के लिए कार्पस**– विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी)/ कंसोर्टियम को ब्याज मुक्त कार्पस निधि प्रदान करने के लिए ताकि उन्हें थोक दर पर यार्न खरीदने में समर्थ बनाया जा सके और विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में लघु बुनकरों को उचित मूल्य पर यार्न प्रदान किया जा सके। अप्रैल, 2016 से 31.11.2016 तक 13 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। (तमिलनाडु: 8, महाराष्ट्र: 3, उत्तर प्रदेश: 2) और भारत सरकार की 3.960 करोड़ रुपए की सहायता जारी कर दी गई है। इसके आरंभ से लेकर 33 यार्न बैंक परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं (गुजरात: 2, तमिलनाडु: 19, कर्नाटक: 2, महाराष्ट्र: 6, उत्तर प्रदेश: 4) और भारत सरकार की 12.34 करोड़ रुपए की सहायता जारी कर दी गई है। **(iii) टेक्स–वेन्चर पूंजी निधि पायलट योजना** प्राथमिक रूप से विनिर्माण एवं सेवाओं, विद्युतकरघा उद्योग के कार्यकलापों में लगी कंपनियों में निवेश करने के लिए 35 करोड़ रु. की कार्पस निधि के साथ एक समर्पित निधि है। टेक्स–वेन्चर पूंजी निधि के लिए भारत सरकार 24.50 करोड़ रुपए और सिडबी द्वारा 11.50 करोड़ रुपए प्रदान की जाएंगे। भारत सरकार और सिडबी के बीच अंशदान करार पर दिनांक 03.10.2014 को हस्ताक्षर किए गए हैं और नवम्बर, 2014 में सिडबी वेन्चर कैपीटल लिमिटेड (एसवीसीएल) को वर्ष 2014–15 के लिए 11.50 करोड़ रुपए की आवंटित राशि जारी कर दी गई है।

1.4.5.2 साधारण विद्युतकरघा स्वस्थाने पायलट उन्नयन योजना: इस योजना का उद्देश्य मौजूदा साधारण करघों का

कुछेक पारम्परिक अभिवृद्धियों के साथ उन्नयन कर उत्पादित किए जा रहे फैब्रिक की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार करना है ताकि वह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें। इसमें अभी तक एक लाख से अधिक करघों को शामिल किया गया है।

1.4.6 मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना के रूप में प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना

निर्दिष्ट ब्याज प्रतिपूर्ति प्रदान करके और मशीनरी के उन्नयन में निवेश के लिए पूंजी सब्सिडी द्वारा वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) 1999 में शुरू की गई थी। पात्र निवेशों को सब्सिडी दावों की प्रतिपूर्ति करके अधिसूचित ऋणदाता एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित यह एक ऋण संबद्ध योजना है।

यह योजना आरंभ में अप्रैल 1999 में 31.03.2004 तक के लिए अनुमोदित की गई थी और तत्पश्चात यह योजना वर्ष 2004 में 2007 तक बढ़ा दी गई थी। वर्ष 2007 में तकनीकी वस्त्र एवं परिधान के क्षेत्रों के लिए 10% की अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी (सीएस) जैसे संशोधनों के साथ योजना का आगे विस्तार किया गया और इसे संशोधित टीयूएफएस (एमटफ्स) कहा गया है। यह योजना पुनर्गठित की गई थी और पुनर्गठित टीयूएफएस (आर–टफ्स) 1972 करोड़ रुपए (31.03.2012 तक) की समग्र सब्सिडी सीमा के साथ 28.04.2011 से 31.03.2012 तक के लिए शुरू की गई थी, जिसमें स्पिनिंग के लिए 26%, विविंग के लिए 13%, प्रोसेसिंग के लिए 21%, गारमेंटिंग के लिए 8% और 'अन्य' के लिए 31% की सेक्टोरल निवेश सीमा थी। सरकार ने पात्र बेंचमार्क मशीनरी के एि एकमुश्त पूंजी सब्सिडी के साथ वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआरटीयूएफएस) के स्थान पर 'संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए–टीयूएफएस)' को अनुमोदित कर दिया है। जिन क्षेत्रों ने अधिक रोजगार और परिधान तथा तकनीकी वस्त्र जैसी निर्यात संभावना को प्राप्त कर लिया है, 30 करोड़ रुपए के सीमा के अध्यधीन 15% की दर पर पूंजी सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। नए शटलरहित करघों (विविंग प्रीपेरेटरी और निटिंग सहित), प्रसंस्करण, पटसन, रेशम और हथकरघा के लिए बुनाई जैसे क्षेत्र 20 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन 10% की दर पर पूंजी सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। एटीयूएफएस के अंतर्गत नए मामलों के लिए 5151 करोड़ रुपए और 12,671 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2015–16 से 2021–22 तक 7 वर्षों के लिए 17,822 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। आशा की जाती है कि इससे एक लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा और 30.51 लाख रोजगार का सृजन होगा।

1.4.7 पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि वस्त्र उपयोग योजना(निधि परिव्यय– 55 करोड़ रुपए): वस्त्र मंत्रालय ने 55 करोड़ रुपए के परिव्यय से 12वीं पंचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि वस्त्र उपयोग योजना शुरू की है। इस योजना को दिसंबर, 2012 में अनुमोदित किया गया था और जून 2013 में यह शुरू हुई। इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपयोग के लिए उपयुक्त रूप से तैयार कृषि वस्त्र उत्पादों के बारे में जागरूकता, कार्यक्रमों और उनके विकास के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के कृषि, बागवानी और पुष्पकृषि उत्पाद सुधार में कृषि वस्त्र के उपयोग को प्रोत्साहन देना और इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त कृषि वस्त्र उत्पादों के उपयोग के लाभ दर्शाने के लिए प्रदर्शन गृहों की स्थापना करना है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अधीन किसानों को कृषि वस्त्र किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिसमें कृषि वस्त्र सामाग्री, अनुदेश, उपयोग के सही तरीके और कृषि वस्त्र उत्पादों आदि के उपयोग के तरीके शामिल हैं। कृषि वस्त्रों की बढ़ती स्वीकार्यता के मद्देनजर देश में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा कृषि वस्त्र उत्पादन इकाइयां स्थापित किए जाने की उम्मीद है। अभी तक शीर्ष मॉनीटरिंग समिति (एएमसी) द्वारा कुल 44 प्रदर्शन केन्द्रों को अनुमोदन प्रदान किया गया है जिनमें से 40 प्रदर्शन केन्द्र प्रचालनशील हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, 8 राज्यों में वितरण के लिए 1359 एग्रोटेक्सटाइल किट अनुमोदित किए गए थे जिनमें से 489 एग्रोटेक्सटाइल किट का वितरण किया जा रहा है।

1.4.8 पूर्वोत्तर क्षेत्र में भू–तकनीकी वस्त्र उपयोग संवर्द्धन योजना: यह योजना दिनांक 24.03.2015 से 427 करोड़ रुपए के परिव्यय से पांच वर्षों की अवधि के लिए (2014–15 से 2018–19) प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य किसी सड़क, पहाड़ी/ढलान सुरक्षा और जलाशयों में विद्यमान/नई परियोजनाओं में भू–तकनीक वस्त्रों के प्रयोग के कारण अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए तकनीकी और वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराकर पूर्वोत्तर राज्यों में आधारिक संरचना के विकास में भू–तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना है। परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों और संबंधित स्टेकहोल्डर एजेंसियों के परामर्श से की जाएगी। इस योजना के निम्नलिखित दो संघटक हैं :

- संघटक–I: भू–तकनीकी वस्त्र समाधान (कठोर पहल)।
- संघटक–II: यह घटक केन्द्र सरकार द्वारा पहचाने गए अभिकरणों द्वारा चलाए जाने वाले कार्यस्थल निरीक्षण और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययनों, डिजायन समाधानों और डीपीआर तैयारी, मौके पर निगरानी और परीक्षण, विनिर्देशन की तैयारी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जागरूकता अभियान, बाजार विकास सहायता और मूल्याकंन अध्ययन आदि जैसी आसान पहल।

1.4.9 तकनीकी वस्त्र

तकनीकी वस्त्रों पर तकनीकी मिशन (टीएमटीटी) 200 करोड़ रुपए के वित्तीय

परिव्यय के साथ 2010–11 से 2014–15 तक के लिए दो लघु मिशनों के साथ शुरू की गई है। इस मिशन का उद्देश्य घरेलू और निर्यात बाजार में बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए देश में तकनीकी वस्त्र के उत्पादन को प्रभावित करने वाली बाधाओं को दूर करना है। टीएमटीटी का विस्तार 200 करोड़ रुपए के समग्र परिव्यय से अन्य दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2015–16 और वित्तीय वर्ष 2016–17) के लिए किया गया है। टीएमटीटी विस्तार के अंतर्गत नए संघटक अर्थात फोकस उद्भवन केंद्र (एफआईसी), भारत में कृषि वस्त्र उपयोग संवर्धन योजना (पूर्वोत्तर को छोड़कर) को भी शुरू किया गया है।

1.4.10 एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस): टफ्स के अलावा यह योजना वस्त्र उद्योग में गुणवत्ता तथा क्षमता निर्माण पर प्रभाव के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह योजना विनिर्माण तथा वस्त्र क्षेत्र में भारत के प्रतिस्पर्धा लाभ को बढ़ाने के लिए जरूरी कौशल सृजन पर सरकार के व्यापक फोकस का एक भाग है। इस योजना को 12वीं योजना के दौरान 15 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए 1900 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ बढ़ावा दिया गया है। आईएसडीएस योजना के तीन घटक हैं, अर्थात् घटक–I जिसमें वस्त्र मंत्रालय के अधीन वस्त्र अनुसंधान संघों और ऐसे अन्य निकायों जैसे अभिकरणों के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है;घटक–II जिसे निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिसमें एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन किया जाता है और घटक–III राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

1.4.11 एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस): इस योजना का उद्देश्य समुद्री, नदी तटीय और शून्य तरल उत्सर्जन (जेडएलडी) तकनीक सहित उपयुक्त तकनीक के माध्यम से पर्यावरण मानक पूरा करने में वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र को समर्थ बनाना है।

1.4.12 एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी): वस्त्र उद्योग को विश्वस्तरीय अवसंरचना सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए'एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी)' का कार्यान्वयन 10वीं पंचवर्षीय योजना से ही किया जा रहा है। इस योजना को 1900 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से 12वीं योजना में बढ़ावा दिया गया है। इस योजना लागत में आईटीपी की आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन/समर्थन सुविधा के लिए सामान्य अवसंरचना और भवन की लागत शामिल है। इस योजना के तहत विनिर्दिष्ट प्रयोजन उपायों के माध्यम से एकीकृत वस्त्र पार्कों की स्थापना की जाती है और भारत सरकार वस्त्र अवसंरचना का निर्माण करने के लिए व्यय के 40% का वित्त पोषण करके पार्कों की स्थापना में सहायता करती है।

एसआईटीपी के अंतर्गत अपैरल विनिर्माणन के लिए अतिरिक्त अनुदान: परिधान विनिर्माण उद्योग को बढावा देने

और अतिरिक्त रोजगार सृजन, विशेषकर महिलाओं में रोजगार सृजन, हेतु पार्कों में नई/अतिरिक्त परिधान विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए मंत्रालय ने एसआईटीपी के अधीन एकीकृत वस्त्र पार्कों को 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की है।

1.4.13 अपैरल विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम): इस योजना का उद्देश्य पूर्णतःइको–प्रणाली और प्लग एंड प्ले सुविधा के साथ एकीकृत कार्यस्थल उपलब्ध कराकर परिधान विनिर्माण में नए उद्यमियों को बढ़ावा देना है जिससे उन्हें उद्भवन केन्द्रों की स्थापना में लगे उद्यमियों को समय, लागत और प्रयास को कम करने में सहायता मिलेगी।

1.4.14 वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस): वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना संपूर्ण वस्त्र इकाई अथवा इसके किसी खास हिस्से के स्थायी रूप से बंद होने के कारण बेरोजगार हुए वस्त्र कामगारों को अंतरिम सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से 15.09.1986 से लागू की गई थी।

1.4.15 पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) : 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 1038.10 करोड़ रु. के परिव्यय से अपेक्षित सरकारी सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र को विकसित तथा आधुनिक बनाना है ताकि रोजगार में वृद्धि की जा सके और वस्त्र उत्पादों का मूल्य प्राप्त किया जा सके। इस योजना के कार्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन, डिजाइन क्षमता में सुधार और इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त कृषि वस्त्र उत्पादों के उपयोग के लाभ शामिल हैं।

1.4.16 राष्ट्रीय वस्त्र नीति

इस क्षेत्र की सभी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले औद्योगिक संघ राज्य सरकारों के साथ व्यापक परामर्श और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय वस्त्र नीति का प्रारूप तैयार किया गया था। वर्तमान में नई राष्ट्रीय वस्त्र नीति को अंतर–मंत्रालयी परामर्शों और व्यापक स्तर पर स्टेकहोल्डरों के परामर्श के आधार पर तैयार की जा रही है।

अध्याय–2

कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा

2.1 कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा

वस्त्र मंत्रालय वस्त्र उद्योग के नीति निर्माण, योजना, विकास, निर्यात संवर्धन तथा व्यापार विनियमन के लिए उत्तरदायी है। इसमें वे सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित सेल्यूलोसिक फाइबर शामिल हैं, जिनका उपयोग वस्त्र, क्लोदिंग और हस्तशिल्प बनाने में किया जाता है। वस्त्र मंत्रालय के प्रमुख सचिव हैं, जिनके कार्यभार के निर्वहन में एक पर सचिव, तीन संयुक्त सचिवों, एक आर्थिक सलाहकार, हथकरघा और हस्तशिल्प विकास आयुक्तों, वस्त्र आयुक्त तथा पटसन आयुक्त द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय की एक विचार विनिमयात्मक वेबसाइट www.texmin.nic.in है।

2.2 परिकल्पना

अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाओं का सृजन करना और तकनीकी वस्त्र, पटसन, रेशम तथा ऊन सहित सभी प्रकार के वस्त्रों के विनिर्माण व निर्यात में प्रमुख वैश्विक स्थान प्राप्त करना और सतत आर्थिक विकास के लिए गतिशील हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र का विकास करना तथा इन क्षेत्रों में वर्षों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन करना और बचाए रखना।

2.3 मिशन

- सभी क्षेत्रों को समुचित फाइबर उपलब्ध कराकर वस्त्र का सुनियोजित व सामन्जस्यपूर्ण विकास तथा संवर्धन करना।
- तकनीकी वस्त्र, पटसन, रेशम, कपास और ऊन सहित सभी प्रकार के वस्त्रों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देना।
- सभी वस्त्र कामगारों, हथकरघा बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों के कौशलों को प्रोत्साहित करना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना और इन क्षेत्रों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाए रखने के लिए नई डिजाइनों का विकास करना।
- बुनकरों और कारीगरों के लिए समुचित कार्य वातावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सुविधाओं और बीमा कवर की आसान पहुंच सुनिश्चित करना ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।
- सभी प्रकार के वस्त्र तथा क्लोदिंग और हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों में विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना।

2.4 मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करने के लिए निम्नलिखित सम्बद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों तथा सलाहकार बोर्डों द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाती है:–

2.4.1 संबद्ध कार्यालय :

(i) विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय, नई दिल्ली

इस कार्यालय के प्रमुख विकास आयुक्त (हथकरघा) हैं। यह हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन तथा विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है तथा राज्य सरकारों, समितियों तथा गैर–सरकारी संगठनों आदि को सहायता प्रदान करता है। इसके अधीनस्थ कार्यालयों में बुनकर सेवा केंद्र (डब्ल्यूएससी), भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) तथा हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 को लागू करने के लिए प्रवर्तन तंत्र शामिल हैं।

(ii) विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय, नई दिल्ली

इस कार्यालय के प्रमुख विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) हैं। यह हस्तशिल्प के विकास एवं निर्यात संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं तथा कार्यों को कार्यान्वित करता है और विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को कार्यान्वित कर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चैन्नई, गुवाहाटी तथा नई दिल्ली में हैं।

2.4.2 अधीनस्थ कार्यालय

(I) वस्त आयुक्त का कार्यालय, मुंबई

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय (टीएक्ससी) का मुख्यालय मुंबई में है तथा अमृतसर, नोएडा इंदौर, कोलकाता, बंगलुरू, कोयम्बतूर, नवीं मुंबई और अहमदाबाद में इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वस्त्र आयुक्त, मंत्रालय के प्रमुख तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय प्रौद्यो–आर्थिक सर्वेक्षण करता है और सरकार को वस्त्र उद्योग की सामान्य आर्थिक स्थिति के बारे में सलाह देता है। वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के विकासात्मक कार्यकलाप वस्त्र तथा क्लोदिंग क्षेत्र की समानांतर उन्नति और विकास की योजना के आस–पास केंद्रित रहते हैं। देश भर में कार्यरत सैंतालीस विद्युतकरघा सेवा केंद्रों (पीएससी) में से पन्द्रह वस्त्र आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे हैं। यह पीएससी की वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग के लिए कुशल जन शक्ति तथा विकेंद्रीकृत विद्युतकरण क्षेत्र को तकनीकी परामर्श/सेवाओं की जरूरत को पूरा करते हैं। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों एवं राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित किए जा रहे शेष बत्तीस विद्युतकरघा सेवा केंद्रों का समन्वय करता है और उनका मार्ग दर्शन भी करता है। यह कार्यालय तकनीकी वस्त्र पर विभिन्न विकासात्मक तथा संवर्धनात्मक योजनाओं, वस्त्र एवं पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस),समूह वर्कशेड योजना, एकीकृत कौशल विकास योजना, विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र हेतु समूह बीमा योजना, विद्युतकरघा क्षेत्र विकास हेतु एकीकृत योजना, सादे विद्युतकरघों के स्वस्थाने उन्नयन हेतु प्रायोगिक योजना तथा वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस) का

कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग भी करता है।

(।।) पटसन आयुक्त का कार्यालय

पटसन आयुक्त का कार्यालय के कार्य तथा गतिविधियां – (i) मशीनरी विकास सहित पटसन उद्योग से संबंधित नीतिगत मामलों की तैयारी के संबंध में मंत्रालय को तकनीकी सलाह देना (ii) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) जैसे वस्त्र मंत्रालय के पटसन संबंधी निकायों के माध्यम से विकासात्मक कार्यकलापों विशेष रूप से भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजिरा) और अन्य वस्त्र अनुसंधान संघों के माध्यम से ऐसे क्षेत्र तथा आरएंडडी कार्यक्रमों में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र तथा उद्यमशीलता कौशल में पटसन हस्तशिल्प और पटसन हथकरघाके संवर्धन के लिए कार्यान्वयन (iii) पटसन और मेस्टा उत्पादकों को एमएसपी मूल्य सुनिश्चित करनेके लिए भारतीय पटसन निगम के माध्यम से कच्ची पटसन और पटसन सामानों दोनों के मूल्य परिवर्तन की मानीटरिंग तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का क्रियान्वयन (iv) स्वदेशी तथा निर्यात बाजार दोनों में पटसन सामानों के बाजार की तलाश करने के लिए विशेष रूप से बाजार संवर्धन। उन पटसन उत्पादक क्षेत्रों में पटसन संबंधी कार्यकलापों को प्रोत्साहित/प्रोन्नत करने के प्रयास किए जा रहे हैं जहां ऐसे कार्यकलाप अपर्याप्त है और पूर्वोत्तर राज्यों सहित गैर पटसन उत्पादक राज्यों में हैं। पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 की धारा 4 के अंतर्गत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए पटसन पटसन आयुक्त, डीजीएसएंडडी खाते पर बी.ट्विल बैगों की आपूर्ति के लिए पटसन मिलों को उत्पादन नियंत्रण आदेश (पीसीओ) जारी करता है। पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए एफसीआई सहित विभिन्न राज्य खाद्यान्न खरीद एजेंसियों द्वारा एमएसपी के अंतर्गत खरीदे गए खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए इन बैगों की आवश्यकता होती है। पटसन आयुक्त नियमित और समयबद्ध आधार पर पटसन क्षेत्र की समस्याओं और स्थिति की सूचना मंत्रालय को भेजते हैं।

2.4.3 इनके अलावा, निम्नलिखित सांविधिक निकाय तथा पंजीकृत समितियां मंत्रालय के कार्यों से संबद्ध हैं।

सांविधिक निकाय

(i) वस्त्र समिति, मुंबई

वस्त्र समिति की स्थापना, वस्त्र समिति अधिनियम,1963 (1963 का 41) के अंतर्गत की गई थी। वस्त्र समिति ने एक संगठन के रूप में 22 अगस्त,1964 से कार्य करना प्रारंभ किया। अधिनियम की धारा 3 के द्वारा वस्त्र समिति निरंतर उत्तराधिकार के साथ एक सतत अनुक्रमणशील सांविधिक निकाय है। मुंबई स्थित वस्त्र समिति वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। वस्त्र समिति का मुख्य उद्देश्य आंतरिक खपत तथा निर्यात उद्देश्यों के लिए वस्त्र एवं वस्त्र मशीनरी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

(ii) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) का गठन, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के अनुसार किया गया है,

जो 01 अप्रैल, 2010 से लागू है और तत्कालीन पटसन विनिर्माण विकास निगम तथा राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केंद्र का राष्ट्रीय पटसन बोर्ड(एनजेबी) में विलय कर दिया गया है। एनजेबी को सांविधिक रूप से विभिन्न उपाय करने का दायित्व सौंपा गया है जिनमें पटसन के उत्पादन में वृद्धि करने तथा तत्संबंधी गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से योजना की तैयारी, विस्तार कार्य, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन के मामलों में पटसन की खेती के लिए एकीकृत एप्रोच विकसित करना; अवशिष्ट को समाप्त करने, अधिकतम उत्पादन, गुणवत्ता में सुधार तथा लागत में कमी के उद्देश्य से पटसन उद्योग के लिए दक्षता के मानकों के लिए सुझाव देना; कच्ची पटसन और पटसन उत्पादों के संबंध में सांख्यिकी का संग्रह तथा निष्पादन करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण अथवा अध्ययन को बढ़ावा देना अथवा सहायता करना; पटसन विनिर्माताओं के मानकीकरण का संवर्धन करना; पटसन उद्योग की दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि करके पटसन विनिर्माताओं के उत्पादन के विकास का संवर्धन करना; पटसन विनिर्माताओं के लिए देश के भीतर और बाहर मौजूदा बाजारों को बनाए रखना और नए बाजार विकसित करना तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऐसे विनिर्माताओं के लिए मांग के अनुरूप विपणन रणनीतियां तैयार करना; उद्यमियों, कारीगरों, शिल्पकारों, डिजाइनरों, विनिर्माताओं, निर्यातकों, गैर–सरकारी एजेंसियों आदि को सहायता उपलब्ध करा कर विविधीकृत पटसन उत्पादों के लिए अनुकूल परिस्थितियां और आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध कराना और उनका सृजन करना;

(iii) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), बैंगलूरू

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय है। संसद के एक अधिनियम (1948 का अधिनियम सं LXI) द्वारा 1948 में स्थापित सीएसबी को रेशम के आयात एवं निर्यात को अभिशासित करने वाली नीतियों के प्रतिपादन सहित रेशम यार्न के उत्पादन के लिए खाद्य पौधों के विकास से रेशम कोया तक देश में रेशम उत्पादन के कार्यकलापों की समग्र प्रक्रिया को शामिल करते हुए रेशम उद्योग को विकसित करने का पूर्ण दायित्व सौंपा गया है। सीएसबी मूल रूप से अनुसंधान और विकास संगठन है। सीएसबी के महत्वपूर्ण कार्यकलापों में रेशम क्षेत्र में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान कार्य करने के लिए सहयोग तथा प्रोत्साहित करना है। रेशम–उत्पादन तथा रेशम वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रम राज्य रेशम उत्पादन/वस्त्र विभागों द्वारा प्राथमिक रूप से प्रतिपादित तथा क्रियान्वित किए जाते हैं। तथापि, केंद्रीय रेशम बोर्ड अपने देशव्यापी नेटवर्क केंद्रों के माध्यम से अनुसंधान और विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरा करता है। इसके अलावा, केन्द्रीय रेशम बोर्ड गुणवत्तापूरक रेशम

कीट के प्राथमिक तथा वाणिज्यिक बीजों के उत्पादन और आपूर्ति की व्यवस्था करता है और विभिन्न रेशम उत्पादन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भी राज्यों को सहयोग प्रदान करता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड, राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तर पर रेशम उत्पादन सांख्यिकी का संग्रह तथा संकलन भी करता है।

(iv) राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान (निफ्ट), नई दिल्ली

राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान (एनएफआईटी) को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में 1986 में स्थापित किया गया था और यह निफ्ट अधिनियम, 2006 के द्वारा शासित एक सांविधिक निकाय है। व्यापक सुरुचिपूर्ण एवं भौतिक दृष्टिकोण को लेकर आने वाले प्रारंभिक शिक्षकों में फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, न्यूयार्क, यूएसए के प्रमुख प्रगतिशील विद्वान शामिल थे। घरेलू शिक्षकों को बुद्धिजीवियों के एक विशिष्ट समूह से लिया गया था जिन्होंने प्रभावी अध्ययन के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु एक गतिशील दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था। नई दिल्ली में निफ्ट के मुख्यालय का पुपुल जयकर और विभिन्न शैक्षणिक विचारकों तथा विजिनरियों की याद दिलाता है जो संस्थान की सफलता के रूपरेखा तैयार करने महत्वपूर्ण रहे थे। संस्थान की विस्तार योजनाओं में शैक्षणिक समावेशन एक उत्प्रेरक के रूप में रहा है। समय के साथ–साथ, निफ्ट ने देश भर में अपना विस्तार किया है।

2.4.4 पंजीकृत समितियां

(i) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड

केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) का गठन 1987 में ऊनी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विविधीकृत हितों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया था जिसका मुख्यालय, जोधपुर राजस्थान में है। सीडब्ल्यूडीबी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह, बोर्ड के शासी निकाय के समग्र मार्गदर्शन तथा वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करता है। यह बोर्ड ऊन क्षेत्र की उन्नति तथा विकास से संबंधित मामलों पर वस्त्र मंत्रालय के लिए सलाहकारी निकाय तथा क्रियान्वयन एजेंसी का भी कार्य करता है

(ii) सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन स्कूल (एसवीपीआई एसटीएम)

एसवीपीआईएसटीएम की स्थापना 24 दिसम्बर, 2002 को कोयम्बटूर, तमिलनाडु में एक वस्त्र प्रबंध संस्थान के रूप में की गयी थी।

2.4.5 सलाहकार बोर्ड

(i) अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड

बेहतर उत्पादकता, संवर्धित कुशलता हासिल करने, कामगार कल्याण और विद्युतकरघों के स्थानिक फैलाव में सुधार करने के लिए किए जाने वाले उपायों सहित विद्युत चालित बुनाई क्षेत्र के भीतर विद्युतकरघों के स्वस्थ विकास से जुड़े

मामलों में आमतौर पर सरकार के सलाह देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड का सर्वप्रथम गठन नवम्बर, 1981 में भारत सरकार के सलाहकार बोर्ड के रूप में किया गया था। भारत सरकार समय–समय पर एआईपीबी का पुनर्गठन करती है। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों, विद्युतकरघा परिसंघ/विद्युतकरघा संघों के प्रतिनिधि के सदस्यों के रूप में शामिल हैं तथा माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री इसके अध्यक्ष हैं।

(ii) कपास सलाहकार बोर्ड

कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी) सरकारी एजेंसियों, उत्पादकों, उद्योग एवं व्यापार का एक प्रतिनिधि निकाय है। यह सरकार को सामान्यतः कपास के उत्पादन, खपत और विपणन पर परामर्श देता है तथा कपास वस्त्र मिल उद्योग, कपास उत्पादन, कपास ट्रेड तथा सरकार के मध्य समन्वय का मंच भी उपलब्ध करवाता है। सीएबी का कार्यकाल 2 वर्ष का है। कपास सलाहकार बोर्ड, कपास तुलनपत्र तैयार करता है। यह बोर्ड द्विस्तरीय प्रणाली में कार्य करता है जिसमें परामर्शदात्री समिति कपास उत्पादकों, कपास व्यापारियों, कपास मिलों से इनपुट प्राप्त करती हैं। कपास परामर्शदात्री समिति कपास सलाहकार बोर्ड की औपचारिक बैठक से पहले अपनी बैठकें आयोजित करती है। परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के बिंदुओं पर सीएबी द्वारा विचार किया जाता है। 24 अक्तूबर, 2016 को संपन्न हुई इसकी बैठक में सीएबी ने कपास मौसम वर्ष 2016–17 के लिए खेती के अंतर्गत क्षेत्र का 105 लाख हेक्टेयर उत्पादन का 351 लाख गांठों तथा निर्यात योग्य अधिशेष का 50 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है।

(iii) पटसन सलाहकार बोर्ड

पटसन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष सचिव (वस्त्र) है जो सरकार को पटसन व पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश–2016 के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पटसन से संबंधित मामलों पर सलाह देता है जिनमें पटसन और मेस्ता के उत्पादन से संबंधित अनुमान शामिल हैं। बोर्ड का पुनर्गठन दिनांक 15.06.2016 को दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया था।

2.4.6 निर्यात संवर्धन परिषदें

वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग के सभी क्षेत्रों अर्थात सिले–सिलाए परिधानों, सूती, रेशम, पटसन, ऊन, विद्युतकरघा, हथकरघा, हस्तशिल्प और कालीनों का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्यारह वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें हैं। वैश्विक बाजार में अपने–अपने क्षेत्र के विकास और निर्यात का संवर्धन करने के लिए ये परिषदें वस्त्र मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करती हैं। ये परिषदें निर्यात को बढ़ाने तथा नए बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए भारत तथा विदेशी बाजारों में वस्त्र एवं अपैरल मेलोंऔर प्रदर्शनियों तथा भारत और विदेशों में स्टैंडअलोन शो में भाग लेती हैं।

वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित निर्यात संवर्धन परिषदें हैं:

i. अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी)
ii. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल)
iii. सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी)
iv. ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एंड डब्ल्यूईपीसी)
v. ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन संगठन (वूलटेक्सप्रो)
vi. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी)
vii. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी)
viii. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)
ix. विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पैडिक्सिल)
x. हथकरघा निर्यात सवंर्धन परिषद (एचईपीसी)
xi. पटसन उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी)

वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत संगठनों की सूची

श्रेणी	संगठन का नाम
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	बड्र्स जूट एक्सपोर्ट लि. (बिजेईएल), कोलकाता, ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन (बीआईसी) सहायक कंपनियों के साथ, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईसी),नई दिल्ली, द कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआई) मुंबई, भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम (एचएचईसी) लि., नई दिल्ली, भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) लि., कोलकाता, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी), लखनऊ, राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एनजेएमसी), कोलकाता, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (एनटीसी), नई दिल्ली।
वस्त्र अनुसंधान संघ	अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (एटीआईआरए), अहमदाबाद, बंबई वस्त्र अनुसंधान संघ (बीटीआरए), मुंबई, भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (आईजेआईआरजे), कोलकाता, मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ (मंतरा), सूरत, उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (निटरा), गाजियाबाद, दक्षिण भारत वस्त्र अनुधान संघ (सिटरा, कोयंबटूर, सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स अनुसंधान संघ (ससमीरा, ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यूआरए), ठाणे।
सांविधिक निकाय	केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), बैंगलूरू, भुगतान आयुक्त, (सीओपी), नई दिल्ली, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता, वस्त्र आयुक्त, मुंबई, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), नई दिल्ली
पंजीकृत समिति	केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीसी), जोधपुर, सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और प्रबंधन स्कूल (एसवीपीआईएसटीएम), कोयंबटूर
सलाहकार निकाय	अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड, वस्त्र अनुसंधान संघों के लिए समन्वय परिषद, कपास सलाहकार बोर्ड, पटसन सलाहकार बोर्ड

अध्याय–3

संगठित वस्त्र क्षेत्र

3.1 प्रमुख उप–क्षेत्र जिनमें वस्त्र क्षेत्र शामिल हैं उसमें संगठित कपास/मानव–निर्मित फाइबर वस्त्र मिल उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, हथकरघा, पटसन मिल आदि शामिल हैं। वस्त्र मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने तथा तकनीकी को सुदृढ़ करने के लिए एक साथ सुविधाएं प्रदान करने के लिए टफ्स, एसआईटीपी और प्रौद्योगिकी मिशन जैसी सफल योजनाएं आरंभ की हैं।

3.2 संगठित मिल क्षेत्र

संगठित मिल क्षेत्र में 3400 से अधिक वस्त्र मिलें शामिल हैं जिसमें लघु उद्योग तथा गैर–लघु उद्योग दोनों क्षेत्र शामिल है। तकुओं की कुल स्थापित क्षमता विश्व में सर्वाधिक है जिसमें 50 मिलियन से अधिक तकुएं और 842000 रोटर शामिल हैं। मिल क्षेत्र 2500 मिलियन कि.ग्रा. मानव निर्मित फाइबर और मानव निर्मित फिलामेंट धागे के अतिरिक्त लगभग 2500 मिलियन वर्गमीटर कपड़े का उत्पादन करता है। वस्त्र मंत्रालय ने संगठित मिल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें तैयार की हैं।

3.3 प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) को वर्ष 1999 में निर्दिष्ट ब्याज प्रतिपूर्ति और मशीनरी के उन्नयन में निवेश हेतु पूंजीगत सब्सिडी मुहैया करवाकर वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा आधुनिकीकरण हेतु पूंजीगत निवेशों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। यह एक ऋण संयोजित योजना है जिसका क्रियान्वयन पात्र निवेश के सब्सिडी दावों की प्रतिपूर्ति द्वारा अधिसूचित ऋणदाता एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

योजना को प्रारंभ में अप्रैल 1999 से 31 मार्च, 2004 तक के लिए अनुमोदित किया गया था और बाद में वर्ष 2004 में इसका विस्तार वर्ष 2007 तक के लिए किया गया था। वर्ष 2007 में योजना का और विस्तार तकनीकी वस्त्र तथा परिधान के क्षेत्र हेतु 10 प्रतिशत की अतिरिक्त पूंजीगत सहायता (सीएस) जैसे संशोधनों के साथ और आगे के लिए किया गया था और इसे संशोधित टीयूएफएस (एम–टीयूए फएस) के नाम से जाना जाता है।

योजना पुनर्गठित की गई थी और पुनर्गठित टीयूएफएस (आर–टीयूएफएस) को 28.4.2011 से 31.3.2012 तक के लिए प्रारंभ किया गया था जिसमें 1972 करोड़ रूपये (31.3.2012 तक) की समग्र आर्थिक सहायता सीमा थी और कताई हेतु 26 प्रतिशत, बुनाई हेतु 13 प्रतिशत, प्रसंस्करण हेतु 21 प्रतिशत, परिधान हेतु 8 प्रतिशत और 'अन्यों' हेतु 31 प्रतिशत की क्षेत्रक निवेश सीमा थी तथा आर–टीयूएफएस के अंतर्गत सब्सिडी सामान्य तौर पर 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति की थी, सिवाय "कताई" क्षेत्र के जिसके लिए ब्याज प्रतिपूर्ति 4 प्रतिशत की दर से थी। नए शटलरहित करघों हेतु 5 प्रतिशत आईआर के अतिरिक्त 10 प्रतिशत पूंजीगत

सब्सिडी का भी विस्तार किया गया था।

योजना को 12वीं योजना (2012–17) में संशोधित पुनर्गठित टीयूएफएस (आरआर–टीयूएफएस) के रूप में 11952.80 करोड़ रूपये के बजटीय आवंटन के साथ जारी रखा गया था। आरआर–टीयूएफएस का मुख्य फोकस बुनाई/विद्युतकरघा क्षेत्र है। आरआर–टीयूएफएस के अंतर्गत सब्सिडी दर नए शटलरहित करघे हेतु 6 प्रतिशत की दर से आईआर+15 प्रतिशत सीएस (5 प्रतिशत आईआर+10 प्रतिशत सीएस के स्थान पर) की है और एमएसएमई यूनिटों हेतु मार्जिन मनी सब्सिडी (एमएमएस) को नए शटलरहित करघों के मामले में 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। "अन्य" क्षेत्रों हेतु सब्सिडी लाभ आर–टीयूएफएस के समान बना हुआ है सिवाय "एकल कताई" और पुराने आयातित शटलरहित करघों के मामले में जहां लाभ को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, नई स्वीकृतियों हेतु अनुमोदित परिव्यय के 10 प्रतिशत व्यय को एमएसई क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट किया गया है। 53,934.29 करोड़ रुपए की परियोजना लागत और 5224.89 करोड़ रुपए के सब्सिडी मूल्य के साथ आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत 12488 यूआईडी जारी की गई। एटीयूएफएस के अंतर्गत 3780.22 करोड़ रुपए की परियोजना लागत और 309.62 करोड़ रुपए के सब्सिडी मूल्य के साथ 22.11.2016 तक 1547 यूआईडी जारी किए गए।

बजट आबंटन और व्यय का विवरण

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2014-15	2300.00	1946.02	1884.31
2015-16	1520.79	1434.78	1393.19
2016-17	1480.00	1830.00	1746.62

टीयूएफएस के अंतर्गत समग्र उपलब्धिः

I. **निवेश**– वर्ष 1999 में इसकी शुरूआत से 2,71,480 करोड़ रुपए का निवेश उत्प्रेरित किया गया।

II. **सब्सिडी**– वर्ष 1999 में इसकी शुरूआत से ब्याज प्रतिपूर्ति (आईआर) और पूंजीगत सब्सिडी (सीएस) के रूप में 23604.23 करोड़ रूपये की राशि रिलीज की गई है।

III. **रोजगार**– अबतक 47.65 लाख कुल रोजगार सृजित किए गए।

IV. **कताई में प्रौद्योगिकी उन्नयन**– कताई में क्षमता ने वांछित स्तर प्राप्त कर लिया है। यह क्षेत्र योजना के अंतर्गत सबसे बडे लाभार्थियों में से एक है। वस्त्र क्षेत्र का कताई और मिश्रित क्षेत्र ने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया।

टीयूएफएस की वर्ष–वार प्रगति नीचे दर्शायी गई है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	मामलों की संख्या	परियोजना लागत	स्वीकृत सावधि ऋण राशि	जारी की गई सब्सिडी (वस्त्र मंत्रालय द्वारा)
1999-2000	309	5074	2421	1.00
2000-2001	616	4380	2090	70.00
2001-2002	444	1320	630	200.00

2002-2003	456	1438	839	202.59
2003-2004	884	3289	1341	249.06
2004-2005	986	7349	2990	283.61
2005-2006	1078	15032	6776	485.00
2006-2007	12589	66233	29073	823.92
2007-2008	2260	19917	8058	1143.37
2008-2009	6072	55707	24007	2632.00
2009-2010	2352	27611	6612	2885.98
2010-2011*	256	397	254	2784.18
2011-2012	1794	24364	13619	2937.82
2012-2013	2163	13154	8276	2151.58
2013-2014	585	6387	4328	1730.00
2014-2015	4005	17021	10769	1884.31
2015-2016	-	-	-	1393.19
2016-2017	7461	30097.88	18915.82	1746.62 (24.11.2016 की स्थिति के अनुसार)
Total	**44310**	**298770.88**	**140998.82**	**23604.23**

* यह योजना 29.6.2010 से 28.4.2011 तक स्थगित थी।

3.3 संशोधित–प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस): सरकार ने पात्र बेंचमार्क मशीनरी के लिए एकमुश्त पूंजीगत सब्सिडी के साथ वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी निधि योजना (आरआरटीयूएफएस) के स्थान पर "संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए–टीयूएफएस)" को अनुमोदित किया है। अधिक रोजगार और निर्यात संभाव्यता होने वाले क्षेत्रों जैसे कि परिधान और तकनीकी वस्त्र 30 करोड़ की सीमा के अधीन 15 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सब्सिडी हेतु पात्र होंगे। बिल्कुल नए शटलरहित करघों (बुनाई तैयारी तथा बुनाई सहित) हेतु बुनाई, प्रसंस्करण, पटसन, रेशम और हथकरघों को 20 करोड़ की सीमा के अधीन 10 प्रतिशत की दर से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। एटीयूएफएस के अंतर्गत 12,671 करोड़ रूपये की प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने और नए मामलों हेतु 5151 करोड़ रूपये के साथ वर्ष 2015–16 से 2021–22 तक 7 वर्षों के लिए 17822 करोड़ रूपये के बजट प्रावधान को अनुमोदित किया गया है। यह आशा की जाती है कि इस योजना से 1 लाख करोड़ रूपये का निवेश आकर्षित होगा और 30.51 लाख रोजगार उत्पन्न होंगे।

अनुमान है कि 2,71,480 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया गया और वर्ष 1999 में

इसकी शुरूआत से ब्याज प्रतिपूर्ति (आईआर) और पूंजीगत सब्सिडी (सीएस) के रूप में 23604.23 करोड़ रूपये की राशि रिलीज की गई है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में टीयूएफएस के अंतर्गत 22.11.2016 तक 1746.62 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई।

मंत्रालय ने दिनांक 25.07.2016 के संकल्प द्वारा परिधान क्षेत्र में उत्पादन को उत्प्रेरित करने और रोजगार सृजन के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत परिधान इकाइयों के लिए उत्पादन एवं रोजगार संबद्ध सहायता योजना (एसपीईएलएसजीयू) अधिसूचित भी की है। परिधान इकाइयों को 10: का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जिसको तीन वर्ष की अवधि के पश्चात बेंचमार्क पात्र मशीनरी की स्थापना के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% पूंजीगत निवेश सब्सिडी (सीआईएस) उपलब्ध होगी। परिधान इकाइयों में पात्र मशीनों के लिए पूंजीगत निवेश सब्सिडी पर ऊपरी सीमा को 30 करोड़ रुपए जो एटीयूएफएस के अंतर्गत सीमा थी, से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 10% की इस अतिरिक्त सब्सिडी अनुमानित उत्पादन और रोजगार सृजन की उपलब्धि पर होगा जैसा कि इकाई द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में उल्लेख किया गया है।

3.4 तकनीकी वस्त्र प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी):

तकनीकी वस्त्र प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी) 200 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 2010–11 से 2014–15 के लिए दो लघु मिशनों के साथ प्रारंभ किया गया। इस मिशन का उद्देश्य घरेलू तथा निर्यात बाजार में निरंतर बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए देश में तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन में बाधा डाल रही रूकावटों को दूर करना है। टीएमटीटी का 200 करोड़ रुपए के समग्र परिव्यय के भीतर 2 और वर्षों (वित्तीय वर्ष 2015–16 तथा वित्तीय वर्ष 2016–17) के लिए विस्तार किया गया है। टीएमटीटी के विस्तार के अंतर्गत नए संघटक अर्थात फोकस इनक्यूबेशन सेंटर (एफआईसी) और भारत में एग्रोटेक्सटाइल्स उपयोग के संवर्धन की योजना (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) भी आरम्भ की गई है। योजना के ब्यौरे/उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

3.4.1 टीएमटीटी का लघु मिशन–I (निधि आबंटन–156 करोड़ रुपए)

उद्देश्य: मानकीकरण, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन के साथ सामान्य परीक्षण सुविधाएं सृजित करना, आई.टी अवसंरचना के साथ प्रोटोटाइप्स तथा संसाधन केंद्र का घरेलू विकास।

पहलें

क) तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माताओं की सुविधा हेतु एक ही स्थान पर अवसंरचनात्मक सहायता उपलब्ध कराने के लिए चार उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना

- तकनीकी वस्त्र वृद्धि एवं विकास योजना (एसजीडीटी) के अंतर्गत एग्रोटेक (ससमीरा), जियोटेक (बिटरा), प्रोटेक (निटरा) तथा मेडीटेक (सिटरा) में पहले से स्थापित चार उत्कृष्टता केंद्रों के अतिरिक्त, संबंधित क्षेत्र के तकनीकी वस्त्र विनिर्माताओं की सहायता के लिए नॉनवूवन्स, कंपोजिट्स, इंडुटेक एवं

स्पोर्टेक के क्षेत्रों में चार और सीओई स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक सीओई के लिए 25.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सभी आठ उत्कृष्टता केंद्रों का विवरण इस प्रकार है:–

क्र. सं.	सीओई का नाम	उत्कृष्टता केंद्र	राज्य
1.	एक अग्रणी भागीदार बीटीआरए के साथ द बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (बीटीआरए) मुंबई एवं अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (अटीरा), अहमदाबाद।	जियोटेक	महाराष्ट्र
2.	एक अग्रणी भागीदार के रूप में ससमीरा के साथ एक नॉलेज पार्टनर के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली के साथ सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन (ससमीरा), मुंबई तथा मैन–मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (मंतरा), सूरत तथा नवसारी एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी ।	एग्रोटेक	महाराष्ट्र
3.	एक अग्रणी भागीदार के रूप में निटरा के साथ नॉर्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (निटरा), गाजियाबाद तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली।	प्रोटेक	उत्तर प्रदेश
4.	एक अग्रणी भागीदार के रूप में सिटरा के साथ साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (सिटरा), कोयम्बटूर तथा एसी कॉलेज ऑफ टेक्नालॉजी, चैन्नई।	मेडीटेक	तमिलनाडु
5.	डीकेटी सोसाइटीस टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, इचलकरांजी, महाराष्ट्र	नॉन–वूवन्स	महाराष्ट्र
6.	पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नालॉजी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	इंडुटेक	महाराष्ट्र
7.	अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (अटीरा), अहमदाबाद, गुजरात	कंपोजिट्स	गुजरात
8.	वूल रिसर्च एसोसिएशन (डब्ल्यूआरए), ठाणे	स्पोर्टेक	महाराष्ट्र

- **इन उत्कृष्टता केंद्रों में सृजित की गई आवश्यक सुविधाएं इस प्रकार हैं:**
  - राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन सुविधाओं के साथ तकनीकी वस्त्रों के अभिज्ञात क्षेत्रों के उत्पादों की परीक्षण एवं मूल्यांकन सुविधाएं तथा विदेशी संस्थानों/प्रयोगशालाओं के साथ समन्वय
  - आईटी अवसंरचना के साथ संसाधन केंद्र
  - प्रोटोटाइप्स के विकास हेतु घरेलू सुविधाएं
  - तकनीकी वस्त्र उद्योग के केंद्रीय कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण तथा कार्मिकों हेतु नियमित प्रशिक्षण सुविधाएं
  - स्टेकहोल्डरों के साथ जानकारी को बांटना
  - उद्भवन केंद्र
  - वैश्विक स्तर के समकक्ष मानकों की स्थापना

- **उत्कृष्टता केंद्रों का विस्तार**

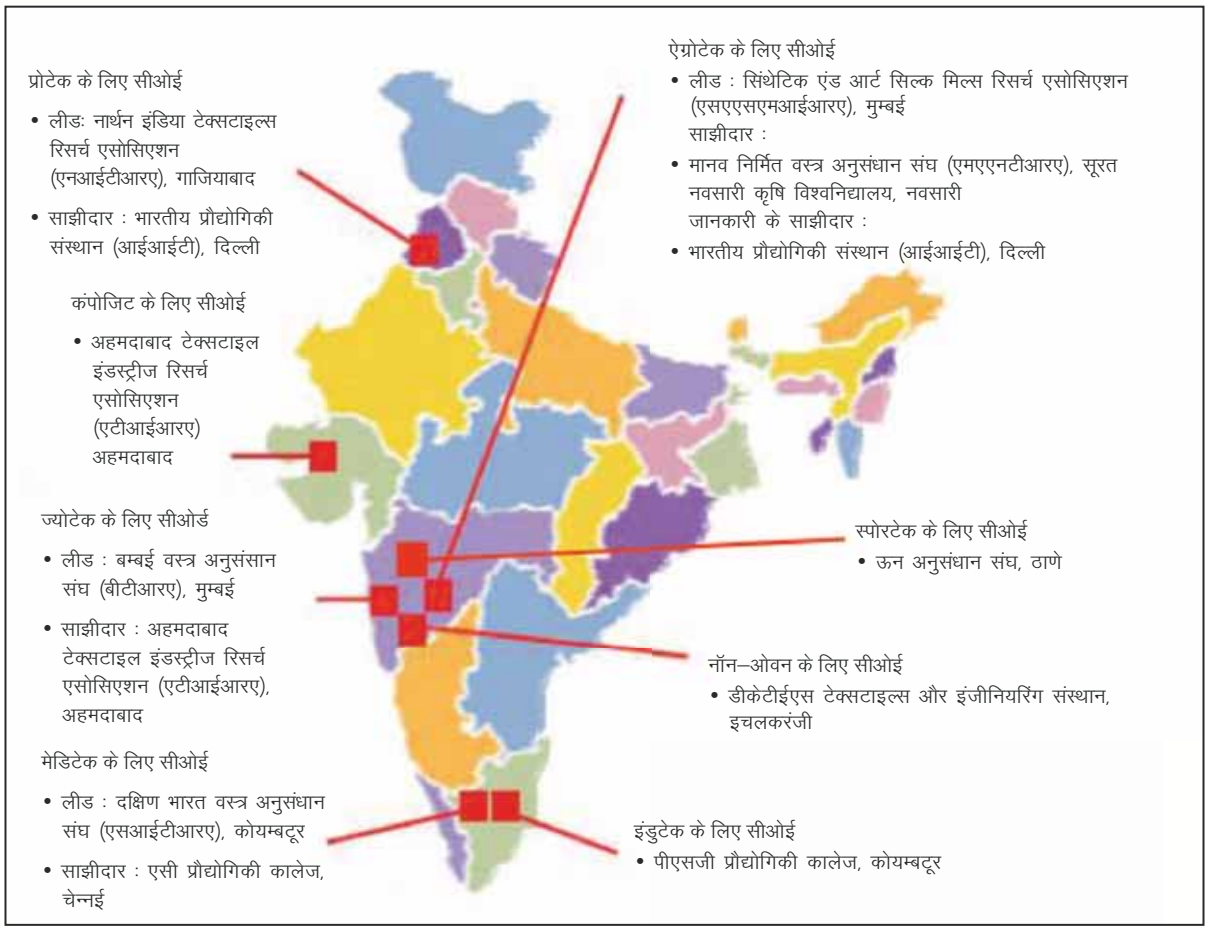

- चार मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों का उन्नयन

  तकनीकी वस्त्र वृद्धि एवं विकास योजना (एसजीडीटीटी) योजना के अंतर्गत पहले ही चार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं परन्तु इन उत्कृष्टता केंद्रों के पास अपने क्षेत्रों के उत्पादों के प्रोटोटाइप्स, उष्मायन केंद्र के विकास हेतु सुविधाएं तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु व्यय करने के प्रावधान नहीं है। इसलिए मौजूदा सीओई को नए सीओई के अनुरूप उन्नत करने के लिए 14 करोड़ रुपए की निधि सहायता निर्धारित की जा रही है।

  - अब तक इन 8 उत्कृष्टता केन्द्रों के लिए कुल 139 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं और इन उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा प्राप्त की गई प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई है:
  - सीओई के प्रारंभ से संचित राजस्व सृजन 2315 लाख रूपये है।
  - 530 प्रोटोटाइप नमूने विकसित किए गए हैं
  - उद्योग के लिए 22147 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।
  - बीआईएस को 142 मानक प्रस्तुत किए गए
  - 360 तकनीकी परामर्शी कार्य लिए गए
  - तकनीकी वस्त्र यूनिटों को स्थापित करने के लिए 105 डीपीआर तैयार किए गए हैं
  - 654 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन

3.4.2 लघु मिशन–।। (निधि आबंटन–44 करोड़ रुपए)

उद्देश्य : तकनीकी वस्त्रों हेतु घरेलू एवं निर्यात बाजार विकास को सहायता।

पहलें:

- **व्यापार शुरूआत हेतु सहायता**
- तकनीकी वस्त्र एक नया क्षेत्र है तथा उद्यमी, विशेषकर एसएमई क्षेत्र के लिए तकनीकी वस्त्रों पर किसी परियोजना प्रारंभ करना कठिन होता है। वस्त्र मंत्रालय/वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा सीओई तथा अन्य संघों/संस्थानों/स्वतंत्र प्रतिष्ठित परामर्शदाताओं को पैनलबद्ध किया गया है जोकि परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगे और परियोजनाओं की समाप्ति तक क्षमतावान उद्यमियों के लिए हैंड होल्डिंग करते हैं। यह परामर्शदाता उत्पाद चयन, प्रौद्योगिकीय व्याख्या और खरीद, बाजार आकलन,वाणिज्यिकरण तथा विपणन सहायता सहित क्षमतावान निवेशकों को संपूर्ण सेवा उपलब्ध कराते हैं।
- तकनीकी वस्त्रों हेतु प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी) के अंतर्गत व्यापार शुरू करने के लिए 6 परामर्शदाताओं को पैनलबद्ध किया गया है। अब तक, इस संघटक के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए 27 इकाइयां पंजीकृत की गई हैं और इस संघटक के अंतर्गत 6 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।
- **कार्यशाला के आयोजन हेतु निधि सहायता उपलब्ध कराना**
- विदेशों में बसे अप्रवासी भारतीयों सहित प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सेमीनार, कार्यशाला तथा अल्पावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जा रहा है जिनमें नवीनतम प्रौद्योगिकी,

अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं, बाजार विवरण, वैश्विक परिदृश्य आदि के बारे में जानकारी साझा की जा रही है।

- इस योजना की शुरूआत से कुल 75 कार्यशालाएं/सेमीनार आयोजित किए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों को सभी स्टेक होल्डरों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।
- **मानकीकरण, नियामक उपायों के माध्यम से सामाजिक अनुपालन**
  - कुछ तकनीकी वस्त्रों को प्रयोग के लिए प्रयोक्ता उद्योगों/मंत्रालयों द्वारा बढ़ावा देने तथा कुछ को अनिवार्य निर्देशन की आवश्यकता होती है। परामर्शदाताओं की अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के अनुरूप आवश्यक नियामक परिवर्तनों को चिन्हित करने तथा ऐसे परिवर्तनों को नियमों एवं विनियमों में शामिल करने के लिए सेवाएं ली जा रही हैं।
  - इस पहल के अंतर्गत टीएमटीटी के अंतर्गत 'भारत में जियोटेक के अनुप्रयोग के संवर्धन हेतु विनियामक उपाय' तथा 'भारत में एग्रोटेक के प्रयोगों के संवर्धन हेतु विनियामक उपाय' पर अध्ययन संपन्न किए गए। अंतिम रिपोर्ट कार्यालय की वेबसाइट www.technotex.gov.in पर उपलबध करा दी गई है।
  - बड़े एवं संस्थागत क्रेता आदि के लिए विपणन सहायता हेतु बाजार विकास सहायता
  - इस पहल के अंतर्गत, देश भर में क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित की जा रही हैं जिनमें स्वदेशी विनिर्माता अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकते हैं, सरकारी अधिकारियों, उपयोगकर्ताओं को क्रेताओं के साथ अपनी आवश्यकता बांटने के लिए आमंत्रित किया गया है। क्रेता–विक्रेता बैठकों के दौरान बी2बी बैठकें भी आयोजित की गई हैं।
  - अभी तक, इस संघटक के अंतर्गत कुल सत्रह क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित की गई हैं जिनमें से पांच अंतर्राष्ट्रीय क्रेता–विक्रेता बैठकें 'टेक्नोटेक्स इंडिया 2011', 'टेक्नोटेक्स 2013', 'टेक्नोटेक्स 2014' 'टेक्नोटेक्स 2015' और 'टेक्नोटेक्स 2016' के ब्रांड नाम के अंतर्गत आयोजित की गई जिनमें विभिन्न देशों से स्टेक होल्डरों ने भाग लिया। टेक्नोटेक्स 2011', 'टेक्नोटेक्स 2013', 'टेक्नोटेक्स 2015' और 'टेक्नोटेक्स 2016' का उद्घाटन माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा किया गया था।
- **निर्यात बिक्री हेतु बाजार विकास सहायता**
  - विदेशों में कई प्रतिष्ठित तकनीकी वस्त्र मेले आयोजित किए जाते हैं। इन मेलों में प्रतिभागिता से घरेलू विनिर्माता की निर्यात क्षमता में सुधार आएगा। कुछ तकनीकी वस्त्र इकाइयां अनुप्रयोग आधारित मेलों की प्रदर्शनियों में भाग ले रही हैं। इस पहल के अंतर्गत सहायता में, भारतीय तकनीकी वस्त्र विनिर्माताओं द्वारा अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए तकनीकी वस्त्र मेलों/अनुप्रयोग आधारित मेलों में प्रतिभागिता शामिल है। वायुयान,

मितव्ययी श्रेणी किराया से यात्रा व्यय और सज्जित स्टॉल बनाने का प्रभार पर सहायता स्वीकार्य होगी। हालांकि, प्रति दौरा 5 लाख रुपए की सिफारश वाली वित्तीय सीमा के साथ 50% की सीमा तक दी जाएगी।

- आज तक, निर्यात बिक्री के लिए बाजार विकास सहायता के अंतर्गत 77 दावे निपटाए गए।

- **आईआईटी / टीआरए / वस्त्र संस्थानों के माध्यम से संविदा अनुसंधान तथा विकास**

- तकनीकी वस्त्र उच्च प्रौद्योगिकी वाला क्षेत्र है जहां अधिकतर नई सामग्री वाले हाई एंड परिवर्तित उत्पादों को आयात किया जाता है, इसलिए उत्पादों के घरेलू विकास की सख्त आवश्यकता है जिसके लिए आरएंडडी सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार संविदा अनुसंधान इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल है। एक संविदा अनुसंधान प्रस्ताव के लिए एकल इकाई अथवा दो या और इकाइयां एक साथ शामिल हो सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्रति परियोजना 20 लाख रुपए के रूप में अनुशंसित सीमा के अध्यधीन भूमि और भवन की लागतको छोड़कर 60% तक होगी। यह आरंभिक सीमा है और अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मेरिट पर छूट योग्य है।

- आज तक, इस संघटक के अंतर्गत सहायता के लिए इस कार्यालय के पास 17 इकाइयां पंजीकृत हुई। इस संघटक के अंतर्गत 5 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए थे और सभी परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं।

- **फोकस इनक्यूबेशन सेंटर (एफआईसी) :**

- संभाव्य निवेशकों की तकनीकी वस्त्रों में प्रवेश करने में सहायता के उद्देश्य से वस्त्र मंत्रालय टीएमटीटी के अंतर्गत स्थापित सीओई में प्लग एवं प्ले मॉडल पर फोकस इनक्यूबेशन सेंटर (एफआईसी) को स्थापित कर रहा है। तदनुसार, वर्ष 2015–16 में एफआईसी की स्थापना के लिए 6 सीओई नामतः अटीरा, डीकेटीई, नेत्रा, पीएसजी कॉलेज ऑफ टैकनॉलाजी, ससमीरा और सिट्रा को 17.45 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई।

- उक्त एफआईसी को निमनलिखित उद्देश्य तथा उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं :

- वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन हेतु अपनी यूनिटों के स्थापन हेतु संभाव्य उद्यमियों को मूलभूत अवसरंचनात्मक ढांचे/आधारभूत मशीनरियों के साथ औद्योगिक शेड उपलबध करवाए जाएंगे।
- एफआईसी को वाणिज्यिक पैमाने पर नवाचार को लेने हेतु संबंधित सीओई के मार्ग दर्शन के साथ नए उद्यमियों को "प्लग एण्ड प्ले " मॉडल पर मुहैया करवाया जा सकता है।
- एक बार स्थापित होने पर वे अपनी सुविधाओं पर स्थानांतरित हो जाएंगे और केन्द्र नए उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाएगा।
- सीओई को 6 माह की समयावधि के भीतर अपने क्षेत्र में एफआईसी स्थापित करने होंगे।
- वहां प्रत्येक उद्यमी हेतु उपकरणों की एक पृथक लाइन होगी।

- एफआईसी उद्यमियों द्वारा चलाए जाएंगे और न कि सीओई द्वारा।
- सीओई द्वारा इन्क्यूबेशन केंद्र की स्थापना एक समयबद्ध तरीके अर्थात 6 महीने में पूरी की जानी है। कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आदि जैसे विभिन्न विभागों की सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आवश्यकताओं पर ध्यान देकर वाणिज्यिक स्तर पर तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन के लिए 'प्लग एंड प्ले' पद्धति पर नए स्टॉर्टअप उद्यमियों को मशीनरी सहित औद्योगिक शेड वाली मूलभूत अवसंरचना प्रदान की जा सकती है। सीओई ऐसे नए उद्यमियों को संभाल सकती है और उन्हें आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन कर सकती है।

- **भारत में एग्रोटेक्सटाइल्स के उपयोग के संवर्धन की योजना (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर)**
  - पूर्वोत्तर में जियोटेक्सटाइल्स और एग्रोटेक्सटाइल्स के उपयोग के संवर्धन के लिए योजना की उत्साहवर्धन प्रतिक्रिया के साथ भारत में एग्रोटेक्सटाइल्स के उपयोग के संवर्धन की योजना (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) 5 करोड़ रुपए के निधि परिव्वय के साथ दो वर्ष की अवधि (2015–16 और 2016–17) के लिए तकनीकी वस्त्र प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी) के लघु मिशन–।। के अंतर्गत शुरू की गई है और वित्तपोषित की गई है।
  - योजना के अंतर्गत वस्त्र आयुक्त ने 10 प्रदर्शन केंद्र की स्थापना का अनुमोदन किया जिसमें से महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 23.50 लाख रुपए की कुल लागत के साथ 2 प्रदर्शन केंद्र चालू किए गए हैं। इसके अलावा अमरावती के किसानों को 40 एग्रोटेक्सटाइल्स किट वितरित किए गए हैं। राज्स्थान, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 8 प्रदर्शन केंद्र पूरा होने के विभिन्न चरणों में है।

3.5 पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रोटेक्सटाइल्स के उपयोग की योजना (निधि परिव्यय 55 करोड़ रुपए)

- वस्त्र मंत्रालय ने 55 करोड़ रुपए के परिव्यय से 12वीं पंचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि वस्त्र उपयोग योजना शुरू की है। इस योजना को दिसंबर,2012 में अनुमोदित किया गया था और जून 2013 में यह शुरू हुई। इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपयोग के लिए उपयुक्त रूप से तैयार कृषि वस्त्र उत्पादों के बारे में जागरूकता,कार्यक्रमों और उनके विकास के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के कृषि,बागवानी और पुष्पकृषि उत्पाद सुधार में कृषि वस्त्र के उपयोग को प्रोत्साहन देना और इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त कृषि वस्त्र उत्पादों के उपयोग के लाभ दर्शाने के लिए प्रदर्शन गृहों की स्थापना करना है। इसके अतिरिक्त,इस योजना के अधीन किसानों को कृषि वस्त्र किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिसमें कृषि वस्त्र सामाग्री, अनुदेश, उपयोग के सही तरीके और कृषि वस्त्र उत्पादों आदि

के उपयोग के तरीके शामिल हैं। कृषि वस्त्रों की बढ़ती स्वीकार्यता के मद्देनजर देश में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा कृषि वस्त्र उत्पादन इकाइयां स्थापित किए जाने की उम्मीद है।

- अभी तक शीर्ष मॉनीटरिंग समिति (एएमसी) द्वारा कुल 44 प्रदर्शन केन्द्रों को अनुमोदन प्रदान किया गया है जिनमें से 40 प्रदर्शन केन्द्र प्रचालनशील हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, 8 पूर्वात्तर राज्यों में वितरण के लिए 1359 एग्रोटेक्सटाइल किट अनुमोदित किए गए थे जिनमें से 489 एग्रोटेक्सटाइल किट का वितरण कर दिया गया है। इसका सार नीचे की तालिका में दिया गया है:–

राज्य का नाम	स्वीकृत प्रदर्शन केंद्र (1)	संपन्न (2)	प्रगति (3)	प्रशिक्षण लक्ष्य (4)	प्रशिक्षण संपन्न (5)	प्रस्तावित/ लक्ष्य एग्रो–किट (6)	वितरित एग्रो–किट (7)
मणिपुर	4	4	––	200	386	256/ 172	172
मिजोरम	7	6	1	200	275	275/216	136
असम	4	4	––	200	386	200/131	131
मेघालय	6	6	––	300	899	300/150	50
अरुणाचल प्रदेश	6	5	1	250	374	300/150	––
त्रिपुरा	5	4	1	200	––	250/180	––
सिक्किम	7	7	––	200	215	350/180	––
नागालैंड	5	4	1	200	––	250/180	––
कुल	44	40	4	1750	2535	2181/1359	489

3.6 पूर्वोत्तर क्षेत्र में भू–तकनीकी वस्त्र उपयोग संवर्धन योजना (निधि परिव्यय: 427 करोड़ रुपए):

- यह योजना दिनांक 24.03.2015 से पांच वर्षों की अवधि के लिए (2014–15 से 2018–19) प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य किसी सड़क,पहाड़ी/ढ़लान सुरक्षा और जलाशयों में विद्यमान/नई परियोजनाओं में भू–तकनीक वस्त्रों के प्रयोग के कारण अतिरिक्त लागत,यदि कोई हो को पूरा करन के लिए तकनीकी और वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराकर पूर्वोत्तर राज्यों में आधारिक संरचना के विकास में भू–तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना है। परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों और संबंधित स्टेकहोल्डर एजेंसियों के परामर्श से की जाएगी।
- इस योजना के निम्नलिखित दो संघटक हैं।

संघटक–I: भू–तकनीकी वस्त्र समाधान (कठोर पहल)।

संघटक–II : यह घटक केन्द्र सरकार द्वारा पहचाने गए अभिकरणों द्वारा चलाए जाने वाले कार्यस्थल निरीक्षण और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययनों,डिजायन समाधानों और डीपीआर तैयारी,मौके पर निगरानी और परीक्षण,विनिर्देशन की

तैयारी,प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जागरूकता अभियान,बाजार विकास सहायता और मूल्याकंन अध्ययन आदि जैसी आसान पहल।

- एएमसी/ईसी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा और स्थिति नीचे दी गई है:–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (रूपये में)	स्थिति
मणिपुर			
सड़क परियोजनाएं			
(i)	इम्फाल एयरपोर्ट सड़क	14500000	पूर्ण एवं मणिपुर सरकार को1,16,13,228/–रुपए की राशि जारी
(ii)	बिशनुपुर–नुंगबा सड़क (विभिन्न लंबाई के सड़क के 7 हिस्से, ढलान स्थिरीकरण के लिए 26 हिस्से तथा मिट्टी का एक कठोर ढांचा)	168220000	परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है और 6,73,02,000/– रूपए भुगतान के पहले 50% के रूप में एनईसी:II डिविजन, पीडब्ल्यूडी, मणिपुर को जारी कर दिया गया है।
(iii)	बिशनुपुर जिले में मोईरंग कुंबी सड़क से कुंबी कांग्जेईबंग तक सड़क का निर्माण	1718750	एमएसआरआरडीए,मणिपुर के अंतर्गत पीएमजीएसवाई की 9 सड़क परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है तथा मणिपुर राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एमएसआरआरडीए), मणिपुर को भुगतान की पहली 50% राशि के रूप में1,19,89,724/– रुपए जारी किए गए हैं।
(iv)	थोउआल जिले में नोंगांगखोंग (एनएच–39 अरोंगथोंग) से केईबुंग तक सड़क का निर्माण	7053750	
(v)	बिशनुपुर जिले में कुंबीरोड से तेराखोंगसांग्बी तक सड़क का निर्माण	4228125	
(vi)	इम्फाल जिले में खुदराकपाम से ताओरेम तक सड़क का निर्माण	5623311	
(vii)	इम्फाल पश्चिम जिले में नगाईरांगबाम से तानाओखुल तक सड़क का निर्माण	3732300	

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (रूपये में)	स्थिति
(viii)	थोउबाल जिले में एनएच–39 से लोउखामायोन तक सड़क का निर्माण	1658800	
(ix)	इम्फाल पश्चिम जिले में टी04 से लामसांग खूनोउ तक सड़क का निर्माण	2076250	
(x)	इम्फाल पश्चिम जिले हाओरांगसोबेल से हारांगकेईरेल तक सड़क का निर्माण	2378750	
(xi)	इम्फाल पूर्व जिले में टी07/0.7 से सीईडीटी एवं सीएचसी तक सड़क का निर्माण	2902900	
	उप–योग	214092936	
जलाशय			
(xii)	सैक्रेड हर्ट स्कूल	1398500	परियोजना को पूरा करने के लिए आदेशों को प्रस्तुत करने हेतु निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मणिपुर सरकार से अनुरोध किया गया है।
(xiii)	शोकवाओ गांव	1455000	
(xiv)	लैंगोइ खुंफी लौकोल, चंदेल जिला, मणिपुर में जलाशय में सुधार	1425000	9 जलाशयों की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है तथा पहली 50% के भुगतान के रूप में डीसीएडी, मणिपुर के अर्न्तगत डीसीएडी, मणिपुर सरकार को 73,97,625/– रुपए जारी किए गए हैं।
(xv)	कासा लुई, उखरूल जिला, मणिपुर में जलाशय में सुधार	2790600	
(xvi)	बुंगेट सेनापति जिला, मणिपुर में जलाशय में सुधार	2394000	
(xvii)	लेंगलोंग, तमेंगलोंग जिला, मणिपुर में जलाशय में सुधार	3044685	

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (रूपये में)	स्थिति
(xviii)	कोनपुई,छुराछंदपुर जिला,मणिपुर में जलाशय में सुधार	1453500	
(xix)	लांगोई खुनफी लोउकोल,चंदेल जिला, मणिपुर में जलाशय में सुधार	1254000	
(xx)	कासा लुई,उखरुल जिला,मणिपुर में जलाशय में सुधार	1254000	
(xxi)	बंगती,सेनापती जिला,मणिपुर में जलाशय में सुधार	1767000	
(xxii)	लेंगलौंग,तामेंगलौंग जिला,मणिपुर मेंजलाशय में सुधार	712500	
	उप–योग	**18948785**	
ढलान स्थिरीकरण			
(xxiii)	कांग्ला आउटर मोट,खोंगजाम में पटसन जियो–टेक्सटाइल्स के साथ ढलान स्थिरीकरण	454500	राज्य सरकार द्वारा निविदा प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है।
(xxiv)	टूरिस्ट सर्किट मणिपुर–इम्फाल–मोईरांग–खोंगजाम–मोरेह (कनाल /जलाशय)	14707500	
(xxv)	थाउबाल,खुनाव में 400 केवी सब–स्टेशन में पटसन जियोटेक्सटाइल्स के साथ ढलान स्थिरीकरण	1236500	
	उप–योग	**16398500**	
	कुल–मणिपुर	**249440221**	

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (रूपये में)	स्थिति
त्रिपुरा			
सड़क परियोजनाएं			
(xxvi)	मोहनपुर डिवीजन के अंतर्गत तालाब बाजार से होकर खोलाबारी से झारानतिल्ला तक सड़क	2139250	परियोजना पूरी की जा रही है और भुगतान के पहले 50: भाग के रूप में पीडब्ल्यूडी (एनएच), त्रिपुरा सरकार को 8,76,125/– रुपए जारी किए गए।
	उप–योग	**2139250**	
जलाशय			
(xxvii)	अगरतला में भगतसिंह हॉस्टल में जलाशय	2819700	राज्य सरकार द्वारा निविदा प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है।
(xxviii)	अरारतला में महिला महाविद्यालय में जलाशय	3770000	
	उप–योग	**6589700**	
	कुल–त्रिपुरा	**8728950**	
अरूणाचल प्रदेश			
(xxix)	एनआईटी,जेओटीई में रिटेनिंग वॉल का निर्माण	9672000	राज्य सरकार द्वारा निविदा प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है।
	कुल–अरूणाचल प्रदेश	**9672000**	
मेघालय			
(xxx)	शिलांग – नोंगस्टोईन सड़क	49532000	परियोजना पूरी की जा रही है और भुगतान के पहले 50% भाग के रूप में पीडब्ल्यूडी, मेघालय सरकार को 1,10,02,025/– रुपए जारी किए गए।
(xxxi)	प्रस्तावित बॉर्डर हाट, मेवसिनराम प्रभाग मेघालय की ओर जाने वाली बलत–बगली सड़क के सुधार, मेटलिंग और ब्लैक टापिंग (3.682 किमी)	19050000	ईसी द्वारा 19.12.2016 को परियोजना अनुमोदित
	कुल–मेघालय	**68582000**	

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (रूपये में)	स्थिति
मिजोरम			
(xxxii)	पीडब्ल्यूडी, मिजोरम के अंतर्गत छुमखुम से चांग्टे (0+000 से 41+530 किमी तक) सड़क का सुधार और उन्नयन	256500000	ईसी द्वारा 19.12.2016 को परियोजना अनुमोदित
(xxxiii)	पीडब्ल्यूडी, मिजोरम के अंतर्गत सेरचिप से सियालशुक (0+000 से 15+000 किमी तक) और सेरचिप से बोरपुई (0+000 से 40+000 किमी तक) सड़क का सुधार और उन्नयन	208820000	ईसी द्वारा 19.12.2016 को परियोजना अनुमोदित
(xxxiv)	चम्फई – जोखवतार सड़क, पीडब्ल्यूडी मिजोरम का सुधार और उन्नयन	194860000	ईसी द्वारा 19.12.2016 को परियोजना अनुमोदित
	कुल–मिजोरम	**660180000**	
	कुल अनुमोदित राशि	**996603171**	

अध्याय–4

निर्यात

4.1 भारतीय वस्त्र उद्योग, दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता और निर्यातक देश है। इस उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के कुल निर्यात में वस्त्र और अपैरल का हिस्सा 15% है जो काफी अधिक है। भारत की वस्त्र और अपैरल में वैश्विक व्यापार की हिस्सेदारी 5% की है। यह उद्योग रोजगार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह प्रत्यक्ष रूप से 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और बड़ी संख्या में महिलाओं तथा ग्रामीण लोगों सहित संबद्ध क्षेत्रों में 6 करोड़ और लोगों को रोजगार देता है। सरकार की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण युवा रोजगार की प्रमुख पहलों के साथ इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से तालमेल बना हुआ है। वस्त्र और अपैरल का निर्यात परिदृश्य निम्नलिखित है:–

निर्यात	2015-16		2016-17 (अप्रैल–सितम्बर)	
	करोड़ रूपए में	मिलियन अमरीकी डॉलर में	करोड़ रूपए में	मिलियन अमरीकी डॉलर में
भारतीय वस्त्र एवं अपैरल	2,37,392	36,254	1,41,326	16,819
हस्तशिल्प	22,320	3,410	16,342	1,943
हस्तशिल्प सहित कुल वस्त्र एवं क्लोदिंग	2,59,712	39,664	1,54,332	18,762
भारत का समग्र निर्यात	17,14,424	262,004	8,83,706	132,033
समग्र निर्यात में वस्त्र निर्यात का %	15%	15%	17%	14%

डाटा स्रोतः डीजीसीआईएण्डएस

- भारत से हस्तशिल्प सहित वस्त्र तथा अपैरल उत्पादों का निर्यात वर्ष 2014–15 के दौरान 40.7 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर वर्ष 2015–16 के दौरान 40 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। तथापि, भारत की समग्र निर्यात बास्केट में इसका हिस्सा 2014–15 में 13.6 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 में 15 प्रतिशत हो गया है। रूपये के रूप में इसका मूल्य वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 के दौरान क्रमशः 258,041 करोड़ रूपये और 259,712 करोड़ रूपये था।
- वर्ष 2014–15 के दौरान सिलेसिलाए परिधानों (आरएमजी) का कुल वस्त्र निर्यात लगभग 40 प्रतिशत था, जबकि 2015–16 में आरएमजी का निर्यात बढ़कर कुल वस्त्र निर्यात का 42 प्रतिशत हो गया है।
- वर्ष 2016–17 (अप्रैल–सितम्बर) के दौरान कुल वस्त्र तथा अपैरल निर्यात का मूल्य 18.7 बिलियन अमरीकी डालर आंका गया

है जिसमें इसी अवधि के दौरान 132 बिलियन अमरीकी डालर के कुल भारतीय निर्यात में इसका हिस्सा 14 प्रतिशत है।

- हथकरघा तथा हस्तशिल्प सहित भारतीय वस्त्र उत्पाद, 100 से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं। यद्यपि, यूएसए तथा ईयू, भारत के वस्त्र और अपैरल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा प्राप्त करते हैं। अन्य प्रमुख निर्यातक देशों में संयुक्त अरब अमीरात, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, सऊदी अरब, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तुर्की, पाकिस्तान, ब्राजील, हांगकांग, कनाडा तथा मिस्र शामिल हैं।

4.1.1 आयात

- भारत, वस्त्र तथा अपैरल का प्रमुख निर्यातक देश है और निर्यात, आयात से कहीं अधिक है। अधिकांश आयात का पुनः निर्यात किया जाता है अथवा विशेष आवश्यकता के लिए किया जाता है।
- भारत में वस्त्र और अपैरल उत्पादों का आयात अप्रैल–सितम्बर 2015–16 के दौरान 3.1 बिलियन अमरीकी डॉलर से मामूली रूप से बढ़कर चालू राजकोषीय वर्ष की इसी अवधि के दौरान 3.4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।
- भारत में वस्त्र और अपैरल उत्पादों का आयात वर्ष 2014–15 के दौरान 6.1 बिलियन अमरीकी डॉलर से मामूली रूप से घटकर वर्ष 2015–16 के दौरान 6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

निर्यात	2014-15		2015-16		2015-16 (अप्रैल–सितम्बर)		2016-17 (अप्रैल–सितम्बर)	
कुल वस्त्र एवं क्लोदिंग आयात	करोड़ रुपए	मिलियन अमरीकी डॉलर	करोड़ रुपए	मिलियन अमरीकी डॉलर	करोड़ रुपए	मिलियन अमरीकी डॉलर	करोड़ रुपए	मिलियन अमरीकी डॉलर
	28,761	6,073	47,301	6,036	23,407	3,115	29,483	3,414

डाटा स्रोतः डीजीसीआईएण्डएस

4.2 बाजार पहुंच पहल योजना के अंतर्गत अप्रैल–अक्तूबर, 2016 के दौरान आयोजित मेले/प्रदर्शनियां/कार्यक्रम– वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ब्रांड छवि बनाने के लिए अपने क्रेताओं के माध्यम से व्यापार बढ़ाने के लिए वस्त्र एवं अपैरल तथा हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करके भारत तथा विदेश अर्थात जापान, हांगकांग, स्पेन, चीन, रूस, पेरिस, बांग्लादेश, वियतनाम और दुबई में अप्रैल–अक्तूबर, 2016 के दौरान कम से कम 23 प्रदर्शनियों/मेलों (21.85 करोड़ रुपए मूल्य का एमएआई अनुदान) में भाग लिया/आयोजित किए।

4.2.1 भारत और विदेश में वस्त्र मेलों/प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों के लिए एमएआई के तहत सहायता– बाजार पहुंच पहल योजना (एमएआई) के अंतर्गत 02 दिसम्बर, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में एमएआई संबंधी अधिकार प्राप्त समिति द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेलों, प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों में भागीदारी/आयोजन के लिए लगभग 36 करोड़ रुपए मूल्य के 34 प्रस्ताव मंजूर किए गए। ये कार्यक्रम

भारतीय वस्त्र उत्पादों के लिए निर्यात को बढ़ाने, मौजूदा बाजार को मजबूत करने और नए बाजारों के दोहन में मदद करते हैं।

4.3 वस्त्र निर्यात को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2016–17 की घोषणा

- 1000 रुपए और उससे अधिक के खुदरा बिक्री मूल्य वाले ब्रांडेड सिलेसिलाए परिधानों और मेडअप वस्त्र मदों पर उत्पाद शुल्क को 'सेनवेट क्रेडिट के बिना शून्य अथवा सेनवेट के साथ 6%/12.5%' से बदलकर क्रमशः 'शेनवेट क्रेडिट के बिना 2: अथवा सेनवेट क्रेडिट के साथ 12.5%' कर दिया गया था। सिलेसिलाए परिधानों और वस्त्रों की मेडअप मदों के टैरिफ मूल्य को भी खुदरा बिक्री मूल्य के 30% से बदलकर खुदरा बिक्री मूल्य का 60% कर दिया गया था।
- निर्यात के लिए वस्त्र के विनिर्माण हेतु पूर्ववर्ती वर्ष में निर्यात के एफओबी मूल्य के 1% के समतुल्य मूल्य वाले निम्नलिखित फैब्रिकों के आयात पर मूल सीमा शुल्क की छूट प्रदान की गई थी:

अध्याय 50,52,54,55 अथवा अन्य किसी अध्याय में फैब्रिक	कॉटन और इलास्टेन ब्लेंडेड प्रिंटेड फैब्रिक्स
	कॉटन और मेटेलिक यार्न डाइड ब्लेंडेड फैब्रिक्स
	कॉटन और स्पेन्डेक्स एंड मेटेलिक ब्लेंडेड फैब्रिक्स
	कॉटन और इलास्टेन प्रिंटेड फैब्रिक्स
	कॉटन और सिल्क लाइनिंग फैब्रिक्स
	100% लेनन चैम्बरिंग वूवन/डाइड फैब्रिक्स
	100% रैमी डाइड/ब्लेंडेड प्रिंटेड यार्न डाइड फैब्रिक्स
	नॉयलान और स्पेंडेक्स लाइनिंग फैब्रिक्स
	100% पॉलिएस्टर वेलवेट डाइड फैब्रिक
	कॉटन/नॉयलन/एम्ब्रॉइडरी क्रोचेट लेस लाइनिंग फैब्रिक

- **निम्नलिखित विशिष्ट फाइबर और यार्न पर मूल सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया था:**

एचएस कोड	उत्पाद
5402 19 90	नॉयलन 66 फिलामेंट
5402 52 00	पॉलिएस्टर यार्न– एंटी स्टेटिक फिलामेंट
5503 11 00	आर्मिड फ्लेम रिटार्डेंट फाइबर
5503 11 00	पैरा–आर्मिड फाइबर
5503 19 00	नॉयलन स्टेपल फाइबर
5503 19 00	नॉयलन एंटी स्टेटिक स्टेपल फाइबर
5503 30 00	मोड एक्रिलिक फाइबर
5504 10 00	फ्लेम रिटार्डेंट विस्कोस रेयन फाइबर

- अवशिष्ट पीईटी सहित प्लास्टिक कचरा अथवा प्लास्टिक अवशिष्ट से विनिर्मित पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर और पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क को 'सेनवेट क्रेडिट के बिना 2% अथवा सेनवेट क्रेडिट के साथ 6%' से बदलकर क्रमशः 'सेनवेट क्रेडिट के बिना 2% अथवा सेनवेट क्रेडिट के साथ 12. 5%' कर दिया गया था।
- धारा 80 जेजेएए के मौजूदा उपबंध में विगत वर्ष में कम से कम 300 दिनों के लिए नियुक्त 3 वर्ष के लिए किसी फैक्ट्री में नए नियमित कामगार को भुगतान की गई अतिरिक्त मजदूरी का 30% की कटौती करने का प्रावधान है, बशर्ते कामगारों की कुल संख्या में न्यूनतम 10% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय बजट 2016–17 में यह घोषणा की गई थी कि 01 अप्रैल, 2017 से :
- जिस कर्मचारी की कुल मासिक परिलब्धियां 25000 रुपए से कम है, उससे कटौती की जाएगी (बशर्ते उनका समग्र अंशदान कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है)।
- रोजगार दिवसों की संख्या 300 दिनों से घटाकर 240 दिन किया जाना।
- प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों की संख्या में 10% की वृद्धि की शर्त को समाप्त किया जाना है।
- नए व्यवसाय के प्रथम वर्ष में पिछले वर्ष के दौरान तैनात कर्मचारियों को भुगतान की गई अथवा किए जाने वाले सभी भुगतानों का 30% कटौती के रूप में अनुमति होगी।

4.4 अपैरल क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज

वस्त्र और अपैरल मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और निर्यात संभावना को बढ़ावा देने के लिए अपैरल क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने 22 जून, 2016 को 6000 करोड़ रुपए के एक विशेष पैकेज का अनुमोदन किया है। पैकेज की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

i. श्रम कानून सुधार

- सरकार, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के अंतर्गत 3 वर्ष के लिए 8.33% नियोक्ता अंशदान के मौजूदा प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त नए कामगारों के लिए नियोक्ता का कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदान का 3. 67% वहन करेगी।
- 15000 रुपए प्रति माह से कम कमाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ वैकल्पिक किया गया था, इस प्रकार कामगारों के हाथों में अधिक धन रहेगा।
- समयोपरि सीमा प्रति तिमाही 50 घंटे से बढ़ाकर 100 घंटे प्रति तिमाही करने से कामगारों की आय में वृद्धि हुई।
- उद्योग की मौसमी प्रकृति को देखते हुए परिधान क्षेत्र में नियत अवधि का रोजगार आरंभ किया गया था। कार्य घंटे, मजदूरी, भत्ता और अन्य सांविधिक बकायों के संबंध में एक नियत अवधि के कामगार को स्थायी कामगार के समान समझा जाएगा।

ii. एटीयूएफएस के अंतर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन

- संशोधित–टीयूएफएस के अंतर्गत रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए परिधान इकाइयों को प्रदान की गई सब्सिडी को

15% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है।

- पैकेज में इनपुट–आधारित से आउट कम–आधारित प्रोत्साहन में नए आयाम स्थापित हुए है, योजना की अनोखी विशेषता प्रत्याशित नौकरी के सृजन के पश्चात ही सब्सिडी का वितरण किया जाएगा।

iii. बढ़ा हुआ ड्यूटी ड्रॉबैक

- अपनी किस्म के पहले कदम के रूप में उन राज्य लेवियों की वापसी की एक नई योजना शुरू की गई थी जिसे अब तक वापस नहीं किया जाता था।
- अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत फैब्रिक का आयात किए जाने पर भी घरेलू ड्यूटी भुगतान इनपुट के लिए सभी उद्योग दर पर ड्रॉबैक दिया जा रहा है।

iv. आयकर अधिनियम की धारा 80 जेजेएए का क्षेत्र बढ़ाना

- परिधान उद्योग की मौसमी प्रकृति को देखते हुए आयकर अधिनियम की धारा 80जेजेएए के तहत 240 दिनों के प्रावधान में छूट देकर 150 दिन किए गए हैं।

4.5 निर्यात संवर्धन परिषदें

वस्त्र एवं अपैरल क्षेत्र के सभी सेगमेंट अर्थात सिले–सिलाए परिधान, कपास, रेशम, पटसन, ऊन, विद्युतकरघा, हथकरघा, हस्तशिल्प और कालीन का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्यारह वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें हैं। ये परिषदें वैश्विक बाजार में अपने संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि और निर्यात का संवर्धन करने के लिए वस्त्र मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ निकट सहयोग से कार्य करती हैं। ये परिषदें, निर्यात बढ़ाने और नए बाजारों में पहुंच बनाने के लिए भारत और विदेशी बाजारों में वस्त्र एवं अपैरल मेलों तथा प्रदर्शनियों एवं एकल प्रदर्शनियों में भाग लेती हैं। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत निर्यात संवर्धन परिषदों का विवरण निम्नलिखित हैं:

i) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद(एईपीसी)

ii) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल)

iii) सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी)

iv) ऊन एवं ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एंड डब्ल्यू ईपीसी)

v) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन संघ (वूल टेक्सप्रो)

vi) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी)

vii) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी)

viii) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)

ix) विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पैडिक्सिल)

x) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)

xi) पटसन उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी)

4.5.1 ईपीसी के निर्यात संवर्धन कार्यकलाप

वर्ष 2016–17 (अप्रैल–अक्तूबर) के दौरान निर्यात संवर्धन परिषदों ने विदेशी प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लिया; विदेश में क्रेता–विक्रेता बैठक(बीएसएम) आयोजित की और मौजूदा बाजारों पर पकड़ मजबूत करने और नए बाजारों को तलाशने के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को

प्रायोजित किया। भारत के अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले और भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले जैसे प्रमुख वस्त्र मेलों ने बड़ी संख्या में विश्व भर के क्रेताओं को आकर्षित किया। ईपीसी ने विश्व भर में सभी प्रमुख मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लिया और सरकार की सहायता से वस्त्र मेगा शो का आयोजन संयुक्त रूप से जापान, रूस, लैटिन अमरीका इत्यादि में किया गया।

प्रचार–प्रसारः

- संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा न्यूज लेटर का प्रकाशन
- विभिन्न बाजारों, नीतिगत विकास, निर्यात संबंधी खबर, सरकारी अधिसूचना, निर्यात लक्ष्य, विदेशी व्यापार पूछताछ, फैशन एवं प्रौद्योगिकी विकास पर नवीन सूचना प्रदान करना।

अध्याय–5

कपास

5.1 कपास देश की प्रमुख फसलों में एक है और यह घरेलू वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है। यह लाखों किसानों तथा कपास उद्योग में शामिल कामगारों को कपास के प्रसंस्करण से लेकर व्यापार तक आजीविका उपलब्ध कराता है। भारत में वस्त्र उद्योग में कच्चे माल खपत में कपास और मानव निर्मित रेसों तथा फिलामेंट यार्न का अनुपात 59:41 है।

5.2 परिदृश्य

5.2.1 उत्पादन और खपतः भारत में कपास की खेती 3 भिन्न कृषि–पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में की जाती है, उत्तरी क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य शामिल हैं, मध्य क्षेत्र जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा राज्य आते हैं और दक्षिणी क्षेत्र जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं। कपास की खेती उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा जैसे अपरंपरागत राज्यों छोटे क्षेत्रों में भी की जाती है। भारत ने आजादी के पश्चात से कपास के उत्पादन में एक गुणात्मक तथा गुणवत्तापूर्ण रूपांतरण प्राप्त किया है। पिछले दशकों के दौरान भारत में कपास का उत्पादन तथा उत्पादकता में काफी सुधार हुआ है। भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत, कपास का एक अग्रणी उपभोक्ता भी है। पिछले 5 वर्षों के दौरान कपास के उत्पादन तथा खपत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(प्रत्येक 170 किलोग्राम की गांठ लाख में)

वर्ष	उत्पादन	खपत
2011-12	367	375.28
2012-13	370	283.16
2013-14	398	299.55
2014-15	380	317.67
2015-16 (अनंतिम)	338	312.00
2016-17*	351	313.00

*स्त्रोतः कपास सलाहकार बोर्ड
कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा 24.10.2016 को यथा अनुमानित

5.2.2 क्षेत्रफल / उत्पादकताः भारत को कपास की खेती के अंतर्गत लगभग 118.77 लाख हेक्टेयर के कपास क्षेत्रफल के साथ विश्व में पहला स्थान प्राप्त हुआ है अर्थात 304 लाख हेक्टेयर के विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 39 प्रतिशत। लगभग 62 प्रतिशत भारतीय कपास वर्षा सिंचित क्षेत्रों और 38 प्रतिशत सिचिंत भूमियों पर उगाई जाती है। उत्पादकता के संदर्भ में भारत, अमरीका तथा चीन की तुलना में काफी पीछे है। वर्ष 2016–17 के दौरान भारत की उत्पादकता अनुमानतः 568.29 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर

है। गत 5 वर्षों हेतु कपास की उत्पादकता निम्नवत है:

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर में)

वर्ष	क्षेत्रफल	उत्पादन
2011-12	121.78	512.32
2012-13	119.78	525.13
2013-14	119.60	565.72
2014-15	130.83	493.77
2015-16 (अनंतिम)	118.77	483.79
2016-17*	105.00	568.29

स्त्रोतः कपास सलाहकार बोर्ड

* कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा 24.10.2016 को यथा अनुमानित

5.2.3 आयात/निर्यातः वर्तमान में कपास, भारत से मुक्त रूप से निर्यात योग्य वस्तु है। भारत प्रमुख रूप से बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ताइवान, थाईलैंड आदि को कपास का निर्यात करता है। यद्यपि वर्ष 2013–14 तक चीन, भारतीय कपास फाइबर का सबसे बड़ा आयातक था परंतु वर्ष 2014–15 में बांग्लादेश, भारतीय कपास का सबसे बड़े आयातक बन जाने के बाद यह भारतीय कपास फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया। यद्यपि भारत कपास फाइबर का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक है परंतु कपास की लंबी फाइबर की किस्म का कम मात्रा में आयात किया जाता है जो देश में उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित तालिका में पिछले पांच वर्षों के आयात और निर्यात आंकड़े दिए गए हैं:

(प्रत्येक 170 किलोग्राम की गांठ लाख में)

वर्ष	आयात	निर्यात
2011-12	7.51	129.57
2012-13	14.59	101.43
2013-14	11.51	116.96
2014-15	14.39	57.72
2015-16 (अनंतिम)	20.00	69.00
2016-17*	17.00	50.00

स्त्रोतः कपास सलाहकार बोर्ड

* कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा 24.10.2016 को यथा अनुमानित

5.2.4 कपास का तुलन पत्रः कपास मौसम 2013–14, 2014–15, 2015–16 और 2016–17 (प्रत्याशित) लेन–देन नीचे दिया गया है:

(प्रत्येक 170 किलोग्राम की गांठ लाख में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
आपूर्ति				
प्रारंभिक स्टॉक	40.00	33.00	66.00	43.00
फसल आकार	398.00	386.00	338.00	351.00
आयात	11.51	14.39	20.00	17.00
कुल आपूर्ति	449.51	433.39	424.00	411.00
मांग				
मिल खपत	268.03	278.06	272.00	275.00
एसएसआई खपत	25.20	26.38	27.00	28.00
गैर वस्त्र खपत	6.32	5.00	11.00	10.00
कुल खपत	**299.55**	**317.18**	**312.00**	**313.00**
निर्यात	116.96	57.72	69.00	50.00
कुल मांग	**416.51**	**367.16**	**381.00**	**363.00**
अंतिम स्टॉक	**33.00**	**66.23**	**43.00**	**48.00**

स्त्रोतः कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी) (अंतिम स्टॉक 2014–15 में 66 हो गया)

* 24.10.2016 को कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी) द्वारा यथा अनुमानित

5.3 न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसमएसपी) अभियान

किसी मात्रात्मक सीमा के बगैर एमएसपी दरों पर विभिन्न एपीएमसी बाजार यार्डों में कपास किसानों द्वारा पेश की गई संपूर्ण मात्रा को उस समय खरीद के एमएसपी अभियान चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा सीसीआई को नामित किया गया है जब बीज कपास (कपास) की कीमतें एमएसपी स्तर तक पहुंच जाती है।

प्रत्येक वर्ष कपास मौसम (अक्तूबर से सितम्बर) प्रारंभ होने से पूर्व कृषि मंत्रालय, भारत सरकार परामर्शी बोर्ड यथा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर देश में कपास किसानों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कपास के मध्यम लंबी स्टेपल किस्म (24.5 मिमि से 25.5 मिमि. स्टेपल लंबाई और 4.3 से 5.1 माइक्रोनेयर मूल्य) तथा लंबी स्टेपल कपास (29.5 मिमि से 30.5 मिमि. स्टेपल लंबाई और 3.5 से 4.3 माइक्रोनेयर मूल्य) दो आधारभूत समूहों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करता है।

कपास मौसम 2016–17 के लिए कृषि मंत्रालय ने एफएक्यू ग्रेड की मध्यम स्टेपल हेतु 3860 रु./क्विंटल तथा लंबी स्टेपल कपास के लिए 4160 रु./क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया है। कृषि मंत्रालय द्वारा पिछले कुछ वर्षों हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे दिया गया है :–

(रूपए प्रति क्विंटल)

वर्ष	ध्यम स्टेपल (स्टेपल की लम्बाई 24.5 एमएम से 25.5 एमएम तथा माइक्रोनेयर मूल्य 4.3 से 5.1)	लंबी स्टेपल (सपेटल की लम्बाई 29.5 से 30.5 एमएम और माइक्रोनेयर 3.5 से 4.3)
2012-13	3600	3900
2013-14	3700	4000
2014-15	3750	4050
2015-16	3800	4100
2016-17	3860	4160

बीज कपास की इन दो आधारभूत किस्मों के समर्थन मूल्य और गुणवत्ता अंतर, सामान्य मूल्य अंतर और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) की बीज कपास की अन्य श्रेणियों हेतु एमएसपी भारत के वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत के वस्त्र आयुक्त द्वारा कपास मौसम 2016–17 (अक्तूबर–सितम्बर) के लिए कपास की अन्य किस्मों हेतु एमएसपी नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	कपास की श्रेणियों और व्यापार द्वारा प्रयुक्त निर्दिष्ट किस्मों के नाम	फाइबर गुणवत्ता मापदंड		वर्ष 2016–17 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2016–17 रुपए/क्विंटल
		मूल रेशा लंबाई एमएम में (2.5 प्रतिशत स्पैन लंबाई)	माइक्रोनेयर मान	
लघु स्टेपल (20.0 एमएम एवं इससे कम)				
1	असम कोमिला	--	7.0-8.0	3360
2	बंगाल देशी	--	6.8-7.2	3360

मध्यम स्टेपल (20.5 एमएम–24.5 एमएम)				
3	जयाधर	21.5-22.5	4.8-5.8	3610
4	वी–797 / जी.कॉट.13 / जी.कॉट.21	21.5-23.5	4.2-6.0	3660
5	एके / वाई–1(महाराष्ट और एमपी / एमसीयू) –7 (तमिलनाडु) / एसवीपीआर–2 (तमिलनाडु) / पीसीओ–2 (आंध्र प्रदेश और कर्नाटकट / के–11 (तमिलनाडु)	23.5-24.5	3.4-5.5	3710
मध्यम लंबा रेशा (25.0 एमएम – 27.0 एमएम)				
6	जे–34 (राजस्थान)	24.5-25.5	4.3-5.1	3860
7	एलआरए–5166 / केसी–2 (तमिलनाडु)	26.0-26.5	3.4-4.9	3960
8	एफ–414 / एच–777 / जे–34 हाइब्रिड	26.5-27.0	3.8-4.8	4010
लंबा रेशा (27.5 एमएम – 32.0 एमएम)				
9	एफ–414 / एच–777 / जे–34 हाइब्रिड	27.5-28.5	4.0-4.8	4060
10	एच–4 / एच–6 / मेक / आरसीएच–2	27.5-28.5	3.5-4.7	4060
11	शंकर–6 / 10	27.5-29.0	3.6-4.8	4110
12	बन्नी / ब्रहमा	29.5-30.5	3.5-4.3	4160
अत्यधिक लंबा रेशा (32.5 एमएम और अधिक)				
13	एमसीयू–5 / सुरभि	32.5-33.5	3.2-4.3	4360
14	डीसीएच–32	34.0-36.0	3.0-3.5	4560
15	सुविन	37.0-39.0	3.2-3.6	5360

5.3.1 वर्ष 2015–16 के दौरान कपास एमएसपी अभियान

कपास मौसम 01 अक्तूबर से अगले वर्ष के 30 सितम्बर तक चलता है। अंतर्राष्ट्रीय कपास मौसम 1 अगस्त से प्रारंभ होता है। इस मौसम की शुरूआत आगमन की गति में वृद्धि के साथ होती है अर्थात नवम्बर से जनवरी माह तक। फिर यह फरवरी के मध्य में स्थिरता पर पहुंचता है और फिर उसके बाद वाले महीनों में नीचे की ओर आता है।

कपास वर्ष 2015–16 के दौरान किसानों के फायदे के लिए एमएसपी अभियानों के सुचारू संचालन के लिए विशेष पहल की गई थी जिसमें किसानों की जानकारी के लिए प्रत्येक बाजार यार्ड में एमएसपी दर और गुणवत्ता मापदंड का प्रदर्शन; वरीयतः केवल आरटीजीएस के माध्यम से किसानों को भुगतान; सीसीआई की वेबसाइट में पहले से बनी ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का विकास; उपक्रम संसाधन नियोजन (ईआरपी) पद्धति के माध्यम से

एमएसपी खरीद की सतत मॉनीटरिंग; एमएसपी खरीद के संबंध में सभी संबंधित विवरणों वाली सीसीआई वेबसाइट पर एक पृथक पृष्ठ तैयार करना शामिल है।

कपास मौसम 2015–16 के दौरान 338 लाख गांठ की कुल आवक में से सीसीआई ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन परिसंघ लि. (एमएससीसीजीएमएफ) उप–एजेंट के साथ देश भर में एमएसपी अभियानों के अंतर्गत लगभग 1913 करोड़ रुपए मूल्य की कपास की 8.95 लाख गांठ (सीसीआईः 8.44 लाख गांठ + एमएससीसीजीएमएफः 0.51 लाख गांठ) की खरीद की गई। उपर्युक्त समग्र स्टॉक को 20 अक्तूबर, 2016 तक ई–नीलामी के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों के साथ पंजीकृत क्रेताओं को पहले ही बेच दिया गया है।

5.3.2 वर्ष 2016–17 के दौरान कपास एमएसपी अभियान

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) अधिदेश के अनुसार (खरीद फसल नीति पर सीसीईए नोट) कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कृषि मंत्रालय के अंतर्गत सीसीआई और राष्ट्रीय कृषि परिसंघ (नाफेड) द्वारा एमएसपी अभियान चलाये जाते हैं। वर्तमान कपास मौसम अर्थात 2016–17 के दौरान महाराष्ट्र राज्य हेतु कुछ निबंधन एवं शर्तों के अधीन कपास के एमएसपी अभियानों के लिए सीसीआई के उप–एजेंट के रूप में महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ (एमएससीसीजीएमएफ) को भी नियुक्त किया गया है।

सभी प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों से प्रक्रिया तैयार करने का अनुरोध किया गया है ताकि राज्य कृषि विभाग, जिला कलेक्टर और कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) के अधिकारी ये सुनिश्चित कर सकें कि किसी कमीशन एजेंट अथवा बिचौलिए अथवा व्यापारियों को शामिल किए बिना नोडल एजेंसियों को केवल वास्तविक कपास किसान अपने उत्पादों को बेच सकें ताकि यह भी सुनिश्चित हो कि एमएसपी का लाभ केवल कपास किसानों द्वारा प्राप्त किया जाए और किसी अन्य द्वारा नहीं।

भारतीय कपास निगम लि. (सीसीआई) को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से कपास की खरीद का कार्य सौंपा गया है। एमएसपी अभियान 2015–16 के आधार पर सीसीआई ने जब कभी अपेक्षित हो पारदर्शी तरीके से एमएसपी खरीद करने के लिए अपनी समग्र अवसंरचना को चुस्त बना दिया है और निम्नलिखित पहल की गई है:

i. कपास की मजबूरन बिक्री को दूर करने के लिए किसानों की जानकारी हेतु प्रत्येक बाजार यार्ड में एमएसपी दर और गुणवत्ता मानदण्डों को प्रदर्शित करना। अखबारों में विज्ञापनों के माध्यम से आवश्यक सूचना का प्रचार–प्रसार भी किया जाता है।

ii. 12 प्रतिशत से अधिक नमी होने पर कपास को अस्वीकृत किए जाने के मामले में नमी

मीटर के उपयोग का अनुपालन।

iii. किसानों को सभी भुगतान अधिमानतः केवल आरटीजीएस के माध्यम से करना।

iv. अपनी वेबसाइट में अंतरनिहित एक ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का विकास। किसान अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और तत्काल आधार पर समाधान, यदि कोई हो, प्राप्त कर सकते हैं।

v. तीनों क्षेत्रों यथा उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी में से प्रत्येक में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी की नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्ति। इन अधिकारियों के संपर्क संख्या ब्यौरे निगम की वेबसाइट पर दिए गए हैं।

vi. उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) प्रणाली के माध्यम से एमएसपी खरीद की सतत निगरानी।

vii. एमएसपी खरीद के संबंध में सभी संबंधित ब्यौरों के साथ सीसीआई वेबसाइट पर एक पृथक पेज बनाया जाना।

viii. दिन दैनिक आधार पर अपनी वेबसाइट पर एमएसपी डाटा को अद्यतन करने को सुनिश्चित करना।

30.01.2017 की स्थिति के अनुसार चालू कपास मौसम 2016–17 के दौरान कपास की 146.54 लाख गांठ की आवक की तुलना में इसी अवधि में वर्ष 2015–16 के दौरान 155.28 लाख गांठ की आवक हुई।

अध्याय–6

पटसन एवं पटसन वस्त्र

6.1 पटसन उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर पश्चिम बंगाल में प्रमुख उद्योगों में से एक है। पटसन, गोल्डन फाइबर, सुरक्षित पैकेजिंग हेतु सभी मानकों को पूरा करने के लिए एक प्राकृतिक, नवीकरणीय,बायो–डिग्रेडेबल तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पाद है। यह अनुमान लगाया गया है कि पटसन उद्योग संगठित मिलों तथा तृतीय क्षेत्र और संबद्ध क्रियाकलापों सहित विविधीकृत इकाईयों में 0.37 मिलियन कामगारों को प्रत्यक्षरोजगार उपलब्ध कराता है तथा लगभग 4.0 मिलियन कृषकीय परिवारों को आजीविका में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, पटसन के व्यापार में बड़ी संख्या में लोग संलग्न हैं।

6.2 कच्ची पटसन परिदृश्य

कच्ची पटसन की फसल किसानों हेतु एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। कच्ची पटसन की फसल की खेती न केवल आद्योगिक प्रयोग हेतु फाइबर उपलब्ध कराती है बल्कि पटसन की छड़ी भी उपलब्ध कराती है जिसका कृषक समुदाय द्वारा ईंधन तथा निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में पटसन की खेती के अंतर्गत होने वाले क्षेत्र में सदैव बड़े उतार–चढ़ाव होते हैं। वर्ष–दर–वर्ष के उतार–चढ़ाव मुख्यतः तीन कारकों के चलते होते हैं, नामतः (1) बुवाई के मौसम के दौरान वर्षा में उतार–चढ़ाव, (2) पिछले पटसन मौसम के दौरान प्राप्त औसत कच्चे पटसन के मूल्य और (3) पिछले मौसम के दौरान प्रतिस्पर्धी फसलों से प्राप्त प्रतिफल। पटसन के अंतर्गत होने वाला एक बड़ा क्षेत्र उसी मौसम में धान के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। अतः वर्ष–दर–वर्ष पटसन के मूल्यों और धान के मूल्यों के संबंध में उतार–चढ़ाव से इन दोनों फसलों के मध्य भूमि का संबंधित आवंटन सामान्यतः प्रभावित होता है।

कच्ची पटसन का उत्पादन मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में किया जाता है। निम्नलिखित तालिका में 2011–12 से 2016–17 (अनुमानित) की अवधि के लिए मेस्टा सहित कच्ची पटसन की आपूर्ति मांग की स्थिति दर्शायी गई है :

(मात्रा : 180 कि.ग्रा. प्रत्येक गांठ लाख में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (अनुमानित)
(क) आपूर्ति						
i) प्रारंभिक स्टॉक	22.50	31.00	29.00	24.00	14.00	6.00
ii) पटसन एवं मेस्टा फसल	102.50	93.00	90.00	72.00	65.00	90.00

iii) आयात	9.00	9.00	1.00	1.00	6.00	6.00
कुल :	134.00	133.00	120.00	97.00	85.00	102.00
(ख) वितरण						
iv) मिल खपत	92.00	94.00	86.00	70.00	70.00	80.00
v) घरेलू / औद्योगिक खपत	10.00	10.00	10.00	12.00	9.00	10.00
vi) निर्यात	1.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	103.00	104.00	96.00	82.00	79.00	90.00
(ग) अंतिम स्टॉक	31.00	29.00	24.00	15.00	6.00	12.00

स्रोत : पटसन सलाहकार बोर्ड, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

6.3 कच्ची पटसन तथा मेस्टा हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

किसानों के हितों की रक्षा हेतु कच्ची पटसन तथा मेस्टा के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। विभिन्न ग्रेडों हेतु मूल्यों का निर्धारण करते समय, निम्न ग्रेड की पटसन के उत्पादन को हतोत्साहित करने तथा उच्च ग्रेड के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के मामले पर भी विचार किया जाता है ताकि किसानों को उच्च ग्रेड की पटसन के उत्पादन हेतु प्रेरित किया जा सके। भारत सरकार लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर और टीडी5 ग्रेड के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। इसके अतिरिक्त, पटसन आयुक्त पटसन और मेस्टा की अन्य ग्रेडों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है।

भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) पटसन हेतु भारत सरकार की मूल्य सहायता एजेंसी है। इसकी स्थापना अप्रैल, 1971 में मुख्यत समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी के अंतर्गत कच्ची पटसन की खरीद के माध्यम से पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने तथा पटसन किसानों के लाभ के लिए कच्ची पटसन बाजार तथा समग्र रूप से पटसन अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए भी की गई थी। जेसीआई आवश्यकता पड़ने पर एमएसपी अभियान चलाता है। देश भर के 500 से अधिक केंद्रों पर कच्ची पटसन का लेन–देन किया जाता है। वर्तमान में, जेसीआई केवल 171 विभागीय खरीद केंद्रों पर कार्य कर रहा है। सहकारी संस्थाएं लगभग 40 केंद्रों पर कार्य कर रही हैं। जेसीआई बाद में इन सहकारी संस्थाओं द्वारा खरीदी गई पटसन की खरीद करता है।

6.4 पटसन सामानों का उत्पादन

भारत विश्व में पटसन वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी देश है जो विश्व के अनुमानित उत्पादन के लगभग 60 प्रतिशत का उत्पादन करता है। विनिर्मित पटसन वस्तुओं की एक बड़ी मात्रा मुख्यतः घरेलू बाजार में पैकेजिंग प्रयोजनों में प्रयोग की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों और वर्तमान वर्ष में पटसन वस्तुओं के उत्पादन की प्रवृत्ति नीचे दी गई है :–

पटसन सामानों का उत्पादन				(लाख एमटी में)		
वर्ष	सैकिंग	हैसेन	अन्य	कुल	निर्यात	बी–ट्विल
2010-11	10.77	2.44	2.45	15.66	1.99	9.06
2011-12	11.65	2.40	1.77	15.82	2.12	9.19
2012-13	12.18	2.10	1.63	15.91	1.83	10.17
2013-14	11.50	2.03	1.75	15.28	1.84	9.80
2014-15	9.02	2.11	1.54	12.67	1.16	7.74
2015-16	8.92	1.96	1.29	12.17	0.87	8.15

6.5 पटसन सामानों की घरेलू खपत

भारत मुख्यतया इसके विस्तृत घरेलू बाजार और कानूनन अनिवार्य प्रयोग के कारण विश्व में पटसन उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है। कुल उत्पादन में से औसत घरेलू खपत लगभग 90% है। पिछले कुछ वर्षों तथा चालू वर्ष हेतु पटसन उत्पादों की घरेलू खपत का रुख निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:–

(मात्रा लाख एमटी में)

वर्ष (अप्रैल–मार्च)	हैसेन	सैकिंग	अन्य	कुल
2010-11	1.83	10.3	1.34	13.47
2011-12	1.84	10.80	1.18	13.82
2012-13	1.67	11.20	1.14	13.99
2013-14	1.57	10.40	1.27	13.24
2014-15	1.72	8.70	1.11	11.53
2015-16	1.64	8.91	0.90	11.45

निर्यात निष्पादन

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान निर्यात रुझान इस प्रकार हैं:

(मात्रा '000' एमटी में, मूल्य करोड़ रु. में)

अप्रैल–मार्च	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
मद	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
हैसियन	75.5	978.81	66.2	903.28	50.1	861.03	29.7	769.58	30.1	827.32
सैकिंग	73	418.94	67.7	416.47	84.6	527	46.4	296.56	37.9	307.51
यार्न	54.7	282.01	43.8	221.16	25	143.58	23.6	138.73	16.9	118.56
सीबीसी	0	0.40	0	0.17	0	0.26	0	0.17	-	0.40
अन्य	9.1	414.8	7.7	450.72	6	590.08	7	608.77	-	638.54
कुल	211.8	2094.96	185.4	1991.80	165.7	2121.95	106.7	1813.81	5.3	1892.34

स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस

कच्ची पटसन एवं पटसन सामानों का आयात

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान आयात रुझान इस प्रकार हैं :

(मात्रा '000' एमटी में, मूल्य करोड़ रु. में)

अप्रैल–मार्च	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
मद	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कच्ची पटसन	183.21	452.11	160.09	384.1	64.1	180.61	47.55	142.5	87.61	364.04
पटसन उत्पाद	117.93	519.63	141.87	655.5	97.72	445.11	130.68	561.48	158.11	933.36
कुल	301.14	971.74	301.96	1039.6	161.82	625.72	178.24	703.98	245.67	1297.40

स्रोतः राष्ट्रीय पटसन बोर्ड

6.6 पटसन क्षेत्र हेतु प्रोत्साहन

(क) पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987

पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (जेपीएम अधिनियम) कच्ची पटसन के उत्पादन तथा पटसन पैकेजिंग सामग्री और इसके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हितों में कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण में पटसन पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य प्रयोग करने के लिए लागू किया गया है। पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 का खंड 4(1) केंद्र सरकार को ऐसे व्यक्तियों को शामिल करके स्थायी सलाहकार समिति के गठन का अधिकार देता है, जोकि सरकार की राय में,वस्तुनिर्धारण अथवावस्तुओं की श्रेणी अथवा पटसन पैकेजिंग सामग्री के संबंध में उनके प्रतिशत के मामले में, जिनकी पैकिंग हेतु पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग किया जाना हो, परामर्श देने हेतु आवश्यक विशेषज्ञता रखते हों।

स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार पटसन पैकेजिंग सामग्री अथवा निश्चित वस्तु अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा उनके प्रतिशत के अनिवार्य प्रयोग के लिए, यदि वह संतुष्ट है कि यह कच्चे पटसन के उत्पादन तथा पटसन पैकेजिंग सामग्री के हित में ऐसा करना आवश्यक है, जेपीएम एक्ट की धारा 3(1) के तहत समय–समय पर आदेश जारी कर सकती है। कच्चे पटसन और पटसनसामानों की मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के आधार पर, सरकार पटसन में पैकिंग की जानेवाली वस्तुओं का आरक्षण निर्धारित करती है। सरकार, वस्तुओं की आपूर्ति–वितरण श्रृंखला में बिना अवरोध के देश में

उत्पादित पटसन फसल के उपयोग को यथा संभव आरक्षण प्रदान करने का प्रयास करती है।

वस्त्र मंत्रालय ने जेपीएम अधिनियम, 1987 के अंतर्गत 14.01.2016 को सा.आ.सं. 126(ई) जारी किया जोकि 30.06.2016 तक वैध था। इसका विवरण इस प्रकार है:

वस्तुएं	पटसन में पैकेजिंग हेतु आरक्षण के लिए न्यूनतम प्रतिशतता
खाद्यान्न	90%
चीनी	उत्पादन का 20%

* उक्त आदेश का विस्तार 31 दिसम्बर, 2016 तक किया गया है।

पटसन वर्ष 2016–17 हेतु, पटसन वर्ष 2016–17 के लिए खाद्यान्न के न्यूनतम 90% तथा चीनी के न्यूनतम 20% को अनिवार्य रूप से पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक किए का प्रस्ताव आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के विचाराधीन और अनुमोदनाधीन है।

(ख) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) का गठन राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के अनुसार 1 अप्रैल, 2010 से की गई थी और तत्कालीन पटसन विनिर्माता विकास परिषद और राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र का राष्ट्रीय पटसन बोर्ड में विलय किया गया था। एनजेबी अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान एनजेबी की विभिन्न योजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है –

(i) **कामगार कल्याण योजना (सुलभ शौचालय)** – 30 पटसन मिलों में 37 शौचालय ब्लाकों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

(ii) **पटसन मिल की सफल बालिकाओं को प्रोत्साहन** – वर्ष 2014–15 में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में सफल होने वाली पटसन मिल कामगारों की 2963 बालिकाओं को सहायता मुहैया करवाई गई।

(iii) **समेकित पटसन मिलों की इंडेक्सिंग** – ध्वनि, धूल, प्रकाश तथा कामगार स्वास्थ्य निष्पादन के आधार पर उनके कार्य–निष्पादन का अध्ययन पूर्ण – मिलों को जानकारी का प्रसार किया गया।

(iv) **जेटीएम के अंतर्गत ली गई 15 आर एण्ड डी परियोजनाओं के तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन** – अध्ययन पूरे किए गए। संदर्शी और विद्यमान उद्यमियों के समक्ष जानकारी प्रस्तुत की गई।

(v) **समान सुविधा केन्द्र योजना जो महिला स्व–सहायता समूह की सहायता हेतु है** – पहले चरण में 7 सीएफसी अनुमोदित किए गए, पश्चिम बंगाल में 5, असम तथा बिहार प्रत्येक में 1–1। एक सीएफसी बारपेटा, असम में स्थापित किया गया ।

(vi) **पटसन उन्नत खेती तथा उन्नत रेटिंग क्रिया (पटसन–आईकेयर)** : आधुनिक कृषि संबंधी प्रक्रियाओं, खेती के औजारों और प्रमाणित बीजों के साथ छोटे तथा सीमांत पटसन उत्पादकों की सहायता करना ताकि उत्पादकों को नवीनतम प्रौद्योगिकियों के संबंध मं जानकारी हो और वे अच्छी गुणवत्ता वाले पटसन को उगाएं और अपने उत्पाद हेतु अधिक मूल्य प्राप्त करें। पश्चिम बंगाल के 2 जिलों और असम के एक जिले में पायलट आधार पर।

इसके अतिरिक्त, सरकार, पश्चिम बंगाल सहित 9 राज्यों में 2014–15 से घरेलू उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – वाणिज्यिक फसल (एनएफएसएम–सीसी) के अंतर्गत कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से पटसन विकास कार्यक्रम को भी क्रियान्वित कर रही है।

(vii) **संयंत्र और मशीनरी की खरीद हेतु प्रोत्साहन योजना** – 20 पटसन मिलों को पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु अक्तूबर, 2013 से अद्यतन तिथि तक 2481 लाख रूपये के निवेश हेतु 496 लाख रूपये मूल्य के प्रोत्साहन प्राप्त हुए।

(viii) **निर्यात बाजार विकास सहायता योजना** – वर्ष 2014–15 में विदेशों में 46 मेलों में प्रतिभागिता हेतु 40 पंजीकृत निर्यातकों के 141 आवेदनों पर कार्रवाई की गई।

(ix) **पटसन कच्ची सामग्री बैंक (जेआरएमबी) योजना** – यह योजना देश में विकेन्द्रीकृत जेडीपी क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकता और धारणीयता के लिए उपयुक्त मिल गेट मूल्य पर स्थानीय लघु तथा छोटे कारीगरों/उद्यमियों को पटसन कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बनायी गयी है।

(x) **पटसन एकीकृत विकास योजना (जेआईडीएस)** – देश भर में पटसन विविधीकरण का संवर्धन और प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण और उत्पादन सहायता, कच्ची सामग्री और विपणन सहायता के माध्यम से लघु तथा छोटी जेडीपी इकाइयों की क्षमता निर्माण में सुधार करने के लिए यह एक नई योजना है।

(xi) **पूर्वोत्तर राज्यों में जैव–वस्त्रों को बढावा देने हेतु विशेष योजना** प्रारंभ की गई जिसका परिव्यय 24.3.2015 को 427 करोड़ रूपये था।

(xii) **पटसन विविधीकृत उत्पादों का खुदरा आउटलेट और बल्क आपूर्ति योजना**– 5 राज्यों – कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 27 आउटलेटों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

(xiii) **कौशल विकास कार्यक्रम** – तिहाड़ जेल, नई दिल्ली के बंदियों जैसे सुधार गृहों, दिल्ली पुलिस तथा अन्य संस्थानों के परिवारों/लाभग्राहियों को पटसन विविधीकृत उत्पादों के विनिर्माण संबंधी प्रशिक्षण को मुहैया करवाने के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। कई लाभग्राहियों ने एनजेबी की सहायता से पटसन उत्पादों के उत्पादन और वितरण को प्रारंभ किया है।

(xiv) **सतत बाजार सहायता** पटसन शिल्पकारों, उद्यमियों, बुनकरों, एनजीओ, महिला स्व–सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) को भारत तथा विदेश में अपने उत्पादों की बिक्री, विपणन तथा संवर्धन हेतु मुहैया करवाया गया था। एनजेबी द्वारा आयोजित मेले लोगों के इन समूह हेतु आजीविका का साधन है। अन्यों में कुछ प्रमुख कार्यक्रम आईआईटीएफ, दिल्ली, सूरजकुण्ड मेला, टेक्सट्रेंड, दिल्ली, ताजमहोत्सव, लखनऊ महोत्सव, शिल्पग्राम उदयपुर, गिफ्टेक्स, मुम्बई, भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला, ग्रेटर नोएडा आदि थे।

अध्याय–7

रेशम एवं रेशम उत्पादन

7.1 प्रस्तावना

भारत 28,523 एमटी के रेशम उत्पादन के साथ चीन के पश्चात विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्ष 2015–16 में देश में रेशम की उत्पादित चार प्रजातियों में 28,523 मी.टन कच्चे रेशम के कुल उत्पादन में शहतूती रेशम का हिस्सा 71.8% (20478 एमटी), तसर 9.9% (2819 एमटी), ऐरी 17.7% (5050 एमटी) और मूगा 0.6% (166 एमटी) है। वर्ष 2016–17 में कच्चे रेशम उत्पादन के लिए 32000 एमटी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें लक्ष्य शहतूती कच्चे रेशम हेतु 22,660 एमटी और वान्या रेशम हेतु 9340 एमटी रखा गया है।

7.2 वास्तविक प्रगति

वर्ष 2012–13 से 2016–17 (सितम्बर, 2016 तक) के दौरान वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र. सं.	विवरण	11वीं योजना उपलब्धि (2007-12)	12वीं योजना लक्ष्य (2012-07)	उपलब्धि				
				2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
I.	शहतूती बागान (लाख हेक्टेयर)	1.81	2.3	1.86	2.03	2.19	2.09	2.19
II.	**कच्ची रेशम उत्पादन (एमटी)**							
क	**शहतूती**							
	बाइवोल्टाइन	1685	5260	1984	2559	3870	4613	2191
	संकर प्रजाति	16587	17400	16731	16917	17520	15865	7292
	उपयोग	**18272**	**22660**	**18715**	**19476**	**21390**	**20478**	**9483**
ख.	**वान्या**							
	तसर	1590	3285	1729	2619	2434	2819	141
	ऐरी	3072	5835	3116	4237	4726	5060	2880

	मूगा	126	220	119	148	158	166	84
	उपयोग	4788	9340	4964	7004	7318	8045	3105
	कुल योग (क+ख)	**23060**	**32000**	**23679**	**26480**	**28708**	**28523**	**12588**
III	संचित रोजगार (लाख व्यक्ति)	75.6	92.42	76.53	78.5	80.3	82.5	जारी...

स्रोत : राज्य रेशम कृषि विभाग से प्राप्त एमआईएस रिपोर्टों से संकलित।

7.3 वर्ष 2015–16 के दौरान सूखे, बेमौसमी वर्षा, चक्रवात आदि के बावजूद रेशम उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2015–16 के दौरान रेशम उत्पादन की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई है :

- आयात प्रतिस्थापन बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन 3870 एमटी से बढ़कर 4613 एमटी हो गया है जिसमें 19.2% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- वान्या रेशम का उत्पादन 7318 एमटी से बढ़कर 8045 एमटी हो गया है जिसमें 9. 9% की वृद्धि प्रदर्शित हुई है।
- ऐरी और मूगा रेशम ने क्रमशः 5060 एमटी और 166 एमटी का अब तक का अधिकतम उत्पादन दर्ज किया है और उसने वृद्धि की नई गति तय की है।

7.4 केन्द्रीय रेशम बोर्ड

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय है। संसद के एक अधिनियम (1948 का अधिनियम सं LXI) द्वारा 1948 में स्थापित सीएसबी को रेशम के आयात एवं निर्यात को अभिशासित करने वाली नीतियों के प्रतिपादन सहित रेशम यार्न के उत्पादन के लिए खाद्य पौधों के विकास से रेशम कोया तक देश में रेशम उत्पादन के कार्यकलापों की समग्र प्रक्रिया को शामिल करते हुए रेशम उद्योग को विकसित करने का पूर्ण दायित्व सौंपा गया है। सीएसबी मूल रूप से अनुसंधान और विकास संगठन है। सीएसबी के महत्वपूर्ण कार्यकलापों में रेशम क्षेत्र में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान कार्य करने के लिए सहयोग तथा प्रोत्साहित करना है। रेशम–उत्पादन तथा रेशम वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रम राज्य रेशम उत्पादन/वस्त्र विभागों द्वारा प्राथमिक रूप से प्रतिपादित तथा क्रियान्वित किए जाते हैं। तथापि, केंद्रीय रेशम बोर्ड अपने देशव्यापी नेटवर्क केंद्रों के माध्यम से अनुसंधान और विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरा करता है। इसके अलावा, केन्द्रीय रेशम बोर्ड गुणवत्तापूरक रेशम कीट के प्राथमिक तथा वाणिज्यिक बीजों के उत्पादन और आपूर्ति की व्यवस्था करता है और विभिन्न रेशम उत्पादन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भी राज्यों को सहयोग प्रदान करता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तर पर रेशम उत्पादन सांख्यिकी का संग्रह तथा संकलन भी करता है।

7.4.1 केन्द्रीय रेशम बोर्ड के क्रियाकलाप

रेशम उद्योग के विकास हेतु एकीकृत योजना : सीएसबी के अधिदेशित क्रियाकलापों में अनुसंधान और विकास, अनुसंधान विस्तार, चार स्तरीय रेशम कीड़ा बीज उत्पादन नेटवर्क का रख–रखाव, वाणिज्यिक रेशम कीड़ा बीज उत्पादन में नेतृत्व भूमिका, विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में मानकीकरण और गुणवत्ता मानदण्डों को शामिल करना, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रेशम को बढ़ावा देना और केन्द्र सरकार को रेशम कृषि तथा रेशम उद्योग से संबंधित सभी मामलों पर परामर्श देना शामिल है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड के इन अधिदेशित क्रियाकलापों को विभिन्न राज्यों में अवस्थित सीएसबी की 324 यूनिटों द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना यथा **''रेशम उद्योग के विकास हेतु एकीकृत योजना''** के माध्यम से किया जा रहा है और इस योजना के निम्नलिखित 4 घटक है :

I. **अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का अंतरण,**

II. **बीज संगठन/समन्वय तथा बाजार विकास**

III. **गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रणालियां**

IV. **निर्यात/ब्रांड संवर्धन तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन**

उक्त सभी घटक एक दूसरे से ऑर्गेनिक रूप से संयोजित हैं जिनका उद्देश्य कच्चे रेशम की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है ताकि हितधारकों की आय में वृद्धि की जा सके। इन योजना घटकों का उद्देश्य रेशम उद्योग के व्यापक तथा धारणीय विकास का है। घटक–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(I) अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का अंतरण

क. अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) : सीएसबी के प्रमुख अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अभिनवकारी नीतियों के जरिए स्थायी रेशम उत्पादन हेतु उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करते हैं। मैसूर (कर्नाटक), बरहामपुर (प.बंगाल) और पम्पोर (जम्मू एवं कश्मीर) स्थित प्रमुख संस्थान शहतूती रेशम उत्पादन का कार्य देखते हैं जब कि रांची (झारखंड) तसर उत्पादन का कार्य देखता है और लहदोईगढ़, जोरहाट (असम) मूगा एवं ऐरी रेशम उत्पादन का कार्य देखता है। रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र (आरएसआरएस/आरटीआरएस/आरएमआरएस) शहतूती एवं वान्या रेशम उत्पादन हेतु क्षेत्र विशिष्ट प्रौद्योगिकी पैकेज के विकास और क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार अनुसंधान संबंधी निष्कर्षों के प्रसार का कार्य कर रहे हैं।

80 अनुसंधान विस्तार केंद्र (आरईसी) और इनकी उप इकाइयों का एक नेटवर्क शहतूती एवं वान्या रेशम हेतु रेशम उत्पादकों को सहायता प्रदान करने का भी कार्य कर रहा है। कोया पश्च क्षेत्र में आर एंड डी सहायता प्रदान करने के लिए,बोर्ड ने बंगलौर में एक केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान (सीएसटीआरआई) की स्थापना की है। इसकेअलावा, सीएसबी ने बंगलौर (कर्नाटक) में रेशम कीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एसएसटीएल), होसुर (तमिलनाडु) में केन्द्रीय रेशम उत्पादन जर्मप्लाज्म संसाधन केन्द्र (सीएसजीआरसी) और बंगलौर में रेशम–बायोटेक अनुसंधान प्रयोगशाला (एसबीआरएल) की स्थापना भी की है।

गत दो वर्षों (2014–15 और 2015–16) के दौरान 100 अनुसंधान परियोजनाएं चलाई गई और जिसमें से 79 परियोजनाएं समाप्त हो गई है। वर्ष 2016–17 के दौरान, 48 नई परियोजनाएं चलाई गई हैं जिनमें से 11 परियोजनाएं अभी तक पूरी कर ली गई हैं।

(I) नई मेजबान पौधा किस्मों तथा नई रेशम कीड़ा नस्लों का विकास तथा प्रसार

- जम्मू एवं कश्मीर के टेम्परेट क्षेत्रों हेतु जल्द अंकुरित,गहरी जड़ों तथा अधिक पत्तियों का उत्पादन करने वाली एक नई शहतूती किस्म पीपीआर–1 का विकास किया गया है। जलमग्न क्षेत्रों उपयुक्त एक अन्य शहतूती किस्म सी–2028 को पश्चिम बंगाल, असम और अन्य पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में फैलाया जा रहा है। पिछले तीन दशकों के डाटा के आधार पर यह पाया गया था कि शहतूती किस्म हेतु अखिल भारतीय समन्वित प्रयोगात्मक परीक्षण के अंतर्गत परीक्षण की जा रही चार शहतूती किस्मों में से दक्षिण में जी–4, पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सी–2038 और पर्वती क्षेत्रों में टीआर–23 संबंधित नियंत्रणों से बेहतर निष्पादन दर्शा रही हैं। इसी प्रकार एलांथस ग्रेडिस (बोरपत)को ऐरी रेशम कीड़ा पालन हेतु श्रेष्ठ स्थायी मेजबान पौधे के रूप में चिन्हित किया गया है।
- पिछले 10 वर्षों के दौरान, 7 शहतूती किस्मों को विकसित किया गया तथा फील्ड में छोड़ा गया है।
- आर एण्ड डी हस्तक्षेपों के चलते कोकून उत्पादकता वर्ष 2005–06 के दौरान 706 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष से बढ़कर वर्ष 2016–17 के दौरान 750 किलोग्राम हो गई थी।
- वर्ष 2016–17 के दौरान 6 रेशम कीड़ा हाइब्रिड को प्रसार हेतु लिया गया है।

(II) रेशम कीड़ा नस्लों का विकास

- प्राधिकार परीक्षण के अंतर्गत हाइब्रिड जी11जी19 का परीक्षण 5 लाख रोग मुक्त पौधों (डीएफएलएस) के साथ किया गया था और 60 किलोग्राम प्रति 100 डीएफएलएस की राष्ट्रीय औसत की तुलना में दक्षिणी राज्यों में 68.00 किलोग्राम प्रति 100 डीएफएलएस के औसत कोकून उत्पादन को प्राप्त किया गया था। एक अन्य बाईवोलटाइन हाइब्रिड बी.कॉन 1 X बी.कॉन 4 का परीक्षण 66,600 डीएफएलएस हेतु किया गया था, इसने पूर्वी क्षेत्र में 49.88 किलोग्राम प्रति 100 डीएफएलएस का औसत कोकून उत्पादन दिया। मल्टीवोलटाइन X बाइवोलटाइन रेशम कीड़ा हाइब्रिड एम 6 ड ीपीसी X (एसके 6 X एसके 7) ने पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में 45–50 किलोग्राम प्रति 100 डीएफएलएस के उत्पादन को दर्शाया था।
- 2 और नए बाईवोलटाइन शहतूती रेशम कीड़ा हाइब्रिड अर्थात एस 8 X सीएसआर 16 और एसएसबीएस 5 X एसएसबीएस6 तथा एक उन्नत अन्तर प्रजनन नस्ल एमवी1 X एस 8 को दक्षिणी क्षेत्र में विकसित तथा इसका परीक्षण किया गया था और इसने उत्पादन तथा उत्तरजीविता क्षमता पर बेहतर नियंत्रण दर्शाया था। इसी प्रकार एक नया बाइवोलटान रेशम कीड़ा हाइब्रिड जेन–3 X एसके6 जिसकी कोकून उत्पादन संभाव्यता प्रति 100 डीएफएलएस पर 50–55 किलोग्राम उत्पादन की है, उसे पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विकसित किया गया था।
- दक्षिण क्षेत्र में प्राधिकृत रेशम कीड़ा हाइब्रिड सीएसआर 16 X सीएसआर 17, एफसी 3 X

एफसी 4, सीएसआर 50 X सीएसआर 51 और एमएच 1 X सीएसआर 2, पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में एफसी 1 X एफसी 2, एम. कॉन1 X बी.कॉन 4, एम.कॉन 4 X बी.कॉन 4, एम.कॉन 1 ग एम.कॉन 4 और उत्तर तथा उत्तर–पश्चिम में एफसी 1 X एफसी 2 को वाणिज्यिक दोहन हेतु प्रसारित किया गया था।

- नए विकसित तसर डाबा बाइवोलटाइन रेशम कीड़ा "बीडीआर–10" और ऐरी रेशम कीड़ा सी 2 को फील्ड में प्रसारित किया गया था। एक नए तसर रेशम कीड़ा लाइन "सीटीआर–14" और 2 मूगा रेशम कीड़ा नस्लों सीएमआर–1 तथा सीएमआर–2 को विकसित किया गया था और उनका फील्ड में परीक्षण किया जा रहा है।
- अनुसंधान एवं विकास हस्तक्षेपों के कारण कोकून उत्पादन वर्ष 2005–06 में 48 किलोग्राम प्रति 100 डीएफएलएस से बढ़कर वर्ष 2016–17 में 60 किलोग्राम हो गया है।

(III) कोकून–पश्च प्रौद्योगिकी का विकास (2016–17) :

- बेहतर गुणवत्ता वाले रेशम के उत्पादन के लिए देशीय स्वचालित रेशम रीलिंग मशीन (एआरएम) को विकसित किया गया है। देशीय एआरएम के प्रदर्शन तथा वाणिज्यकरण हेतु कार्रवाई की गई है।
- गुणवत्ता वाले रेशम के उत्पादन के लिए विभिन्न स्थानों पर 20 आयातित स्वचालित रीलिंग यूनिटें स्थापित की गई हैं।
- थिग रीलिंग तथा पुरातन रीलिंग/कताई उपकरणों को प्रतिस्थापित करने के लिए बेहतर रीलिंग/कताई मशीनों के 9 प्रकारों को विकसित तथा प्रसारित किया गया है।
- सौर ऊर्जा से चालित निम्न लागत वाली कताई मशीनों को विकसित किया गया है जिन्हें सौर ऊर्जा का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा सकता है।
- तसर रेशम रीलिंग हेतु निम्न लागत वाली 8 सिरों वाली बहु–सिरा रीलिंग मशीनों का प्रसार।
- वन्या सिल्क हेतु तसर तथा मूगा कोकून हेतु वेट रीलिंग मशीन, तसर रेशम हेतु साइजिंग मशीन, तसर कोकून हेतु संशोधित शुष्क रीलिंग मशीन, प्रेशराइज्ड हैंक डीगमिंग मशीन और रेशम रीलिंग जल के पुनः चक्रण हेतु उपकरण फील्ड में प्रसारित किए जा रहे हैं।
- अनुसंधान एवं विकास प्रयासों ने वर्ष 2005–06 के दौरान 8.2 से वर्ष 2015–16 के दौरान 7.4 तक रेनडीटा (एक किलो रेशम के उत्पादन हेतु अपेक्षित कोकून के किलोग्राम की संख्या) में सुधार में सहायता की है।

(IV) पेटेंट करवाने हेतु दायर/वाणिज्यकरण हेतु पेशकश की गई प्रौद्योगिकियाँ/उत्पाद

वर्ष 2016–17 के दौरान स्वचालित तसर कोकून छटांई/पृथकीकरण मशीन हेतु पेटेंट प्राप्त किया और चार अन्य पेटेंट आवेदन दायर किए गए हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान विकसित कुछ महत्वपूर्ण उत्पादन निम्नवत हैं :

- एनपीवी हेतु शीघ्र पता लगाने की पीसीआर आधारित प्रणाली शहतूत में जड़ों के सड़ने वाले रोग के नियंत्रण हेतु वनस्पतीय तथा फंगी साइड फार्मूलेशन।
- लैंप, पेबराइन का पता लगाने हेतु एक सरल तकनीक।
- कैस्टर कृषि हेतु विकसित आईएनएम पैकेज।

- एक नई तसर कोकून पकाने की विधि अर्थात डाबा,रेली तथा मॉडल कोकून हेतु विकसित बोरेक्स तथा सोडियम बाइकारबोनेट के एक संयोजन को 67 प्रतिशत रेशम प्राप्ति तथा 33 प्रतिशत रील बनाने की क्षमता के साथ तकनीकी–आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाया गया था।
- उच्चतर उत्पादकता हेतु विकसित वर्टीकल रीलिंग मशीन।

ख. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

देशभर में फैले सीएसबी के अनुसंधान एवं विकास संस्था मजबूत प्रशिक्षण संगठन भी हैं जिनके पास उत्कृष्ट प्रशिक्षण आधारभूत ढांचा तथा गुणवत्तापूर्ण संसाधन व्यक्ति मौजूद हैं। सीएसबी उद्योग के हितधारकों तथा साथ ही साथ अपने आंतरिक मानव संसाधनों को विभिन्न क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण पाठ्क्रम/मॉड्यूल की पेशकश करता है जिसमें रेशम मूल्य श्रृंखला के सभी क्रियाकलापों और रेशम के सभी चार उप–क्षेत्रों यथा शहतूती, तसर, ऐरी तथा मूगा को कवर किया जाता है।

गत दो वर्षों (2014–15 तथा 2015–16) के दौरान 25500 के लक्ष्य के प्रति 31775 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 (सितम्बर, 2016 तक) के दौरान उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं :

- सीएसबी शहतूती तथा वन्या रेशम कृषि संबंधी एक 15 माह के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम को चलाता है। वर्ष 2016–17 के दौरान विभिन्न रेशम कृषि राज्यों से कुल 31 उम्मीदवारों को सीएसआरटीआई, बरहामपुर और सीटीआरटीआई, रांची में पीजीडीएस पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत किया गया था। साथ ही साथ वर्ष 2015–16 सत्र के 37 पंजीकृत उम्मीदवारों में से 36 उम्मीदवारों ने पीजीडीएस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
- रेशम के सभी उप–क्षेत्रों को कवर करने वाले कुल **500 से अधिक किसानों/विद्यार्थियों** को विभिन्न राज्यों में विकसित रेशम कृषि क्लस्टरों तथा अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों में संपर्क दौरे हेतु ले जाया गया था ताकि वे प्रेरित हों और अपने दृष्टिकोण एवं ज्ञान स्तरों को व्यापक बना सके।
- कोकून–पश्च प्रौद्योगिकी हेतु बंगलौर में **उत्कृष्टता के केन्द्र** का निर्माण वर्ष 2015–16 के दौरान 3.10 करोड़ रूपये की कुल लागत से प्रारंभ किया गया था और यह नवम्बर 2016 के दौरान पूरा हो गया है। यह जनवरी, 2017 तक प्रचालनशील हो जाएगा।
- रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सीएसबी ने **एनईआरटीपीएस कार्यक्रम** के अंतर्गत मणिपुर राज्य से आईएसडीपी/आईबीएसडीपी परियोजना हेतु **प्रशिक्षकों के अभिमुखीकरण कार्यक्रम** को आयोजित किया है।

वर्तमान वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्य लगभग कुल **15000 व्यक्तियों** को कवर करना है जिसमें अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, आधारभूत संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम,सीएसबी मुख्यालय तथा फील्ड यूनिटों द्वारा आंतरिक प्रतिभागियों हेतु प्रबंधन विकास कार्यक्रम भी शामिल है। वर्ष 2016–17 के दौरान सितम्बर, 2016 (दूसरी तिमाही) के अंत तक अभी तक कुल कवरेज **6236**

व्यक्तियों की रही है। यह आशा की जाती है कि परिकल्पित लक्ष्य को मार्च, 2017 के अंत तक प्राप्त कर लिया जाएगा।

(ग) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी)

संपन्न की गई परियोजनाओं से उत्पन्न प्रौद्योगिकियों का विभिन्न विस्तार संचार कार्यक्रमों अर्थात कृषि मेलों, सामूहिक विचार–विमर्शों, प्रबोधन कार्यक्रमों, फील्ड दिवसों, कृषक बैठक, दृश्य–श्रृव्य कार्यक्रमों, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों आदि के जरिए फील्ड को प्रभावी ढंग से हस्तांतरित किया गया है। वर्ष 2016–17 के दौरान, सितम्बर, 2016 के अंत तक, कुल 535 टीओटी कार्यक्रम आयोजित किए गए और 46 प्रौद्योगिकियां प्रभावी ढंग से प्रयोक्ता स्तर पर कोकून–पूर्व क्षेत्र में अंतरित की गई। इसके अतिरिक्त, कोया पश्चात क्षेत्र में कुल 947 फील्ड कार्यक्रमों/ प्रौद्योगिकीय प्रदर्शन आयोजित किए गए और 31 प्रौद्योगिकियां फील्ड को अंतरित की गई थी।

12वीं योजना में कलस्टर संवर्धन कार्यक्रम (सीपीपी)

(i) बाइवोल्टाइन क्लस्टर संवर्धन कार्यक्रम

12वीं योजना के दौरान अत्यधिक बल देश में आयात प्रतिस्थापक रेशम में वृद्धि करने और बी.वी. रेशम का उत्पादन स्तर 1685 एमटी (2012–13) से बढ़ाकर वर्ष 2016–17 के अंत तक 5260 एमटी करने पर दिया जाएगा।

बाइवोल्टाइन ग्रेडेबल कच्चे रेशम का उत्पादन वर्ष 2015–16 के दौरान 4613 एमटी पर अब तक का सबसे अधिक दर्ज किया गया था। कलस्टर संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत 174 कलस्टरों को स्थापित किया गया है और इन्होंने 2930 एमटी के बाइवोल्टाइन कच्चे रेशम का उत्पादन किया जिसने वर्ष के दौरान देश के कच्चे रेशम के कुल उत्पादन 4613 एमटी के 64 प्रतिशत का योगदान दिया।

वर्ष–वार बाइवोलटाइन कच्चे रेशम का उत्पादन (2013–14 से 2016–17 अगस्त, 2016 तक) और उसमें कलस्टरों का योगदान नीचे तालिका में दर्शाया गया हैं :

वर्ष	कच्ची रेशम	
	लक्ष्य (एमटी)	उपलब्धि (एमटी)
2013-14	2480	2559
2014-15	3500	3780
2015-16	4500	4613
2016-17	5260	1715 (अगस्त) 2016 तक)

वर्तमान वर्ष (2016–17) के दौरान, देश हेतु निर्धारित कच्चे रेशम के 5260 एमटी के कुल लक्ष्य में से, उत्पादन स्तर 1715 एमटी (अगस्त 2016 तक) है जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष (2015–16) की तदनुरूपी अवधि के दौरान उत्पादन 1695 एमटी था।

(ii) संस्थान गांव संबद्ध कार्यक्रम

सीएसबी के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों द्वारा 51 क्लस्टरों को विभिन्न राज्यों में संस्थान गांव संबद्ध कार्यक्रम (आईवीएलपी) के अंतर्गत अपनाया गया है जिसमें लगभग 5585 किसान अनुसंधान संस्थानों से सीधे गांवों को 100 प्रतिशत प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु कवर होते है।

(iii) वन्या क्लस्टर संवर्धन कार्यक्रम

सीएसबी ने वन्या रेशम को बढ़ावा देने के लिए 9 राज्यों में क्लस्टर एप्रोच के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ मिलकर 22 वन्या क्लस्टर स्थापित किए है। क्लस्टर

के तहत आवश्यक फार्वर्ड और बैकवर्ड लिंकेज स्थापित किए गए हैं।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

सीएसबी द्वारा की गई महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी पहलों को नीचे दिया गया है :

- **एमकिसान** : सीएसबी ने एमकिसान वेब पोर्टल का उपयोग करके किसानों तक उनके मोबाइल टेलीफोनों के माध्यम से अपने अनुसंधान निष्कर्षों की बाह्य पहुंच का विस्तार किया है।
- **एसएमएस मोबाइल सेवा** : किसानों और उद्योग के अन्य हितबद्धों द्वारा उपयोग हेतु रेशम और कोकून की दिन–प्रतिदिन की बाजार दरों को मोबाइल फोन के माध्यम से पहुंचाने के लिए यह मोबाइल एसएमएस सेवा प्रारंभ की गई।
- **डाटा वेयरहाउसिंग** : सीएसबी ने सूचना के दक्षतापूर्ण और प्रभावी प्रसार हेतु सभी प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में वेब पोर्टल स्थापित किए है।
- **सेरी–5के डाटाबेस** : सेरी–5के डाटाबेस को समूचे देश में 174 बाइवोल्टाइन कलस्टर के अनुरक्षण तथा प्रबंधन हेतु बनाया और विकसित किया गया है।
- **वीडियो कान्फ्रेंस** : सीएसबी की सीएसबी परिसर, बंगलौर, सीएसआर एवं टीआई, मैसूर तथा बरहमपुर, सीटीआर एवं टीआई, रांची, सीएमईआर एवं टीआई, लहदोईगढ़ और क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में पूर्णतः सुसज्जित वीडियो कॉफ्रेंस सुविधा है। सीएसआर एण्ड टीआई, पम्पोर को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से जोड़ा जाना कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में है।
- **सीएसबी वेबसाइट** : केन्द्रीय रेशम बोर्ड की "csb.gov.in" नामक एक वेबसाइट अंग्रेजी तथा हिंदी में द्विभाषी रूप में उपलब्ध है। संगठन और इसकी स्कीमों तथा अन्य ब्यौरों की आवश्यकता होने वाले आम नागरिकों के लाभ हेतु इस पोर्टल के माध्यम से अधिकतम सूचना का संप्रेषण किया जाता है। इस वेबसाइट पर रेशम कृषि योजना कार्यक्रमों, उपलब्धियों का प्रचार और सफलता गाथाओं को साझा करना, खरीद के ब्यौरे आदि उपलब्ध करवाए जाते है।
- **ऑनलाइन आवेदन** : केन्द्रीय रेशम बोर्ड विभिन्न पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर रहा है जो रोजगार हेतु इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अपने आवेदन को प्रस्तुत करने को आसान तथा प्रभावी बना देता है।
- **एईबीएएस** : आधार समर्थित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली को केन्द्रीय कार्यालय, बंगलौर और 68 अन्य कार्यालयों में लागू किया गया है। शेष कार्यालयों में यह कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में है।
- **किसानों एवं रीलर्स हेतु एमआईएस डाटाबेस** : सीएसबी ने समग्र भारत आधार पर किसानों तथा रीलर्स से डाटा एकत्र करने के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को विकसित किया है। प्रारंभ में, परीक्षण आधार पर तमिलनाडू तथा त्रिपुरा से डाटा को एकत्र किया जा रहा है और परीक्षण चालन के पश्चात अपेक्षित संशोधन के साथ इसका विस्तार सभी राज्यों को किया जाएगा।
- **एनईआरटीपीएस (पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना) हेतु एमआईएस** : एनईआरटीपीएस के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में गहन बाइवोल्टाइन रेशमकृषि विकास परियोजना हेतु एमआईएस विकसित किया गया है और उसे केन्द्रीय रेशम बोर्ड की वेबसाइट पर डाला गया है।

- **शिकायतें और वीआईपी संदर्भ** : शिकायतों और वीआईपी संदर्भों के प्रबंधन हेतु डाटाबेस को तैयार और विकसित किया गया है।
- **पेंशन रिकार्डों का डिजीटलीकरण** : पेंशन कागजातों के डिजीटलीकरण हेतु साफ्टवेयर तैयार और विकसित किया गया है। सभी पेंशन रिकार्डों को सुरक्षा, संरक्षा और प्रबंधन की आसानी के लिए डिजीटलीकृत किया गया है।
- **सिल्क पोर्टल** : रेशम कृषि सूचना लिंकेज तथा ज्ञान प्रणाली पोर्टल को पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अंतरिक्ष विभाग के साथ मिलकर रेशम कृषि क्रियाकलापों को बढावा देने के लिए संभाव्य क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विकसित किया गया है। 321.95 लाख रूपए की कुल लागत के साथ परियोजना के पहले चरण को 24 राज्यों में 108 जिलों में लागू किया गया है और 210.00 लाख रूपए की अनुमानित लागत के साथ दूसरे चरण के अंतर्गत 70 जिलों को कवर करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र से 20 जिले शामिल है।

II. बीज संगठन – रेशमकीट बीज उत्पादन और आपूर्ति

राष्ट्रीय रेशम कीट बीज संगठन (एनएसएसओ) के अधीन सीएसबी और राज्य विभागों के अंतर्गत कार्यरत बीज उत्पादन केन्द्रों में वाणिज्यिक रेशम कीट बीज के उत्पादन हेतु मूल बीज का उत्पादन और आपूर्ति 19 मूल बीज फार्मों (बीएसएफ) का एक नेटवर्क करता है। इसके अलावा, उद्योग की सहायता करने के लिए अलग–अलग राज्यों में एनएसएसओ के अधीन 20 रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्र (एसएसपीसी) कार्य कर रहे हैं। 19 एसएसपीसी में आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन के अंतर्गत बीजोत्पादन में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली अपनाकर गुणवत्ता युक्त डीएफएलएस के उत्पादन की तरफ जोर दिया गया था।पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) के अंतर्गत जोरहाट, असम में पूर्वोत्तर राज्यों में शहतूत की वाणिज्यिक बीज आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक एसएसपीसी को स्थापित किया गया है।

बिलासपुर में स्थित आधारभूत तसर रेशम कीड़ा बीज संगठन (बीटीएसएसओ) के अंतर्गत देश में 21 ट्रापिकल तसर हेतु आधारभूत बीज बढ़ोत्तरी तथा प्रशिक्षण केन्द्र (बीएसएम एवं टीसी) और एक केन्द्रीय तसर रेशम कीड़ा बीज स्टेशन (सीटीएसएसएस) कार्य कर रहा है। इन यूनिटों का मुख्य दायित्व बीज उत्पादन का व्यवस्थित प्रबंधन और देश में ट्रापिकल तसर बीज की आपूर्ति करना है। ओक तसर के संबंध में 2 क्षेत्रीय तसर अनुसंधान स्टेशन (आरटीआरएस), एक ओक तसर ग्रेनेज, 3 आरईसी और 2 आरईसी सह–बीएसएम एवं टीसी तथा 3 आरटीआरएस ओक तसर बीज उत्पादन तथा आपूर्ति हेतु कार्य कर रहे हैं।

गुवाहाटी में स्थित मूगा रेशम कीड़ा बीज संगठन (एमएसएसओ) के अधीन 8 बीज उत्पादन यूनिटों को आधारभूत बीज के उत्पादन हेतु स्थापित किया गया है और इसी प्रकार वाणिज्यिक बीज के उत्पादन हेतु एक मूगा रेशम कीड़ा बीज उत्पादन केन्द्र को स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) के अंतर्गत 3 मूगा पी3

आधारभूत बीज स्टेशनों तथा एक एसएसपीसी को स्थापित किया जा रहा है।

गुवाहाटी में स्थित ऐरी रेशम कीड़ा बीज संगठन (ईएसएसओ) के अधीन असम में एक ऐरी एसएसपीसी, गैर–परंपरागत राज्योंमें चार ऐरी एसएसपी और राज्यों को आधारभूत तथा वाणिज्यिक बीजों की आपूर्ति के लिए एक ऐरी आधारभूत बीज फार्म स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनईआरटीपीएस के अंतर्गत वर्ष 2015–16 के दौरान एक पी2 ऐरी आधारभूत बीज फार्म स्थापित किया गया है। नीचे दी गई तालिका वर्ष 2013–14 से 2016–17 (सितम्बर, 2016 तक) के दौरान सीएसबी बीज यूनिटों द्वारा प्राप्त प्रगति के ब्यौरों को दर्शाती है :

(डीएफएलएस लाख सं. में)

#	बीज का प्रकार	2013–14 के दौरान उपलब्धि	2014–15 के दौरान उपलब्धि	2015-16		2016-17	
				लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	**शहतूत**						
क	मूल बीज	15.49	15.24	12.92	14.61	12.77	5.64
ख	वाणिज्यिक बीज	338.57	370.16	375.00	410.50	390.00	170.42
2	**वान्या बीज**						
क	**मूल बीज**						
i	तसर (मूल एवं बीज केंन्द्र)	37.89	41.88	46.58	51.19	46.78	32.88
ii	ओक तसर	0.55	0.58	0.57	0.44	0.65	0.17
iii	मूगा	4.23	4.96	6.04	6.23	6.49	1.45
iv	ऐरी	1.09	0.96	0.55	0.92	0.65	0.40
ख	**वाणिज्यिक बीज**						
I	मूगा	0.77	1.15	1.22	1.22	1.64	0.81
ii	ऐरी	2.52	4.73	3.97	4.83	4.85	1.27

(3) समन्वय और बाजार विकास (एचआरडी)

सीएसबी प्रशासन में बोर्ड सचिवालय, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रमाणन केन्द्र और कच्ची सामग्री बैंक शामिल हैं। सीएसबी का बोर्ड सचिवालय विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और वह रेशम उत्पादन क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मंत्रालय एवं राज्यों के साथ समन्वय करता है। बोर्ड सचिवालय द्वारा कई राष्ट्रीय बैठकों, बोर्ड की बैठकों एवं समीक्षा बैठकों तथा अन्य उच्चस्तरीय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

सीएसबी के क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाएं केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं (सीएसएस)

और रेशम उद्योग के विकास से संबंधित अन्य सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए व्यापक तौर पर उपयोग की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालय रेशम उद्योग के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार के साथ समन्वय करते हैं।

सीएसबी में हुई तैनातियों के ब्यौरे और वर्ष 2016–17 के दौरान सीएसबी द्वारा आयोजित बोर्ड/स्थायी समिति बैठकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

- श्री के.एम.हनुमनथयरप्पा ने 8.8.2016 को अध्यक्ष, सीएसबी, बैंगलूरू का प्रभार ग्रहण किया।
- स्थायी समिति की 2 बैठकें और केन्द्रीय रेशम बोर्ड की एक बोर्ड बैठक क्रमशः 15.2.2016 तथा 9.9.2016 को मुख्यालय, बेंगलूरू में और 25.5.2016 को श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) में आयोजित की गई थी।
- वर्तमान में सीएसबी के 39 बोर्ड सदस्यों में से 30 सदस्य पद पर हैं और शेष 9 रिक्तियों को भरा जा रहा है।
- डा. राकेश कुमार मिश्रा ने 17.10. 2016 को सीएसबी, बेंगलूरू में निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण किया।

कच्ची सामग्री बैंक :

सीएसबी ने प्राथमिक उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कोकून के मूल्य को स्थिर करने के लिए वन्या रेशम हेतु कच्चा माल बैंक की स्थापना की है।

(iv) गुणवत्ता प्रमाणन प्रणालियां

गुणवत्ता प्रमाणन प्रणालियों के मुख्य उद्देश्यों में से एक गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता आकलन और गुणवत्ता प्रमाणन के प्रति उचित उपायों को प्रारंभ करना है। इस योजना के अंतर्गत दो घटक यथा **"कोकून तथा कच्चा रेशम प्ररीक्षण यूनिट"** और **"सिल्क मार्क को बढ़ावा देने"** को क्रियान्वित किया जा रहा है। कोकून की गुणवत्ता रेलिंग के दौरान निष्पादन और उत्पादित कच्चे रेशम की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। विभिन्न राज्य विभागों के कई कोकून बाजारों में कोकून परीक्षण को सुकर बनाने के लिए 24 कोकून परीक्षण केन्द्रों के नेटवर्क स्थापित किए गए हैं। क्षेत्रीय कार्यालय से संबद्ध केन्द्रीय रेशम बोर्ड के 8 प्रमाणीकरण केन्द्रों का नेटवर्क स्वैच्छिक रूप से निर्यात हेतु निर्धारित रेशम की वस्तुओं का शिपमेंट पूर्व निरीक्षण करता है ताकि भारत से निर्यात की जा रही रेशम की वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारतीय सिल्क मार्क संगठन (एसएमओआई) के माध्यम से सिल्क उत्पादों की शुद्धता के लिए "सिल्क मार्क" को लोकप्रिय बना रहा है। "सिल्क मार्क" एक आश्वासन लेबल है जो शुद्ध रेशम के नाम पर बाजार में नकली उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है।

वर्ष 2016–17 (सितम्बर, 2016 तक) के दौरान 'सिल्क मार्क' योजना के संवर्धन के अंतर्गत प्राप्त प्रगति नीचे दी गई है :

विवरण	लक्ष्य 2015-2016	उपलब्धि 2015-2016	लक्ष्य 2016-17	सितम्बर, 2016 तक उपलब्धि
नामांकित अधिकृत प्रयोक्तओं की कुल संख्या	250	272	250	143
बेचे गए रेशम मार्क लेबलों की कुल संख्या (लाख में)	25	27	25	16.78
जागरूकता कार्यक्रम प्रदर्शनी / मेला / कार्यशला /रोड शो (सं.))	390	410	410210	
कोकून परीक्षण केन्द्र (सं.))	2	2	2	2 *
कच्चा रेशम परीक्षण केन्द्र (सं.)	3	3	1	-

* दो (2) सीटीसी को तमिलनाडू में स्थापित किया जा रहा है।

सिल्क मार्क प्रदर्शनियां

सिल्क मार्क की विशवसनीयता और लोकप्रियता को सुनिश्चित करने के लिए समूचे देश से सिल्क मार्क प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं हेतु सिल्क मार्क प्रदर्शनियों का विशिष्ट रूप से आयोजित किया जा रहा है। यह प्रदर्शनियां न केवल सिल्क मार्क को लोकप्रिय बनाने के लिए एक आदर्श मंच है बल्कि विनिर्माताओं तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध सिल्क की उत्पादों की बिक्री तथा खरीद हेतु एक मंच पर लाती है। इन कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों को काफी व्यापार मिलता है। कार्यक्रम के दौरान एसएमओआई द्वारा व्यापक जागरूकता और प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

वर्ष 2016–17 (सितम्बर, 2016 तक) के दौरान गुवाहाटी, बेंगलूरू, कोलकाता, हैदराबाद और गुवाहाटी (पूर्वोत्तर) में 5 प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था।

7.5 योजनागत स्कीमों हेतु वित्तीय आवंटन

वर्ष 2014–15 तक उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम को राज्यों के साथ सहयोग से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जाता था। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने संघ के कर राजस्व की निवल प्राप्तियों में से राज्यों के अंश को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है और उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) सहित अधिकांश केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को 2015–16 से समाप्त करने का निर्णय लिया है। सीडीपी के समापन के परिणामस्वरूप, सीएसबी की विद्यमान केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं को पुनःसंरचनाबद्ध किया गया है और एक एकल योजना **"रेशम उद्योग के विकास हेतु एकीकृत योजना"** के अंतर्गत लाकर बीज, नस्ल, कोकून पश्च प्रौद्योगिकी और सीडीपी के कुछ घटकों के साथ क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हस्तक्षेपों पर फोकस किया गया है।

सीसीईए ने 12वी पंचवर्षीय योजना हेतु 1269.00 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय को अनुमोदित किया है(ब्रॉण्ड संवर्धन योजना सहित 380.00 करोड़ रूपये

केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं हेतु और 889.00 करोड़ रूपये केन्द्रीय प्रायोजित योजना "उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम" हेतु)। 1269.00 करोड़ रूपये के कुल अनुमोदित परिव्यय के प्रति वर्ष 2014–15 तक 930.79 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है और 338.21 करोड़ रूपये की शेष राशि बचती है। वर्ष 2015–16 से सीडीपी को समाप्त किए जाने के मद्देनजर पुनः ढांचाबद्ध केन्द्रीय क्षेत्रक योजना **"रेशम उद्योग के विकास हेतु एकीकृत योजना"** के कार्यान्वयन के प्रति वर्ष 2015–16 हेतु निधियों की आवश्यकता को 178.10 करोड़ रूपये के अनुमोदित बजट आवंटन तक सीमित किया गया था जिसका पूर्णतःउपयोग कर लिया गया है।

वर्तमान वर्ष 2016–17 हेतु सरकार ने 160.50 करोड़ रूपये की राशि अनुमोदित की है जिसमें 49.50 करोड़ रूपये, 2.00 करोड़ रूपये तथा 23.05 करोड़ रूपये की क्रमशः अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी), जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए अनुमोदित की गई राशि शामिल है।

नीचे दी गई तालिका 12वीं योजना हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित आवंटन, वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक के पहले 3 वर्षों के दौरान किए गए व्यय, वर्ष 2015–16 के दौरान किए गए आवंटन तथा व्यय, वर्ष 2016–17 हेतु अनुमोदित बजट अनुमान, व्यय (सितम्बर, 2016 तक) और प्रस्तावित संशोधित अनुमान को दर्शाती है।

रेशम कृषि हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं	**XII योजना आवंटन**	**2012-13 व्यय**	**2013-14 व्यय**	**2014-15 व्यय**	**2015-16 व्यय**	**आवंटन (बीई) 2016-2017)**	**व्यय (नवम्बर, 2016 तक)**
अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण और आईटी पहल	203.71	30.25	37.97	44.50			
बीज संगठन/समन्वय	119.08	11.58	26.64	30.56			
समन्वय और बाजार विकास	40.35	7.96	7.18	9.02	**178.10**	**160.50**	**116.27**
गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रणाली और निर्यात/ब्रांड संवर्धन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन	16.85	3.05	7.66	0.50			
उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) (***)	889.00	205.16	295.76	213.00			
सकल जोड़	**1269.00**	**258.00**	**375.21**	**297.58**	**178.10**	**160.50**	**116.27**

7.6 तसर विकास हेतु महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) परियोजनाएं

सीएसबी अक्तूबर 2013 से 3 वर्षों की अवधि हेतु 7160.90 लाख रूपये के कुल परिव्यय (जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय – 5366.15 लाख रूपये और सीएसबी–1794.78 लाख रूपये द्वारा साझा किया जा रहा है) पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर महिला

किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी)को कार्यान्वित कर रहा है जिसमें यह योजना झारखंड, ओडीशा, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन (प्रदान) के साथ; महाराष्ट्र राज्य में भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन (बीएआईएफ), पुणे के साथ, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में सोसाइटी फॉर एलीमिनेशन ऑफ रूरल पावर्टी (एसईआरपी) तथा कोवेल और बिहार में बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (बीआरएलपीएस) और प्रदान के साथ मिलकर चलाई जा रही है। इस परियोजना में सीमांत परिवारों, विशेष रूप से उक्त 8 राज्यों के चुनिंदा 23 जिलों में अनुसूचित जनजाति से संबद्ध महिलाओं हेतु 36000 अधिक धारणीय आजीविकाओं का सृजन करने की परिकल्पना की गई है। परियोजना में तसर मेजबान पौधों के ब्लाक बागान के 3500 हैक्टेयर को तैयार करना, प्राकृतिक वनस्पति के लगभग 9500 हेक्टेयर को पुनः उगने में सहायता करना, 6.75 लाख डीएफएलएस आधारभूत बीज का उत्पादन करना, 59. 35 लाख वाणिज्यिक बीज तथा 16 करोड़ रीलिंग कोकून का उत्पादन करना तथा इसके अलावा 478 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को तैयार करने की परिकल्पना की गई है। परियोजना वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन है।

अभी तक परियोजना के अंतर्गत कुल 21555 किसानों को 733 अनौपचारिक उत्पादक समूहों में जुटाया गया है। परियोजना के अंतर्गत निजी परती भूमि में 945 हेक्टेयर के तसर मेजबॉन पौधे उगाए गए थे, 0.53 लाख डीएफएलएस के आधारभूत बीज का पालन किया गया था और 25 लाख आधारभूत बीज कोकून के उत्पादन को प्राप्त किया गया था। 3.55 लाख आधारभूत डीएफएलएस का उत्पादन किया गया और 83 लाख बीज कोकून का उत्पादन करने के लिए रोपण किया गया। 163 निजी ग्रेनरों ने 55 लाख बीज कोकून का प्रसंस्करण किया और 12.5 लाख वाणिज्यिक डीएफएलएस का उत्पादन किया तथा 8300 वाणिज्यिक पालनकर्ताओं ने 15.6 लाख डीएफएलएस तैयार किए तथा 398 लाख रीलिंग कोकून का उत्पादन किया तथा इसके अतिरिक्त, कई क्रियाकलापों हेतु हितधारकों का क्षमता निर्माण किया गया था।

अध्याय–8

ऊन एवं ऊनी वस्त्र

8.1 केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी), जोधपुर

ऊन उद्योग के अलग–अलग क्षेत्रों में विभिन्न विविधीकृत हित में सामंजस्य बिठाने के उद्देश्य से केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी), जोधपुर का गठन वर्ष 1987 में किया गया था जिसका मुख्यालय जोधपुर, राजस्थान में है। सीडब्ल्यूडीबी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। बोर्ड ऊन क्षेत्र की वृद्धि और विकास से संबंधित मामलों पर वस्त्र मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में भी कार्य करता है। श्री जसवंत सिंह बिश्नोई बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

8.2 योजना बजट

12वीं पंचवर्षीय योजना में 96 करोड़ रु. के कुल वित्तीय परिव्यय में से वर्ष 2016–17 के लिए योजना आबंटन 29.00 करोड़ रुपए है।

8.3 क्रियान्वयनाधीन योजनाओं का ब्यौरा

8.3.1 एकीकृत ऊन सुधार और विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूआईडीपी)

आईडब्ल्यूआईडीपी के तहत, सीडब्ल्यूडीबी, भेड़, अंगोरा खरगोश, पश्मीना बकरी से तैयार ऊन की मात्रा तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करने के साथ–साथ संवर्धनात्मक एवं विपणन कार्य कलापों सहित ऊन उत्पादकों, बुनकरों, स्रोत व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

(i) **भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (एसडब्ल्यूआईएस)**

बोर्ड ने देश में भेड़ की स्वदेशी ऊन की गुणवत्ता में सुधार करने और मात्रा में वृद्धि करने के लिए 'भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (एसडब्ल्यूआईएस)' शुरू की है। बोर्ड द्वारा समस्त प्रमुख ऊन उत्पादक राज्यों में इस योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिन के संघटक हैं दृ भेड़ के उपचार, टीकाकरण और दवाइयों के लिए 'स्वास्थ्य देखभाल', भेड़ों के आनुवंशिक सुधार हेतु और नर मेमना पालन, स्टड मेढ़ों के वितरण हेतु भेड़ प्रजनन फार्मों के सुदृढ़ीकरण/स्थापना, भेड़ पालन कार्यकलापों की आधुनिक तकनीकों में ऊन उत्पादकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए 'प्रजनन सुधार', पात्र भेड़ों (दुर्बल, गर्भवती/प्रजनन योग्य मादा भेड़ों) को ''पूरक आहार'' उपलब्ध कराना तथा कच्ची ऊन के विपणन और राज्य ऊन विपणन परिसंघों/निगमों के पुनरुद्धार और राज्य विशिष्ट परियोजनाओं को भी शामिल किया गया

है ताकि निर्धारित संघटकों से इतर राज्य विशिष्ट मांग पर विचार करने के लिए लोचशीलता की व्यवस्था की जा सके।

वार्षिक योजना 2016–17 के दौरान 7.99 करोड़ रु. में से बोर्ड ने अक्तूबर, 2016 तक 3.79 करोड़ रु. का उपयोग कर लिया है और जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश,राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात आदि जैसे प्रमुख ऊन उत्पादक राज्यों की 46.00 लाख भेड़ों को लाभान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ii) अंगोरा ऊन विकास योजना

आवश्यक प्रशिक्षण, आहार एवं पोषाहार सहायता, दवाइयों की आपूर्ति आदि के साथ–साथ फाउण्डेशन स्टॉक के रूप में किसानों अंगोरा खरगोश के वितरण द्वारा किसानों में अंगोरा पालन कार्यकलाप में सहायता करने के लिए बोर्ड द्वारा देश के पहाड़ी क्षेत्रों में अंगोरा ऊन विकास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। योजना में 12वीं योजना के दौरान (i) लघु अंगोरा खरगोश फार्म की स्थापना (ii) अंगोरा खरगोश जर्म प्लाज्म एवं प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जैसे संघटक हैं।

वार्षिक योजना 2016–17 के दौरान पशुधन सहित अंगोरा ऊन के संवर्धन और विकास के लिए 1.685 करोड़ रुपए की राशि जारी गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार अवसरों के सृजन के साथ मणिपुर में खरगोश पालकों के मध्य अंगोरा खरगोश पालन कार्यकलाप को सहायता के लिए यह योजना भी शुरू की गई है।

(iii) मानव संसाधन विकास एवं संवर्धनात्मक कार्यकलाप:

बोर्ड ने विभिन्न नामी संगठनों/ संस्थानों/ विभागों के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए कुछ क्षेत्रों: भेड़ के लिए फार्म प्रबंधन, अंगोरा एवं पश्मीना पालन, मशीन द्वारा भेड़ों की बाल कटाई, प्रशिक्षण एवं रिपोर्ट लिखना तथा गुणवत्ता नियंत्रण/आश्वासन, ऊनकी ग्रेडिंग एवं विपणन, ऊन एवं ऊनी उत्पादों का प्रसंस्करण, बुनकरों के लिए नवीनतम बुनाई एवं डिजाइनिंग तकनीकों की पहचान की है। निम्नलिखित कार्यकलाप हैं:–विपणन एवं संवर्धनात्मक कार्यकलापों (ऊनी मेलों एवं प्रदर्शनियों, संगोष्ठी एवं कार्यशाला आदि का आयोजन), बाजार आसूचना एवं प्रचार, अनुसंधान, अध्ययन एवं परामर्श, बुनाई एवं डिजाइनिंग प्रशिक्षण केंद्र के तहत प्रशिक्षण, कुल्लु, योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन, किसानों/भेड़पालकों/बुनकरों को प्रशिक्षण, ऊन जांच, ऊन ग्रेडिंग एवं विपणन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, बोर्ड ने इन कार्यकलापों के लिए 3.645 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। अक्तूबर, 2016 तक बोर्ड ने 0.92 करोड़ रुपए का उपयोग किया है और बुनाई तथा डिजाइनिंग प्रशिक्षण केंद्र, कुल्लू जिसने समय समय पर कच्ची ऊन के मूल्य का बुलेटिन प्रकाशित किया और ऊन का परीक्षण संचालित किया, में 60 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

8.4 ऊन गुणवत्ता प्रसंस्करण योजना

बोर्ड कच्ची ऊन की गुणवत्ता में सुधार करने, ऊनी उत्पादों के प्रसंस्करण तथा ऊन एवं ऊनी उत्पादों के मूल्यवर्द्धन के लिए एक योजना नामतः 'ऊन गुणवत्ता प्रसंस्करण' कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना स्पिनरों को उनकी पुरानी तथा लघु यार्न विनिर्माण इकाइयों को आधुनिकीकृत करने के लिए आकर्षित करती है। इस परियोजना के लाभार्थी ऊन एवं ऊनी प्रसंस्करण में कार्यरत राज्य ऊन बोर्ड, निगम, गैर–सरकारी संगठन, पंजीकृत समितियां और निजी उद्यमी आदि हैं। इस योजना के तहत एजेंसी को अपने संसाधनों द्वारा भूमि एवं भवन की लागत वहन करनी होगी। सीडब्ल्यूडीबी गैर–आवर्ती व्यय के अंतर्गत केवल सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करने के लिए मशीनरी एवं संयंत्र की खरीद के लिए अनुदान प्रदान करता है।आवर्ती व्यय का एजेंसी/संघों द्वारा अपने संसाधनों में से वहन किया जाएगा। वर्ष 2016–17 में विभिन्न ऊन उत्पादक राज्यों में भेड़ बाल कटाई मशीन खरीद करने के लिए चल रहे सामान्य सुविधा केंद्रों के अंतर्गत अगली किस्त के रूप में 0.68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बोर्ड ने अक्तूबर, 2016 तक 0.21 करोड़ रुपए का उपयोग किया है।

8.5 भेड़ पालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

सीडब्ल्यूडीबी इस योजना को दो योजनाओं (i) भेड़ पालक बीमा योजना और (ii) भेड़ बीमा योजना द्वारा भेड़ पालकों और उनके भेड़ झुण्डों को जीवन बीमा प्रदान कर भेड़पालकों को लाभ प्रदान करने के लिए कार्यान्वित कर रहा है। भेड़ पालक बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक मृत्यु/दुर्घटनावश मृत्यु/पूर्ण/आंशिक विकलांगता के मामले में भेड़ पालकों को बढ़ी हुई बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। भेड़ बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य इस नीति के दौरान आग, बिजली, तूफान, आंधी, बाढ़, जलभराव, भूकंप, भुखमरी और संक्रामक अथवा होने वाली बीमारियों के मामले में भेड़ को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। भेड़ बीमा योजना पशुधन बीमा योजना पर आधारित है। बीमा की सामान्य अवधि 12 महीने और अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। अब, पशुपालन विभाग, कृषि मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना और वित्तीय सेवाएं विभाग की भेड़ पालन बीमा योजना के साथ भेड़ बीमा योजना का विस्तार किया गया है।

8.6 पश्मीना ऊन विकास कार्यक्रम (पीडब्ल्यूडीपी)

8.6.1 पश्मीना ऊन विकास योजना (पीडब्ल्यूडीएस)

जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र दुनिया में सबसे बेहतरीन पश्मीना ऊन का उत्पादन करता है और इसकी उत्कृष्ट फाइबर की गुणवत्ता के कारण यह विशेष रूप से फाइबर श्रेणी के अंतर्गत आता है। पश्मीना बकरी पालन लद्दाख क्षेत्र के दूर–दराज के क्षेत्र में रह रहे खानाबदोशों की आय का एकमात्र स्रोत है। सीडब्ल्यूडीबी ने 12वीं योजना के दौरान इस योजना को बड़े पैमाने पर शुरू किया

है ताकि पश्मीना का उत्पादन बढ़ाया जा सके, पश्मीना ऊन से पश्मीना बुनकरों को होने वाली आय बढ़ाई जा सके और आजीविका के भरोसेमंद साधन के रूप में इस कार्यकलाप में उनकी रूचि को बनाए रखा जा सके। मुख्य संघटक हैं: प्रजनक अभिमुखीकरण स्वास्थ्य शिविर, पूरक आहार, पश्मीना बकरा बाड़ा बनाना, पोर्टेबल तम्बू, गमबूट, टार्च, गूगल उपलब्ध कराना, खानाबदोशों के लिए उन्नत पश्मीना काम्ब, पश्मीना आहार बैंकों एवं प्रजनन फार्मों, लेह में आरएंडडी और मौजूदा पश्मीना बाल छंटाई संयंत्र का उन्नयन सहित स्वास्थ्य कवरेज, पश्मीना नर विनिमय कार्यक्रम, उच्च गुणवत्ता युक्त पश्मीना नर का वितरण, फाउंडेशन स्टॉक हेतु सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम। पीडब्ल्यूडीएस की इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर तथा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, कारगिल को सीधे अनुदान सहायता जारी की गई है। वर्ष 2016–17 के दौरान 15 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से बोर्ड उपर्युक्त विभिन्न संघटकों के जरिए लद्दाख क्षेत्र के लेह एवं कारगिल जिलों में 2 लाख पश्मीना बकरियों को शामिल कर 800 पश्मीना ऊन उत्पादकों (खानाबदोशों) को लाभ प्रदान कर रहा है। इसमें से बोर्ड ने परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अक्तूबर, 2016 तक लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह तथा कारगिल को कुल 1.80 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

8.6.2 पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम (पी–3)

वस्त्र मंत्रालय, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के लेह दौरे (12 अगस्त, 2014) में की गई घोषणा के अनुसार लद्दाख क्षेत्र में पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम (पी–3) क्रियान्वित कर रहा है। वस्त्र मंत्रालय विगागी आयुक्त/लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय परिषद, लेह/कारगिल की सहायता से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। इसके बाद, वस्त्र मंत्रालय ने लद्दाख क्षेत्र में घुमंतों समुदाय के पश्मीना पालन क्रियाकलाप के धारणीय विकास के लिए पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम (पी–3) को अनुमोदित किया है और लद्दाख क्षेत्र में पश्मीना बकरी को बढ़ावा देने के लिए 19.12 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्त परिव्यय किया है। यह कार्यक्रम लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह और कारगिल की सहायता से क्रियान्वित किया जाता है।

इस कार्यक्रम (पी–3) के अंतर्गत ऊन परीक्षण के लिए सामान्य पश्मीना सुविधा केंद्र के निर्माण, बीमारी निगरानी केंद्र, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्रयोगशाला, घुमंतू के लिए शेल्टर, हथकरघा कताई/बुनाई के लिए पोर्टेबल इलैक्ट्रिक यूनिट का वितरण, सोलर युक्त समुदाय केन्द्र, पश्मीना बकरियों के चरने के लिए चारागाहों का विकास, किसानों का फाउंडेशन स्टॉक (नर एवं मादा बकरी) का वितरण और पश्मीना पशुओं के आवास के लिए शेल्टर का निर्माण जैसे विभिन्न संघटकों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। स्कोरिंग, ड्राइंग और लेह में इन

मशीनों की स्थापना करने के लिए भवन के निर्माण सहित बॉयलर जैसी अन्य मशीनों सहित 19.35 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से लेह में नवीनतम प्रौद्योगिकी वाली पश्मीना बाल कटाई संयंत्र की स्थापना करने के लिए प्रमुख प्रावधान किए गए हैं।

अत्यंत कठिन स्थितियों में पश्मीना बकरियों के पालन के लिए खानाबदोशों के लाभ के लिए दिनांक 17.06.2016 को सौरऊर्जा वाले 5 सामुदायिक केंद्रों और 100 शेल्टरों का उद्घाटन किया गया है। पिछले 2 वर्षों के दौरान पशु उत्पादकता (औसत पश्मीना उत्पादन) 9.30% तक बढ़ गई है, पशुओं की मृत्यु दर घटी है, दूरस्थ और खानाबदोशी क्षेत्र जो अधिकतर सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित, में इस योजना के अंतर्गत संवेदनशील ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण किया गया है, स्वास्थ्य देखभाल और पशुओं के शरीर का वजन करने में सुधार किया गया है, पश्मीना भेड़ पालकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, पश्मीना भेड़ से आय में वृद्धि हुई है। पश्मीना विकास योजनाओं से अंततः पश्मीना भेड़पालन में लगे किसानों की लाभप्रदता में वृद्धि हुई है और लद्दाख क्षेत्र के खानाबदोश पशुपालकों में इसका परिणाम अत्यंत लोकप्रिय है। चालू वित्त वर्ष के दौरान पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत एलएएचडीसी, लेह को अक्तूबर, 2016 तक 1.42 करोड़ रुपए की सीमा तक अनुदान सहायता जारी की गई है।

8.7 निर्यात रुझान

डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ऊन और ऊनी मिश्रित उत्पादों के निर्यात में वर्ष 2015–16 की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल, 2016 से अगस्त, 2016 (2016–17) के दौरान रुपए के संबंध में 14.46% की कमी देखी गई है। वर्ष 2015–16 और 2016–17 (अगस्त, 2016 तक) के दौरान ऊनी उत्पादों का निर्यात निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

(मूल्य मिलियन में)

उत्पाद	2015-16	अप्रैल,15 से अगस्त,15 (2015–16)	अप्रैल,16 से अगस्त, 16 (2016–17)
	भारतीय रुपए	भारतीय रुपए	भारतीय रुपए
आरएमजी	17248.697	8573.951	6991.472
ऊनी यार्न, फैब्रिक, मेड अप्स आदि	12849.20	5252.827	4834.218
कच्ची ऊन	30.5	7.064	6.681
कुल	30128.397	13833.842	11832.371
वृद्धि			-14.46

8.8 आयात रुझान

कच्ची ऊन का आयात

घरेलू उद्योग अपैरल श्रेणी के ऊन के आयात पर अधिक आश्रित है। इससे घरेलू उद्योग, आयात पर आश्रित होता है। भारत कई देशों से कच्ची ऊन का आयात करता है। 10 शीर्ष आयात बाजारों में आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, द.अफ्रीका, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, यूएसए, यूके, रूस, चीन आदि हैं। वर्ष 2015–16 और 2016–17 (अगस्त, 2016 तक) के दौरान कच्ची ऊन, ऊनी यार्न, फैब्रिक्स एवं मेडअप्स और सिलेसिलाए परिधानों का आयात नीचे दिया गया है:

कच्ची ऊन का आयात

2015-16 (अप्रैल 15 से अगस्त,15)		2016-17 (अगस्त,16 तक)	
मात्रा टन में	मूल्य मिलियन रुपए में	मात्रा टन में	मूल्य मिलियन रुपए में
40981.461	8554.278	35845.868	7979.453

ऊनी यार्न, फैब्रिक और मेड–अप्स आदि का आयात

2015-16 (अप्रैल 2015 से अगस्त, 2015)	2016-17 (अगस्त,2016 तक)
मूल्य मिलियन रूपये	मूल्य मिलियन रुपए में
1812.499	1105.762

आरएमजी ऊन का आयात

2015-16 (अप्रैल, 15 से अगस्त, 15)	2016-17 (अगस्त, 16 तक)
मूल्य मिलियन रुपए में	मूल्य मिलियन रुपए में
356.489	303.494

अध्याय–9

विद्युतकरघा

9.1 सिंहावलोकन

विकेन्दीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र फैब्रिक उत्पादन एवं रोजगार सृजन के संदर्भ में वस्त्र उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यह विकेंद्रीकृत क्षेत्र 64.36 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है एवं देश के कुल कपड़ा उत्पादन में 60% का योगदान करता है। विद्युतकरघा क्षेत्र में उत्पादित होने वाले फैब्रिक का 60% मानव निर्मित होता है। निर्यात होने वाले फैब्रिक में से 60% से अधिक विद्युतकरघा क्षेत्र से आता है। रेडीमेड गारमेंट एवं घरेलू वस्त्र क्षेत्र अपनी फैब्रिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्यतया विद्युतकरघा क्षेत्र पर निर्भर हैं।

दिनांक 31 अक्तूबर, 2016 की स्थिति के अनुसार लगभग 25.74 लाख विद्युतकरघों हैं। इस क्षेत्र की प्रौद्योगिकी का स्तर सामान्य करघों से लेकर उच्च तकनीक वाले शटल रहित करघों तक है। इस क्षेत्र में लगभग 1.50 लाख शटलरहित करघे मौजूद हैं। यह अनुमान है कि शटल वाले करघों में से 75% से अधिक अप्रचलित एवं 15 वर्ष तक पुराने हैं तथा उनके साथ कोई प्रसंस्करण अथवा गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण/संलग्नक नहीं जुड़े हुए हैं। फिर भी, प्राथमिक रूप से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के माध्यम से ब्याज प्रतिपूर्ति/पूंजी सब्सिडी के कारण पिछले 7–8 वर्षों के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र की प्रौद्योगिकी के स्तर में महत्वपूर्ण उन्नयन हुआ है।

9.2 विद्युतकरघा क्षेत्र में वृद्धिः

स्थापित किये गये करघों की संख्या में वर्ष–वार वृद्धि का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

वर्ष	विद्युतकरघों की संख्या	वृद्धि की प्रतिशतता
2006-07	19,90,308	-
2007-08	21,06,370	5.8%
2008-09	22,05,352	4.7%
2009-10	22,46,474	1.9%
2010-11	22,82,744	1.61%
2011-12	22,98,377	0.68%
2012-13	23,47,249	2.12%
2013-14	23,67,594	0.86%
2014-15	24,47,837	3.39%
2015-16	25,22,477	3.05%
2016-17 (अक्तूबर, 2016 तक)	25,74,522	---

कपड़ा उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में) :
पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादन की तुलना में कुल कपड़ा उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है।

(मिलियन वर्ग मी. में)

वर्ष	कुल उत्पादन	विद्युतकरघा उत्पादन	कुल कपड़ा उत्पादन की तुलना पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि		
			में विद्युतकरघा का %	कुल उत्पादन	विद्युतकरघा उत्पादन
2008-09	54,966	33,648	61.22%	-	-
2009-10	60,333	36,997	61.29%	9.76%	9.95%
2010-11	62,559	38,015	60.77%	3.69%	2.75%
2011-12	60,453	37,445	61.94%	(-) 3.37%	(-) 1.50%
2012-13	62,792	38,038	60.57%	3.87%	1.58%
2013-14	63,500	36,790	57.93%	1.12%	(-) 3.28%
2014-15	65,276	37,749	57.83%	2.79%	2.60%
2015–16	65,505	36,984	56.78%	0.35%	(-)2.02%
2016-17 (अप्रैल–अग.–पी.)	28,034	15,638	--	--	- -

विद्युतकरघा सेवा केन्द्र का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरणः

वस्त्र आयुक्त तथा अन्य एजेंसियों के अंतर्गत 47 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पीएससी) में से 43 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पीएससी) को आधुनिक मशीनों और प्रोजेक्टाइल, रेपियर, एयरजैट, ऑटामेटिक, कॉप चैंजिंग करघों, ड्राप बॉक्स करघों, तीन वाइंडर, कॉन वाइंडर, सेक्सनल वार्पिंग मशीन, डीजीसेट आदि किस्म के शटल रहित करघों जैसे उपकरण के साथ आधुनिकीकृत किया गया है। 47 पीएससी में से 15 पीएससी वस्त्र आयुक्त के अधीन हैं, 26 पीएससी विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा चलाए जाते हैं, 4 पीएससी कर्नाटक विद्युतकरघा राज्य विकास निगम (केएसटीआईडीसी), बैंगलोर के अधीन हैं तथा एक–एक पीएससी क्रमशः मध्य प्रदेश सरकार और मणिपुर राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है।

9.3 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का निष्पादन

01.04.2016 से 31.10.2016 तक की पीएससी की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:–

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या : 6612

परीक्षित नमूनों की संख्या : 43802

विकसित डिजाइनों की संख्या : 1678

परामर्श/समस्या निदान की संख्या : 1830

कुल राजस्व : 88.68 लाख रुपए

9.4 विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं

9.4.1 विद्युतकरघा कामगार समूह बीमा योजना (जीआईएस)

भारत सरकार ने समूह बीमा योजना वर्ष 2003–04 से शुरू की है और यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सहयोग से वस्त्र आयुक्त का कार्यालय के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। विद्युतकरघा बनुकरों/कामगारों को एक वर्ष के लिए इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना है जिसे वर्ष–दर–वर्ष आधार पर पुनः नया बनाया जाता है। आरंभ में एलआईसी द्वारा प्रति

कामगार/बनुरकर वसूली गई प्रीमियम अगस्त, 2012 तक 330 रुपए थी जिसमें से भारत सरकार का शेयर 150 रुपए था जबकि 100 रुपए का भुगतान एलआईसी की सामाजिक सुरक्षाए एजेंसी से और 80 रुपए का भुगतान लाभार्थी द्वारा किया गया था। तथापि, सितम्बर 2012 से एलआईसी ने प्रीमियम को 470 रुपए तक बढ़ा दिया है और इसलिए प्रीमियम में भारत सरकार का शेयर प्रति कामगार 290 रुपए तक पहुंच गया है।

पात्रता

- ऐसे विद्युतकरघा बुनकर जो 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच हैं।
- यह योजना बीपीएल/एपीएल श्रेणियों के संबंध में विद्युतकरघा बुनकरों/बुनकरों की स्थिति का ध्यान दिए बिना उनके लिए सार्वभौमिक रूप से लागू होगी।
- यह योजना विद्युतकरघों पर बुनाई और ट्विस्टिंग, वाइंडिंग, वार्पिंग और साइजिंग जैसे संबद्ध बुनाई पूर्व/प्रीपेट्री कार्यकलापों में लगे विद्युतकरघा कामगारों के परिवारों के लिए लागू है। अधिकतम 4 करघों के स्वामित्व वाले स्वनियोजित बुनकर परिवार भी पात्र होंगे।
- इस योजना के उद्देश्य हेतु परिवार लाभार्थी होंगे और उनके पति/पत्नी और उनमें से केवल एक इसमें शामिल किए जाने का पात्र होगा।
- यह योजना वार्षिक आधार पर प्रचालनशील है अर्थात भुगतान किए गए प्रीमियम में एक वर्ष के लिए इस बीमा योजना के अंतर्गत आवेदक शामिल होगा। वह 59 वर्ष की आयु तक प्रीमियम का भुगतान करके 12वीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष बीमा को जारी रख सकता है।

लाभ

वर्तमान योजना के अंतर्गत निम्निलिखित लाभ उपलब्ध हैं:

सदस्य की सामान्य मृत्यु	रु. 60,000/–
दुर्घटना के कारण मृत्यु	रु. 1,50,000/–
दुर्घटना के कारण कुल स्थाई विकलांगता	रु. 1,50,000/–
दुर्घटना के कारण आंशिक विकलांगता	रु. 75,000/–

उपर्युक्त के अलावा, इस योजना के अंतर्गत एक कामगार शिक्षा सहयोग योजना (एसएसवाई) के अंतर्गत अधिकतम 4 वर्षों की अवधि के लिए कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा/प्रति छमाही 600 रुपए के शैक्षिक अनुदान के पात्र भी होंगे।

470/– रूपए प्रति सदस्य का वार्षिक प्रीमियम में निम्नानुसार योगदान होगा।

भारत सरकार का अंशदान	रु. 290/–
बुनकर का अंशदान	रु. 80/–
सामाजिक सुरक्षा निधि से अंशदान	रु. 100/–
कुल प्रीमियम	रु. 470/–

समूह बीमा योजना के अंतर्गत, 01.04.2016 से 30.11.2016 तक की अवधि के लिए 72,681 विद्युतकरघा कामगारों का बीमा किया गया है और दिनांक 30.11.2016 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार का 1.31 करोड़ रुपए का अंशदान जारी कर दिया गया है। उक्त अवधि के दौरान 2.09 करोड़ रुपए की राशि से 338 दावों का निपटारा किया गया है और 1.27 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति से 11319 छात्र लाभांवित हुए हैं।

9.4.2 समूह वर्क शेड योजना (जीडब्ल्यूएस)

भारत सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना

के अंतर्गत विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए 29.07.2003 को एक समूह वर्क शेड योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए आधुनिक बुनाई मशीनरी से युक्त विद्युतकरघा पार्क की स्थापना करना है और इसे बाद में संशोधित किया गया था। संशोधित योजना के अनुसार, कार्यशाला के निर्माण के लिए सब्सिडी को अधिकतम 300 रु. प्रति वर्ग फीट के अध्यधीन निर्माण की इकाई लागत के 40 प्रतिशत तक इनमें जो भी कम हो, सीमित किया गया है। साधारणतः कम से कम 4 बुनकर एकल चौड़ाई के 48 आधुनिक करघों अथवा बड़ी चौड़ाई के 24 करघों के साथ प्रत्येक एक समूह बना सकते है एवं प्रति व्यक्ति न्यूनतम 4 करघों को स्थापित करने की अनुमति होगी।

इस योजना के आरंभ से लेकर 194 परियोजना अनुमोदित की गई हैं और दिनांक 30.11.2016 तक 63.88 करोड़ रुपए की भारत सरकार की सब्सिडी जारी की गई है।

9.4.3 एकीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजना (आईएसपीएसडी)

विद्युतकरघा क्षेत्र के समग्र विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2007–08 के दौरान एकीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजना की घोषणा की है। इस योजना के निम्नलिखित संघटक हैं:–

(क) विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए विपणन विकास कार्यक्रम (क्रेता–विक्रेता बैठक तथा संगोष्ठियां/कार्यशालाएं)

विद्युतकरघा क्षेत्र में विपणन विकास कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए विद्युतकरघा उत्पादों के संवर्द्धन एवं विपणन के कार्यकलापों को विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्द्धन परिषद (पीडीइएक्ससीआईएल) के सहयोग से विभिन्न माध्यमों जैसे प्रदर्शनियों तथा क्रेता–विक्रेता बैठकों (बीएसएम) का आयोजन, संगोष्ठी/कार्यशाला, प्रचार एवं जागरूकता कार्यक्रम इत्यादि द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अप्रैल, 2016 से 30.11.2016 तक की अवधि के लिए कुल 12 बीएसएम आयोजित किए गए हैं और इस योजना के अंतर्गत 1.95 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

दिनांक 18.08.2016 को आयोजित परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) की 26वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि वित्त वर्ष 2016–17 की शेष अवधि में 2.00 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से 19 और बीएसएम आयोजित किए जाएंगे जिनमें से 03 बीएसएम आयोजन पहले ही कर दिया गया है और शेष का आयोजन चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में किया जाएगा।

कुल 46 संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित की गई जिसके लिए भारत सरकार ने अप्रैल, 2016 से 30.11.2016 तक 0.341 करोड़ रुपए जारी किए गए।

दिनांक 18.08.2016 को आयोजित परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) की 26वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि वित्त वर्ष 2016–17 की शेष अवधि में 0.145 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से 29 और संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी जिनमें से 08 संगोष्ठियां/कार्यशालाओं का आयोजन पहले ही कर दिया गया है और शेष का आयोजन चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में किया जाएगा।

(ख) विद्युतकरघा बुनकरों द्वारा अन्य कलस्टरों का अनुभव दौराः

निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले कलस्टरों के विद्युतकरघा बुनकरों को सीमित ज्ञान और वित्तीय बाध्यता आदि के कारण विविधिकृत वस्त्र उत्पादों अथवा मूल्य वर्द्धित फैब्रिक के उत्पादन हेतु उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले अन्य क्षेत्रों का अनुभव प्राप्तन हीं हो पाता है।

ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए, विभिन्न समूह के विद्युतकरघा बुनकरों को उन्हें अन्य विकसित समूहों के दौरों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे वे उन्नत कौशलों, विविधिकृत उत्पादों और उन समूहों में अपनाई गई विपणन तकनीकों से परिचित हो सकें। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय ज्ञान दौरों के दौरान विद्युतकरघा बुनकरों की सहायता करते हैं एवं उनकी सार्थक एवं प्रभावी बात चीत को भी सुकर बनाते हैं। इन दौरों कार्यक्रमों के लिए आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। अप्रैल, 2016 से 21.10.2016 की अवधि के लिए कुल 311 कामगारों ने विकसित विद्युतकरघा समूहों का दौरा किया जिसके लिए भारत सरकार ने यात्रा और अन्य आकस्मिक व्यय हेतु अग्रिम के रूप में 0.34 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

दिनांक 18.08.2016 को आयोजित परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) की 26वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि वित्त वर्ष 2016–17 की शेष अवधि में 648 बुनकरों के अनुभव दौरे आयोजित किए जाएंगे जिनमें से 55 बुनकरों के अनुभव दौरों का आयोजन पहले ही कर दिया गया है और शेष का आयोजन चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में किया जाएगा।

(i) सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी)

- एक समूह में संबद्ध और सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना करने के इच्छुक विद्युतकरघा बुनकरों को अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना।
- कलस्टर की आवश्यकता के अनुसार पिछडी और अग्रणी एकीकरण के लिए पीपीपी पद्धति वाली परियोजनाओं के अंतर्गत इसमें हाऊस डिजाइन केन्द्र/स्टूडियो, परीक्षण सुविधाओं, प्रशिक्षण केन्द्र, सूचना एवं व्यापार केन्द्र तथा सामान्य कच्ची सामग्री/यार्न/बिक्री डिपो, औद्योगिक उद्योग के लिए जल शोधन संयंत्र और सामान्य बुनाई पूर्व सुविधाएं अर्थात वार्पिंग, साइजिंग आदि शामिल हैं।
  - सीएफसी के लिए भारत सरकार का शेयर प्रति कलस्टर 200 लाख रुपए है।

    विद्युतकरघा कलस्टरों की ग्रेडिंग के आधार पर भारत सरकार की सहायता के स्तर हैं अर्थात
  - ग्रेड –'ए' –परियोजना लागत के 60% तक।
  - ग्रेड–'बी'–परियोजना लागत के 70% तक।
  - ग्रेड– 'सी' – परियोजना लागत के 80% तक।
  - ग्रेड – 'डी' और पूर्वोत्तर क्षेत्र/जम्मू एवं कश्मीर के कलस्टरों में परियोजना लागत के 90% तक।

अप्रैल, 2016 से 30.11.2016 तक 9 सीएफसी परियोजनाएं (तमिलनाडु:5; कर्नाटक:1; उत्तर

प्रदेश:2; मध्य प्रदेश:1), अनुमोदित की गई हैं और भारत सरकार की 0.03 करोड़ रुपए की सहायता जारी की गई है।

इसके आरंभ से लेकर 10 सीएफसी परियोजनाओं (तमिलनाडु:5; कर्नाटक:1; तेलंगाना:1; उत्तर प्रदेश:2; मध्य प्रदेश:1), को अनुमोदित किया गया है और भारत सरकार की 0.06 करोड़ रुपए की सहायता जारी की गई है।

(ii) यार्न बैंक के लिए कार्पस

- विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी)/कंसोर्टियम को थोक मूल्य की दर पर यार्न की खरीद हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए ब्याज मुक्त कार्पस निधि प्रदान करने और विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में लघु बुनकरों को उचित दर पर ब्याज प्रदान करना।
- यार्न की बिक्री पर बिचौलिए/स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की दलाली प्रभार को दूर करना।
- प्रति यार्न बैंक अधिकतम 100 लाख रुपए की ब्याज मुक्त कार्पस निधि।

अप्रैल, 2016 से 30.11.2016 तक 13 परियोजनाएं (तमिलनाडु:8; महाराष्ट्र:3; उत्तर प्रदेश:2), अनुमोदित की गई हैं और भारत सरकार की 3.960 करोड़ रुपए की सहायता जारी की गई है।

इसके आरंभ से लेकर 33 यार्न बैंक परियोजनाओं (गुजरात:2; तमिलनाडु:19; कर्नाटक:2; महाराष्ट्र:6; उत्तर प्रदेश:4), को अनुमोदित किया गया है और भारत सरकार की 12.34 करोड़ रुपए की सहायता जारी की गई है।

(iii) टेक्स–वेंचर पूंजी निधि की पायलट योजना

विद्युतकरघा उद्योग में निर्माण और सेवा कार्यकलापों में लगी कंपनियों में प्राथमिक निवेश करने के लिए 35 करोड़ रुपए के कार्पस वाली एक समर्पित निधि, टेक्स फंड शुरू की गई है।

टेक्स–वेंचर पूंजी निधि के लिए भारत सरकार 24.50 करोड़ रुपए प्रदान करेगी और सिडबी द्वारा 11.50 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा।

टेक्स–वेंचर निधि, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में यथा परिभाषित अनुसार और समय–समय पर यथा संशोधित अनुसार इक्विटी शेयर और/अथवा वस्त्र सूक्ष्म और लघु उपक्रम की इक्विटी में कन्वर्टिवल इन्स्ट्रूमेंट्स में निवेश करेगा। इस निधि का संचालन, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के वैकल्पिक निवेश निधि विनियमन 2012 (सेबी का एआईएफ विनियमन 2012) के तहत होगा।

निधि का प्राथमिक निवेश उद्देश्य आरंभिक अथवा विकास स्तर पूंजी निवेश आवश्यकता के लिए गैर सूचीबद्ध कंपनियों में निजी सौदेवाजी इक्विटी/इक्विटी से संबंधित और/अथवा परिवर्तनीय/ गैर–परिवर्तनीय ऋण साधनों में निवेश के माध्यम से दीर्घकालीन पूंजी वृद्धि के माध्यम से आकर्षित जोखिम समायोजित आय है।

लाभ: योजना के अंतर्गत कंपनियों की इक्विटी में निवेश से उनकी निवल मूल्य, वाणिज्यिक बैंक ऋण वृद्धि, उनकी विनिर्माण क्षमता में सुधार और बिक्री कारोबार, प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता बढ़ाने में मदद करेगा। निधि से निवेशकों की कंपनियों में सुधार, आंतरिक प्रणाली और कार्यविधि, प्रबंधन क्षमता और कारपोरेट गर्वनेंस के लिए अग्रणी होने की भी प्रत्याशा है।

योजना की प्रगति

भारत सरकार और सिडबी के बीच दिनांक 03.

10.2014 को अंशदान करार पर हस्ताक्षर किया गया है और वर्ष 2014–15 के लिए आबंटित 11.50 करोड़ रुपए की राशि सिडबी वेंचर पूंजी लि. (एसवीसीएल) को नवम्बर, 2014 में जारी की गई है।

कुल 13.43 करोड़ रुपए के निवेश के लिए निम्नलिखित पांच मामलों को अनुमोदित किया गया है। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कंपनी का नाम	कुल प्रतिबद्ध राशि (करोड़ रुपए में)	एसवीसीएल द्वारा निवेश की गई राशि (करोड़ रुपए में)*	टिप्पणी
मालेगांव इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्रा. लि., मालेगांव,–प्रसंस्करण इकाई	2.93 रुपए	0.34 रुपए	शून्य
श्री सौपर्णिका एक्स्पोर्ट्स, उमरगांव – परिधान इकाई	1.50 रुपए	1.50 रुपए	शून्य
अवतार टेक्सट्रेंड प्रा. लि., करूर, तमिलनाडु – होम टेक्सटाइल मैन्यूफैक्चरिंग	3.00 रुपए	रुपए ––	मामले को आईसी के समक्ष पुनः प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है
एयरविल होम कलेक्शन्स प्रा. लि. (एएचसीपीएल), करूर, तमिलनाडु	3.00 रुपए	रुपए ––	कंपनी की विधिवत समीक्षा की जा रही है
सेवट टेक्सटाइल्स प्रा.लि., कोयम्बटूर, तमिलनाडु	3.00 रुपए	रुपए ––	अगली आईसी में समीक्षा की जाएगी
कुल	**13.43 रुपए**	**1.84 रुपए**	

9.4.4 साधारण विद्युतकरघों के स्व–स्थाने उन्नयन की पायलट योजना

- इस योजना का उद्देश्य कतिपय अतिरिक्त संलग्नकों के साथ सादे विद्युतकरघों का उन्नयन करके उत्पादन किए जा रहे फैब्रिक की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना है जिससे वे स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ होंगे। इसका उद्देश्य 12वीं योजना के दौरान 99 हजार करघों को शामिल करना है।
- यह योजना लघु विद्युतकरघा बुनकरों के लिए है। हाऊस होल्ड इकाइयों और/अथवा पात्र इकाइयों में एक शेड के भीतर अधिकतम 2 से 4 करघों वाली इकाइयों को वरीयता दी जाएगी। भारत सरकार, सामान्य, एससी और एसटी श्रेणी के आवेदकों के लिए क्रमशः 40,000 रुपए, 60,000 रुपए और 72,000 रुपए प्रति विद्युतकरघा अधितकतम सब्सिडी तक उन्नयन की लागत का 50%, 75% और 90% की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

श्रेणी	सब्सिडी की प्रतिशतता	प्रति करघा अधिकतम सब्सिडी (रुपये में)		
		साधारण विद्युतकरघा से अर्द्धस्वचालित	अर्द्ध स्वचालित करघा से शटल रहित रेपियर	साधारण विद्युतकरघा से शटलरहित रेपियर
सामान्य	50 %	15,000	25,000	40,000/-
एससी	75 %	22,500	37,500	60,000/-
एसटी	90 %	27,000	45,000	72,000/-

- वर्तमान स्थिति के अनुसार यह योजना 35 विद्युतकरघा कलस्टरों अर्थात नागरी एवं हिंदुपुर (आंध्र प्रदेश), भागलपुर एवं गया (बिहार), सूरत, अहमदाबाद एवं ढोलका (गुजरात), बेंगलूरू एवं बेलगवी (कर्नाटक), बुरहानपुर (मध्य प्रदेश), मालेगावं, नागपुर, इचलकरंजी, भिवंडी, सोलापुर एवं वीटा (महाराष्ट्र), लुधियाना (पंजाब), किशनगढ (राजस्थान), सोमानूर, ईरोड एवं सलेम (तमिलनाडु), सिरसिल्ला (तेलंगाना), मऊ, टांडाएवं वाराणसी (उत्तर प्रदेश), राणाघाट एवं नवादीप (पश्चिम बंगाल, करूर (तमिलनाडु), सोलिंगूर (तमिलनाडु), राजापलायम (तमिलनाडु), अरूपूकोट्टई (तमिलनाडु), तिपतूर (कर्नाटक), बाणाहट्टी (कर्नाटक), नलगौंडा (तेलंगाना) और पालमनेर (आंध्र प्रदेश) में लागू की गई है।
- भारत सरकार की 15 हजार रुपए प्रति करघा सब्सिडी के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य सरकारें भी प्रति विद्युतकरघा 10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं और बिहार राज्य सरकार भी अपने संबंधित कलस्टरों में अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में 12,000 रुपए प्रदान कर रही है।
- अप्रैल 2016 से 30.11.2016 तक की अवधि के दौरान 35,228 करघों का उन्नयन किया गया है जिसके लिए दिनांक 30.11.2016 की स्थिति के अनुसार 38.42 करोड़ रुपए की भारत सरकार की सब्सिडी जारी की गई है।

9.5 व्यापक विद्युतकरघा कलस्टर विकास योजना

भिवंडी (महाराष्ट्र) तथा इरोड (तमिलनाडु) में विद्युतकरघा मेगाकलस्टर वर्ष का विकास करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2008–09 में की गई घोषणा का कार्यान्वयन करने के लिए वर्ष 2008–09 में व्यापक विद्युतकरघा कलस्टर विकास योजना तैयार की गई थी। तत्पश्चात वित्त मंत्री ने 2009–10, 2012–13 और 2014–15 के बजट भाषणों में क्रमशः भीलवाड़ा (राजस्थान), ईचल करांजी (महाराष्ट्र) और सूरत (गुजरात) में विद्युतकरघा मेगाकलस्टरों के विकास करने की घोषणा की है।

कलस्टरों के डिजायन में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों का उद्देश्य विश्वस्तरीय आधारभूत ढ़ांचे का सृजन करना है तथा उत्पादन श्रृंखला को इस ढंग से एकीकृत करना है कि जिससे उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय छोटे और

मध्यम उद्यम (एसएमई) की व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। कलस्टर दृष्टिकोण योजना का मुख्य उद्देश्य बढ़ते बाजार शेयर के अनुसार कलस्टरों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना तथा उत्पादों का उच्च इकाई मूल्य प्राप्त करके उत्पादकता को बढ़ाना है। योजना में पर्याप्त आधारभूत ढ़ांचा, प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधिकरण, डिजायन विकास, कच्ची सामग्री, बैंकों, विपणन और संवर्धन, क्रेडिट, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य घटकों के अनुसार अपेक्षित सहायता/संपर्क उपलब्ध कराया जाता है जो विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

संशोधित व्यापक विद्युतकरघा कलस्टर विकास योजना (सीपीसीडीएस) को 110 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय से 12वीं योजना अवधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए अक्तूबर 2013 में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित किया गया था। संशोधित योजना के कलस्टर के लिए सरकार की सहायता अधिकतम 50 करोड़ रुपए के अध्यधीन परियोजना लागत के 60 प्रतिशत तक सीमित है।

इस योजना के अंतर्गत पांच विद्युतकरघा मेगाकलस्टर की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

(i) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, इरोड (तमिलनाडु)

बजट 2008–09 में इरोड में विद्युतकरघा मेगाकलस्टर की घोषणा की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत, दो मुख्य घटकों नामतः थोक बाजार परिसर (दैनिक बाजार) और साप्ताहिक वस्त्र सैंडी मार्केट वाले एक एकीकृत वस्त्र बाजार परिसर अनुमोदित किए गए थे। साप्ताहिक बाजार शुरू हो गया है। थोक बाजार परिसर पूरा होने वाला है। दूसरी पहल अर्थात वेयर हाऊस और डोरमेट्री काम्प्लैक्स को एकीकृत वस्त्र बाजार काम्प्लैक्स के पूरा होने के पश्चात आरंभ किया जाएगा।

(ii) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, सोलापुर (महाराष्ट्र)

विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, भिवंडी की घोषणा बजट 2008–09 में की गई थी। भूमि की अनुपलब्धता और भिवंडी में परियोजना के विकास में भाग लेने के लिए स्टेकहोल्डरों में अनिच्छा के कारण महाराष्ट्र सरकार ने भिवंडी के स्थान पर सोलापुर में विद्युतकरघा मेगाकलस्टर की स्थानपना किए जाने का प्रस्ताव किया है। तद्नुसार, व्यय विभाग, वित्त के अनुमोदन से स्थान का परिवर्तन किया गया है मैसर्स ग्रैंड थार्टन एलएलपी, गुडगांव को सीएमटीए के रूप में नियुक्त किया गया है। सीएमटीए और भारत सरकार के बीच करार पर हस्ताक्षर किया गया है। सीएमटीए को डीपीआर प्रस्तुत करना है।

(iii) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, करनपुरा (राजस्थान)

विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, भीलवाडा की घोषणा बजट 2009–10 में की गई थी। भीलवाड़ा, में भूमि की अनुपलब्धता के कारण भीलवाडा जिले में करनपुरा में परियोजना को पुनः स्थापित किए जाने का

निर्णय लिया गया। राजस्थान सरकार ने इस परियोजना के लिए करनपुरा गांव में 30 एकड़ भूमि आबंटित की है। सीएमटीए को संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है जो प्रतीक्षित है।

(iv) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, ईचल करंजी (महाराष्ट्र)

विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, इचल करंजी की बजट घोषणा 2012–13 में की गई थी। विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, इचल करंजी के डीपीआर को अनुमोदित कर दिया गया है और प्रथम किस्त के पहले भाग के रूप में 4.11 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सीएमटीए/एसपीवी ने परियोजना को संशोधित किया है और तद्नुसार संशोधित डीपीआर प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे पीएएमसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। संशोधित डीपीआर के अनुसार कार्य प्रगति पर है।

(v) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, सूरत (गुजरात)

विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, सूरत की बजट घोषणा 2014–15 में की गई थी। सीएमटीए के रूप में आईएलएंडएफएस का चयन किया गया है। सीएमटीए और भारत सरकार के बीच एक करार हस्ताक्षर किया गया है। सीएमटीए को डीपीआर प्रस्तुत करना है।

अन्य क्रियाकलाप

अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड: अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड (एआईपीबी) को पहली बार नवम्बर 1981 में एक सलाहकार निकाय के रुप में बेहतर उत्पादकता, अधिक कार्य क्षमता, कामगारों के कल्याण में सुधार तथा विद्युतकरघा के स्थानीय विस्तार हेतु कदम उठाने के साथ–साथ विद्युत संचालित विविंग क्षेत्र के अंदर विद्युतकरघा के स्वस्थ विकास से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए गठित किया गया था। भारत सरकार द्वारा समय–समय पर एआईपीबी का पुनर्गठन किया जाता है।

वर्तमान एआईपीबी को दिनांक 23.12.2013 की अधिसूचना संख्या 8/8/2007–पीएल द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया था। इसमें केन्द्र एवं राज्य सरकारों, विद्युतकरघा/वस्त्र उद्योग के परिसंघ/संघों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं तथा केन्द्रीय वस्त्र मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं।

अध्याय–10

हथकरघा

10.1 प्रस्तावना

हथकरघा बुनाई, कृषि के बाद सबसे बड़ा आर्थिक क्रियाकलाप है, जो 43 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहा है। देश में वस्त्र उत्पादन में इस क्षेत्र का लगभग 15% योगदान है और यह देश की निर्यात आय में भी योगदान देता है। विश्व का 95% हाथ से बुना कपड़ा भारत से आता है।

हथकरघा क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था में एक अद्वितीय स्थान है । यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौशलों के हस्तांतरण से कायम रहा है । इस क्षेत्र की ताकत इसकी अद्वितीयता, उत्पादन में लचीलेपन, नवाचारों में खुलापन, आपूर्तिकर्ता की जरुरत के अनुसार अनुकूलन क्षमता और इसकी परंपरा की दौलत में निहित है ।

तथापि, आधुनिक तकनीकों के अंगीकरण और आर्थिक उदारीकरण ने हथकरघा क्षेत्र में गहरी पैठ बना ली है । विद्युतकरघा और मिल क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा,सस्ते आयातित फैब्रिक की उपलब्धता, उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताएं और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों ने हथकरघा क्षेत्र की जीवंतता को चुनौती दी है ।

भारत सरकार, स्वतंत्रता से ही अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन और प्रोत्साहन की नीति का अनुसरण कर रही है । विभिन्न नीति संबंधी पहलों और योजना संबंधी हस्तक्षेपों यथा क्लस्टर संकल्पना (एप्रोच), आक्रामक विपणन प्रयास और समाज कल्याण उपायों के कारण हथकरघा क्षेत्र ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है और बुनकरों के आय स्तर में भी सुधार हुआ है । हथकरघा वस्त्र उत्पादन काफी प्रभावी रहा है और 11वीं योजना की शुरुवात में 6% से 7% तक की वृद्धि दर रही है । बाद में आर्थिक मंदी ने भारत के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है और हथकरघा कोई अपवाद नहीं है। उत्पादन में 2008–09 में मामूली गिरावट आई थी। अब सकारात्मक संकेत हैं और उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

हथकरघा पीढ़ी–दर–पीढ़ी विरासत का एक बहुमूल्य अंग है और हमारे देश की समृद्धि और विविधता तथा बुनकरों की कलात्मकता की मिसाल है। हाथ से बुनाई की परंपरा देश के सांस्कृतिक लोकाचार का एक भाग है। आर्थिक क्रियाकलाप के रुप में हथकरघा कृषि के बाद दूसरा अधिकतम रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है । यह क्षेत्र लगभग 23.77 लाख हथकरघों के साथ 43.31 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है । इसमें से 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 18% अनुसूचित जनजाति, 45%

अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 27% अन्य जातियों से संबंधित हैं। वर्ष 2013–14 में हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन में 7104 मिलियन वर्ग मीटर का उत्पादन दर्ज किया गया । वर्ष 2014–15 के दौरान हथकरघा क्षेत्र का उत्पादन 7203 मिलियन वर्ग मीटर दर्ज किया गया है। वर्ष 2015 –16 के दौरान (अप्रैल से सितंबर, 2015) हथकरघा क्षेत्र का उत्पादन 3678 मिलियन वर्ग मीटर है , जो नीचे तालिका 10.1 में दिया गया है :

तालिका 10.1

हथकरघा क्षेत्र द्वारा कपड़े का उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर)

वर्ष	कुल उत्पादन*	हथकरघा क्षेत्र द्वारा कपड़े का उत्पाद	कुल कपड़े के उत्पादन में हथकरघा का हिस्सा	विद्युतकरघा की तुलना में हथकरघा का अनुपात (कपड़े के संदर्भ में)
2008-09	42121	6677	15.9	1:5.04
2009-10	45819	6806	14.9	1:5.41
2010-11	47083	6949	14.6	1:5.59
2011-12	46600	6900	14.8	1:5.42
2012-13	61949	6952	11.22	1:5.47
2013-14	46425	7104	15.30	1:5.18
2014-15	47438	7203	15.18	1:5.24
2015-16	46334	7638	15.31	1:5.21

* कपड़े के कुल उत्पादन में हथकरघा, विद्युतकरघा और मिल क्षेत्र शामिल है और इसमें होजरी, खादी, ऊन और रेशम शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा 11वीं योजना और वर्ष 2012–13 के दौरान 6 योजनाएं कार्यान्वित की गई थी जो इस प्रकार हैं – (i) एकीकृत हथकरघा विकास योजना, (ii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (iii) विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना (iv) मिल गेट कीमत योजना; (v) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना और (vi) हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन (आरआरआर) पैकेज। अब आईएचडीएस, एमईपीएस और डीएचडीएस को व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडीएस) में मिला दिया गया है। इसके अलावा, आरआरआर पैकेज और सीएचडीएस को राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम नामक केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना में मिला दिया गया है । मिलगेट कीमत योजना का भी नाम बदलकर यार्न आपूर्ति योजना रखा गया है। योजना–वार प्रगति का ब्यौरे इस प्रकार हैं:–

10.2 राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) हथकरघों के विकास के लिए केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित एकल कार्यक्रम के रुप में कार्यान्वित की जाती है, जिसमें निम्नलिखित घटक हैं :–

क. हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन (आरआरआर) पैकेज

ख. व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडीएस)

क. आरआरआर पैकेज में 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार अतिदेय ऋण (100% मूलधन और ब्याज का 25%) माफ करना और पात्र शीर्ष और प्राथमिक बुनकर

सहकारी सोसाइटियों और व्यक्तिगत बुनकरों को पुनर्पूंजीकरण सहायता के साथ–साथ प्रति बुनकर 10,000 रुपए की मार्जिन राशि, 3 वर्ष की ऋण गारंटी के साथ 6% ब्याज दर पर नए ऋण प्रदान करना भी शामिल है। यह 28.02.2014 को पूरा हो चुका है।

ख. सीएचडीएस को एकीकृत हथकरघा विकास योजना, विपणन और निर्यात संवर्धन योजना, विविधीकृत हथकरघा विकास योजना के घटकों को मिलाकर तैयार किया गया है और इसे 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वित किया गया है । सीएचडीएस के उप–घटक निम्नानुसार हैं:–

1. क्लस्टर विकास कार्यक्रम
2. विपणन प्रोत्साहन
3. हथकरघा विपणन सहायता
4. हथकरघा संगणना करने सहित हथकरघा संस्थानों का विकास और सुदृढ़ीकरण

10.2.1 हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज

हथकरघा बुनकरों और सहकारी सोसाइटियों द्वारा अपने ऋणों का भुगतान न किए जाने के कारण उनके सामने आ रही वित्तीय कठिनाई को समझते हुए वित्त मंत्री ने दिनांक 28.2.2011 को हथकरघा क्षेत्र के लिए 3000 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी । घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए सीसीईए ने दिनांक 24.11.2011 को 'हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार और पुर्नगठन पैकेज' का अनुमोदन किया जिसे दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक कार्यान्वित किया जाना था ।

आरआरआर पैकेज में (क) दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार पात्र हथकरघा सहकारी सोसाइटियों और व्यक्तिगत बुनकरों के अतिदेय ऋणों और ब्याज (100% मूलधन और ब्याज का 25%) की एक बारगी माफी, (ख) अर्थक्षम और संभावित रुप से अर्थक्षम हथकरघा सहकारी सोसाइटियों का पुनर्पूजीकरण, (ग) ऋण माफी में शामिल की गई हथकरघा सहकारी सोसाइटियों और बुनकरों को ऋण गारंटी के साथ नए ऋण के लिए 3 वर्ष की अवधि के वास्ते 3% ब्याज सब्सिडी प्रदान कर नए रियायती ऋण का प्रावधान और (घ) सहकारी सोसाइटियों के लिए कानूनी और संस्थागत सुधार करना शामिल है । आरआरआर पैकेज को दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक कार्यान्वित किया जाना था जिसे बढ़ाकर दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 तक किया गया था ।

आरआरआर पैकेज के तहत हथकरघा सहकारी सोसाइटियों के सीमित कवरेज को देखते हुए सरकार ने दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को संशोधित आरआरआर पैकेज का अनुमोदन किया जिसमें पात्रता मानदंडों, विशेष रुप से निवल राशि की शर्त में छूट दी गई अर्थात् जिन सहकारी सोसाइटियों की निवल राशि नकारात्मक भी है उन्हें भी संभावित रुप से अर्थक्षम माना जा सकता है वशर्ते ऋण माफी और पुनर्पूंजीकरण के बाद इसकी निवल राशि सकारात्मक हो जाए । संशोधित पैकेज को 28.2.2014 तक बढ़ा दिया गया । संशोधित योजना में वर्ष 2013–14 की बजट घोषणा के अनुरुप हथकरघा क्षेत्र को 6% ब्याज दर पर सस्ता ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। शीर्ष और पीडब्ल्यूसी सोसाइटियों की सांविधिक लेखा परीक्षा 2011–12 तक पूरी की जानी

थी (पहले जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार 2009–10 के स्थान पर) और सहकारी सोसाइटियों की पात्रता का निर्णय 2009–10 के स्थान पर 2011–12 तक की सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर लिया जाना है। तथापि, अतिदेय ऋण की माफी की राशि और पुनर्पूंजीकरण सहायता, दिनांक 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार होगी। इस पैकेज के तहत पात्र लाभार्थियों का पैकेज 28 फरवरी, 2014 में समाप्त हो चुका है। पात्रता मानकों के तहत 39 शीर्ष, 9642 पीडब्ल्यूसी, 54226 व्यक्तिगत बुनकरों एवं 6310 एसएचजी को पात्र पाया गया था और उनके 1089.90 करोड़ रुपये के दावे अनुमोदित किए गए ।

10.2.2 हथकरघा क्षेत्र के लिए रियायती ऋण

सरकार ने दिसंबर, 2011 में संस्थागत ऋण घटक अनुमोदित किया था और मार्जिन राशि सहायता, 3% ब्याज सब्सिडी और अति लघु और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से ऋण गारंटी प्रदान की थी। इसके अलावा हथकरघा बुनकरों को रियायती ऋण प्रदान करने के महत्व पर बल देते हुए माननीय वित्त मंत्री ने 2013–14 के बजट में 6% ब्याज दर पर हथकरघा क्षेत्र को ऋण देने की घोषणा की थी। तदनुसार, सरकार ने दिनांक 24 सितंबर, 2013 को रियायती ऋण उप–घटक के साथ संधोधित पुनरुद्धार, सुधार एवं पुनर्गठन (आरआरआर) पैकेज अनुमोदित किया था। सरकार ने मार्जिन राशि सहायता को भी 4200 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है ।

वर्ष 2015–16 के दौरान 51095 बुनकर केडिट कार्ड जारी किए गए, 159.05 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए और 116.54 करोड़ रुपए वितरित किए गए । अब वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान हथकरघा बुनकरों और बुनकर उद्यमियों के लंबित रियायती ऋणों के लिए मुद्रा प्लेटफार्म अपनाया गया है और यह योजना 'बुनकर मुद्रा' योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है । वर्ष 2016–17 के दौरान (30.11.2016 तक) 60.45 करोड़ रुपये के 16919 ऋण स्वीकृत किए गए ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा 13 नवंबर, 2013 को एकीकृत हथकरघा विकास योजना (सीएचडीएस) अनुमोदित की गई है। अनुमोदन से पूर्व आईएचडीएस, एमईपीएस और डीएचडीएस अलग– अलग योजना के रुप में कार्यान्वित की गई थी । घटक–वार ब्यौरा इस प्रकार है:

1. ब्लॉक स्तरीय कलस्टर एप्रोच

एनएचडीपी के एक घटक क्लस्टर विकास कार्यक्रम के स्थान पर जून,2015 में ब्लॉक स्तरीय कलस्टर एप्रोच आरंभ किया गया है और इसके दिशा–निर्देश राज्य सरकारों, बुनकर सेवा केन्द्रों आदि को भेज दिए गए हैं। ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर एप्रोच कलस्टर की जरुरतों के अनुकूल अधिक सुकर है और इसमें भारत सरकार से अधिक वित्त पोषण, राज्य के वित्तीय अंशदान की समाप्ति, कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे धनराशि जारी करना, लाभार्थियो को ईसीएस के माध्यम से बैंक के खाते में सीधे धनराशि अंतरित करना शामिल है। इसके अलावा ब्लॉक में एक कलस्टर सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना (सामान्य सेवा केन्द्र सहित), वस्त्र डिजाइनर एवं विपणन कार्यकारी की नियुक्ति, वर्कशेड का निर्माण, कलस्टर विकास कार्यकारी की नियुक्ति, प्रौद्योगिकीय

उन्नयन, कौशल उन्नयन इत्यादि जैसे विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए 2.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं । इसके साथ ही जिला स्तर पर डाई हाउस की स्थापना के लिए 50.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है ।

ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर– वर्ष 2016–17 के दौरान (30.11.2016 तक) निम्नलिखित राज्यों के लिए 63 ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं:

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत कलस्टरों की संख्या	जारी की गई राशि	शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या
1.	असम	18	1046.46	15642
2.	हिमाचल प्रदेश	2	38.20	709
3.	कर्नाटक	1	34.22	626
4.	मणिपुर	6	364.64	11195
5.	नागालैंड	5	95.50	780
6.	ओडिशा	4	231.95	2136
7.	तेलंगाना	4	109.84	909
8	उत्तर प्रदेश	20	768.26	6191
9	पश्चिम बंगाल	3	67.41	2110
	कुल	**63**	**2756.48**	**40298**

2. विपणन प्रोत्साहन

हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठनो/सोसाइटियों को छोड़कर, जहां पर कि समग्र सहायता केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है, राज्य स्तरीय हथकरघा संगठन/सोसाइटी को गत 3 वर्षों के औसत बिकी कारोबार के 10% की दर से विपणन प्रोत्साहन दिया जाता है जिसमें राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के बीच बराबर की हिस्सेदारी है। यह हथकरघा क्षेत्र की मूल्य प्रतिस्पर्धा के लिए काफी हद तक एक प्रौत्साहन होगा ताकि एक ओर तो वे कीमत में मामूली कमी कर सके वहीं दूसरी ओर वे अवसंरचना में निवेश भी कर सकें ताकि उनकी उत्पादन क्षमता और उत्पादन में सुधार हो सके। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 40.72 करोड़ रुपए जारी किए गए ।

वर्ष 2016–17 के दौरान राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत 158.50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है, जिसमें से 62.65 करोड़ रुपये क्लस्टरों, नए क्लस्टरों, ग्रुप अप्रोच और योजनाओं तथा विपणन प्रोत्साहन घटकों के सुदृढ़ीकरण के लिए रखे गए हैं । विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों /कार्यान्वयन एजेंसियों को 34.97 करोड़ रुपये स्वीकृत/जारी किए गए हैं ।

3. हथकरघा विपणन सहायता

विपणन माध्यमों को घरेलू व निर्यात बाजारों में विकसित एवं प्रोत्साहित करने के लिए तथा दोनों के बीच समावेशी एवं एकीकृत ढ़ंग से संपर्क स्थापित करने के लिए पूर्ववर्ती विपणन एवं निर्यात संवर्धनयोजना को मिलाया गया है और 12वीं योजना में एनएचडीपी के एक घटक

के रुप में हथकरघा विपणन सहायता को आरंभ किया गया है । हथकरघा विपणन सहायता का मुख्य उद्देश्य बुनकरों एवं हथकरघा संगठनों को अपना उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए विपणन मंच प्रदानकरना है । इस घटक के मुख्य क्रियाकलाप इस प्रकार हैं :

i. प्रदर्शनियों, आयोजनों एवं शिल्प मेलों का आयोजन

ii. ई–मार्केटिंग के लिए वेब पोर्टल का विकास

10.3 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड का संवर्धन

ग्राहकों का विश्वास हासिल करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय अनुपालना करने के अलावा कच्चे माल, प्रसंस्करण, बुनाई और अन्य मापदंडों की दृष्टि से उत्पादों की गुणवता की पुष्टि करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2015 को प्रथम हथकरघा दिवस के अवसर पर इंडिया हैंडलूम ब्रांड का शुभारंभ किया गया था । 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड' गुणवत्ता वाले विशिष्ट हथकरघा उत्पादों की तलाश करने वाले उपभोक्ताओं की जरुरतों को पूरा करने के लिए केवल उच्च गुणवतापरक दोषरहित प्रमाणिक हथकरघा उत्पादों को ही प्रदान किया जाता है । 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड' का उद्देश्य बुनकरों की आय में वृद्धि करना और एक विशेष बाजार तैयार करना है । इस प्रकार इंडिया हैंडलूम ब्रांड की संकल्पना ऐसे हथकरघा उत्पादों की ब्राडिंग करने की है जो विशेष रुप से गुणवत्ता की पूर्ति करने और सामाजिक–पर्यावरणीय अनुपालना वाले उपभोक्ताओं की जरुरतों की पूर्ति के लिए है ।

इंडिया हैंडलूम ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(i) एक व्यापक जागरूकता और ब्रांड निर्माण अभियान शुरू किया गया है ।

(ii) ई–विपणन के लिए एक खुली नीति विकसित की गई है, जिसके तहत ई–कॉमर्स कंपनियों से विशेष रूप के इंडिया हैंडलूम ब्रांड वाले उत्पादों और सामान्य रूप से इंडिया हैंडलूम ब्रांड से इतर हथकरघा उत्पादों की बिक्री करने पर बल देने का अनुरोध किया गया है ।

(iii) समग्र भारत आधार 94 खुदरा विक्री केन्द्रों से भागीदारी की गई है जिनमें कि ये केन्द्र अपने स्टोर में विशेष रूप से इंडिया हैंडलूम ब्रांड वाले उत्पादों के लिए स्थल आरक्षित रखेंगे । ये 94 केन्द्र 42 शहरों में स्थित हैं और 22 स्टोर हथकरघा के उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं ।

10.4 हथकरघा मार्क

हथकरघा मार्क, खरीददार को यह गारंटी देने के लिए शुरु किया गया है कि जिस हथकरघा उत्पाद की खरीद की जा रही है वह हाथ से बुना हुआ वास्तविक उत्पाद है और यह विद्युतकरघा या मिल में बना हुआ उत्पाद नहीं है। हथकरघा मार्क को समाचार पत्रों और पत्रिकाओं, इलैक्ट्रानिक मीडिया, योजनाबद्ध लेखों, फैशन शो, फिल्मों आदि में विज्ञापनों के माध्यम से संवर्धित और लोकप्रिय बनाया जाता है । हथकरघा मार्क को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र समिति, कार्यान्वयन एजेंसी है । जुलाई, 2016 की स्थिति के अनुसार 8.20 करोड़ (संचयी) हथकरघा मार्क लेबल बेचे गए हैं । 815 खुदरा दुकानें हथकरघा मार्क लेबल वाले हथकरघा उत्पादों को बेच रही हैं ।

पुरस्कारः यह कार्यालय हथकरघा क्षेत्र में

उत्कृष्टता के लिए हथकरघा बुनकरो को संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान कर रहा है। हाल ही में दिशा–निर्देशनों में संशोधन किया गया है। पुरस्कारों का संक्षेप ब्यौरा इस प्रकार है :

(क) संत कबीर पुरस्कार– संत कबीर पुरस्कार ऐसे उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों को प्रदान किया जाता है जो इस परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं और जिन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोई भी हथकरघा बुनकर जिसे राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार,राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र मिला है अथवा असाधारण कौशल वाला कोई हथकरघा बुनकर जिसने बुनाई परम्परा के संवर्धन, विकास और संरक्षण तथा बुनाई समुदाय के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

वित्तीय सहायता: इस पुरस्कार में 3 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, सोने से मंढा एक सिक्का, एक ताम्रपत्र, एक शॉल और प्रमाण पत्र शामिल होता है।

(ख) राष्ट्रीय पुरस्कार: राष्ट्रीय पुरस्कार, हथकरघा बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट कारीगरी में योगदान और हथकरघा बुनाई के विकास में पहचान के लिए प्रदान किया जाता है। यह पहचान उन्हें और अधिक उत्साहवर्धक और उत्पादनकारी तरीके से काम करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी और अन्य को भी उनका अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करेगी जिससे वह असाधारण कौशल का ऐसा बुनकर बनेगा जो हथकरघा उत्पादों के विकास में अत्यधिक योगदान करेगा।

वित्तीय सहायता: इस पुरस्कार में 1.5 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, एक ताम्रपत्र, एक शॉल तथा एक प्रमाण पत्र शामिल होगा।

(ग) राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र: राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र ऐसे उत्कृष्ट एवं हुनरमंद हथकरघा बुनकरों को प्रदान किया जाता है जिसने हथकरघा उत्पाद

माननीया वस्त्र मंत्री जी दिनांक 7 अगस्त, 2016 को वाराणसी में दूसरे राष्ट्रीय हथरकरघा दिवस के अवसर पर हथकरघा बनुकरों को पुरस्कार प्रदान करते हएं

के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

वित्तीय सहायता: राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र में 0.75 लाख रुपये का एक नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र शामिल होगा।

वर्ष 2015 से निम्नलिखित क्षेत्रों में दो नए पुरस्कारों की भी शुरुआत की गई है :

i. हथकरघा उत्पादों के संवर्धन के लिए डिजाइन विकास

ii. हथकरघा उत्पादों का विपणन

कुल मिलाकर अधिकतम 10 संत कबीर पुरस्कार, 28 राष्ट्रीय पुरस्कार और 36 राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रति वर्ष दिए जाएंगे जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:–

(i) संत कबीर पुरस्कार –10 (हथकरघा बुनकर)

(ii) राष्ट्रीय पुरस्कार– 28 (हथकरघा बुनकर– 20 +डिजाइन विकास –03 + हथकरघा उत्पादों का विपणन –05)

(iii) राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र –36 (हथकरघा बुनकर–20 +डिजाइन विकास–06 +हथकरघा उत्पादों का विपणन–10)

वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन : वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतन आदि को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है और दूसरों द्वारा इनका अनधिकृत प्रयोग किए जाने से रोका जाता है । अब तक विभिन्न राज्यों/एजेंसियों को इस कार्यालय द्वारा 35 मदों को पंजीकृत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिसमें से 23 मदें पंजीकृत की गई हैं। जीआई अधिनियम के तहत हथकरघा मदों को पंजीकृत करने के लिए वित्तीय सहायता 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.00 लाख रुपये कर दिया गया है जिसमें से 1.50 लाख रुपये पंजीकरण के लिए और 1.50 लाख रुपये प्रशिक्षण और सूचना आदि का प्रसार करने के लिए है ।

10.5 हथकरघा हाट, जनपथ, नई दिल्ली

शहरी विकास मंत्रालय ने वस्त्र मंत्रालय को हथकरघा विपणन परिसर जिसे अब हैंडलूम हाट, जनपथ के नाम से जाना जाता है, के निमार्ण के लिए दिनांक 12.04.1999 को जनपथ, नई दिल्ली में 1.779 एकड़ भूमि आवंटित की है। भवन का निर्माण 42.00 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से किया गया था ।

हाट का मुख्य उद्देश्य हथकरघा एजेंसियों को उनके उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए अवसंरचना सहायता प्रदान तथा समूचे देश में हथकरघा उत्पादों की उत्कृष्ट किस्मों को प्रदर्शित करना है। परिसर का उद्घाटन दिनांक 9 अक्तूबर, 2014 को माननीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा किया गया। विभिन्न राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय हथकरघा संगठनों को शोरुम/स्थल आबंटित किए गए हैं जो हथकरघा उत्पादों के विपणन क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं ।

10.6 व्यापार सुविधा केन्द्र एवं शिल्प संग्रहालय की स्थापना

व्यापार सुविधा केन्द्र एवं शिल्प संग्रहालय, वाराणसी, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य वाराणसी और समीपवर्ती क्षेत्र के बुनकरों/कारीगरों की उनके उत्पादों की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बिक्री को बढ़ावा देने में मदद करना है। यह केन्द्र प्राचीन शहर वाराणसी की समृद्ध पारंपरिक कलाओं का संरक्षण एवं संवर्धन

करेगा और हथकरघा एवं हस्तशिल्प में ब्रांड इंडिया को प्रदर्शित करने के लिए सुविधाजनक वातावरण तैयार करेगा और मंच प्रदान करेगा, घरेलू व विदेशी खरीदारों को आपूर्ति ऋण प्रदान करेगा तथा घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पर्यटन का विकास करेगा ।

माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 7 नवंबर, 2014 को व्यापार सुविधा केन्द्र एवं शिल्प संग्रहालय का शिलान्यास किया था । यह परियोजना अगस्त, 2017 तक पूरी करने का कार्यक्रम और इसकी अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपये है ।

इस केन्द्र में एक बड़ा सम्मेलन हॉल, शिल्प बाजार, मार्ट निर्यात कारोबार के लिए सुविधा कार्यालय, एक शिल्प संग्रहालय, फूड कोर्ट तथा पर्यटन को बढ़ावा देने और हस्तशिल्प उत्पादों में व्यापार को बढ़ावा के लिए एक सुन्दर रेस्तरां तथा अन्य आयोजनों की सुविधा होगी ।

परियोजना का निर्माण राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) द्वारा किया जा रहा है।

10.6.1 निर्यात संवर्धन

हथकरघा निर्यात संवर्धन का उद्देश्य हथकरघा सहकारी सोसाइटियों, निगमों/शीर्ष और हथकरघा निर्यातकों की सहायता करना है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों, क्रेता–विक्रेता बैठकों आदि में भाग लें सकें और उन्हें अद्यतन डिजाइन, ट्रेंड, रंगों का पूर्वानुमान आदि उपलब्ध कराना है। इस घटक के तहत (i) निर्यात परियोजना (ii) अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने और (iii) डिजाइन स्टूडियो स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है। वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न हथकरघा एजेंसियों ने 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। वर्ष

माननीय प्रधानमंत्री जी टीएफसीएंडसीएम, वाराणसी के प्रथम चरण के उद्घाटन के अवसर पर स्टेकहोल्डरों को संबोधित करते हुए।

2015–16 के दौरान विभिन्न हथकरघा एजेंसियों के 9 अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लिया । वर्ष 2015–16 के दौरान हथकरघा वस्तुओं का निर्यात 2353.33 करोड़ रुपये का था ।

10.6.2 ई–मार्केटिंग :

बिचौलियों को हटाकर ई– कॉमर्स के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और बुनकरों एवं हथकरघा सहकारिताओं के हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए ऑनलाइन विपणन मंच प्रदान करने के लिए दिनांक 25 अगस्त, 2014 को फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे । तदोपरांत वर्ष 2015 के दौरान अधिक आनलाइन विपणन सुविधा प्रदान करने के लिए एक खुली नीति बनाई गई ताकि तदनुसार हथकरघा उत्पादों की बिक्री हेतु ई–कामर्स एजेंसियों को आमंत्रित किया जा सके । हथकरघा उत्पादों की ऑनलाइन विक्री के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा 20 एजेंसियों को अनुबंधित किया गया है । अब तक ई–कामर्स के माध्यम से 4.66 करोड़ रुपए के हथकरघा उत्पाद बेचे जा चुके हैं।

10.7 हथकरघा संस्थानों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण

बुनकर सेवा केन्द्रों (डब्ल्यूएससी) /भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईएचटी) का सुदृढ़ीकरण, नए डब्ल्यूएससी/आईआईएचटी की स्थापना, राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी), अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और हथकरघा संगणना करना ।

(क) बुनकर सेवा केन्द्र (डब्ल्यू एस सी)

इस समय देश के विभिन्न भागों में 28 बुनकर सेवा केन्द्र (डब्ल्यू एस सी) कार्य कर रहे हैं । ये डब्ल्यूएससी बुनकरों की उत्पादकता और आय में सुधार करने के लिए बुनकरों का कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ऐसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं जिसमें डिजाइन निविष्टि, कौशल और प्रौद्योगिकी बुनकरों को अंतरित करना शामिल है, विभिन्न मेलों, प्रदर्शनियों आदि में बुनकरों को प्रायोजित कर प्रत्यक्ष विपणन संबंध प्रदान करना है । 35 बुनकर सेवा केन्द्र गैर–योजना के तहत और 3 बुनकर सेवा केन्द्र, योजना के तहत संचालित किए जा रहे हैं । वर्ष 2015–16 के दौरान 3782.05 लाख रुपये के बजट प्रावधान की तुलना में 3367.50 लाख रुपये की राशि व्यय की गई ।

(ख) भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी)

भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी), हथकरघा क्षेत्र को व्यावसायिक दृष्टि से अर्हताप्राप्त और प्रशिक्षित श्रमशक्ति प्रदान करता है और हथकरघा उद्योग के सभी पहलुओं पर प्रायोगिक और अनुसंधान कार्यक्रम चलाते हैं । इस समय केन्द्रीय क्षेत्र में 6 आईआईएचटी, वाराणसी (उत्तर प्रदेश), सेलम (तमिलनाडु), जोधपुर (राजस्थान), गुवाहाटी (असम) और बारगढ़ (ओडिशा) में काम कर रहे हैं । इन सभी 6 आईआईएचटी में हथकरघा और वस्त्र प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष 315 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है । 4 आईआईएचटी गैर–योजना के तहत और 2

आईआईएचटी योजना के तहत संचालित किए जा रहे हैं।

वर्ष 2015–16 के दौरान गुवाहाटी, वाराणसी, सेलम, और जोधपुर में संचालित किए जा रहे भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा 1155.95 लाख रुपये (गैर–योजना) के बजट प्रावधान की तुलना में गैर–योजना के तहत 1056.26 लाख रुपये की राशि व्यय की गई थी। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान आईआईएचटी, बारगढ़ द्वारा 180.92 लाख रुपये (योजना) के बजट प्रावधान की तुलना में 194.31लाख रुपये और आईआईएचीटी, शांतिपुर में 116.97 लाख रुपये के बजट प्रावधान की तुलना में 108. 21 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई।

शैक्षिक वर्ष 2015–16 से आईआईएचटी, सेलम में हथकरघा एवं वस्त्र प्रौद्योगिकी में बी. टेक (डिग्री पाठ्यक्रम) शुरू किया गया है ।

केन्द्रीय क्षेत्र के उक्त आईआईएचटी के अलावा राज्य क्षेत्र में वेंकटगिरि (आंध्र प्रदेश), गडग (कर्नाटक), चंपा (छत्तीसगढ़) और कन्नूर (केरल) में भी आईआईएचटी संचालित किए जा रहे हैं । वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान आईआईएचटी, कन्नूर (केरल) की स्थापना के लिए 170.20 लाख रुपये की अंतिम वित्तीय सहायता जारी की गई है।

ग) राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी)

परम्परागत और समसामयिक डिजाइनों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001 में राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी) की स्थापना की गई है ताकि तेजी से बदलती बाजार की मांग के अनुरुप हथकरघा क्षेत्र को बनाया जा सके । इस समय राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी) दिल्ली स्थित बुनकर सेवा केन्द्र के परिसर से कार्य कर रहा है । एनसीटीडी का मुख्य उद्देश्य बुनकरों, कामगारों और डिजाइनरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के सामने लाना और यहां तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है । राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र अपनी वेबसाइट www.designdiary.nic.in के माध्यम से बुनकरों, डिजाइनरों, निर्यातकों इत्यादि को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान भारत से 107,905 और विदेशों से 7500 आगंतुकों ने एनसीटीडी की वेबसाइट का दौरा किया । एनसीटीडी की वेबसाइट पर कुल 1052 डिजाइन (ड्रेस मैटीरियल–241, फर्निशिंग –172, शॉल / स्टोल–61, साड़ी – 463, शर्टिंग–115) उपलब्ध हैं ।

10.8 हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

भारत सरकार, 2005–06 से देश में हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 'स्वास्थ्य बीमा योजना' तथा स्वाभाविक/दुर्घटना के कारण मृत्यु, दुर्घटना के कारण पूर्ण/आंशिक अपंगता के मामले में हथकरघा बुनकरों को जीवन बीमा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 'महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना' नामक दो अलग–अलग योजनाएं कार्यान्वित कर रही थीं । 11वीं योजना के दौरान दोनों योजनाओं को हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना नामक एक योजना के अंतर्गत मिला दिया गया है और अब यह इस प्रकार से कार्यान्वित की जा रही है :–

10.8.1 महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिसका उद्देश्य स्वाभाविक और दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने पर हथकरघा बुनकरों को बीमा कवर प्रदान करना है । वर्ष 2016–17 के दौरान 7,00,000 बुनकरों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है जिसमें जिसमें सामान्य राज्यों के लिए 5,92,000 और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1,08,000 बुनकर शामिल हैं । इसके लाभों का उल्लेख नीचे दिया गया है:–

विवरण	लाभ
सामान्य मृत्यु	60,000 रुपये
दुर्घटना से मृत्यु	1,50,000 रुपये
पूर्ण विकलांगता	1,50,000 रुपये
आंशिक विकलांगता	75,000 रुपये

इसके तहत वर्ष 2013–14 के दौरान 5.99 लाख बुनकरों का पंजीयन किया गया और वर्ष 2014–15 के दौरान 5.75 लाख, 2015–16 में 5.84 लाख और वर्ष 2016–17 के दौरान (31.08.2016 तक) 0.70 लाख बुनकरों का पंजीयन किया गया है ।

उपरोक्त के अलावा 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए 300/–रुपये प्रति तिमाही प्रति विद्यार्थी की छात्रवृत्ति भी उपलब्ध है । यह लाभ शामिल किए गए सदस्य के दो बच्चों तक सीमित है । वर्ष 2013–14 के दौरान 1.42 लाख लाभार्थियों के लिए बतौर छात्रवृति 8.59 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया जबकि वर्ष 2014–15 के दौरान 1.37 लाभार्थियों को शामिल करते हुए बतौर छात्रवृत्ति 9.26 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया । वर्ष 2015–16 के दौरान 1. 39 लाख लाभार्थियों को शामिल करते हुए 8.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया तथा वर्ष 2016–17 के दौरान (31.08. 2016 तक) 0.96 लाख लाभार्थियों के लिए 0.58 करोड रुपए का भुगतान किया गया । महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में मिलाया जा रहा है ।

	महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना						स्वास्थ्य बीमा योजना				
राज्य का नाम	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16 (से 31.10. 2015 तक)**	**नीति वर्ष 2009-10**	**नीति वर्ष 2010-11 (30.11.10 से 29.11.11)**	**नीति वर्ष 2011-12 (30.11.11 से 29.11.12)**	**2013-14**	**2014-15 (सितम्बर 2014 तक)**
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0		855	1787	6000	6000	6000
असम	34322	54811	58607	58323	54627	24753	352124	355322	387563	387563	387563
मणिपुर	1062	16235	9334	5015	5368	2174	29991	34587	51135	51135	51135
मेघालय	2920	14000	0	15500	15837		35250	30000	30919	30919	30919
मिजोरम	59	59	0	0	0		110	1129	1386	1386	1386
नागालैंड	0	0	0	0	0		32820	50000	39501	39501	39501
सिक्किम	0	104	180	262	129	1558	55	400	342	342	342
त्रिपुरा	1548	0	1000	2000	1266	217	25250	21851	9367	9367	9367
कुल	**39911**	**85209**	**69121**	**81100**	**77227**	**28702**	**476455**	**495076**	**526213**	**526213**	**526213**

10.8.2 स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस)

आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के माध्यम से कार्यान्वित की गई । स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस) में न केवल बुनकर बल्कि उनकी पत्नी और दो बच्चे भी शामिल हाते हैं। वार्पिंग, वाइंडिंग, डाईंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग, साइजिंग, झाला निर्माण, जैकार्ड कटिंग आदि कार्य कर रहे अनुषंगी हथकरघा कामगार भी योजना में शामिल किए जाने के पात्र हैं । योजना में पहले से मौजूद बीमारियों के साथ–साथ नई बीमारियां शामिल हैं और बहिरंग रोगियों (ओपीडी) के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। प्रति परिवार वार्षिक सीमा 15,000 रुपये है जिसमें से ओपीडी के लिए 75,00 रुपये है । वर्ष 2014–15 के लिए 17,49,452 बुनकरों का लक्ष्य रखा गया है जिसमें सामान्य राज्यों के लिए 12,23,239 और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 5,26,213 बुनकर हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना को वित्त वर्ष 2014–15 से बंद कर दिया गया है और अब यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना मंच पर कार्यान्वित की जा रही है जिसमें पांच सदस्यों के परिवार के लिए प्रति परिवार 37,500 रुपये का कुल कवरेज है (आई पी और ओपी उपचार के लिए क्रमशः 30,000 रुपये और 7,500 रुपये) । अब आरएसबीवाई को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है ।

विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय के अनुरोध पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आरएसबीवाई की मौजूदा पद्धति पर 30,000 रुपये के आईपी लाभ सहित 2016–17 से हथकरघा बुनकरों को शामिल करने के लिए 29 मार्च, 2016 को अनुदेश जारी किए है ।

केबिनेट के निर्णय के अनुसार आरएसबीवाई की तर्ज पर एचआईएस तमिलनाडु में कार्यान्वित की जा रही है (जो एक गैर आरएसबीवाई राज्य है), जिसमें भारत सरकार की सहायता से 37,500 रुपये (30,000 रुपये आईपी और 7500 रुपये ओपी के लिए) का कुल लाभ शामिल है । दिनांक 01.10.2014 से 01.10.2015 तक की अवधि के दौरान 1,44,294 बुनकरों के पंजीयन के लिए 1.94 करोड़ रुपये और दिनांक 01.10.2015 से 01.10.2016 तक की अवधि के दौरान 1,44,294 बुनकरों के पंजीयन के लिए 1.94 करोड़ रुपये तमिलनाडु राज्य सरकार को जारी किए गए ।

10.8.3 यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

भारत सरकार द्वारा मिल गेट कीमत पर पात्र हथकरघा बुनकरों को हर प्रकार का यार्न प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में यार्न आपूर्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है ताकि हथकरघा क्षेत्र को बुनियादी कच्चे माल की नियमितआपूर्ति सुनिश्चित हो सके और क्षेत्र की रोजगार संभावना का पूर्ण उपयोग करने में मदद मिल सके । यह योजना भारत सरकार के एक उपक्रम, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लखनऊ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना के तहत ढुलाई व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो संचालन एजेंसियों को 2% की दर से डिपो संचालन प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाती है। मालभाडा प्रतिपूर्ति की दर, डिपो संचालन व्यय तथा एनएचडीसी के सेवा प्रभार इस प्रकार हैः

(आपूर्त यार्न के मूल्य का %)

क्षेत्र	माल भाड़ा			डिपो प्रचालन प्रभार	एनएचडीसी को सेवा प्रभार
	सिल्क / जूट यार्न को छोड़कर	सिल्क यार्न	जूट / जूट मिश्रित यार्न		
मैदानी क्षेत्रों में	2.5%	1%	10%	2.0%	2.0%
पहाड़ी / दूरस्थ क्षेत्र	2.5%	1.25%	10%	2.0%	1.5%
पूर्वोत्तर क्षेत्र	5%	1.50%	10%	2.0%	1.25%

इसके अलावा, विद्युतकरघा और मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से केवल हथकरघा बुनकरों को रियायती यार्न प्रदान करने के लिए **हैंक यार्न पर 10% कीमत सब्सिडी** का एक घटक भी है । यह रियायत मात्रात्मक सीमा के साथ सूती, घरेलू रेशमी और ऊनी यार्न पर लागू है। 10% सब्सिडी घटक के तहत विभिन्न प्रकार के यार्न के लिए पात्रता इस प्रकार है :–

सूती, घरेलू रेशमी यार्न के लिए

1. 40 संख्यांक तक 40 संख्यांक सहित – 30 किलोग्राम / करघा / माह
2. 40 संख्यांक से अधिक – 10 किलोग्राम / करघा / माह
3. घरेलू सिल्क के लिए – 4 किलोग्राम / करघा / माह

ऊनी यार्न के लिए :–

ऊनी यार्न (10 संख्यांक एनएम से कम)	50 किलो ग्राम प्रति करघा / माह
ऊनी यार्न (10 संख्यांक से 39.99 संख्यांक एनएम तक)	10 किलो ग्राम प्रति करघा / माह
ऊनी यार्न (40 संख्यांक एनएम और अधिक)	4 किलो ग्राम प्रति करघा / माह

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने 12वीं योजना में एक नए प्रयास के रुप में 10 डिपो सह वेयरहाउस खोले हैं ताकि ऐसे व्यक्तिगत बुनकरों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें कम मात्रा में यार्न की जरुरत पड़ती है ,उन्हें नकद आधार पर समय पर आपूर्ति मिल सके । ये वेयरहाउस सीतापुर व मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), गुवाहाटी (असम), समुद्रगढ़ (पश्चिम बंगाल), कन्नूर (केरल), चिराला व करीमनगर (आंध्र प्रदेश), अगरतला (त्रिपुरा), भुवनेश्वर (उड़ीसा) तथा रांची / गोडा (झारखंड) में हैं । ये सभी वेयरहाउस कार्य कर रहे हैं ।

2014–15 से यार्न आपूर्ति योजना के तहत की गई यार्न आपूर्ति इस प्रकार है :–

वर्ष	मात्रा (लाख किलो ग्राम में)	कीमत (लाख रुपये में)
2014-15	1484.300	216077.51
2015-16	1725.00	235686.00
2016-17 (20 अक्टूबर, 2016 तक)	964.65	155087.18

वर्ष 2014–15 से से यार्न आपूर्ति योजना के 10% कीमत सब्सिडी घटक के तहत की गई यार्न आपूर्ति इस प्रकार है :–

वर्ष	मात्रा (लाख किलो ग्राम में)	कीमत (लाख रुपये में)
2014-15	286.34	102683.50
2015-16	257.077	92777.460
2016-17 (20 अक्टूबर, 2016 तक)	177.774	71128.86

2014–15 के बाद से यार्न आपूर्ति योजना के तहत जारी की गई धनराशि इस प्रकार है :–

वर्ष	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)
2014-15	127.81
2015-16	321.96
2016-17 (20 अक्टूबर, 2016)	154.74

10.8.4 व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना

XII वीं योजना के दौरान मेगा हथकरघा कलस्टरों के विकास के लिए व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना कार्यान्वित की जा रही है । योजना के तहत मेगा हथकरघा क्लस्टर में प्रति क्लस्टर 15000 हथकरघे शामिल होंगे और भारत सरकार के अंश के रुप में 40.00 करोड़ रुपए तक की वित्त व्यवस्था की जाएगी ।

2. सीएचसीडीएस के दिशा–निर्देश अगस्त, 2015 में संशोधित किए गए थे जो मुख्यतः एनएचडीपी की तर्ज पर ब्लॉक स्तरीय कलस्टर एप्रोच स्वीकार करने के संबंध में है। दिनांक 30.11.2016 की स्थिति अनुसार 43 ब्लॉक स्तरीय कलस्टर स्वीकृत किए जा चुके हैं ।

3. वर्ष 2016–17 (30.11.2016 की स्थिति के अनुसार) के दौरान विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मेगा हथकरघा कलस्टरों को 28.44 करोड़ रूपए की राशि मंजूर/जारी कर दी गई है।

10.8.5 हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन

हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का उद्देश्य लाखों हथकरघा बुनकरों की आजीविका तथा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्र द्वारा अतिक्रमण से उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। इस समय दिनांक 3.9.2008 के सां.आ. सं. 2160 के तहत कुछ विनिर्देशनों के साथ इस अधिनियम के अंतर्गत केवल हथकरघों पर उत्पादन के लिए 11 प्रकार की वस्त्र मदें आरक्षित हैं। विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा (अक्टूबर, 2016 की स्थिति के अनुसार) किए गए विद्युत करघा निरीक्षणों की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा तालिका 1.1 में दिया गया है।

दिल्ली, चेन्नै और अहमदाबाद में तीन प्रवर्तन कार्यालय हैं जो हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हैं । आशा है कि प्रवर्तन तंत्र द्वारा मार्च, 2017 तक 3,74,468 विद्युतकरघों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा । भारत सरकार हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन ''गैर–योजना स्कीम'' के तहत प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने हेतु राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता देती है। विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा तालिका 1.2 में दिया

तालिका 1.1

क्र. सं.	वास्तविक प्रगति	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 अक्टूबर, 16 तक
1.	विद्युतकरघा निरीक्षणों का लक्ष्य	2,72,013	2,90,420	3,08,888	3,21,452	3,34,468
2.	निरीक्षित विद्युतकरघों की संख्या	2,76,011	2,90,773	3,09,817	3,32,327	1,71,672
3.	दर्ज एफआईआर की संख्या	97	113	88	140	27
4.	दोषसिद्धि	39	37	66	120	11

तालिका 1.2

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 अक्टूबर, 2016 तक
1.	आन्ध्र प्रदेश	63.08	69.61	-	-	चालू वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, और तमिलनाडु को कुल 99.46 लाख रूपए जारी किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
2.	पश्चिम बंगाल	19.78	15.57	14.83	3.79	
3.	गुजरात	27.99	30.92	38.42	10.12	
4.	राजस्थान	13.03	-	-	-	
5.	मध्य प्रदेश	16.15	-	21.17	-	
6.	हरियाणा	-	16.89	-	-	
7.	तमिलनाडु	116.20	93.80	63.28	108.95	
8.	उत्तर प्रदेश	-	87.23	41.06	8.24	
9.	केरल	14.29	14.06	14.38	7.78	
10	तेलंगाना	-	-	-	11.36	
	कुल	**270.52**	**328.08**	**193.14**	**150.24**	

10.9 हथकरघा संगठन

10.9.1 हथकरघा निगमों तथा शीर्षस्थ समितियों का संघ (आकाश)

हथकरघा निगमों तथा शीर्षस्थ समितियों का संघ (आकाश), राष्ट्र स्तरीय, राज्य स्तरीय और अंतर–राज्य स्तरीय हथकरघा विकास निगमों और शीर्ष हथकरघा सहकारी समितियों का राष्ट्र–स्तरीय शीर्ष संगठन है। हथकरघा क्षेत्र में विपणन का समन्वय और संवर्धन करने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत आकाश का पंजीकरण जून, 1984 में किया था। एकल निविदा प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र सरकार के विभागों/अभिकरणों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खरीदे जाने वाले हथकरघा सामानों की आपूर्ति के लिए भारत सरकार ने आकाश की नियुक्ति नोडल अभिकरण

के रुप में की है । आकाश के माध्यम से हथकरघा वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय हथकरघा निगम और शीर्ष समितियां आकाश के सदस्य हैं । हथकरघा वस्तुओं के संवर्धन और विपणन में भी आकाश सहायता करता है।

एकल निविदा–प्रणाली के अंतर्गत आकाश ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 82.98 करोड़ रुपए मूल्य के आदेश निष्पादित किए। वर्ष 2016–17 के दौरान (अक्टूबर, 2016 तक) आकाश ने 56.79 करोड़ रुपए मूल्य के आदेश निष्पादित किए ।

आकाश का यह कार्य भी है कि वह देश के विभिन्न भागों में हथकरघा प्रदर्शनियां आयोजित कर हथकरघा उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन को सुकर बनाए ।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आकाश ने 27 प्रदर्शनियां आयोजित की हैं ।

10.9.2 हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)

फैब्रिक्स, होम फार्निशिंग, कारपेट और फ्लोर कवरिंग आदि जैसे सभी हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) की स्थापना एक नोडल एजेंसी के रुप में की गई है । 96 सदस्यों के साथ एचईपीसीएच का गठन वर्ष 1965 में किया गया था और समूचे देश में इसकी वर्तमान सदस्यता 1400 (30.11.2015 की स्थिति) है । एचईपीसी का मुख्यालय चेन्नई में और क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है ।

एचईपीसी का मुख्य उद्देश्य व्यापार संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए भारतीय हथकरघा निर्यातकों और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की हर संभव सहायता करना और उनका मार्गदर्शन करना है ।

- तमिलनाडु में करूर एवं मदुरै, केरल में कन्नूर तथा हरियाणा में पानीपत प्रमुख हथकरघा क्लस्टर हैं। जहां टेबलमेट्स, प्लेसमेट्स, एंब्राइडरी की हुई वस्त्र सामग्री, परदे, फ्लोर मेट्स, किचन के सामान जैसी निर्यात योग्य हथकरघा वस्तुओं का उत्पादन करूर, मदुरै एवं कन्नूर में किया जाता है वहीं पानीपत दरियों एवं अन्य भारी किस्म की ऐसी चीजों के लिए प्रसिद्ध है जिनमें हाथ से काता हुआ सूत प्रयोग किया जाता है।
- इसके अलावा केकरा, वाराणसी, भागलपुर, शांतिपुर, जयपुर, अहमदाबाद, वारंगल, चिराला, पोचमपल्ली और संपलपुर जैसे अन्य केन्द्र भी हथकरघा निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। चेन्नई, दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता में बड़ी संख्या में निर्यातक व्यापारी हैं जो इन केन्द्रों से ये सामान खरीदते हैं।

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) के उद्देश्य

एचईपीसी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

1. सदस्य निर्यातकों को व्यापारिक सूचना तथा आसूचना का प्रचार–प्रसार।
2. भारतीय हथकरघा उत्पादों का विदेशों में प्रचार।

3. उत्पाद विविधीकरण एवं आधुनिक विपणन जरूरतों की पूर्ति को सुगम बनाना।
4. निर्यात–बाजार हेतु हथकरघों के आधुनिकीकरण की गति को तेज करना।
5. हथकरघा उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु डिजाइन संबंधी निविष्टियां प्रदान करना।
6. व्यापार मिशनों/क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन एवं विदेशों के व्यापार मेलों में भागीदारी।
7. हथकरघा निर्यातकों हेतु परामर्शी एवं मार्गदर्शी सेवाएं।
8. हथकरघा निर्यात व्यापार से संबंधित सभी प्रकार के प्रक्रियात्मक एवं नीतिगत मामलों में भारत सरकार के साथ सम्पर्क करना।
9. हथकरघा निर्यातकों से संबंधित व्यापारिक शिकायतों का निपटान।
10. हथकरघा निर्यातकों के लाभ के लिए और विदेश स्थित वाणिज्यिक एजेंसियों आयात संवर्धन हेतु संपर्क करना।

निर्यात लक्ष्य और उपलब्धियां

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	
		करोड़ रुपये में	अमरीकी डॉलर में
2013-14	602 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2233.11	372.18
2014-15	460 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2246.48	374.41
2015-16	421 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2353.33	360

वर्ष 2016–17 के लिए भारत सरकार ने हथकरघा निर्यात के लिए 450 मिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया है।

एचईपीसी के निर्यात संवर्धन संबंधी क्रियाकलाप – वर्ष 2015–16 के दौरान एचईपीसी के माध्यम से विभिन्न हथकरघा एजेंसियों ने 08 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया

1. इंडिया इंटरनेशनल हैंडवुवन फेयर (आईआईएचएफ) के पहले तीन चरणों की सफलता से प्रोत्साहित होकर एचईपीसी दिनांक 12 से 14 मार्च, 2017 तक चेन्नई ट्रेड सैंटर, चेन्नई में मेले का चौथा चरण आयोजित कर रहा है । इस मेले का आयोजन 150 विदेशी खरीदारों को आमंत्रित कर विपर्य क्रेता–विक्रेता बैठक के घटक से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एम.ए.आई. योजना के तहत किया गया। अपने हथकरघा उत्पादों की बिक्री के लिए इस मेले में लगभग 200 सदस्य निर्यातकों के भाग लेने की आशा है।
2. निर्यात व्यापार में मौजूद जटिलताओं के बारे में हथकरघा उद्योग को सुग्राही बनाने के उद्देश्य से एचईपीसी समूचे देश में आवधिक रूप से जागरूकता सेमिनार आयोजित करती रही है ।

वर्ष 2015–16 के दौरान एचईपीसी ने चंदेरी/ग्वालियर, गडग, कालीकट, करूर, पानीपत, कन्नूर, चेन्नै, भुवनेश्वर, वाराणसी तथा श्रीनगर (जम्मू–कश्मीर) में कुल 13 सेमिनार आयोजित किए ।

वर्ष 2016–17 के दौरान एचईपीसी ने कांचीपुरम, कुल्लू, बाराबंकी, जयपुर, विजयवाड़ा, कोचीन, करूर, पानीपत, अनंतपुर, करूर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, वाराणसी में कुल 15 सेमिनार आयोजित किए।

अध्याय–11

हस्तशिल्प

हस्तशिल्प

11.1 प्रस्तावना–

हस्तशिल्प क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में एक सार्थक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में शिल्पियों के बहुत बड़े समूह को रोज़गार प्रदान करता है तथा सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हुए देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने में अपना विशेष महत्व रखता है। हस्तशिल्प में विशाल सम्भावनाएं हैं, चूंकि इसमें न केवल देश के सभी भागों में फैले हुए मौजूदा लाखों कारीगरों को, बल्कि शिल्प कार्यकलापों में बड़ी संख्या में प्रवेश पाने वाले नए कारीगरों को बनाए रखने की भी क्षमता है। वर्तमान में, हस्तशिल्प क्षेत्र का रोजगार उत्पादन तथा निर्यात में विशेष योगदान है। तथापि, हस्तशिल्प क्षेत्र को इसके असंगठित होने के अतिरिक्त शिक्षा व जानकारी का अभाव, कम पूंजी, नई प्रौद्योगिकियों को लेकर अपर्याप्त प्रदर्शन, विपणन आसूचना की कमी तथा अपर्याप्त संस्थागत फ्रेमवर्क जैसी रुकावटों के कारण क्षति पहुंची है।

वर्तमान में हस्तशिल्प क्षेत्र लगभग 68.86 लाख कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराता है और अक्तूबर, 2016 तक हस्तनिर्मित कालीनों सहित हस्तशिल्प का निर्यात 20,869.29 करोड़ रुपए का रहा और वर्ष 2016–17 के दौरान योजना आबंटन 219.00 करोड़ रुपये है।

11.2 राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय सभी हस्तशिल्प कलस्टरों के समग्र रूप से विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर बल देने हेतु "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" (एनएचडीपी) नामक योजना के एक छत्र के तहत हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। एनएचडीपी के निम्न संघटक हैं–

I.क. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

(i) दस्तकार सशक्तिकरण योजना
(ii) डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन
(iii) मानव संसाधन विकास
(iv) कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ
(v) अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता

ख. मेगा कलस्टर

II. विपणन सहायता एवं सेवाएं

III. अनुसंधान एवं विकास

हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास हेतु एक विकेंद्रीकृत मार्ग को अपनाये जाने की आवश्यकता को पहचानने के दृष्टिगत एन एच डी पी ब्लॉक स्तर पर स्थापित सामान्य सुविधा केंद्र के प्रावधानों अर्थात प्राथमिक उत्पादकों को सहायता, कारीगरों को डिज़ाइन एवं प्रशिक्षण और विपणन सहायता के आधार पर संशोधित कार्यनीति को अपनाता है।

I.क. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

(i) दस्तकार सशक्तिकरण योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रभावी सदस्य भागीदारी एवं परस्पर सहयोग के

सिद्धान्त के आधार पर कारीगरों के समूहों को व्यावसायिक रुप से व्यवस्थित कर उद्यमियों के आत्मनिर्भर समुदाय के रुप में विकसित करते हुए भारतीय हस्तशिल्पों का संवर्धन करना है। इस योजना में हस्तशिल्प के सतत विकास हेतु शिल्पियों की सहभागिता द्वारा परियोजना आधारित, आवश्यकता आधारित एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है जिससे उन्हें सशक्त बनाया जा सके। योजना के संघटक निम्न प्रकार से हैं :–

1. कारीगरों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) / समितियों में संघटित करने के लिए सामुदायिक सशक्तिकरण।
2. डीपीआर / डीएसआर को तैयार करना ।
3. कलस्टर प्रबन्धक को वेतन क्षतिपूर्ति शामिल करते हुए परियोजना प्रबंधन लागत ।
4. व्यापक विकास सहायता ।

(ii) **डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन**

इस योजना का लक्ष्य विदेशी बाजारों के लिए, लुप्तप्राय शिल्पों के पुनुरुत्थान और विरासत के परिरक्षण हेतु अभिनव डिजाइनों एवं प्रोटोटाइप उत्पादों के माध्यम से कारीगरों के कौशल को उन्नत करना है। योजना के निम्नलिखित संघटक हैं :

1. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला ।
2. एकीकृत डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजना ।
3. डिजाइन प्रोटोटाइप के लिए निर्यातक एवं उद्यमी को सहायता ।
4. डिज़ाइन, ट्रेंड और टेक्निकल कलर फॉरकास्ट के माध्यम से वाणिज्यिक विपणन आसूचना।

आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना में वेतन क्षतिपूर्ति में वृद्धि, कार्यक्रम की अवधि आदि जैसे कुछ निश्चित बदलाव किए गए हैं।

(iii) **मानव संसाधन विकास**

हस्तशिल्प क्षेत्र को अर्हताप्राप्त एवं प्रशिक्षित कार्यबल प्रदान करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास योजना (एचआरडी), को तैयार किया गया है। यह कार्यबल वर्तमान बाजार की जरुरतों को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन में मजबूत उत्पादन आधार तैयार करने में योगदान देगा। यह योजना अपने संघटको के माध्यम से अपेक्षित इंपुट प्रदान करने के द्वारा हस्तशिल्प हेतु डिजाइनरों के प्रशिक्षित काडर के रूप में हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए मानव पूंजी के निर्माण का भी लक्ष्य रखती है। इसमें कारीगरों को अपना व्यवसाय सफलता से शुरू करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक सॉफ्ट स्किल प्रदान करने का भी प्रावधान है जो निम्न प्रकार से हैं–

(1) प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण।
(2) हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
(3) गुरु–शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रशिक्षण।
(4) प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण ।
(5) डिज़ाइन मेंटॉरशिप तथा प्रशिक्षुता कार्यक्रम ।

(iv) **कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ**

इस योजना में कारीगरों के लिए स्वास्थ्य एवं बीमा, उनके के लिए ऋण सुविधाओं के क्षेत्र को बढ़ाने, उनको औजार एवं उपस्कर मुहैया कराने आदि जैसी उनकी कल्याण से जुड़ी आवश्यकताओं से संबन्धित मुद्दों को उठाने के लिए इस

योजना को तैयार किया गया है। इस योजना के निम्न संघटक हैं–

1. राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना (आर जी एस एस बी वाई)
2. हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना ख्आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई),
3. दरिद्र परिस्थितियों में कारीगरों को सहायता
4. क्रेडिट गारंटी योजना
5. ब्याज में छूट योजना
6. पहचान–पत्र जारी करना और डाटाबेस का निर्माण
7. औजारों, सुरक्षा उपकरणों, लूमों, भट्टियों आदि की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता
8. हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण–पत्र।

(v) अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता– इस योजना का उद्देश्य देश में हस्तशिल्प उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है और विश्व बाज़ार में मुक़ाबला करने के लिए उत्पाद गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ–साथ उत्पाद लागत को कम करना है जिससे कि हमारे उत्पाद विश्व बाजार में मुकाबला कर सकें। इसके अतिरिक्त इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक कारीगरों को निकटतम संभावित स्थान पर अपेक्षित प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना है, उत्पाद विविधीकरण, डिज़ाइन विकास, कच्चे माल बैंक तथा विपणन एवं संवर्धन सुविधाये मुहैया कराना है।

योजना के संघटक निम्न प्रकार से हैं:–

1. शहरी हाट
2. लघु शहरी हाट
3. एम्पोरिया
4. शहरी क्षेत्रों में विपणन एवं सोर्सिंग हब्स
   4.1 महानगरों में विपणन एवं सोर्सिंग हब्स
   4.2 गैर–महानगरों में विपणन एवं सोर्सिंग हब्स
5. डिज़ाइन एवं शिल्प विद्यालय
6. हस्तशिल्प संग्रहालय
7. डिज़ाइन बैंक्स
8. शिल्प आधारित संसाधन केन्द्र
9. सामान्य सुविधा केन्द्र
10. कच्चा माल डिपो
11. निर्यातकों/उद्यमियों को प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता
12. परीक्षण प्रयोगशालाएं
13. शिल्प ग्राम
14. एकीकृत हस्तशिल्प पार्क
15. कार्यालय भवनों का निर्माण और मौजूदा संस्थानों को पुनः नवीकृत करना, क्षेत्रीय डिज़ाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्रों की पुनर्रचना, हस्तकला अकादमी की स्थापना, वसंत कुंज एवं ओखला में शिल्प एवं कार्यालय कॉम्पलैक्स का निर्माण और विभागीय स्तर पर सृजित किया जाने वाला अन्य कोई आधारभूत ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर)।
16. जम्मू एवं कश्मीर के कारीगरों के लिए करघे

ख. मेगा कलस्टर

मेगा कलस्टर अप्रोच उन हस्तशिल्प कलस्टरों में आधारभूत संरचनात्मक एवं उत्पादन श्रृंखला को प्रवर्धित करने की एक मुहिम है जो असंगठित रहे हैं और जो अभी तक हुए आधुनिकीकरण और विकास के साथ बराबरी नहीं कर सके हैं। इस क्षेत्र की संभावनाएं आधारभूत संरचनात्मक उन्नयन, मशीनरी के आधुनिकीकरण और उत्पाद विविधीकरण में निहित हैं। कलस्टरों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए निच मार्किट सृजित करने हेतु मूल सिद्धांत के रुप में देशी उत्पादों के लिए ब्रांड निर्माण

के अतिरिक्त नव परिवर्तित निर्माण सहित डिजाइनिंग की जानकारी भी अपेक्षित है। प्रस्तावित कार्यक्रम से विपणन लिंकेजेस और उत्पाद विविधीकरण के साथ–साथ आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन सुस्पष्ट है।

II विपणन सहायता एवं सेवाएँ

विपणन सहायता एवं सेवाएं योजना का प्रमुख उद्देश्य महानगरों/ राज्यों की राजधानियों/ पर्यटक एवं वाणिज्यक स्थलों/ अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाली घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प प्रदर्शनियों/संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए पात्र विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे हस्तशिल्प कारीगरों/ देश के विभिन्न भागों के एसएचजी को सीधे विपणन मंच मुहैया होगा। इस योजना के तहत मुख्य संघटक निम्न प्रकार से हैं–

1. गांधी शिल्प बाजार / शिल्प बाजार
2. प्रदर्शनियाँ
3. अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में तैयार स्थान (बिल्टअप स्पेस) को किराये पर लेना ।
4. राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला
5. शिल्प जागरूकता कार्यक्रम
6. अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं विदेशों में प्रदर्शनियों में भागीदारी
7. भारत के लोक शिल्प त्यौहार/स्टैंड अलोन शो/रोड शो
8. विदेशों में बाजार अध्ययन
9. अंतर्राष्ट्रीय शिल्प एक्स्पोज़र कार्यक्रम
10. सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम
11. अनुपालन, सामाजिक एवं अन्य कल्याणकारी उपाय
12. भारत में क्रेता–विक्रेता बैठक
13. विदेशों में क्रेता–विक्रेता बैठक और भारत में रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठक
14. विपणन कार्यशालाएं
15. विदेशों में आयोजित कार्यशालाएं/संगोष्ठियाँ/परिसंवाद/कार्यक्रम
16. मालगोदाम में माल रखने के लिए किराया
17. प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार
18. वेब मार्केटिंग

III अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास योजना की शुरुआत हस्तशिल्प क्षेत्र की समस्याओं तथा विशिष्ट पहलुओं के गहन विश्लेषण और महत्वपूर्ण शिल्पों के सर्वेक्षण एवं अध्ययन करने के उद्देश्य से की गई थी जिससे नीति आयोजन में उपयोगी आदान सृजित किया जा सके तथा चल रहे कार्यकलापों को बेहतर बनाने में मदद मिल सके और इस कार्यालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सके। 12 वी योजना के दौरान निम्न क्रियाकलाप किये जाएंगे :

1. विभिन्न विषयों पर सर्वेक्षण एवं अध्ययन।
2. लेबलिंग/प्रमाणीकरण को प्रेरित करने के प्रयोजन से लीगल, पैरा लीगल, मानकों, ऑडिटों और अन्य प्रलेखनों को तैयार करने हेतु वित्तीय सहायता।
3. क्षेत्र/सेगमेंट की चुनौतियों का सामना करते हुए संगठन को सक्षम बनाने के लिए लुप्तप्राय शिल्पों, डिज़ाइन, विरासत, ऐतिहासिक ज्ञान आधार, अनुसंधान एवं इनके क्रियान्वयन को शामिल करते हुए शिल्पों की सुरक्षा से जुड़ी क्रियाविधि (मैकेनिज़म) को बनाने, विकसित करने हेतु संगठनों को वित्तीय सहायता ।
4. देश के हस्तशिल्प कारीगरों की जनगणना कराना ।

5. जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के तहत शिल्पों का पंजीकरण और क्रियान्वयन पर आवश्यक अनुवर्तन।
6. जेनेरिक उत्पादों के लिए हस्तशिल्प मार्क सहित बार कोडिंग और जीएसआई ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन मानकों को अपनाने में हस्तशिल्प निर्यातकों की सहायता करना।
7. भारतीय हस्तशिल्प के ब्रांड निर्माण तथा संवर्धन से जुड़ी समस्याओं /मुद्दों को उठाने के लिए वित्तीय सहायता ।
8. हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े विशिष्ट प्रकृति के मुद्दों पर कार्यशालाओं /सेमिनारों का आयोजन।

I. वर्ष 2016–17 अप्रैल–अक्तूबर 2016, के लिए संघटक / उप संघटक वार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि

क्र. सं.	मौजूदा संघटक / उप संघटक	भौतिक उपलब्धी	निधि आवंटन (करोड़ रुरुपये में) (बीई 22016–17)	व्यय (करोड़ रुपये में)
1क	**अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई)**			
	(i) दस्तकार सशक्तिकरण योजना			
	1. कारीगरों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/सोसाइटी में संघटित करने हेतु समुदाय को सशक्त बनाना	69	5.00	1.14
	2. डीपीआर/डीएसआर तैयार करना	01		
	3. कलस्टर प्रबन्धक को वेतन क्षतिपूर्ति शामिल करते हुए परियोजना प्रबंध लागत	-		
	4. व्यापक विकास सहायता	-		
	(ii) डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना			
	1. डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला	284	20.00	6.83
	2. एकीकृत डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजना	59		
	3. डिज़ाइन प्रोटोटाइप के लिए निर्यातक एवं उद्यमी को सहायता	-		
	4. डिज़ाइन, ट्रेंड और तकनीकी कलर फॉरकास्ट के माध्यम से वाणिज्यक विपणन आसूचना	-		
	(iii)मानव संसाधन विकास योजना		15.00	7.85
	1. प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण	-		

क्र. सं.	मौजूदा संघटक / उप संघटक	भौतिक उपलब्धी	निधि आवंटन (करोड़ रुरुपये में) (बीई 22016–17)	व्यय (करोड़ रुपये में)
	2. हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम	88		
	3. गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रशिक्षण	15		
	4. प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण	-		
	5. डिज़ाइन मेंटोरशिप और प्रशिक्षुता कार्यक्रम			
	(iv) कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ			
	1. राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना (आरजीएसएसबीवाई)	-	20.00	3.24
	2. हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना (आम आदमी बीमा योजना) (एएबीवाई)	69049		
	3. कठिन परिस्थितियों में रह रहे कारीगरों को मदद	277		
	4. क्रेडिट गारंटी योजना	-		
	5. ब्याज में छूट योजना	-		
	6. डाटाबेस का सृजन और पहचान पत्र जारी करना	24,42,000		
	7. औजारों, सुरक्षा उपस्कर, लूमों, भट्टियों आदि की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता	2000		
	8. हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र।	-		
	(v) अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास योजना			
	1. शहरी हाट	2	20.00	4.21
	2. लघु शहरी हाट	-	-	-
	3. एम्पोरिया	-	-	-
	4. शहरी क्षेत्रों में विपणन एवं सौर्सिंग हब्स	-	-	-
	4.1 महानगरों में विपणन एवं सौर्सिंग हब्स	-	-	-
	4.2 गैर महानगरों में विपणन एवं सौर्सिंग हब्स	-	-	-

क्र. सं.	मौजूदा संघटक / उप संघटक	भौतिक उपलब्धी	निधि आवंटन (करोड़ रुरुपये में) (बीई 22016–17)	व्यय (करोड़ रुपये में)
	5. डिज़ाइन एवं शिल्प विद्यालय	-	-	-
	6. हस्तशिल्प संग्रहालय	-	-	-
	7. डिज़ाइन बैंक	-	-	-
	8. शिल्प आधारित संसाधन केंद्र	-	-	-
	9. सामान्य सुविधा केंद्र	-	-	-
	10. कच्चा माल डिपो	-	-	-
	11. निर्यातकों/उद्यमियों को प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए मदद	-	-	-
	12. परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं	-	-	-
	13. शिल्प ग्राम	-	-	-
	14. एकीकृत हस्तशिल्प पार्क	-	-	-
	15. कार्यालय भवनों का निर्माण और मौजूदा संस्थानों को पुनः नवीकृत करना, क्षेत्रीय डिज़ाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्रों की पुनर्रचना, हस्तकला अकादमी की स्थापना, वसंत कुंज एवं ओखला में शिल्प एवं कार्यालय कॉम्पलैक्स का निर्माण और विभागीय स्तर पर सृजित किया जाने वाला अन्य कोई आधारभूत ढांचा	-	-	-
	16. जम्मू एवं कश्मीर के कारीगरों के लिए करघे	-	-	-
1ख.	**हस्तशिल्प मेगा कलस्टर**			
	1. सॉफ्ट इंटेर्वेशन			
	i. तकनीकी प्रशिक्षण	**13**	**65.00**	**18.73**
	ii. डिज़ाइन एवं उत्पाद विकास	**26**		
	iii. यावहारिक कौशल प्रशिक्षण जागरूकता कार्यशाला	**2**		
	iv. शिल्प आदान–प्रदान कार्यक्रम	4		
	v. विपणन लिंकेज	16		
	vi. टूल किट्स का वितरण	-		
	vii. लूमों का वितरण	-		
	2. हार्ड इंटेर्वेशन			
	i. सामान्य सुविधा केंद्र/ सामुदायिक उत्पादन केंद्र	14		

क्र. सं.	मौजूदा संघटक / उप संघटक	भौतिक उपलब्धी	निधि आवंटन (करोड़ रुरुपये में) (बीई 22016–17)	व्यय (करोड़ रुपये में)
	ii. कच्चा माल बैंक	-		
	iii. व्यापार सुविधा केंद्र	-		
	iv. संसाधन केंद्र	-		
2.	**विपणन सहायता एवं सेवाएं योजना**		**56.00**	**25.00**
	1. घरेलू विपणन कार्यक्रम			
	क. भारत में विपणन कार्यक्रम			
	• गांधी शिल्प बाज़ार / शिल्प बाज़ार	**18**		
	• प्रदर्शनियाँ • कार्यक्रमों में बिल्ट अप स्पेस को किराये पर लेना	**61** **15**		
	ख. शिल्प जागरूकता कार्यक्रम	**14**		
	ग. प्रदर्शन कार्यक्रम	-		
	2. विदेशों में विपणन कार्यक्रम			
	क. विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय मेले एवं प्रदर्शनियाँ	**18**		
	ख. भारत के लोक शिल्प / स्टैंड अलोन शो / रोड शो	2		
	ग. विदेश में विपणन अध्ययन	-		
	घ. अंतर्राष्ट्रीय शिल्प एक्सपोजर कार्यक्रम	-		
	ङ. सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम	-		
	च. अनुपालन, सामाजिक एवं अन्य कल्याण संबंधी उपाय	-		
	3. क्रेता–विक्रेता बैठक	-		
	क. भारत में क्रेता–विक्रेता बैठक	-		
	ख. विदेशों में क्रेता–विक्रेता बैठक और इसके उत्क्रम में भारत में क्रेता–विक्रेता बैठक।	-		
	4. विपणन कार्यशालाएं	-		
	5. विदेशों में आयोजित कार्यशालाये / सेमिनार / परिचर्चाएं / कार्यक्रम	-		
	6. वेयरहाउसिंग का किराया	-		
	7. प्रचार और ब्रांड संवर्धन	-		

क्र. सं.	मौजूदा संघटक / उप संघटक	भौतिक उपलब्धी	निधि आवंटन (करोड़ रुरुपये में) (बीई 22016–17)	व्यय (करोड़ रुपये में)
	क. प्रचार और ब्रांड संवर्धन	1		
	ख. प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रचार	-		
	ग. वेब मार्केटिंग में प्रचार	-		
3.	**अनुसंधान एवं विकास योजना**		**7.00**	**3.05**
	1. विभिन्न विषयों पर सर्वेक्षण एवं अध्ययन	**11**		
	2. लेबल लगाने /प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में विधिक, पराविधिक, मानक, लेखा परीक्षा और अन्य प्रलेख तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता।			
	3. ऐसे संगठनों को वित्तीय सहायता जो लुप्तप्राय शिल्पों, डिजाइन विरासत, ऐतिहासिक ज्ञान–आधार के अनुसंधान के संरक्षण के लिए किसी ऐसी विशेष कार्यविधि का निर्माण, विकास करें और उसे कार्यान्वित करें जिसके परिणामस्वरुप सम्बन्धित क्षेत्र, विश्व बाजार संगठन के पश्चात् उपलब्ध अवसरों का उपयोग करने से सम्बन्धित चुनौतियों का सामना कर सकें।			
	4. देश के हस्तशिल्प कारीगरों की जनगणना करना।			
	5. ज्यूग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के अंतर्गत शिल्पों का पंजीकरण तथा क्रियान्वयन पर आवश्यक अनुवर्तन।	**04**		
	6. सामान्य (जेनरिक) उत्पादों के लिए हस्तशिल्प मार्क सहित जीएसआई ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन स्टैण्डर्ड के पालन में हस्तशिल्प निर्यातकों को सहायता देना।			
	7. ब्रांड निर्माण और भारतीय हस्तशिल्प के संवर्धन से संबंधित समस्याओं/ मुद्दों को निपटाने हेतु आर्थिक सहायता ।	-		
	8. हस्तशिल्प क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट प्रकृति के मुद्दों पर कार्यशाला / सेमिनार का संचालन।	**12**		

कुल आवंटन की शेष धनराशि को 31 मार्च, 2017 तक उपगत कर लिया जाना अपेक्षित है।

हस्तशिल्प परियोजानाओं के एकीकृत विकास एवं संवर्धन के तहत विशेष परियोजनाएं: (करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्यों के नाम	क्रियान्वयन कारी अभिकरण	शिल्प	परियोजना संघटक	कुल परियोजना लागत	निर्मुक्त निधि	अद्यतन स्थिति
1	झारखंड (2015–16)	झारक्राफ्ट	काष्ठ शिल्प, बांस, पतितकर चित्रकारी, धातु कार्य, पत्थर पर नक्काशी	राज्य में 24300 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थ डिज़ाइन कार्यशाला, एकीकृत डिज़ाइन विकास परियोजना, प्रदर्शनियाँ, विपणन क्रियाकलाप ख्क्रेता विक्रेता बैठक, और सामान्य सुविधा केंद्र।	30.00	15.00	परियोजना प्रगति पर है और 30.06.2016 तक 9.41 लाख रुपये परियोजना पर खर्च किए जा चुके हैं।
2	उत्तराखंड (2014–15)	यूएचएचडीसी	आइपन, भित्ति चित्र, उत्तराखंड चित्रकारी, काष्ठ नक्काशी, राम बांस वस्त्र	राज्य में 24300 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थ डिज़ाइन कार्यशाला, एकीकृत डिज़ाइन विकास परियोजना, प्रदर्शनियाँ, विपणन क्रियाकलाप ख्क्रेता विक्रेता बैठक, और सामान्य सुविधा केंद्र।	30.00	15.00	परियोजना प्रगति पर है और अभी तक 5.25 करोड़ रुपये परियोजना पर खर्च किए जा चुके हैं।
3	तमिलनाडू (2015–16)	टी.एन.एच.डी.सी लिमिटेड	कांस्य की प्रतिमाये, तंजोर आर्ट प्लेट, पारंपरिक पीतल के दीये, पीतल पात्र, पेपर मेशी, पत्थर शिल्प, काष्ठ नक्काशी, प्राकृतिक फाइबर, टेराकोटा, नकली आभूषण ।	राज्य में 19450 कारीगरों के लाभार्थ डिज़ाइन कार्यशाला, एकीकृत डिज़ाइन विकास परियोजना, प्रदर्शनियाँ, विपणन क्रियाकलाप ख्क्रेता विक्रेता बैठक, और सामान्य सुविधा केंद्र।	20.38	10.19	परियोजना प्रगति पर है।
4	केरल (2015–16)	एच.डी.सी.ओ केरल	बेल मेटल, बनाना फाइबर, काष्ठ, स्क्रू पाइन, पॉटर क्ले	राज्य में 18300 कारीगरों के लाभार्थ डिज़ाइन कार्यशाला, एकीकृत डिज़ाइन विकास परियोजना, प्रदर्शनियाँ, विपणन क्रियाकलाप ख्क्रेता विक्रेता बैठक, और सामान्य सुविधा केंद्र।	25.15	9.09	परियोजना प्रगति पर है।
5	मध्य प्रदेश (2015–16)	एम.पी.एच.ई. एच.वी.एन लिमिटेड	पिथोरा चित्रकारी, पंजा दरियाँ, चांदी के आभूषण, चँदेरी और अन्य साड़ी बुनाई, ढोकरा शिल्प, ज़री एवं जरदोज़ी, जूट शिल्प, काष्ठ शिल्प, टेराकोटा, बाघ प्रिंट, रोट आइरन शिल्प, बांस शिल्प ।	राज्य में 23580 कारीगरों के लाभार्थ डिज़ाइन कार्यशाला, एकीकृत डिज़ाइन विकास परियोजना, प्रदर्शनियाँ, विपणन क्रियाकलाप ख्क्रेता विक्रेता बैठक, और सामान्य सुविधा केंद्र।	23.12	5.73	परियोजना प्रगति पर है।

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्यों के नाम	क्रियान्वयन कारी अभिकरण	शिल्प	परियोजना संघटक	कुल परियोजना लागत	निर्मुक्त निधि	अद्यतन स्थिति
6	आंध्र प्रदेश (2016–17)	ए.पी.एच.डी. निगम	कोंडापल्ली, काष्ठ चित्रित खिलौने, काष्ठ लेकरवेयर खिलौने, वीणा बनाना, चमड़े की कठपुतली, कलमकारी चित्रकारी, काष्ठ नक्काशी।	राज्य में 4330 कारीगरों के लाभार्थ डिज़ाइन कार्यशाला, तकनीकी प्रशिक्षण, उद्यमी विकास कार्यशाला, उन्नत औजारों की आपूर्ति, विपणन क्रियाकलाप खशिल्प बाज़ार, प्रदर्शनी, क्रेता विक्रेता बैठक, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी, प्रचार एम्पोरियम और सामान्य सुविधा केंद्र।	10.06	5.03	अगस्त 2016 के दूसरे सप्ताह में निधियाँ निर्मुक्त की गई थी। परियोजना का क्रियान्वयन कार्य आरंभ हो गया है।
7	वाराणसी ख्उत्तर प्रदेश, (2016–17)	एनसीडीपीडी	ज़री एवं जरदोज़ी, नकली आभूषण, गुलाबी मीनाकारी, काष्ठ शिल्प, काष्ठ एवं लाख के पात्र, सोप सहित अन्य पत्थर नक्काशी शिल्प, टेराकोटा, कुंभकारी शिल्प, मनकों से जुड़ा शिल्प और अन्य विविध शिल्प जैसे भित्ति चित्र, हाथ ठप्पा छपाई, सुनारगिरी शिल्प, धातु शिल्प आदि।	राज्य में 21780 कारीगरों और निर्यातकों के लाभार्थ बेसलाइन सर्वेक्षण, कौशल/क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिज़ाइन कार्यशाला, एकीकृत डिज़ाइन परियोजना, औजारों की आपूर्ति, विपणन क्रियाकलाप और इंफ्रास्ट्रक्चर ख्सीएफ़सी, कच्चा माल बैंक, शिल्प आधारित संसाधन केंद्र, का सृजन, प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता।	31.00	1.00	1. पीएएमसी द्वारा दिनांक 04.08.2016 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि आरंभ में वाराणसी में बेसलाइन सर्वेक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयनकारी अभिकरण द्वारा 300. 50 लाख रुपये की लागत में पूर्ण किया जाएगा और बेसलाइन सर्वेक्षण आदि के पूरा हो जाने पर क्रियान्वयनकारी अभिकरण अपनी रिपोर्ट अपेक्षानुसार डीपीआर को दिसम्बर, 2016 तक प्रस्तुत कर देगा। 2. परियोजना का क्रियान्वयन आरंभ हो चुका है।
8	बिहार (2016–17)	उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान (यू एम एस ए एस) पटना, बिहार	कुंभकारी ख्टेराकोटा,, सिक्की कला, मधुबनी चित्रकारी, एप्पलीक एवं कसीदा कार्य, सूजनी कला, बांस उत्पाद, टिकुली कला कार्य, पत्थर शिल्प, काष्ठ शिल्प, मंजूषा चित्रकारी, जूट शिल्प।	डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशालाये, एकीकृत डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजना, तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम, औजारों की आपूर्ति, विपणन संवर्धन (सेमिनार. सह–कार्यशाला, अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, क्रेता विक्रेता बैठक और प्रदर्शनियाँ)	30.00	15.00*	परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

*निधि निर्मुक्त की जा रही हैं।

11.2.1 हस्तशिल्प का निर्यात: वर्ष 2016–17 के दौरान हस्तनिर्मित कालीनों को शामिल करते हुए हस्तशिल्प के निर्यात केलिए 34,160 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 2016–17 (अक्तूबर, 2016 तक) के दौरान दोनों हस्तशिल्प तथा हस्तनिर्मित कालीन एवं अन्य फर्श बिछावनों कानिर्यात 20,869.29 करोड़ रुपये का रहा।

हस्तशिल्प का निर्यात (करोड़ रुपये में)

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (अप्रैल–अक्तूबर2016)
क) कालीन एवं अन्य फर्श बिछावन	5841.37	7110.42	8441.95	10180.64	5786.85
ख) अन्य हस्त शिल्प	17970.12	17265.31	18639.14	21257.33	15082.44
कुल योग (क+ख)	23811.49	24375.73	27081.09	31437.97	20,869.29

11.2.1 महत्वपूर्ण कार्यक्रम

09 दिसंबर, 2016 को अपराह्न 6.00 बजे राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र, नई दिल्ली में माननीय भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2015 के लिए 10 शिल्प गुरुओं और 20 राष्ट्रीय पुरस्कार (तीन महिला कारीगरों सहित) विजेताओं को हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदत्त किए गए थे।

वर्ष 2015 के लिए शिल्प गुरुओं और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं के साथ सामूहिक फोटोग्राफ

i) माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा दिनांक 29.08. 2016 को मुरादाबाद मेगा कलस्टर के तहत मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) के संसाधन केंद्र का उद्घाटन किया गया।

ii) 31 अगस्त 2016 को कारीगरों, पुरस्कार विजेताओं और सिद्धहस्तशिल्पियों को लाभ पहुंचाने के लिए स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्तावितनुसार 12 वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन, मानव संसाधन विकास, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ और अनुसंधान एवं विकास योजनाओं तथा बजट आवंटन के भीतर विभिन्न योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम में कुछ संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है।

iii) माननीय वस्त्र मंत्री ने हस्तशिल्प कारीगरों को पहचान पत्र उपलब्ध कराने के लिए 07 अक्टूबर, 2016 को संत कबीर नगर से पहचान/Pehchan नामक राष्ट्र–व्यापी कारीगर पहचान पत्र शिविर का उद्घाटन किया। यह शिविर देश भर में फैले 52 विपणन केन्द्रों में आरंभ कर दिया गया है।

- लाभों की द्विरावृत्ति को रोकने के लिए इन पहचान पत्रों को आधार के साथ जोड़ा जाएगा।
- पहचान की सहायता से हस्तशिल्प विपणन कार्यालय हस्तशिल्प कारीगरों को आधार नंबर, जीवन बीमा निगम और जनधन खाता खोलने में भी मदद कर रहे हैं।
- 28.10.2016 तक कुल 1,47,354 पहचान पत्र के फॉर्म एकत्रित किए जा चुके हैं।

iv. माननीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी द्वारा 16 अक्टूबर 2016 को वाराणसी में दस्तकार चौपाल का उद्घाटन किया गया। यह अपने प्रकार का पहला क्रियाकलाप था जो वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था जिसका प्रमुख उद्देश्य वाराणसी के हस्तशिल्प के विकास एवं संवर्धन के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता और संवेदीकरण उत्पन्न करना है।

V. माननीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी द्वारा 19.11.2016 को कारीगर पहचान पत्र के वितरण शिविर (पश्चिमी क्षेत्र) का उद्घाटन किया गया जो संयोग से अहमदाबाद हाट, वस्त्रपुर झील, के पास, श्री अराबिंदो सोसाइटी, वस्त्रपुर, अहमदाबाद, गुजरात, में हस्तशिल्प उत्पादों पर थिमेटिक प्रदर्शनी के साथ हो रहा था।

VI. माननीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी द्वारा 27.11.2016 को प्रातः 11.30 बजे कारीगर पहचान पत्र के वितरण शिविर (पूर्वोत्तर क्षेत्र) का उद्घाटन किया गया जो संयोग से लंबोईखोंग– नांगहाँग, इम्फ़ाल– पश्चिम मणिपुर में हस्तशिल्प उत्पादों पर थिमेटिक प्रदर्शनी के साथ हो रहा था।

माननीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी द्वारा 09.12.2016 को अपराह्न 1.00 बजे राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में वर्ष 2015 के लिए शिल्प गुरु एवं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की पुरस्कृत कलाकृतियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।

11.2.3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं

वस्त्र को पर्यटन के साथ जोड़ना

I. श्वस्त्र को पर्यटन के साथ जोड़नेश नामक कार्यक्रम के तहत प्रमुख पर्यटक स्थलों को हस्तशिल्प कलस्टरों के साथ जोड़ा जा रहा है और ऐसे कलस्टरों में सॉफ्ट इंटेर्वेंशंस को शामिल करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रस्तावित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत ओडिशा के पुरी जिले में विरासत शिल्प ग्राम (हैरिटेज क्राफ्ट विलेज) रघुराज पुर को समग्र विकास के लिए चुना गया है। यह गाँव भुवनेश्वर–पुरी–कोणार्क पर्यटन सर्किट पर राष्ट्रीय राजमार्ग 203 पर स्थित है। इस कार्यक्रम के तहत 10.00 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से रघुराजपुर में शिल्प गांव (क्राफ्ट विलेज), की स्थापना के लिए एक परियोजना स्वीकृत कर दी गई है और वर्ष 2014–15 और वर्ष 2015–16 के दौरान ओडिशा औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम

(आईडीसीओ) को 6.00 करोड़ रुपये निर्मुक्त कर दिये गए हैं जो कारीगरों के लिए शिल्प प्रदर्शन–सह–बिक्री क्षेत्र, स्थानीय भोजन के लिए फूड कोर्ट, सड़कों, उन्नत आवास आदि जैसी सामान्य सुविधाओं के विकास पर खर्च किया जाएगा। क्राफ्ट विलेज परियोजना क्रियान्वयन के अधीन है।

अभी तक आरंभ किए गए निम्नलिखित कार्य :

- मौजूदा सोसाइटी की बिल्डिंग और ओपन एयर सभागार का नवीनीकरण ।
- क्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर द्वारा राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी/प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना और पार्किंग सुविधाओं सहित अप्रोच रोड का कार्य प्रगति पर हैं।

2. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के तत्वाधान में परिषदों के क्रियाकलाप

(I) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ई पी सी एच) :

वर्ष 2016–17 (अप्रैल–अक्टूबर) के लिए परिषद द्वारा संवर्धन, विकास और निर्यात वृद्धि हेतु माह–वार किए गए कार्यों का विवरण वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट के लिए निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैं–

1. विदेशों में प्रदर्शनी में भागीदारी

- 18–21 अप्रैल, 2016 के दौरान साइगोन एक्सिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, हो ची मिन सिटी, विएतनाम में लाइफ स्टाइल विएतनाम–2016 के दौरान एक प्रमोशनल बूथ स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य हस्तशिल्प उत्पादों और उसकी श्रेणियों एवं सौर्सिंग केन्द्रों की जानकारियों सहित आगामी आईएचजीएफ़ दिल्ली मेला– शरद–2016 के संबंध में सभी जानकारियां मेले में भाग लेने वाले सभी विसिटर्स को प्रदान करना था। इस बूथ का अन्य उद्देश्य उस भाग में भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र के प्रति जागरूकता सृजित करना था।
- 20–23 अप्रैल, 2016 के दौरान हाँग–काँग कोन्वेंशन एंड एक्सिबिशन सेंटर, हाँग–काँग में 83 निर्यातक सदस्यों के साथ हाँग–काँग हाउसवेयर शो में भी भाग लिया।
- 20–23 अप्रैल, 2016 के दौरान हाँग–काँग में हाँग–काँग हाउसवेयर शो में रोड शो आयोजित किया गया जिससे कि हस्तशिल्प उत्पादों और उसकी श्रेणियों एवं सौर्सिंग केन्द्रों की जानकारियों सहित आगामी आईएचजीएफ़ दिल्ली मेला– शरद–2016 के संबंध में सभी जानकारियां मेले में भाग लेने वाले सभी विसिटर्स को प्रदान की जा सके। इस बूथ का अन्य उद्देश्य उस भाग में भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र के प्रति जागरूकता सृजित करना था।
- 20–23 अप्रैल, 2016 के दौरान हाँग–काँग कोन्वेंशन एंड एक्सिबिशन सेंटर, हाँग–काँग में 38 निर्यातक सदस्यों के साथ हाँग–काँग टेक्सटाइल्स शो में भाग लिया।
- 23–27 अप्रैल, 2016 के दौरान गुयांगझाऊ, चीन में चाइनीज़ कोम्मोडीटीज़ फेयर ख्कें्टोन,–2016 के दौरान रोड शो आयोजित किया गया

जिसमे हस्तशिल्प उत्पादों और उसकी श्रेणियों एवं सौर्सिंग केन्द्रों की जानकारियों सहित आगामी आईएचजीएफ़ दिल्ली मेला– शरद–2016 के संबंध में सभी जानकारियां मेले में भाग लेने वाले सभी विसिटर्स को प्रदान की जा सके। इस रोड शो का अन्य उद्देश्य उस भाग में भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र के प्रति जागरूकता सृजित करना था।

- 27–30 अप्रैल, 2016 के दौरान हाँग–काँग कोन्वेंशन एंड एक्सिबिशन सेंटर, हाँग–काँग में 54 निर्यातक सदस्यों के साथ हाँग–काँग गिफ्ट्स एंड प्रीमियम शो में भागीदारी सुनिश्चित की।
- 27–30 अप्रैल, 2016 के दौरान हाँग–काँग में हाँग–काँग गिफ्ट्स एंड प्रीमियम शो में रोड शो आयोजित किया गया जिसमे हस्तशिल्प उत्पादों और उसकी श्रेणियों एवं सौर्सिंग केन्द्रों की जानकारियों सहित आगामी आईएचजीएफ़ दिल्ली मेला– शरद–2016 के संबंध में सभी जानकारियां मेले में भाग लेने वाले सभी विसिटर्स को प्रदान की जा सके। इस रोड शो का अन्य उद्देश्य उस भाग में भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र के प्रति जागरूकता सृजित करना था।
- 13–16 मई, 2016 के दौरान यीवु, चीन में 26 निर्यातक सदस्यों के साथ यीवु इंपोर्टेड कोम्मोडीटीज़ फेयर में भाग लिया।
- 19–21 मई, 2016 के दौरान कुंशान, चीन में 24 निर्यातक सदस्यों और 04 सिद्धहस्तशिल्पियों के साथ चाइना ब्रांड प्रॉडक्ट एक्स्पो में भाग लिया।
- 23–26 मई, 2016 के दौरान 04 सिद्धहस्तशिल्पियों के साथ दुबई में इंडेक्स–दुबई में भाग लिया।
- 25–28 जून, 2016 के दौरान डल्लास मार्केट सेंटर, डल्लास, यूएसए में डल्लास टेम्प शो के दौरान प्रचार बूथ स्थापित किया ।
- 01–05 जून, 2016 के दौरान आयोजित ग्लोबल इंडियन फेस्टिवल– कुआला लामपुर, मलेशिया में परिषद ने 18 प्रतिभागियों और 04 सिद्धहस्तशिल्पियों के साथ इस फेस्टिवल में भाग लिया ।
- 22–24 जून, 2016 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित अंबिएन्ते इंडिया में परिषद ने 13 प्रतिभागियों के साथ भाग लिया।
- 06–08 जुलाई, 2016 के दौरान टोक्यो, जापान में आयोजित गिफ़्टेक्स वर्ल्ड 2016 में परिषद ने 11 प्रतिभागियों के साथ भाग लिया।
- 14–18 जुलाई, 2016 के दौरान अटलांटा, यूएसए में आयोजित अटलांटा इंटरनेशनल गिफ्ट एंड होम फर्नीशिंग मार्केट ख्टेम्प शो, में प्रोमोशनल बूथ स्थापित किया।
- 20–22 जुलाई, 2016 के दौरान ओसाका, जापान में आयोजित 27वे इंडिया होम फर्नीशिंग फेयर में प्रोमोशनल बूथ स्थापित किया।
- 22–25 जुलाई, 2016 के दौरान लॉस एंजेलेस, कैलिफोर्निया में आयोजित एलएएमकेटी ख्पूर्व में कैलिफोर्निया गिफ्ट शो, में प्रोमोशनल बूथ स्थापित किया।
- 31 जुलाई–03 अगस्त, 2016 के दौरान लेस वेगस, नेवाडा, यूएसए में आयोजित

डाइरैक्ट / एएसडी लेस वेगस में 10 प्रतिभागियों के साथ भाग लिया।

- 04–06 सितंबर, 2016 के दौरान कोलोन, जर्मनी में आयोजित स्पोगा+गफा– 2016 में प्रोमोशनल बूथ स्थापित किया।
- 04–07 सितंबर, 2016 के दौरान बर्मिंगहम, यू के में आयोजित ओटम फेयर–2016 में 10 प्रतिभागियों और 05 कारीगरों के साथ भाग लिया।
- 02–06 सितंबर, 2016 के दौरान पेरिस, फ़्रांस में आयोजित मेईसन ओबजेट–2016 में प्रोमोशनल बूथ स्थापित किया।
- 16–19 सितंबर, 2016 के दौरान मिलानो, इटली में आयोजित होमी मिलानो–2016 में प्रोमोशनल बूथ स्थापित किया।
- 13–16 सितंबर, 2016 के दौरान हाँग–काँग में आयोजित एशियाज़ फ़ैशन जेवेल्लेरी एंड एक्सेसरीज़ शो में 45 निर्यातक सदस्यों के साथ भाग लिया।
- 20–23 सितंबर, 2016 के दौरान मॉस्को, रशिया में आयोजित गिफ़्ट्स एक्स्पो–2016 में 30 प्रतिभागियों और 05 कारीगरों के साथ भाग लिया।
- 20–23 अक्तूबर, 2016 के दौरान हाँग–काँग में आयोजित एशियन गिफ़्ट्स एंड प्रीमियम शो में 94 निर्यातक सदस्यों के साथ भाग लिया।
- 20–23 अक्तूबर, 2016 के दौरान हाँग–काँग में एशियन गिफ्ट्स एंड प्रीमियम शो में रोड शो आयोजित किया गया जिसमे हस्तशिल्प उत्पादों और उसकी श्रेणियों एवं सौर्सिंग केन्द्रों की जानकारियों सहित आगामी आईएचजीएफ़ दिल्ली मेला– शरद–2017 के संबंध में सभी जानकारियां मेले में भाग लेने वाले सभी विजिटर्स को प्रदान की जा सके। इस रोड शो का अन्य उद्देश्य उस भाग में भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र के प्रति जागरूकता सृजित करना था।
- 22–26 अक्तूबर, 2016 के दौरान हाई पॉइंट, यूएसए में आयोजित हाई पॉइंट शो में प्रोमोशनल बूथ स्थापित किया।

2 घरेलू कार्यक्रम

- 16–18 अप्रैल, 2016 के दौरान 350 प्रदर्शकारियों सहित इंडिया एक्स्पो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में होम एक्स्पो इंडिया शो आयोजित किया गया जिसमे इंडियन हाउस वेयर एंड डेकोरेटिव्स, फर्नीचर एंड एक्सेसरीज़, फ्लोरींग्स एंड फर्नीशिंग्स, टेक्सटाइल उत्पादों पर प्रकाश डाला गया।
- 21–23 जुलाई, 2016 के दौरान ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में इंडियन फ़ैशन जेवेल्लेरी एंड एक्सेसरीज़ शो (आईएफ़जेएएस) आयोजित किया गया जिसमे 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस शो का उद्घाटन श्री अजय टम्टा, माननीय वस्त्र राज्य मंत्री द्वारा किया गया था।
- 21–23 सितंबर, 2016 के दौरान इंडिया रीटेल फोरम, मुंबई में प्रोमोशनल बूथ स्थापित किया।
- 16–19 सितंबर, 2016 के दौरान इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर, जयपुर, राजस्थान में जोधपुर मेगा कलस्टर के 30 कारीगरों ने भाग लिया। इस फेयर में परिषद ने विकास आयुक्त ख्हस्तशिल्प, कार्यालय,

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के जोधपुर मेगा कलस्टर के लिए रीटेल फेयर पार्टिसीपेशन ऑफ कोंपरहनसिव हेंडिक्राफ्ट्स कलस्टर डिवैलपमेंट स्कीम (सीएचसीडीएस) के तहत अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी।

- 14–18 अक्तूबर, 2016 के दौरान इंडिया एक्स्पो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में 42 वा आईएचजीएफ़ दिल्ली फेयर– ओटम– 2016 आयोजित किया गया।
- 14–18 अक्तूबर, 2016 के दौरान परिषद ने इंडिया एक्स्पो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित 42 वे आईएचजीएफ़ दिल्ली फेयर– ओटम– 2016 में विकास आयुक्त ख्हस्तशिल्प, कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के जोधपुर मेगा कलस्टर के लिए सीएचसीडीएस की विपणन संवर्धन स्कीम के तहत 10 कारीगरों के साथ भाग लिया था।
- 14–18 अक्तूबर, 2016 के दौरान आईएचजीएफ़ दिल्ली फेयर– आटम–2016 में परिषद ने रिर्वस बायर–सेलर बैठक आयोजित की। इसमे नरसापुर के लेस एवं क्रोशिये शिल्प पर पश्चिमी गोदावरी जिले के 10 कारीगरों ने भाग लिया।

3. अप्रैल–अक्तूबर, 2016 के दौरान 75 कार्यशालाये / संगोष्ठियाँ / परिचर्चाये / जागरूकता कार्यक्रम / एकीकृत डिज़ाइन परियोजना / सॉफ्ट स्किल कार्यक्रम आयोजित किए गए।

4. पूर्वोत्तर क्षेत्र से हस्तशिल्प का सकेंद्रित संवर्धन–

- 17–27 दिसम्बर, 2016 के दौरान कोलकाता में आयोजित 'इंडियन इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर' में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 30 प्रदर्शकों अर्थात कारीगरों और उद्यमियों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।
- 20–23 फरवरी, 2016 के दौरान आईईएमएल, ग्रेटर नोएडा में आयोजित आईएचजीएफ़ दिल्ली फेयर– स्प्रिंग, 2016 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 32 प्रदर्शकों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।
- 07–11 फरवरी, 2016 के दौरान यूके के बर्मिंगहम में स्प्रिंग फेयर और 28 फरवरी, 2016 – 02 मार्च, 2016 के दौरान यूएसए के लास वेगास में आयोजित सोर्स डाइरैक्ट / एएसडी में विषयगत प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। उत्पाद वर्गों के नमूने पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैयार किए गए थे जिन का प्रदर्शन उक्त कार्यक्रमों में उद्यमियों द्वारा किया गया था।
- 14–18 फरवरी, 2016 के दौरान आईईएमएल, ग्रेटर नोएडा में आयोजित आईएचजीएफ़ दिल्ली फेयर– ओटम, 2016 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 27 प्रदर्शकों अर्थात कारीगरों और उद्यमियों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इनको हस्तशिल्प के निर्यात बाज़ार में अवसरों की खोज के लिए मौका उपलब्ध कराना है।
- वर्ष 2016–17 के दौरान विकास आयुक्त ख्हस्तशिल्प, कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता प्राप्ति से सभी पूर्वोत्तर राज्यों में हस्तशिल्प निर्यात/विपणन और निर्यातोनुमुखी

डिज़ाइन विकास पर 09 दो दिवसीय कार्यशालाये आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में 590 कारीगरों/उद्यमियों ने भाग लिया और उन्होने प्रथम बार हस्तशिल्प के निर्यात का सामना किया ।

- विकास आयुक्त ख्हस्तशिल्प, कार्यालय द्वारा समर्थित ईपीसीएच ने 08 ख्आठ, विपणन एवं सेवा विस्तार केंद्रों में सोश्ल कम्प्लायंसेस डेस्किन आरंभ किया है जिससे स्थानीय प्राथमिक उत्पादकों को लाभ पहुँच रहा है।
- दिमापुर, नागालैंड में एकीकृत डिज़ाइन एवं उत्पाद विकास परियोजना क्रियान्वित की गई जिसमे 40 कारीगरों को निर्यातोनुमुखी डिज़ाइन एवं उत्पादों को बनाने में प्रशिक्षित किया गया।

5. अन्य क्रियाकलाप

दिनांक– 29 अगस्त, 2016 को माननीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार द्वारा मुरादाबाद में ''हस्तशिल्प संसाधन केंद्र'' का उद्घाटन किया गया।

(II) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद

वर्ष 2016–17 (अक्तूबर–2016 तक), के लिए परिषद के क्रियाकलाप

पृष्ठभूमि

भारतीय हस्तनिर्मित कालीन एक पुरातन उद्योग है तथा वर्तमान में इसने महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह उद्योग उच्च एवं कड़े श्रम से संबंधित है तथा लगभग 15 लाख कामगारों को अप्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से विशेषतः महिलाओं को उनके घर पर ही रोज़गार मुहैया कराता है। चूंकि यह उद्योग पूरे भारतवर्ष जैसे उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है अतः इसके उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि के लिएअभी भी अत्यधिक सम्भावनाये मौजूद हैं। हस्तनिर्मित कालीन उद्योग किसानों एवं अन्यों को अपने घर से रोजगार का अतिरिक्त एवं अन्य विकल्प मुहैया कराता है। भारतीय कारीगर खरीददार की अपेक्षा के अनुसार किसी भी डिज़ाइन तथा क्वालिटी के हाथ से बुने फर्श बिछावन बना सकते हैं तथा समाज के प्रत्येक भाग की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। जबकि टर्की, टर्किश नॉट बना सकता है, ईरान, ईरानियन नॉटस बनाता है, नेपाल, नेपाली कालीन बनाता है चीन, चाइनीज़ नॉटस बनाता है, पाकिस्तान, पाकिस्तानी नॉट विशेषतया चौबे कालीन बनाता है।

अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय कालीन उद्योग की स्थिति नंबर– 01 है और भारत कुल उत्पादन का 70–75% निर्यात करता है।

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था। मौजूदा रूप में पूरे भारत को ध्यान में रखते हुए परिषद के 2300 पंजीकृत सदस्य निर्यातक हैं। परिषद का मुख्य उद्देश्य जैसे भी आवश्यक हो अथवा ईष्टानुकुल हो हाथ से निर्मित कालीनों, ऊनी दरियों एवं फर्श बिछावनों को हर प्रकार से मदद दी जाए, उनको बचाया जाए, रखरखाव किया जाए और उनके निर्यात को बढ़ावा भी दिया जाए।

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के मुख्य क्रियाकलाप–

I- विदेशों में मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी आयोजित करना।

II- विश्व के सबसे बड़े फ्लोर कवरिंग शो– हन्नोवर (जर्मनी) में डोमोटेक्स इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भारतीय हस्तनिर्मित कालीन एवं अन्य फर्श बिछावनों की नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना।

III- नई दिल्ली एवं वाराणसी में वर्ष में दो बार इंडिया कार्पेट एक्स्पो, बी 2 बी फेयर आयोजित कराना

IV- विभिन्न विषयों पर उद्यमियों एवं कालीन निर्यातकों को शिक्षित करने के लिए सेमिनार आयोजित करना।

V- हस्तनिर्मित कालीनों तथा अन्य फर्श बिछावनों की सहभागिता/अंश को बढ़ाने के लिए मौजूदा बाजार के साथ–साथ नए बाज़ारों की खोज के लिएविपणन अध्ययन।

VI- घरेलू बाजारों में हस्तनिर्मित कालीनों की ब्रांडिंग के लिए प्रदर्शनी–सह–बिक्री का आयोजन तथा भारत में घरेलू बाजारों एवं खुदरा विक्रेता/रिटेलर/अंतर्राष्ट्रीय बाइंग हाउसों की सोर्सिंग की खोज करना।

उपर्युक्त मुख्य उद्देश्यों के अलावा, परिषद ने हमारे निर्यात से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां भी आरंभ की हैं :–

- कालीन उद्योग में पंजीकृत निर्यातकों द्वारा बाल श्रम का उपयोग न करने और तथाकथित बाल श्रम के उन्मूलन के लिए इस परिषद द्वारा सूत्रबद्ध की गई आचार संहिता को लागू करना;
- भारत में सभी कालीन एवं दरी लूमों को पंजीकृत करना और बाल श्रम के उपयोग पर नियंत्रण हेतु विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की अध्यक्षता में पंजीकृत लूमों पर नज़र रखना ;
- सीईपीसी के निर्यातक सदस्यों द्वारा अंशदत्त बाल कल्याण निधि में से बुनाई क्षेत्रों में कालीन बुनकरों के बच्चों को अनौचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय का संचालन तथा कालीन बुनाई क्षेत्रों में स्वास्थ्य चैक–अप कैंप आयोजित करना;
- परिषद के सदस्य–निर्यातकों द्वारा अंशदत्त बाल कल्याण निधि में से बुनकरों एवं उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना ;
- कौशल विकास एवं विपणन पर पहल दृ कालीन निर्यात संवर्धन परिषद कौशल विकास पर दृढ़ता से अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है और विशाल विपणन पहल भी आरंभ कर रही है। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद जयापुरा, भदोही एवं मिर्ज़ापुर में 120 कालीन बुनाई प्रशिक्षण केंद्र चला रही हैं और विशेषकर महिलाओं सहित 163 बैचों में 1956 कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान कर चुकी हैं।

आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम :–

- 20–23 अप्रैल, 2016 के दौरान हाँग–काँग में 10 निर्यातक–सदस्यों के साथ इंटरनेशनल टेक्सटाइल्स एंड फर्नीशिंग फेयर में भागीदारी सुनिश्चित की।
- 23–26 मई, 2016 के दौरान दुबई, यूएई में 11 निर्यातक–सदस्यों के साथ मैडल ईस्ट कवरींग्स में भागीदारी सुनिश्चित की। सीईपीसी के भारत पेवेलियन का

उदघाटन श्री राहुल श्रीवास्तव, वाणिज्य दूत, भारत के महावाणिज्य दूतावास, दुबई (यूएई) द्वारा किया गया।

- 2015 चीन (किंघई) में जिनिंग, किंघई प्रांत, चीन में अंतर्राष्ट्रीय कालीन प्रदर्शनी में 47 निर्यातक–सदस्यों के साथ भागीदारी सुनिश्चित की।
- 1–3 जुलाई, 2016 के दौरान मुंबई में एचजीएच इंडिया में 10 निर्यातक–सदस्यों के साथ भागीदारी सुनिश्चित की। सचिव (वस्त्र) द्वारा शो का उदघाटन किया गया। वस्त्र सचिव द्वारा भी शो का दौरा किया गया।
- 21–24 जुलाई, 2016 के दौरान मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में 11 निर्यातक–सदस्यों के साथ ऑस्ट्रेलियन इन्टरनेशनल फर्नीचर फेयर में भागीदारी सुनिश्चित की। सुश्री मनिका जैन, वाणिज्य दूत, मेलबोर्न में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सुश्री ईशा शर्मा, व्यापार अधिकारी, सीजीआई कार्यालय, मेलबोर्न के साथ सीईपीसी पेवेलियन का दौरा किया।
- शेनज़ेन, चीन में 15 निर्यातक सदस्यों के साथ होम फर्नीशिंग एक्स्पो में भागीदारी सुनिश्चित की।
- 3–6 अक्तूबर, 2016 के दौरान वाराणसी में 309 प्रतिभागियों के साथ इंडिया कालीन एक्स्पो आयोजित की। 372 विदेशी कालीन खरीददारों ने एक्स्पो का दौरा किया। एक्स्पो का संयुक्त उदघाटन श्री वीरेंद्र सिंह, संसद सदस्य, भदोही एवं प्रो यदुनाथ प्रसाद दुबे, कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत महाविद्यालय द्वारा किया गया। श्री महेश शर्मा, माननीय केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सचिव (वस्त्र), सचिव (वाणिज्य), सचिव (वस्त्र), श्री ज़ाहिद बेग, एमएलए, भदोही के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा एक्स्पो का दौरा किया गया।

(III) राष्ट्रीय डिजाइन एवं उत्पाद विकास केंद्र (एनसीडीपीडी)

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान संचालित गतिविधियों का ब्यौरा :–

1. 6 से 10 अप्रैल, 2016 के दौरान सेलेक्ट सिटीवॉक, साकेत, नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों का थीमेटिक प्रदर्शन सह बिक्री –

(I) कारीगरों/ शिल्पियों एवं उद्यमियों को वृहत्त विपणन लिंकेजेस प्रदान करने के

उद्देश्य से विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से एनसीडीपीडी ने 6 से 10 अप्रैल, 2016 के दौरान सेलेक्ट सिटीवॉक, साकेत, नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों का थीमेटिक प्रदर्शन सह बिक्री आयोजित की।

(II) एनसीडीपीडी ने देश भर के अनुसूचित जाति श्रेणी के कारीगरों/शिल्पियों के लिए उनके उत्पादों के प्रदर्शन एवं बिक्री के लिए 19 विशेष स्टॉल स्थापित किए। मुख्य उत्पाद श्रेणियां चमड़ा, बीड कार्य, लकड़ी, आभूषण, टेराकोटा, पट्टचित्र चित्रकारी, हस्त कशीदाकारी एवं प्राकृतिक रेशे थे।

(III) प्रदर्शनी का उदघाटन श्री जे के दद्दू, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वस्त्र मंत्रालय, ईपीसीएच, सीईपीसी, एनसीडीपीडी के वरिष्ठ अधिकारियों तथा एनसीडीपीडी के विशिष्ट प्रबंधन समिति सदस्यों तथा व्यापार एवं उद्योग के सदस्यों की उपस्थिति में किया गया।

(IV) मुख्य अतिथि द्वारा सभी श्रेणियों के कारीगरों एवं शिल्पियों के समग्र विकास हेतु उठाए गए कदमों के लिए एनसीडीपीडी के प्रयासों की सराहना की गई। उद्यमियों एवं कारीगरों को खरीददारों के साथ एक लंबी अवधि के व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों में प्रवेश हेतु बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस सोर्सिंग शो का फोकस तथा आयोजन का उद्देश्य एक विशिष्ट एवं एकीकृत तरीके से क्रेता और विक्रेता को एक मंच उपलब्ध कराना है।

2. 18 से 22 मई, 2016 तक शिल्प संग्रहालय, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों का थीमेटिक प्रदर्शन सह बिक्री –

(I) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से एनसीडीपीडी ने 18 से 22 मई, 2016 तक शिल्प संग्रहालय, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों का थीमेटिक प्रदर्शन सह बिक्री आयोजित की।

(II) कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जाति के 23 कारीगरों/शिल्पियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं बिक्री का अवसर प्राप्त हुआ।

(III) प्रदर्शनी का उदघाटन श्रीमती रश्मि वर्मा, सचिव– वस्त्र, भारत सरकार द्वारा 18 मई, 2016 को किया गया। वस्त्र मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी समारोह की शोभा बढ़ाई गई।

3. आगरा, उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प कारीगरों/ शिल्पियों एवं उद्यमियों के लिए हितधारकों की बैठक :–

(I) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से एनसीडीपीडी ने 23 जुलाई, 2016 को होटल अमर, फ़तेहाबाद, आगरा में हितधारकों की एक बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य कारीगरों/ शिल्पियों एवं उद्यमियों को मेगा कलस्टर अप्रोच का विचार प्रस्तुत करना तथा इस मिशन में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करना था। बैठक का एक अन्य उद्देश्य आगरा के निखरे एवं

समृद्ध हस्तशिल्प की पहचान करना और उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं एवं मुद्दों को भी पहचानना था ताकि आगामी इंटरवेनशनों तथा क्रियान्वयनों के लिए योजनाओं की पर्याप्त रूपरेखा बनाई जा सके।

(II) सेमिनार के दौरान विचार–विमर्श एवं फीडबैक फोर्मों के माध्यम से विभिन्न बिन्दु सामने आए, जिन्हें भविष्य में हस्तशिल्प परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। सेमिनार में 50 से अधिक कारीगरों एवं उद्यमियों ने भाग लिया।

4. मथुरा में हस्तशिल्प कारीगरों/शिल्पियों एवं उद्यमियों के लिए हितधारकों की बैठक :–

(I) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से एनसीडीपीडी ने 22 जुलाई, 2016 को होटल विंगस्टन, मथुरा में हितधारकों की एक बैठक आयोजित की। बैठक का मूल उद्देश्य मथुरता कलस्टर के मौजूदा शिल्पों की पहचान करना, विभिन्न शिल्पों तथा शिल्पियों से संबंधित समस्याओं को समझना और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करना हैं। यह सभी सूचनाएं मथुरा को मेगा कलस्टर बनाने के लिए रूपरेखा बनाने में सहायक होगा।

(II) एनसीडीपीडी ने पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण तथा स्पष्टीकरण के माध्यम से मेगा कलस्टर अप्रोच के लाभों को प्रस्तुत किया ताकि कारीगरों को मेगा कलस्टर मिशन का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आगे विभिन्न मुद्दों, मथुरा में उत्पादन, हस्तशिल्प बाज़ार के ड्रॉबैक पर चर्चा की गई, कारीगरों ने भी हस्तशिल्प उद्योग की वर्तमान स्थिति के सुधार के लिए सुझाव दिए।

(III) इस चर्चा के दौरान, मथुरा में हस्तशिल्प उद्योग की स्थिति की विभिन्न समस्याओं की पहचान की गई। यह अंतर्दृष्टि मथुरा में भविष्य की योजना और मेगा कलस्टर मिशन के इंटरवेंशनों में सहायक होगा।

5. 7 अगस्त, 2016 को वाराणसी में हथकरघा दिवस कार्यक्रम के दौरान एनसीडीपीडी द्वारा हथकरघा उत्पादों का थीमेटिक प्रदर्शन :–

(I) 7 अगस्त, 2016 को होटल सीताकिरण, वाराणसी में दूसरे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कार्यक्रम के दौरान एनसीडीपीडी द्वारा हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी एवं उत्पाद प्रदर्शन आयोजित किया गया। एनसीडीपीडी की डिजाइन टीम द्वारा संतकबीर पुरस्कारों, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों के साथ राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम तथा निफ्ट के डिजाइन विद्यार्थियों के उत्पादों को अत्यंत सटीकता एवं सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया गया। नवीन उत्पादों पर प्रकाश डालने एवं बल देने के लिए थीमेटिक प्रदर्शन किया गया था। दर्शकों द्वारा प्रदर्शनी की अत्यंत सराहना की गई।

6. 9 अगस्त, 2016 को होशियारपुर, पंजाब के कारीगरों को काष्ठ हस्तशिल्प के 50 उन्नत टूल किटों का वितरण :–

(I) 9 अगस्त, 2016 को होटल शिराज

रीजेन्सी, होशियारपुर, पंजाब में श्री कुलविंदर सिंह, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, होशियारपुर द्वारा होशियारपुर, पंजाब के 150 कारीगरों को काष्ठ हस्तशिल्प के उन्नत टूलकिट वितरित किए गए।

7. निजामाबाद, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में टेराकोटा/पॉटरी कारीगरों को 100 उन्नत मोटोराइज्ड पॉटर व्हील का वितरण :–

(I) श्री बी एस सिंह, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 8 जून, 2016 को निजामाबाद में टेराकोटा शिल्प के कारीगरों/शिल्पियों को 100 उन्नत मोटोराइज्ड पॉटर व्हील वितरित किए गए। समारोह में सुश्री नीलम सोनकर, संसद सदस्य, निजामाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा भी भाग लिया गया। संसद सदस्य तथा अन्य आमंत्रितों ने कारीगरों की शिल्पी उत्पादकता तथा उनकी आय में वृद्धि हेतु प्रोद्योगिकीय सहायता प्रदान करने के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। हस्तशिल्प उत्पादों के शीघ्र उत्पादन का तात्पर्य इन उत्पादों के राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय खरीददारों को बिक्री द्वारा कारीगर समूहों की जीविका का बढ़ना है।

8. 12 अगस्त, 2016 को होशियारपुर के अनुसूचित जाति कारीगरों के लिए डिजाइन एवं उत्पाद नवाचार, प्रवृत्ति और पूर्वानुमान पर एक दिवसीय सेमिनार :–

(I) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के समर्थन के तहत एनसीडीपीडी ने 12 अगस्त, 2016 को होशियारपुर के अनुसूचित जाति कारीगरों के लिए डिजाइन एवं उत्पाद नवाचार, प्रवृत्ति और पूर्वानुमान पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया।

(II) सेमिनार में, विशेषज्ञों ने डिजाइन और इसके गुणों तथा डिजाइन एवं रंगों में नवीनतम प्रवृत्तियों/ नवाचारों की महत्ता के बारे में जागरूकता प्रदान की। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि ग्राहकों कि आवश्यकता एवं जरूरतों के अनुसार बाज़ार का चयन कैसे किया जाए। लगभग 125 कारीगरों नें इस कार्यक्रम में भाग लिया।

(III) सेमिनार में होशियारपुर कलस्टर के लगभग 125 कारीगरों/ शिल्पियों, नवोदित उद्यमियों, एनजीओ, एसएचजी एवं अन्य सम्मानीय व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रदान की गई सूचना अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं सम्मानित व्यक्तियों द्वारा सराही गई।

9. 6 से 15 सितंबर, 2016 तक भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान (आईआईसीडी) में संयुक्त रूप से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एक्सिम बैंक) तथा एनसीडीपीडी द्वारा आयोजित ब्रिक्स हस्तशिल्प कारीगर विनिमय कार्यक्रम :–

(I) ब्रिक्स राष्ट्रों, एक्सिम बैंक के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए एनसीडीपीडी की संबद्धता में हस्तशिल्प कारीगरों के लिए "ब्रिक्स हस्तशिल्प कारीगर विनिमय

कार्यक्रम" आयोजित किया गया। 10 दिवसीय कार्यक्रम दिनांक 06 से 15 सितंबर, 2016 तक जयपुर, राजस्थान के भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान (आईआईसीडी) कैंपस में आयोजित किया गया। कुल 46 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। चीन, रूस एवं दक्षिण अफ्रीका से 5 प्रतिभागियों ने और ब्राज़ील से 4 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। 26 प्रतिभागी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए थे।

कार्यक्रम का उदघाटन श्री गजेन्द्र सिंह खिमसर, माननीय उद्योग मंत्री, एनआरआई, सरकारी उपक्रम, डीएमआईसी, युवा मामले एवं खेल– राजस्थान सरकार द्वारा श्री यदुवेन्द्र माथुर, सीएमडी–एक्सिम बैंक की उपस्थिति में होटल मेरिओट, जयपुर में दिनांक 7 सितंबर, 2016 को किया गया।

(II) प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो डिजाइनरों की टीम के साथ एनसीडीपीडी के वरिष्ठ संकाय सहित आईआईसीडी के 18 विद्यार्थियों ने दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों का ध्यान रखा। कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों ने अपने देशों की विभिन्न हस्त–कशीदाकारी तकनीकों के मिश्रण का प्रयोग करते हुए डिजाइनों और संयुक्त रूप से होम फर्नीशिंग तथा फैशन एक्सेसरीज़ उत्पादों को विकसित किया।

(III) प्रतिभागियों को होम फर्नीशिंग तथा फैशन एक्सेसरीज़ श्रेणी के उत्पादों के सम्पूर्ण संग्रह को बनाने के लिए डिजाइन प्रक्रिया और मोटिफ एवं कलर पेलेट के विकास के बारे में अनेकों प्रस्तुतियों के माध्यम से शिक्षित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य फोकस प्रोटोटाइप उत्पाद विकास के सजीव प्रदर्शन पर था जिसमें आगे सभी प्रतिभागियों को अपने देशों से विभिन्न हस्त कशीदाकारी तकनीकों को मिक्स एवं मैच करने के लिए प्रोत्साहित किया।

10. दिनांक 16 अक्तूबर, 2016 को अपराहन 1:00 बजे सांस्कृतिक संकुल, मकबूल आलम रोड, चौकाघाट, वाराणसी में दस्तकार चौपाल का उद्घाटन एवं वाराणसी के कारीगरों के लिए गुरु शिष्य परंपरा आरंभ करना :–

(I) माननीया वस्त्र मंत्री, भारत सरकार श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी ने वाराणसी में दस्तकार चौपाल का उदघाटन किया जो वाराणसी के हस्तशिल्पों के विकास एवं संवर्धन के लिए व्यापक जागरूकता तथा संवेदीकरण सृजित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया अपनी तरह का पहला प्रयास है।

(II) हितधारकों से फीडबैक के आधार पर, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने एक महत्वकांक्षी समय एवं लक्ष्य बद्ध " वाराणसी के हस्तशिल्पों के विकास एवं संवर्धन के लिए एकीकृत परियोजना" अनुमोदित की है। प्रत्येक कलस्टर में कारीगरों की अनुमानित संख्या के आधार पर मुख्य चिन्हित शिल्पों में ज़री/जरदोज़ी, टेराकोटा, काष्ठ हस्तशिल्प, कृत्रिम आभूषण, सोप स्टोन आदि हैं। परियोजना में 21,000 से अधिक प्रत्यक्ष लाभार्थियों को लक्ष्यांकित करते हुए प्रभावी परिणामों के लिए औसत नतीजों तथा विभिन्न प्रचार

स्कीमों में सामंजस्य बैठाने के साथ एक छत्र के तहत संस्थागत समर्थन प्रदान किया जा रहा है।

(III) दस्तकार चौपाल संवेदीकरण भी सृजित करेगा और बेसलाइन सर्वे के साथ–साथ आवश्यक कौशल सेटों, कच्चे माल तथा बाज़ार पहुँच पर आवश्यकता निर्धारण भी करेगा। विभिन्न कलस्टरों में ऐसे 14 दस्तकार चौपाल आयोजित किए गए हैं।

(IV) माननीया वस्त्र मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान वाराणसी के 7 कलस्टरों के अगली पीढ़ी के कारीगरों के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वकांक्षी तथा फ्लेगशिप परियोजना गुरु शिष्य परंपरा भी आरंभ की। गुरु शिष्य परंपरा कार्यक्रम नई पीढ़ी को हस्तशिल्प को व्यवसाय के रूप में अपनाने हेतु तैयार करने के द्वारा पितरों से पोते–पोतियों को विरासत एवं पारंपरिक ज्ञान के हस्तांतरण के लिए एक ऊर्जस्वी मंच प्रदान करेगा।

(V) माननीय मंत्री ने यह आकलन भी किया कि यह महत्वकांक्षी "वाराणसी के हस्तशिल्पों के विकास एवं संवर्धन के लिए एकीकृत परियोजना" उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में समग्र आर्थिक प्रगति एवं स्थिरता के लिए युवा पीढ़ी और कारीगरों को प्रेरित करेगा जिसे विकास के लिए कभी प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई।

(IV) धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र, मुरादाबाद–

देश से कलात्मक धातु पात्रों के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है और यदि बेहतर फिनिशिंग, पैकेजिंग आदि के साथ उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाए तो इसमें अधिक वृद्धि का सामर्थ्य है, चूंकि पारंपरिक तरीके से निर्यात मदों की फिनिशिंग में कमी रह जाती है जो आयातक देशों की कठोर आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। इस संबंध में, व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने मुरादाबाद में धातु हस्तशिल्प सेवा केन्द्र की स्थापना की है जिसे बाद में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया।

केंद्र को संयुक्त राष्ट्र विकास निधि और उत्तर प्रदेश सरकार से समर्थन प्राप्त होता है। इस केन्द्र को कलात्मक धातुपात्रों की फिनिशिंग औरसम्बद्ध प्रक्रियाओं के लिएराष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाने का विचार है और आशा है कि यह कलात्मक धातुपात्रों के निर्यातकों को कौशल एवं तकनीकी उन्नयन की आवश्यक और सुविज्ञ सेवाएं मुहैया करा सकेगा।

धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है जिसका प्रबंधन भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, व्यापार एवं संबद्ध संगठनों के प्रतिनिधियों से बनी शासी परिषद द्वारा किया जाता है।

हमारे विभिन्न विभाग –

- **एलेक्ट्रोप्लेटिंग शॉप**
- **कौशल विकास प्रशिक्षण**
- **लेकरिंग**
- **पाउडर कोटिंग**
- **पोलिशिंग**

- **अनुसंधान, टेस्टिंग और केलिबरेशन प्रयोगशाला**
- **डिजाइन बैंक**
- **सैंड / शॉट ब्लास्टिंग**

धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र के स्थापना से पूर्व, कलात्मक धातु पात्र उद्योग में उत्पादन एवं सर्फेस फिनिशिंग की पुरातन तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। पारंपरिक तरीके से निर्यात मदों की फिनिशिंग में कमी रह जाती है जो आयातक देशों की कठोर आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। उपर्युक्त बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास निधि और उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थन से मुरादाबाद में धातु हस्तशिल्प विकास केंद्र की स्थापना की। वर्ष 1985 में परियोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और परियोजना लागत में संयुक्त राष्ट्र विकास निधि, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा निम्न प्रकार से हैं:–

संयुक्त राष्ट्र विकास निधि सहायता : (यूएस डॉलर 4,50,000)

आयातित प्लांट तथा उपस्कर, विदेशी विशेषज्ञों को परामर्शदाता प्रभार तथा धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र के स्टाफ के विदेशों में प्रशिक्षण की ओर।

उत्तर प्रदेश सरकार : (42.50 लाख रुपए)

उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि तथा भवन की ओर 42.50 लाख रुपए का योगदान दिया।

उत्तर प्रदेश सरकार : (230.0 लाख रुपए)

प्लांट एवं उपस्कर, फर्नीचर एवं फिक्सचर्स और प्रबंधीय समर्थन के स्वदेशी घटक के लिए।

वर्ष 1987 में परियोजना उपस्करों का परिनिर्माण शुरू किया गया। जून, 1989 में लेकरिंग शॉप को कमीशन देकर ट्रायल उत्पादन शुरू किया गया।

तत्पश्चात टेस्टिंग, पाउडर कोटिंग, पोलिशिंग, फोस्फ़ेटिंग एवं प्रशिक्षण आदि सुविधाएं शुरू की गई। तथापि अप्रैल,1994 में एलेक्ट्रोप्लटिंग प्लांट को कमीशन किया गया, प्लांट सप्लायर, जो समापन कार्यक्रम के अपने वादे को पूरा न कर पाने के कारण हुई देरी के परिणामस्वरूप उसके कोंट्रेक्ट को समाप्त कर दिया गया और एमएचएससी ने एनआईडीसी की सहायता से प्लांट को कार्यात्मक बनाने के शेष कार्य को पूरा किया।

एमएचएससी में उपर्युक्त सुविधाओं के सृजन से न केवल निर्यातकों के मध्य गुणवत्ता, उत्पादन के लिए ऐसी प्रोद्योगिकियों के प्रयोग की अवश्यकताओं के बारे में जागरूकता आई है बल्कि इन प्रोद्योगिकियों के प्रयोग से बने उत्पादों को विश्व बाज़ार में व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त है।

आरंभिक चरणों में केंद्र के मामलों को यूपी स्टेट ब्रासवेयर कॉर्पोरेशन लि?, उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम के माध्यम से विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा देखा जा रहा था किन्तु अगस्त, 1991 में न लाभ न हानि के आधार पर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। संस्था के नीतिगत मामलों को सरकारी परिषद द्वारा देखा जाता है जिसमें विकास आयुक्त (हस्त०) अध्यक्ष होते हैं और संस्था के दैनिक मामलों को जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति द्वारा देखा जाता है।

इस समय के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, विदेशी प्रतिनिधियों, प्रेस प्रतिनिधियों,

दूरदर्शन तथा यूएनडीपी के अनेकों अधिकारियों द्वारा केंद्र का दौरा किया गया। सभी के द्वारा केंद्र के प्रयासों एवं प्रदर्शन की सराहना की गई।

प्रोद्योगिकीय प्रगति एवं कलात्मक धातु पात्र की संभावित मांग के बदलते परिदृश्य में, उत्पादकों, निर्यातकों, विदेशी खरीददारों/ प्रतिनिधियों, आगंतुकों और यूएनडीपी विशेषज्ञों आदि के संयुक्त फीडबैक के आधार पर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र को आवश्यक क्षेत्रों में ओर अधिक सँवारने की आवश्यकता महसूस हुई।

धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र की स्थापना सभी उन्नत प्रोद्योगिकी एवं लेकरिंग एलेक्ट्रोप्लटिंग (गोल्ड, सिल्वर, कॉपर,ब्रास, क्रोम आदि), एंटिक फिनिश, पाउडर कोटिंग एवं सैंड/शॉट ब्लास्टिंग आदि जैसी सुविधाओं और लेड एंड कैडमियम लिचिंग, लेड इन सर्फेस कोटिंग, एफ़डीए टेस्ट एवं केलिफोर्निया प्रोप.65, मेटल एवं मेटल अलोय एनालिसिस, मल्टी लेयर मेटेलिक प्लेटिंग थिक्नेस टेस्ट, एनालिसिस ऑफ एलेक्ट्रोलाइट, कोरोसन रेसिस्टेंस टेस्ट, साल्ट स्प्रे टेस्ट, हुमिडीटी टेस्ट, टेस्टिंग ऑफ लेकर कोटिंग, टेस्टिंग ऑफ पैंट कोटिंग, टेस्टिंग ऑफ पाउडर कोटिंग, टेस्टिंग ऑफ बरस्टिंग स्ट्रेन्थ ऑफ करुगटेस बोक्सेस, ड्रॉप टेस्ट ऑफ कार्टोन्स, कलर शेड मेचिंग, मोइश्चर कंटेन्ट इन वुड, आरओएचएस टेस्ट, रेडियशन टेस्ट आदि जैसी टेस्टिंग सुविधाओं के साथ की गई हैं।

केंद्र के उद्देश्य

- कलात्मक धातुपात्रों के उत्पादन में उत्तम सुधार लाना और उनकी निर्यात योग्यता को बढ़ाना।
- शिल्पियों के कौशल में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं और कलात्मक धातुपात्र उद्योग से जुड़ी तकनीकों को मुहैया कराना।
- हस्तशिल्प उत्पादों की फिनिंशिंग में सुधार लाने में निर्यातकों की मदद हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र (सी एफ सी) की स्थापना।
- एनएबीएल द्वारा प्रत्यापित अपनी परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुसार गुणवत्ता से जुड़े पहलुओं के संबंध में परीक्षण सुविधाएं मुहैया कराना।
- मेटल फिनिशिं तथा धातु हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े क्रियाकलापों के क्षेत्र में सतत अनुसंधान एवं विकास मुहैया कराना।

केंद्र की नवीनतम उपलब्धियां –

1. वित्तीय वर्ष 2016–17 में 31 अक्तूबर, 2016 तक सीएफ़सी से 67,27,321.00 रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया।
2. 01 अप्रैल, 2016 से 31 अक्तूबर, 2016 तक आरटीसी प्रयोगशाला से 19,81,811.00 रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया।

   केंद्र में उपलब्ध आंकड़े दर्शाते है कि उपर्युक्त सीएफ़सी एवं आरटीसीएल से कम से कम 750 निर्यातकों, उत्पादकों, खरीददारों/ खरीददारी एजेंटों और कारीगरों ने टेस्टिंग या फिनिशिंग जैसे विभिन्न तरीकों से लाभ प्राप्त किया।
3. 12 वीं योजना के तहत मुख्य चरण में वस्त्र मंत्रालय ने 08 मार्च, 2016 को 1,000 प्रशिक्षुओं को धातु हस्तशिल्प के 17 ट्रेडों में प्रशिक्षित करने के लिए एकीकृत कौशल विकास प्रशिक्षण परियोजना को अनुमोदित किया। वस्त्र समिति द्वारा अक्तूबर, 2016 के

प्रथम सप्ताह में आठ कोर्स अनुमोदित किए गए और प्रशिक्षण के पहले चरण में तीन ट्रेडों नामशः कंप्यूटर एडेड डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल एवं एलेक्ट्रोप्लटिंग में दिनांक 20 अक्तूबर, 2016 को प्रशिक्षण शुरू किए गए। कौशल विकास प्रशिक्षण की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और एमएचएससी एवं 7 अन्य टाई–अप संस्थानों के भारी संख्या में प्रशिक्षुओं के साथ दूसरा सत्र दिसंबर, 2016 के प्रथम सप्ताह में आरंभ होगा।

माननीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा द्वारा दिनांक 5 नवंबर, 2016 को केंद्र के हाल के दौरे के दौरान, वस्त्र मंत्रालय की आईएसडीएस के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन की सराहना की गई।

4. केंद्र ने मुरादाबाद, पटना एवं सरन में 07 डिजाइन कार्यशाला, पटना, मुरादाबाद, पिलखुआ (गाज़ियाबाद), आगरा, उत्तम नगर (दिल्ली) में एकीकृत डिजाइन परियोजना, पटना, दानापुर, राजगीर, दिल्ली एवं गुडगाँव में 05 कार्यशाला/सेमिनार और वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की हस्तशिल्प स्कीमों के तहत देहारादून में 01 गांधी शिल्प बाज़ार।

मेगा कलस्टर स्कीम के तहत सीएफ़सी

सीएफ़सी की बिल्डिंग अवसंरचना पूरी हो गई है और इसका उदघाटन सुश्री किरण ढींगरा, आईएएस, तत्कालीन सचिव (वस्त्र) द्वारा दिनांक 16 मई, 2012 को श्री एस एस गुप्ता, तत्कालीन विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), नई दिल्ली की उपस्थिति में किया गया। सीएफ़सी के सभी

उपस्कर पहुँच गए हैं और एलेक्ट्रोप्लटिंग प्लांट्स, एचिंग एवं कटिंग मशीनों तथा प्रोसेस लैब उपकरणों के लगाने का कार्य पूरा हो गया है। आगे, रसायन, कच्चे माल, बिजली, पानी एवं ईटीपी आदि के प्रापण के लिए सचिव वस्त्र की अध्यक्षता में दिनांक 16–17 मई, 2016 को पीएएमसी द्वारा 3.40 करोड़ रुपए की निधि अनुमोदित की गई हैं , किन्तु अभी तक निधियां प्राप्त नहीं हुई है।

मेगा कलस्टर स्कीम के अधीन टेस्टिंग लैब

टेस्टिंग प्रयोगशाला की बिल्डिंग विद्युतीकरण तथा फिनिशिंग के साथ समय सीमा से पहले ही पूरी हो गई है। टेस्टिंग उपकरणों के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं। टेस्टिंग प्रयोगशाला में लकड़ी, ग्लास, रेसिन (धातु से भिन्न) की टेस्टिंग के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 48 अनुमोदित टेस्टिंग उपकरणों में से, 15 टेस्टिंग उपकरण प्राप्त हो चुके हैं और 6 टेस्टिंग उपकरण लगा दिए गए हैं, शेष उपकरणों को लगाने तथा नए उपकरणों के प्रापण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हैं।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) तथा निदेशक (हस्तशिल्प), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, नई दिल्ली का एमएचएससी, मुरादाबाद का दौरा

(क) डॉ के गोपाल, आईएएस, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) तथा श्री पी के ठाकुर, आईएसएस, निदेशक (हस्तशिल्प), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को एमएचएससी, मुरादाबाद का दौरा किया और केंद्र के प्रदर्शन की समीक्षा की।

(ख) श्री अजय टम्टा, माननीय वस्त्र राज्य मंत्री, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 नवंबर, 2016 को एमएचएससी का दौरा किया गया और एमएचएससी, मुरादाबाद की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई।

केंद्र की वित्तीय स्थिति

केंद्र व्यापार के विकास के लिए कार्य करता है। केंद्र के सहयोग से, मुरादाबाद का निर्यात कई गुना बढ़ गया है किन्तु हमें अनुसंधान एवं विकास जारी रखना है। विदेशी खरीददारों, क्रेता एजेंसियों, निर्यातकों और सभी आगंतुकों ने भारत में अपनी तरह का अकेला केंद्र होने के कारण इसके प्रयासों की सराहना की हैं। केंद्र को 'न लाभ न हानि' के साथ कार्य करना है। इसका तात्पर्य है कि जब निर्यात पाने चरम पर होता है

तो केंद्र अपनी आय से अपने व्यय का पोषण कर सकता है। तथापि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था उपयुक्त नहीं होती है तो कई बार इस क्षेत्र से निर्यात कम हो जाता है। इस समय केंद्र की आय कम हो जाती है और इसे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे बिजली बिल, स्टाफ की सैलरी, सुरक्षा खर्च आदि के लिए संघर्ष करना पड़ता हैं।

पर्याप्त राजस्व उपलब्ध न होने के कारण अभी तक छठे वेतन आयोग तथा सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट केंद्र में क्रियान्वित नहीं की गई है । यह पिछले कई वर्षों से अतिदेय है। वास्तव में नए स्थापित सीएफ़सी आदि के संचालन के लिए केंद्र में उच्च अहर्ता प्राप्त स्टाफ की आवश्यकता है। नए कार्मिकों को आकर्षित करने के लिए छठे वेतन आयोग तथा सातवें वेतन आयोग के वेतन पैकेज का क्रियान्वयन अति आवश्यक है।

आज तक केंद्र के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए इसे कम से कम 100 लाख रुपए के वार्षिक अनुदान या 15 करोड़ रुपए की कॉर्पस निधि की आवश्यकता है जब तक केंद्र आत्म स्थिर न बन जाए जैसे विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली के तहत अन्य केंद्र हो गए हैं।

केंद्र की पुनर्संरचना

अंतिम जीसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केंद्र को पुनर्जीवित करने के लिए एक पुनर्गठन योजना को क्रियान्वित किया जाए। अभी तक केंद्र आरंभिक चरण में है। वास्तव में, इस क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के योगदान पर विचार करते हुए, यह सही है कि केंद्र को पुनर्जीवित करने में इस क्षेत्र के लघु एवं माध्यम श्रेणी निर्यातकों का समर्थन लिया जाए।

(V) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान – भदोही

भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) की स्थापना समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा 1998 में एक पंजीकृत समिति के रुप में की गई है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान ने वर्ष 2001 में बी–टेक (कालीन और वस्त्र प्रौद्योगिकी) डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत से कार्य करना आरम्भ किया, यह बी–टेक डिग्री कार्यक्रम अपनी तरह का एक अनूठा डिग्री कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 20 छात्रों से की गई थी और बाद में यह संख्या 60 तक पहुंच गई।

आई आई सी टी की गुणवत्ता नीति

- हमारे विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा मुहैया कराना जिससेकि पणधारियों की प्रत्याक्षित अवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
- मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए सतत् आधार पर गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाया जाए ।
- सभी पणधारियों और उद्योगों के सभी विभागों में समय पर और संतोषजनक सेवाएं दी जाएं।

संस्थान के प्रोफाइल का प्रदर्शन

1. मानव संसाधन विकास (एच आर डी)

- कालीन एवं वस्त्र प्रौद्योगिकी में बी–टेक कार्यक्रम
  - बी दृ)ह्यङ कार्यक्रम में कुल 252 विद्यार्थी पढ़ रहे है।
  - पास हो चुके विद्यार्थी कालीन, वस्त्र तथा संबद्ध उद्योगों में कार्यरत हैं।
- **परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण**
  - 3500 से अधिक प्रशिक्षुओं ने

सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया है जिसमें डिजाइनिंग एवं तकनीकी विकास, कालीन बुनाई एवं सॉफ्ट स्किल, शिल्प जागरूकता, सूचना प्रोद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कुछ प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा फ्रीलान्सिंग के अलावा, प्रशिक्षित डिजाइनरों की एक बड़ी संख्या उद्योग की सेवा में लगी हुई हैं। अन्य प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए कोंट्रेक्टर द्वारा लगाए जाने के साथ ही स्व रोजगाए ने जगह ले ली है।

- अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा प्राप्ति कार्यक्रम (आई डी एल पी)
  - उद्योग चालित विशेष पाठ्यक्रम और आई डी एल पी पेकेजेस।
  - आई आई टी सी द्वारा संचालित आईडीएलपी और ए जी रिसर्चलि0 न्यूज़ीलैंड के सहयोग से वांछित विषयों पर 6000/– रुपये प्रति विषयकी दर से फीस देकर अपने वांछित विषय (यों) पर अपने प्रतिनिधि (यों) को नामांकित करके उद्योग लाभ उठा सकता है।

2. डिजाइन सृजन एवं विकास (डीसीडी)

नए डिजाइनविकसित किएगए है और उद्योग द्वारा कुछ डिजाइन वाणिज्यिक उपयोग के लिएप्रयोग में लाए जा चुके हैं।

3. अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

उत्पाद विकास–संस्थान अथवा सहयोग के स्तर पर कई उत्पाद विकास क्रियाकलाप किएगए जिनमें शामिल है–

- सॉफ्ट स्किल, तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला आदि से संबंधित प्रायोजित परियोजनाएं।

4. उद्योग को तकनीकी सहायता (टीएसआई)

- संस्थान अपनी विभिन्न प्रयोगशालाओं जैसे कैडलैब, डिज़ाइन स्टूडियो, फिजिकल एवं कैमिकल लैब और कारपेट लैब आदि के माध्यम से उद्योग को निरन्तर सेवाएं प्रदान कर रहा है जिससे ग्लोबल मार्किट के साथ मुकाबला करने की उनकी ज़रुरतों को पूरा किया जा सके ।
- आई आई सी टी प्रयोगशालाएं एनएबीएल एक्रेडिटेड है अतः परीक्षण रिपोर्टें अंतराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य है ।
- **''कालीन बन्धु''** – उद्योग के लिएमंच– आई आई सी टी इंटरफेस इंटरेक्टिव कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय रही है।

रिजल्ट फ्रेमवर्क दस्तावेज़ (आरएफ़डी) का अनुपालन : संस्थान ने मानव संसाधन विकास (एचआरडी), अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी), डिजाइन निर्माण एवं विकास (डीसीडी), तकनीकी सहायता एवं सेवाएँ (टीएसआई) तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं प्रशासनिक गतिविधियों के लिए 98% अंक प्राप्त किए हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आईआईसीटी सरकार द्वारा दी गई पणधारकों की लक्ष्यांकित आवश्यकता को पूरा कर रहा है।

वर्ष की मुख्य उपलब्धियां –

- "आईआईसीटी, भदोही के राष्ट्रीय स्तर वस्त्र संस्थान में उन्नयन पर साध्यता अध्ययन" परियोजना पर एक रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत कर दी गई है।
- कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठकें दिनांक 15/03/3016, 01/11/2015, 08/09/2015, 19/05/2015 को आयोजित की गई।

- दिनांक 01/11/2016 को संस्थान दिवस आयोजित किया गया।
- आईआईसीटी के पिपरिस कैंपस में यूपी आवास एवं विकास परिषद, वाराणसी द्वारा निर्माण एवं विकास कार्य किया जा रहा है।
- निदेशक, आईआईसीटी ने कुछ दस्तावेज़ प्रस्तुत किए/ कार्यशाला में भाग लिया (कुछ नीचे उल्लिखित हैं):
  - एमएसएमई/ हस्तनिर्मित कालीन सेक्टर–कालीन–ई–वल्ड द्वारा नवोन्मेष के संवर्धन में तकनीकी संस्थान की भूमिका
  - दिनांक 20/07/2016 को बीआईएस, नई दिल्ली में तकनीकी वस्त्रों में मानकीकरण एवं मूल्य वर्धन।
  - दिनांक 18/08/2015 को वाराणसी के एम्बिशन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी में कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम पर विशेष व्याख्यान देना।
  - दिनांक 22/01/2016 को यूपीटीटीआई, कानपुर में एफ़डीपी पर व्याख्यान देना ।
  - दिनांक 26/06/2015 को मैसर्स मेस्से फ्रेंकफ़र्ट ट्रेड फेयर्स इंडिया प्रा० लि०, नई दिल्ली में होम टेक्सटाइल पर व्याख्यान देना।
- आईआईसीटी के श्री एच एस मोहापात्रा ने एनआईटी, जालंधर, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरटीसीटी 2016 में भाग लेते हुए शोध पत्र प्रस्तुत किया।
- संस्थान में विभिन्न कार्यशालाएं जैसे भारतीय मोटिफ के पारंपरिक पहलू के साथ हस्तनिर्मित कालीन में डिजाइन परियोजना, दरी शिल्प में भारतीय डिजाइन, भारतीय टफटेड कालीन फिजाइन शिल्प, शिल्प के संदर्भ में संवाद योग्यता आदि सफलतापूर्वक आयोजित की गई।
- प्रो० के के गोस्वामी द्वारा लिखित पुस्तक " प्रोसेस कंट्रोल इन मेनुफ़ेक्चरिंग होम टेक्सटाइल" का हिन्दी अनुवाद कालीन एवं संबधित उद्योग के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है।
- कॉयर सिल्क के लिए सीसीआरआई, एल्लेप्पे, केरल कॉयर बोर्ड, कोची द्वारा क्रांतिकारी अनुसंधान समर्थन बना हुआ है।
- "टेरिलीनों" नामक एक स्ट्रेच/स्प्रौट प्रतिरोधी पाइल को ध्यान में रखकर आईपीआर के तहत कवर किया गया है जो मेक इन इंडिया के अधीन एक कदम है ताकि एक नई / कम मूल्य की कालीन टेरी संरचना प्रदान की जा सकें।
- श्री जे के दादू, आईएएस, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य एवं वस्त्र विभाग, भारत सरकार द्वारा संस्थान का दौरा किया गया और उनके द्वारा दिए गए निदेशों/ सुझावों का संस्थान द्वारा अनुपालन किया गया।
- निदेशक, आईआईसीटी के नेतृत्व में 31 दिसंबर, 2015 को वर्ष 2016 के संकल्प को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान आईआईसीटी की फ़ैकल्टी/ स्टाफ द्वारा सतत एवं अनवरत प्रयास किए गए जो निम्न प्रकार से हैं :–
  - स्वच्छ – हरित आईआईसीटी तथा बारिश के पानी का संग्रहण
  - शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र में

आगे सुधार करना ताकि यूजी छात्रों सहित सभी प्रकार के प्रशिक्षुओं में आवधिक योग्यता में वृद्धि हो सके।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट सहित बेहतर प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट के लिए कार्यकलापों की गति बढ़ाई जाए।
- फ़ैकल्टी विकास कार्यक्रम को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाया जाए।
- सभी गतिविधियों का फोकस पणधारकों (मुख्यतः उद्योग) की जरूरत एवं आवश्यकताओं पर होना चाहिए।

संस्थान निरंतर प्रयास कर रहा है कि क्षेत्र की लंबे समय से लंबित तकनीकी विशेषज्ञों की मांग को अपने बी टेक टेक्नोक्रट्स के माध्यम से पूरा किया जाए। उद्योग भी आगे आया है और इन टेक्नोक्रट्स को अपने संगठन में उपयुक्त रूप से स्थान दिया है।

(VI) बांस एवं बेंत विकास संस्थान, अगरतला, त्रिपुरा वित्तीय वर्ष 2016–17 में संचालित गतिविधियों का ब्यौरा (अप्रैल से अक्तूबर, 2016 तक)

8 से 10 अप्रैल, 2016 तक इंदौर में वैश्विक बांस शिखर सम्मेलन

बांस पारिस्थितिकी, वाणिज्यिक और सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बांस अपने वितरण, विविधता तथा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रयोग के अनुसार वनस्पति जगत में अद्वितीय स्थिति धारण करता है। सभी पणधारकों को एक जगह लाने के उद्देश्य से 8 से 10 अप्रैल, 2016 तक इंदौर में वैश्विक बांस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।

बीसीडीआई तथा एनसीडीपीडी द्वारा 'भारतीय बांस का खज़ाना' सहित थीमेटिक डिस्प्ले आयोजित किया गया। फर्नीचर, उपयोगी मदें, टेबल टॉप उत्पाद, आभूषण, बास्केटरी, टर्निंग शिल्प आदि उत्पाद प्रदर्शित किए गए। अनेक केंद्रीय तथा राज्य मंत्रियों ने दौरा कर प्रदर्शनी की सराहना की। आगंतुक भी विविध एवं उत्तम उत्पाद मदों को देखकर अत्यंत उत्साहित थे।

डॉ ए कांत, प्रभारी, बीसीडीआई ने धारणीय जीविका अवसरों के सृजन में बांस क्षेत्र में कौशल विकासश के तकनीकी सत्र में बांस हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास में संस्थागत समर्थन के संवर्धन पर बीसीडीआई की भूमिका पर एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रकाश डाला।

- **बांस गोंद बोर्ड प्रौद्योगिकी के प्रसार पर सेमिनार**

  पूर्वोत्तर राज्यों में बांस गोंद बोर्ड प्रौद्योगिकी पर जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से, बीसीडीआई ने आईकेईए के सहयोग से 21 एवं 22 मई, 2016 को दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में अनेक निवेशकों ने भाग लिया जो इस तकनीक के बारे में जानने के इच्छुक है और देश के पूर्वोत्तर भाग में उत्पादन यूनिटें लगाने के लिए तैयार है। प्रथम दिन के दौरान आईकेईए, शंघाई के विशेषज्ञों तथा श्री राजशेखर, प्रोजेक्ट मैनेजर, आईकेईए, भारत ने बांस गोंद बोर्ड प्रौद्योगिकी पर एक प्रस्तुतिकरण दिया। दूसरे दिन बीसीडीआई की मशीन फेसिलिटी में सभी निवेशकों को विस्तृत प्रदर्शन तथा हाथों का अनुभव प्रदान किया गया।

- **अरुणाचल प्रदेश तथा मिज़ोरम के लिए बांस गोंद बोर्ड प्रौद्योगिकी पर यूनिटों की स्थापना**

  बांस गोंद बोर्ड प्रौद्योगिकी पर आईकेईए तथा बीसीडीआई द्वारा संचालित सेमिनार के आधार पर, पूर्वोत्तर के निवेशकों ने बांस गोंद बोर्ड प्रौद्योगिकी पर यूनिटें स्थापित करने में दिलचस्पी दिखाई है। इन निवेशकों ने भुगतान आधार पर प्रोटोटाइप के विकास के लिए विशेषज्ञता तथा सेवाएं उपलब्ध करने के लिए बीसीडीआई से संपर्क किया है। मई, 2016 माह में लाभार्थी बीसीडीआई में कच्चे बांस लाए ताकि आईकेईए के विनिर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रोटोटाइप विकसित किए जा सकें। आईकेईए का सप्लायर बनने के

लिए यथोचित परिश्रम के एक भाग के रूप में उद्यमियों द्वारा आईकेईए को प्रोटोटाइप प्रस्तुत किए गए। गोलोसो, अरुणाचल प्रदेश द्वारा विकसित नमूने आईकेईए द्वारा अनुमोदित किए गए और वे अरुणाचल प्रदेश में यूनिट लगाने को तैयार है।

- **त्रिपुरा ज़ीका परियोजना के लिए बांस फर्नीचर तथा बांस उपयोगी उत्पादों पर आवासीय प्रशिक्षण**

  बीसीडीआई ने बांस फर्नीचर तथा उपयोगी उत्पादों के लिए त्रिपुरा ज़ीका परियोजना के समर्थन के तहत 45 दिनों का कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। दिनांक 6 जून, 2016 से 20 जुलाई, 2016 तक बीसीडीआई में प्रशिक्षण संचालित किया गया। साधारण हस्त औज़ारों तथा पाउडर संचालित औज़ारों जैसे लोहे की आरी, हेंड सौ, छेनी,सैंडर मशीन,ड्रिल मशीन,चक्की मशीन आदि के संचालन के बारे में प्रशिक्षुओं को जानकारी दी गई। उन्हें बांस उपचार, उत्पादों के फिनिशिंग तरीकों पर भी प्रशिक्षण दिया गया और फर्नीचर मदों के विभिन्न डिजाइनों पर अभ्यास कर प्रशिक्षण अवधि के दौरान विकसित भी किया गया।

- **एचएमसीएम, बरेली के प्रतिभागियों के लिए बांस हस्तशिल्प पर तकनीकी प्रशिक्षण**

  बरेली मेगा कलस्टर के बांस शिल्प के कारीगरों को 24 जुलाई से 22 अगस्त, 2016 तक बीसीडीआई में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हस्तशिल्प मेगा कलस्टर मिशन, बरेली मेगा कलस्टर के कुल 30 कारीगरों ने कार्यक्रम में भाग लिया। प्रतिभागियों ने फर्नीचर एवं टोकरी जैसे बांस हस्तशिल्प उत्पादों को बनाने के कौशल सीखे। 20 प्रतिभागियों ने फर्नीचर तथा 10 प्रतिभागियों ने टोकरी में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

- **केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश के तहत बागवानी और वानिकी कॉलेज के बीएससी (वानिकी) के विद्यार्थियों के लिए एक माह का औद्योगिक प्रशिक्षण**

  केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश के तहत बागवानी और वानिकी कॉलेज के बीएससी अंतिम वर्ष (वानिकी) के विद्यार्थियों को 4 अगस्त से 2 सितंबर, 2016 तक बीसीडीआई में बांस पर औद्योगिक हस्त प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम का फोकस विद्यार्थियों को प्रशिक्षण तथा प्रोद्योगिकी प्रेरित डिजाइन तथा उत्पाद उन्मुख उत्कृष्टता पर था। विद्यार्थियों को बांस के विभिन्न पहलुओं पर समग्र प्रदर्शन प्राप्त हुआ जिसमें शामिल है : बांस प्रकारों की पहचान, उपचार के तरीकों • बांस की प्राथमिक प्रोसेसिंग • बांस की दूसरी प्रेसेसिंग तथा वर्टिकल बांस बोर्ड को बनाना • ग्रेवयार्ड टेस्ट, उत्पाद विकास जैसे लेपटोप स्टैंड और मोबाइल एम्प्लीफायर।

- **आईकेईए के सहयोग से गोंद एप्लीकेशन के लिए एक दिवसीय तकनीकी सत्र**

  मानक गोंद बोर्ड बनाने के लिए सही तरीके एवं गुणवत्ता के साथ गोंद को अप्लाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आईकेईए द्वारा मलेशिया से विशेषज्ञ बुलाए गए और 20 अगस्त, 2016 को बांस के स्लेट्स पर गोंद बनाने एवं लगाने पर एक दिवसीय तकनीकी सत्र संचालित किया गया। जिन निवेशकों ने आईकेईए के मानदंडों को पूरा किया उन्हें कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ।

बांस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र सरकार के लिए बांस फर्नीचर, बास्केटरी एवं टर्निंग उत्पादों पर आवासीय प्रशिक्षण

बीसीडीआई ने बांस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र सरकार के समर्थन के तहत 45 दिनों का कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षण का फोकस फर्नीचर, बास्केटरी एवं टर्निंग उत्पादों पर था। दिनांक 6 जून, 2016 से 20 जुलाई, 2016 तक बीसीडीआई में प्रशिक्षण संचालित किया गया जिसमें महाराष्ट्र के 12 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विशेषज्ञों द्वारा साधारण हस्त औज़ारों तथा पाउडर संचालित औज़ारों जैसे लोहे की आरी, हेंड सौ, छेनी,सैंडर मशीन,ड्रिल मशीन,चक्की मशीन आदि के संचालन के बारे में प्रशिक्षुओं को जानकारी दी गई। उन्हें बांस उपचार, उत्पादों के फिनिशिंग तरीकों पर भी प्रशिक्षण दिया गया और फर्नीचर, बास्केटरी एवं टर्निंग उत्पादों के विभिन्न डिजाइनों पर अभ्यास कर प्रशिक्षण अवधि के दौरान इन्हें विकसित भी किया गया।

स्वतंत्र अभियान के रंग

70 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 9 से 15 अगस्त, 2016 तक देश भर में 70 स्थानों पर वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श स्वतंत्रता के रंगश अभियान आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य भारत के लोगों विशेषकर युवाओं में स्वतंत्रता एवं देशभक्ति जुनून संचारित किया जाए।

अगरतला में बीसीडीआई, द्वारा सिटी सेंटर, अगरतला में अभियान का आयोजन किया गया। सिटी सेंटर के महत्वपूर्ण स्थान के केंद्र में 12 ग 9 फीट का एक फ्लेक्स 8 ग 7 फीट के खादी के कैनवस पर बनाया गया ताकि साधारण जनता अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। बीसीडीआई ने जनता को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अवसर पर किसी भी रंग या स्वंय के अनूठे तरीके के माध्यम से भविष्य के लिए अपनी आशाएँ तथा आकांक्षाएँ अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया।

7 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान दर्शकों से जबर्दस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। युवाओं को सेल्फी लेने और उसे रुआज़ादी के रंग के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए प्रेरित किया गया ताकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में युवा ऊर्जा का संचार हो सकें। स्वतंत्रता के रंगों से कुल 14 कैनवस भरे गए।

बीसीडीआई तथा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी द्वारा बांस की खेती तथा संसाधनों के उपयोग पर एक वर्ष का पीजी डिप्लोमा

बीसीडीआई त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के सहयोग से प्रतिवर्ष बांस की खेती तथा संसाधनों के उपयोग पर एक वर्ष का पीजी डिप्लोमा संचालित करती है। 6 विद्यार्थियों के पांचवें बैच को पाठ्यक्रम के लिए नामांकित किया गया है। अंतिम दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा अक्तूबर, 2016 के अंतिम सप्ताह में आयोजित की गई।

(VII) राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय

राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय क्राफ्ट म्यूज़ियम के नाम से भी जाना जाता है जो प्रगति मैदान, नई दिल्ली में स्थित है। यह हस्तशिल्प विकास आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं: हस्तशिल्प और हथकरघा की भारत की प्राचीन परंपराओं के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिल्पकारों, डिजाइनरों, निर्यातकों, विद्वानों और जनता के लिए एक इंटरैक्टिव मंच प्रदान करना, शिल्पकारों को बिचौलियों के बिना विपणन के लिए मंच मुहैया कराना और भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा परंपराओं के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में सेवा करना है। शिल्प नमूनों का संकलन, संरक्षण और परि–रक्षण करना तथा कला और शिल्प का पुनरुद्धार, प्रतिलिपि तैयार करना और विकास करना शिल्प संग्रहालय की गतिविधियां हैं।

संग्रहालय संकलन

संग्रहालय में 32,000 से अधिक कलाकृतियों का संग्रह है जिसमे धातु प्रतिमाये, दीपक और अगरबत्ती बर्नर, अनुष्ठान संबंधी सहायक सामग्री, रोजमर्रा की मदे, काष्ठ नक्काशी, चित्रांकित काष्ठ और पेपर मेशी, गुड़िया, खिलौने, कठपुतलियां, मास्क, लोक एवं आदिवासी चित्र और मूर्तियां, टेराकोटा, लोक एवं जनजातीय आभूषण और पारंपरिक भारतीय वस्त्र उद्योग का एक पूरा सेक्शन शामिल है। ये संकलन लोक एवं जनजातीय कला दीर्घा, मंदिर दीर्घा, दरबारी क्राफ्ट गैलरी और वस्त्र गैलरी में प्रदर्शित किए जाते हैं। शेष संग्रहालय संग्रह स्टोर में राखी जाती हैं।

शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम

संग्रहालय वर्षभर के दौरान होने वाले अपने नियमित शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा को प्रोत्साहन देने का कार्य करता है। संग्रहालय हर महीने पूरे भारत से 50 पारंपरिक कलाकारों, शिल्पियों और अदाकारों को आमंत्रित करता है ,जो संग्रहालय में ही रहते हैं, जिनको वहाँ अपने कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होता

है। संग्रहालय में वर्ष 2016–17 के दौरान अक्टूबर 2016 तक लगभग 201 शिल्पकार की और 37 अदाकार भाग ले चुके हैं। शेष पाँच माह अर्थात मार्च, 2017 तक इस कार्यक्रम में लगभग 250 शिल्पियों और अदाकारों द्वारा भाग लिया जाना अपेक्षित है।

अक्टूबर 2016 तक इस कार्यक्रम के तहत कुल खर्च के रूप में लगभग 16,15,372 /– रुपये उपगत किये जा चुके हैं।

अनुसंधान और प्रलेखन

अनुसंधान और प्रलेखन कार्य में दो क्रियाकलाप अर्थात फील्ड रिसर्च और शिल्पों तथा शिल्पियों का प्रलेखन शामिल है।

पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़ा अनुसंधान एवं प्रलेखन कार्य करना इस शिल्प संग्रहालय का प्रमुख क्रियाकलाप है। इस योजना के तहत संग्रहालय विद्वानों को लोक एवं जनजातीय कलाओं को शामिल करते हुए हस्तशिल्प एवं हथकरघा की परंपराओं को प्रलेखित करने के लिए फील्ड कार्य को करने हेतु निधियाँ उपलब्ध कराता है।

गांव परिसर

संग्रहालय का गांव परिसर देश के विभिन्न भागों के गाँव की विशिष्ट संरचनाओं का एक संस्मरण है। यह 1972 में रुरल इंडिया कॉम्प्लेक्स के रूप में स्थापित हुआ था। इसमे देश के विभिन्न क्षेत्रों

की विशिष्टतायें शामिल हैं जहां झोपड़ियों और मकानों, दीवारों एवं आंगनों आदि के प्रतिरूपों को तैयार करते हुए उन्हे पारंपरिक लोक कला रूपों से सजाया गया है। परिसर में शामिल हैं–

कुल्लू हट (हिमाचल प्रदेश); मेहर हट (सौराष्ट्र, गुजरात); गडबा हट (ओडिशा); बन्नी हट (गुजरात); मधुबनी आंगन (बिहार); आदि हट (अरुणाचल प्रदेश); निकोबार हट (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह); आंगन (जम्मू–कश्मीर); राभा हट (असम); नागा हट (उत्तर नागालैंड); टोडा हट (तमिलनाडु); गोंड हट (मध्य प्रदेश); देवनारायण के तीर्थ–स्थान (राजस्थान); बंगाल आंगन (पश्चिम बंगाल)।

परिसर में चार ओपन एयर थिएटर भी विकसित किए गए हैं जिनके नाम क्रमशः हैं–

- कादम्बरी रंगमंच
- सारंगा एम्फीथिएटर
- आँगन मंच
- पिलखान मंच

पुस्तकालय

संग्रहालय में एक विशेष संदर्भ पुस्तकालय है जिसमे पारंपरिक भारतीय कला, शिल्प, वस्त्र पर 20,000 से अधिक संदर्भ पुस्तकों के साथ अन्य पत्रिकाये भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय जनजातियों आदि पर प्रमुख एंथरोपोलीजिकल ग्रंथ भी इस संग्रहालय में हैं।

संग्रहालय में विभिन्न संस्थानों से शोधार्थी और छात्र इस स्थान का रुख करते हैं। इस के अवधि के दौरान लगभग 1300 लोग इस पुस्तकालय में आये तथा अक्टूबर, 2016 तक संदर्भ के लिए 595 पुस्तकें और 32 पत्रिकाये जारी की गई।

संरक्षण और परिरक्षण

संरक्षण और परिरक्षण अनुभाग के मुख्य कार्यों में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों/वस्तुओं की निवारक और उपचारात्मक देखभाल करना है। यह काम वर्ष भर किया जाता है।

संग्रहालय लगभग 210 विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, विभिन्न प्रकार के टेक्सटाइल्स की लाइनिंग और रफू को साफ और रासायनिक रूप से ट्रीयेट कर चुका है और साथ ही चार बड़ी वाल पैंटिंग्स को पीवीसी से लेमिनेट किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अक्तूबर, 2016 तक संग्रहालय के विलेज कॉम्प्लेक्स, स्टोर, गैलरीज़, म्यूज़ियम कोर्ट यार्ड और पुस्तकालय में कीटनाशक स्प्रे, सफाई और रासायनिक उपचार

फ्यूमिगेशन, खुली प्रदर्शित वस्तुओं को कवर करते हुए निवारक संरक्षण का कार्य किया जा चुका है।

इस अवधि के दौरान, शिल्प संग्रहालय में विभिन्न प्रदर्शनियों, सेमिनारों/कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

प्रदर्शनी

मेक्सिको दूतावास ने शिल्प संग्रहालय के सहयोग से प्रदर्शनी आयोजित की– सुश्री मेल्बा प्रिया, मेक्सिको की राजदूत द्वारा दिनांक– 13.09.2016 को एक माह के लिए श्ट्रेडिशन टेक्सटाइल्स ऑफ छियापसश का उद्घाटन किया गया।

अप्रैल, 2016 से अक्तूबर, 2016 तक के दौरान किए गए क्रियाकलाप

1. दो दिवसीय हैप्पी हैंड्स फ़ाउंडेशन आयोजित किया गया– द स्टोरी टेल्लर्स कलेक्टिव– 23–24 अप्रैल, 2016 को बच्चों द्वारा सृजित 10 'पटुआ कहानियों' का प्रदर्शन किया गया।
2. क्राफ्ट म्यूज़ियम के सहयोग से येस इंस्टीट्यूट आयोजित किया गया जिसमे अध्यापकों के साथ सेशन रखा गया था जिसका फोकस क्राफ्ट म्यूज़ियम में पाठ्यक्रम के लिए टूल्स के रूप में सांस्कृतिक संसाधनों के प्रयोग पर था। यह कार्यक्रम 18.05.2016 को इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे के अवसर पर आयोजित किया गया था।
3. आईटीआईएचएएएस द्वारा प्रोपोज़ल कोलाबोरेटिव इंटर्नशिप प्रोग्राम– क्राफ्ट म्यूज़ियम में 31.05.2016 से 10.06.2016 तक समरटाइम इंटर्नशिप प्रोग्राम– श्अ ट्रस्ट प्रोमोटिंग हेरिटेजश आयोजित किया गया।
4. राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय ने क्राफ्ट म्यूज़ियम में 11.05.2016 से 30.06.2016 तक बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए फ़ैशन/टेक्सटाइल्स डिज़ाइनिंग पर जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया।
5. दस्तकार हाट समिति, हौज़ खास, नई दिल्ली ने 08.08.2016 से 13.08.2016 तक शिल्पियों के फोटोग्राफी कौशल को बढ़ाने के लिए 06 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमे शिल्पियों को अपनी कलाओं एवं शिल्पों के संवर्धन के लिए व्हाट्स एप, फेस बुक और वैबसाइट्स के प्रयोग पर जानकारी दी गई।
6. इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली ने क्राफ्ट म्यूज़ियम और क्राफ्ट्स रिवाइवल ट्रस्ट के सहयोग से 22.10.2016–26.10.2016 तक शिल्प पर वार्षिक फेस्टिवल आयोजित किया गया।
7. बालूचरिज़ टेक्सटाइल्स पर कार्य करने वाले पंजीकृत ट्रस्ट श्वीवरस्टुडियो रिसोर्स सेंटरश ने अपनी परियोजना एवं प्रदर्शनी के रिवाइवल के लिए क्राफ्ट म्यूज़ियम के श्बालूचरी साड़ियों के संकलनश के फोटोग्राफ लिए।

प्रतिनिधिमंडल द्वारा दौरा

1. युवा मामले और खेल मंत्रालय के माध्यम से 11.05.2016 को भारत एवं मालदीव्स के बीच अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम के भाग के रूप में 50 सदस्यों वाले मालदीव युवा प्रतिनिधिमंडल द्वारा क्राफ्ट म्यूज़ियम का दौरा किया गया।
2. 15/10/2016 को कैलिफोर्निया, यूएसए से आये उच्च स्तरीय आगंतुकों के समूह द्वारा क्राफ्ट म्यूज़ियम का दौरा किया गया।

वित्तीय प्रगति

गैर योजना बजट के तहत 17.50 करोड़ रुपए का परिव्यय है जिसमें से अक्टूबर 2016 तक 4.39 करोड़ रुपये खर्च कर लिए गए हैं।

अध्याय–12

कौशल विकास

12.1 एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस)

प्रस्तावना : भारत वैश्विक वस्त्र अर्थव्यवस्था में वस्त्र के उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों के रुप में एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाने को तैयार है। भारतीय घरेलू वस्त्र और परिधान बाजार विश्व में तीव्रतम रुप से बढ़ने वाले बाजार में से एक है। यह सबसे महत्वपूर्ण वृद्धिकारक प्रबल आर्थिक वृद्धि है जो देशभर में देखी जा रही है। जीडीपी में वृद्धि को कायम रखने तथा इस ओर अपना सहयोग देने के लिए विनिर्माण क्षेत्र के भाग के रुप में वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक रहा है। सरकार द्वारा कुछ समय से उठाए गए कदमों से उद्योग को बढ़ने और वृद्धि की गति को बनाये रखने में मदद प्राप्त हुई है। इनमें कई स्कीमें शामिल हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित होती हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए वस्त्र एवं जूट उद्योग के कार्यसमूह की रिपोर्ट के अनुसार, वस्त्र क्षेत्र में लगभग 178 लाख में से मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी जिसमें से वस्त्र एवं पहनावे की मुख्य धारा में 110 लाख मानव संसाधनों की ज़रुरत होगी। कौशल विकास पर सरकार के व्यापक दृष्टिकोणके एक भाग के रूप में, मंत्रालय एकीकृत कौशल विकास स्कीम (आईएसडीएस) को लागू कर रही है, जो वस्त्र उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोज़गारपरक कार्यक्रम है। इस स्कीम का उद्देश्य एपरेल और परिधान, तकनीकी वस्त्र, बुनाई (पावरलूम, कम्पोजिट मिल्स) और कताई जैसे संगठित वस्त्र उद्योगों में एक गैर–कामगार को रोज़गार से पारिश्रमिक पाने वाला बनाने के लिए 12वीं योजनावधि में 1900 के परिव्यय के साथ 15 लाख युवाओं का कौशल विकास है। इस कार्यक्रम का नतीजा उन प्रशिक्षुओं की संख्या है जो प्रशिक्षण के पश्चात संबंधित व्यवसायों में लग गए हैं।

एकीकृत कौशल विकास योजना के उद्देश्य :

एकीकृत कौशल विकास योजना के निम्न लक्ष्य हैं :

(i) वस्त्र और संबद्ध भागों की प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर प्रशिक्षण के सुसंगत तथा एकीकृत फ्रेमवर्क विकसित करना। विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था में इस उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए इस आवश्यकता का समाधान महत्वपूर्ण है।

(ii) उपर्युक्त भागों में कौशल मुहैया कराते हुए लक्षित क्षेत्रों की स्थानिकों की नियोजनियता को बढ़ाना।

योजना का कार्यक्षेत्र : आईएसडीएस का मांग आधारित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव

है। ये पाठ्यक्रम हैं: प्रवेश स्तर का प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रति अभिरुचि तथा पुनर्प्रशिक्षण प्रबंधकीय कौशल। योजना में तीन संघटकों के माध्यम से कार्यान्वयन की योजना बनाई गयी है: संघटक I: वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत संस्थान/ टीआरए, संघटक II : पीपीपी मॉडल के माध्यम से निजी क्षेत्र के भागीदार, संघटक III : राज्य सरकारों के अभिकरण। प्रत्येक संघटक हेतु पांच लाख लोगों के प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वित्त पोषण की पद्धति : इस योजना के अंतर्गत प्रति प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण पूर्ण करता है और प्रमाणपत्र प्राप्त करता है, के लिए 10000/– रुपये की समग्र सीमा के भीतर परियोजना की लागत के 75% तक की सहायता प्रदान की जाती है। शेष 25% कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा वहन किए जाने की योजना है।

वर्ष 2016–17 के लिए (1–4–2016 से 15–12–2016 तक) के लिए भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां

संघटक	भौतिक उपलब्धियां / (व्यक्ति) प्रशिक्षित	प्रशिक्षणाधीन	वित्तीय उपलब्धियां (करोड़ रूपए में)	रोजगार प्रदान किए गए
संघटक-I	25563	10843	3.00	20670
संघटक-II	188515	47618	112.13	154436
संघटक-III	54527	11354	19.57	48720
कुल	**268605**	**69815**	**134.7**	**223826**

प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए तंत्र: मंत्रालय द्वारा इस योजना के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं के साथ–साथ मूल्याकन और निगरानी का कार्य प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) के द्वारा किया जा रहा है, जिसे योजना की समग्र अवधारणा के लिए नियुक्त किया गया है। मंजूर की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्यान्वयन के सभी पक्षों की निगरानी के लिए एक वेब–आधारित केंद्रीकृत प्रबंध सूचना तंत्र (एमआईएस) को प्रचालित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है जिसे सम्पूर्ण कार्यक्रम की वास्तविक समय में निगरानी के लिए ऑनलाइन एमआईएस से संबंद्ध किया गया है।

योजना के तहत सांस्थानिक प्रणाली :

क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी): राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के तत्वावधान में क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) का प्रचालन आरम्भ हो चुका है , इसमें एपेरल, वस्त्र (हथकरघा एवं हस्तशिल्प सहित) शामिल हैं। एसएससी में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु टैक्सटाइल वेल्यू चेन के सभी पणधारियों से विशेषज्ञ, व्यापार निकाय, केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के पदाधिकारी, अध्येता और अनुसंधानकर्ता शामिल होंगे।

संसाधन सहायता एजेंसी (आरएसए) : संसाधन सहायता एजेंसी (आरएसए) आईएसडीएस के तहत परिकल्पित अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र है जो आईएसडीएस के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक बैंचमार्क के रुप में कार्य करता है। आरएसए के प्रमुख कार्यों में शामिल है: कौशल के अभाव (स्किल गैप) की जांच कराना, करिकुलम/पाठ्यक्रम का विकास तथा मानकीकरण और जांच एजेंसियों का पैनल निर्माण।

क्षेत्रीय संसाधन सहायता एजेंसी (आरआरएसए): विभिन्न सैक्टरों एवं क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 12 आर आरएसए स्थापना करने को मंजूरी दी गई है जिनका उद्देश्य है कार्यान्वयन अभिकरणों के कार्य निष्पादन की निगरानी करना, लागत सामग्री को स्थानीय भाषाओं के अनुसार पेश किया जाना तथा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना।

योजना का मध्य–मार्ग में सुधार: प्रायोगिक चरण (पायलट फेज़) के दौरान मंजूर की गयी सभी परियोजनाओं का तृतीय पक्ष के द्वारा मूल्यांकन कराया गया है। तृतीय पक्ष मूल्याकन एवं योजना के कार्यान्वयन केअनुभव के आधार पर उद्योग की प्रत्यक्ष प्रतिभागिता सुनिश्चित कराने के लिए और प्लेसमेंट के रूप में योजना को परिणामोन्मुख बनाने, मांग आधारित बनाने के लिए भी तथा वस्त्र उद्योग की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित मध्य–मार्गी सुधार किए गए हैं :

(i) उचित वेतन वाले प्लेसमेंट को योजना का एक प्रमुख मानदंड बनाया गया है। सभी प्लेसमेंट अभिकरणों के 70: प्रशिक्षुओं को उनके कौशल वर्ग के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम वेतन के अनुरूप रोजगार में लगाना होगा।

(ii) अपैरल एवं परिधान, तकनीकी प्रौद्योगिकी, बुनाई और कताई जैसे संगठित वस्त्र उद्योग में एक गैर–कामगार को कामगार बनाने के लिए कौशल विकास को वरीयता दिया जाना।

(iii) आईएसडीएस के प्रशिक्षुओं के लिए ऐसे ग्रामीण युवाओं को चुना जा सकता है जिनकी शैक्षिक योग्यता प्राथमिक रूप से 10+2 से कम हो। रोजगार केंद्रों के पास उपलब्ध सूचना की सहायता प्रशिक्षुओं की पहचान के लिए ली जा सकती है।

(iv) अद्धसंपूर्ण योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बिना किसी अपवाद के एमआईएस प्रणाली का पालन करना होगा। आईएसडीएस के तहत प्रशिक्षण के लिए एमआईएस डेटा ही एकमात्र स्रोत है। कार्यान्वयन अभिकरणों (आईए) को सिस्टम उत्पादित प्रतिवेदनों के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा।

(v) एक वेब–इनेबल्ड प्रमाणन तंत्र का आरंभ जिसमें आईए मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा एमआईएस में डेटा प्रवेश करते ही सिस्टम जनरेटेड प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सके।

(vi) आईए पंजीकरण हेतु प्रशिक्षुओं को अपनी आधार संख्या प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि प्रशिक्षु के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो आईए को आईएसडीएस के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए नामांकन से पूर्व इसकी प्राप्ति की व्यवस्था करनी चाहिए।

(vii) भारत सरकार की सहायता के व्यय संबंध सभी शीर्षों को परिभाषित किया गया है और प्रशासनिक व्यय को परियोजना में भारत सरकार के 10: अंश के भीतर रोका गया है।

आईएसडीएस में डिजिटल इंडिया पहल

डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत आईएसडीएस के एनआईएस की योजना के तहत सफलतापूर्वक प्रशिक्षित और परीक्षित अभ्यर्थियों को सिस्टम उत्पादित प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए सक्षम बनाया गया हे। प्रत्येक ई–सर्टिफिकेट के ब्यौरे ई–वेरिफिकेशन पोर्टल के लिए उपलब्ध होंगे तथा एक यूनीक क्यू.आर. कोड को समाहित किए होंगे। इससे संभावित नियोक्ताओं को क्यू.आर. प्रौद्योगिकी अथवा ऑनलाइन ई–सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पोर्टल की प्रामाणिकता जाँचने में मदद मिलेगी। अभी तक 429383 ई–प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके है।

आईएसडीएस कौशल प्रदान करने के पारिस्थितिकीय तंत्र में एक ठोस एमआईएस प्रारंभ करके डिजिटल इंडिया अभियान के मुख्य उद्देश्य को आत्मसात किया है। एमआईएस की

कुछ विशेषताओं में आनलाइन प्रशिक्षण प्रबंधन, आकलन प्रबंधान, नियोजन प्रबंधन और उम्मीदवारों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ऑटोमेटिड प्रमाण–पत्र निकालना शामिल है। इस अनूठे प्रमाण–पत्र के माध्यम से नियोक्ता उम्मीदवार के प्रशिक्षण तथा साथ ही साथ आकलन की प्रमाणिकता की जांच कर सकते है।

आईएसडीएस के अंतर्गत वर्ष 2016–17 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां :

(i) **सरकार द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय ढांचे का अनुपालन :** आईएसडीएस मोटे तौर पर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचि समान मानदण्डों के प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है। आईएसडीएस के अंतर्गत अंगीकृत 50 पाठ्यक्रमों (मुख्य धारा क्षेत्र में 45 प्रवेश स्तरीय पाठयक्रम और हथकरघा क्षेत्र में 5 पाठ्यक्रम) को राष्ट्रीय कौशल पात्रता ढांचा (एनसीक्यूएफ) के साथ संरेखित किया गया है।

(ii) **भौतिक प्रगति :** वर्ष 2015–16 के दौरान 2.2 लाख प्रशिक्षण के भौतिक लक्ष्य के प्रति अभी तक वर्ष 2016–17 में कुल लगभग 2.7 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है और 70000 अन्य व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान प्रशिक्षण गति को देखते हुए वर्ष 2016–17 में लगभग 4 लाख प्रशिक्षण को प्राप्त करने की प्रत्याशा है।

(iii) **महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी :** 2. 7 लाख व्यक्तियों को प्रदान किए गए कुल प्रशिक्षण में से 70 प्रतिशत से अधिक संख्या महिलाओं की थी।

(iv) **उद्योग नियोजन में वृद्धि :** 70 प्रतिशत नियोजन के बाध्यकारी लक्ष्य के प्रति, वर्ष 2016–17 के दौरान लगभग 82 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को मजदूरी मिलने वाला रोजगार मुहैया करवाया गया है।

(v) **वस्त्र मंत्रालय की वेबसाइट में आईएसडीएस डैशबोर्ड प्रांरभ किया जाना :** "सुशासन दिवस" के भाग के रूप में आईएसडीएस के क्रियान्वयन में अधिक पारदर्शिता लाने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, माननीया वस्त्र मंत्री ने 25.12.2016 को मंत्रालय की वेबसाइट में योजनाओं के अंतर्गत सभी चालू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के राज्य–वार ब्यौरे सहित आईएसडीएस की प्रगति से संबंधित सूचना देने के लिए एक डैशबोर्ड प्रारंभ किया। जनता सभी चालू केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों के नाम सहित प्रशिक्षण के राज्य–क्षेत्र– जिला–वार सूचना के ब्यौरे दो सकती है। यह प्रावधान किसी संभाव्य प्रशिक्षणार्थी को अपने स्थान के निकट चालू प्रशिक्षण केन्द्र को चिन्हित करने को सुकर बनाएगा जिससे वह प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण करवा सके।

भावी रूपरेखा: प्रशिक्षण केन्द्रों के भौतिक सत्यापन हेतु आईएसडीएस के एमआईएस में एक पृथक मॉडयूल की सुविधा प्रदान की जाएगी। विशेष रूप से वस्त्र तथा वस्त्र निर्माण क्षेत्र में नए रोजगार सृजन करने में उद्योग के प्रयासों की सहायता करने के लिए आने वाले वर्षों में वस्त्र क्षेत्र में कौशल पहल को जारी रखा जाएगा।

12.2 राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (निफ्ट)

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान उद्योग की बदलती आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए अपने पाठ्यक्रम को लगातार अद्यतन करके ज्ञान समामेलन, परंपरा कलाओं, समकालीन विचार, अकादमिक स्वतंत्रता, डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी में नवाचार और सृजनात्मक सोच को समाहित करके फैशन शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है।

फैशन शिक्षा के सर्वोच्च पर इसकी 28 वर्षों

की सुदृढ़ उपस्थिति उन आधारभूत मूल्यों की साक्षी हैं जहां अकादमिक उत्कृष्टता की केंद्रीय भमिका होती है। यह संस्थान उद्योग–शिक्षा जगत के परस्पर नियोजन, दक्ष पेशेवरों के विकास में एक प्रमुख प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा रहा है।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में 1986 में हुई थी, यह राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम के अधीन शासित होने वाला सांविधिक संस्थान है। यहाँ विविध श्रेणी के सौंदर्यबोध और बौद्धिक अभिरूचियों को स्थान दिया गया और इसके प्रारंभिक दिग्दर्शकों में फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यूयॉर्क अमेरिका के प्रगतिशील विद्वान सम्मिलित थे।

स्थानीय फैक्लटी विशिष्ट बौद्धिक समूह से संबंधित थे जिन्होंने प्रभावी शिक्षा के लिए व्यापकता के भाव को प्रधानता देते हुए मार्ग प्रशस्त किया। नई दिल्ली स्थित निफ्ट मुख्यालय में पुपुल जयकर हॉल उन कई शिक्षा विचारकों और दूरदर्शियों की याद दिलाता है जिन्होंने संस्थान की सफलता की रूपरेखा बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

अकादमिक समावेशन संस्थान की विस्तार संबंधी योजनाओं का कारक रहा है। आज निफ्ट ने देश के हर हिस्से में अपनी पहुँच बनाई है। पेशेवर तरीके से प्रबंधित अपने 16 परिसरों में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा निर्माण करता है कि देश के विभिन्न भागों से अपने वाले संभावित विद्यार्थी उन्हें पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त करें।

अपनी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों से संस्थान ने डिजाइन, मैनेजमेंट और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों ने फैशन शिक्षा में मजबूत बुनियाद प्रदान की है। तभी से निफ्ट ने उच्च अकादमिक मानक निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करना जारी रखा हैं।

संस्थान के शिक्षक अग्रणी प्रैक्टिशनर्स, शिक्षा उत्साही, उद्यमी; सृजनशील विचारक, शोधकर्मी और विश्लेषकों के एक समुदाय के रूप में विकसित हो चुके हैं।

बीते वर्षों के साथ–साथ निफ्ट ने अपनी अकादमिक रणनीति सुदृढ़ की है। विचारपरक नेतृत्व की मजबूती, शोध प्रोत्साहन, उद्योग फोकस, सृजनशील उद्यम और पियर लर्निंग ने संस्थान के अकादमिक आधार को मजबूती प्रदान की है।

संस्थान सृजनशील विचारकों की एक नई पीढ़ी को पुष्पित पल्लवित कर रहा है और उसे स्नातक, परास्नातक और पीएचडी अध्ययन के लिए डिग्रियां देने की शक्ति प्राप्त है। विश्व–स्तरीय शिक्षा कार्यों की विचारधारा का प्रतिपादन करते हुए संस्थान ने अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ रणनीतिक समझौते किए हैं।

निफ्ट फैशन शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान का विज़न चुनौतियों को स्वीकार करता है और उच्चतम अकादमिक मानदंड स्थापित करने के लिए गति प्रदान करता है। निफ्ट निरन्तर सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रयास करता है।

कनवर्ज–2015

कनवर्ज निफ्ट की एक अन्तर–कैम्पस सांस्कृतिक एवं खेल प्रतिस्पर्धा है जो प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य निफ्ट के विभिन्न कैम्पसों में विद्यार्थियों के

निफ्ट, पटना में भाग लेते विद्यार्थी

बीच संपर्क को बढ़ाने सहित एक चहुँमुखी होलिस्टिक विकास मुहैया कराना है। कनवर्ज–2015, 16 से 18 दिसंबर, 2015 के बीच पटना कैम्पस द्वारा आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम निफ्ट के सभी कैम्पसों के विद्यार्थियों के हृदय में "एक" अलमा मेटर की मनोवृत्ति को बैठाने की दिशा में एक प्रमुख कदम था। इस कार्यक्रम में 15 निफ्ट कैम्पसों के प्रत्येक कैम्पस से 50 विद्यार्थियों ने जोश और उमंग के साथ भाग लिया। कल्चरल क्लब, खेल, एडवेंचर तथा फोटोग्राफी (एसएपी) क्लब, लिटररी क्लब, एथिक्स, सोशल सर्विस एण्ड एनवायरनमेंट (ईएसएसई) क्लब के तहत विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित किए गए। प्रत्येक कैम्पस में किए गए प्राथमिक चयन यह सुनिश्चित करते हैं कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक कैम्पस के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।

दीक्षान्त समारोह 2016

प्रत्येक वर्ष दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें उसी वर्ष स्नातक हो रहे छात्रों को डिग्री प्रदान की जाती है। वर्ष 2016 में मई–नवम्बर, 2016 के महीनों में अलग–अलग कैम्पसों ने दीक्षान्त समारोह आयोजित किए गए। दीक्षान्त समारोह उसी शैक्षिक वर्ष के अंदर ही पूर्ण हुआ जिससे निरंतरता बनी और स्नातकों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित हुई।

2016 में कुल 2076 स्नातकों ने डिग्रियां प्राप्त कीं। कैम्पस–वार और कार्यक्रम–वार ब्यौरा तालिका 1 में नीचे दिया गया है।

तालिका 1: दीक्षांत समारोह 2016 : स्नातक हो रहे विद्यार्थियों का कैम्पस–वार और कार्यक्रम–वार ब्यौरा

विभाग / परिसर	बैंगलूरु	भोपाल	भुवनेश्वर	चेन्नई	गांधीनगर	हैदराबाद	जोधपुर	कांगड़ा	कोलकाता	कन्नूर	मुंबई	नई दिल्ली	पटना	रायबरेली	शिलांग	कुल
एडी	30	20	14	25	29	26		17				27		27	12	227
एफसी	32					33		29			36	36				166
एफडी	34		27	27	54	33		30	33		31	40	32	30	31	402
केडी	31			28		26			29	13	31	33				191
एलडी				17					29			30		17		93
टीडी	30	30	27	21	26	29		29	28	22	23	34				299
बीएफटी	26			24	31	33	27	30	29	12	26	29				267
एमओडी										23	26	32				81
एमएफएम	37	18	11	23	32	31	15		20	12	35	35	12		6	287
एमएफटी	21				17							25				63
कुल	241	68	79	165	189	211	42	135	168	82	208	321	44	74	49	2076

दीक्षांत समारोह

निफ्ट की प्रतिज्ञा लेते हुए छात्र

उक्त के अतिरिक्त, दिल्ली कैम्पस में दीक्षान्त समारोह 2016 में सुश्री शिन्जू महाजन, श्री पवन, गोडियावाला, सुश्री विद्या राकेश और सुश्री मालिनी दिवकाला को डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) डिग्री प्रदान की गई।

निफ्ट द्वारा चलाई जा रही परामर्शी परियोजनाएं

निफ्ट विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के साथ परामर्शी परियोजनाओं पर कार्य करता है। ये परियोजना अध्यापक–वर्ग को एक्सपोज़र और विद्यार्थियों को अनुभवात्क सीख देती है। इससे तकनीकी कौशल के उन्नयन से और डिजाइन मूल्य संवर्धन से विभिन्न पणधारी लाभान्वित होते हैं। निफ्ट द्वारा हाल ही में अपने हाथों में ली गई 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य की बड़ी परामर्शी परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :

1. एनआईएफटी "विकास हेतु परंपरागत कलाओं/शिल्पों में कौशल के उन्नयन तथा प्रशिक्षण" (उस्ताद) योजना के अंतर्गत एक ज्ञान भागीदार है जिसमें डिजाइन हस्तक्षेप, उत्पाद श्रृंखला विस्तार, पैकेजिंग/प्रदर्शनी, फैशन शो तथा मीडिया के माध्यम से प्रचार, ई–विपणन पोर्टलों के साथ समझौते और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार हेतु ब्रॉण्ड निर्माण के कार्य किए जाते हैं।
2. एनआईएफटी वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की "परिधान विनिर्माण में इनक्यूबेशन केन्द्र स्थापित करने हेतु पायलट चरण" योजना के अंतर्गत उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश सरकार और औद्योगिक आधारभूत ढांचा विकास निगम (आईआईडीसी), ग्वालियर के साथ मिलकर ग्वालियर में परिधान विनिर्माण में एक इनक्यूबेशन केन्द्र स्थापित करने के लिए ज्ञान भागीदार है।
3. विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालयर, भारत सरकार की "व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना" के अंतर्गत भागलपुर मेगा हथकरघा क्लस्टर परियोजना।
4. फैशन डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी विषयों हेतु ई–सामग्री का विकास – मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की "सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्टीय मिशन" (एनएमईआईईसीटी) के अंतर्गत 17 विषयों हेतु चरण–2।
5. खादी बोर्ड, बिहार सरकार के लिए खादी बिहार का व्यापक डिजाइन कार्य, पोजीशनिंग और ब्रांडिंग।
6. कर्नाटक राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड,

कर्नाटक सरकार के लिए केएसके और वीआईवी ब्रांड को इंटीग्रेटेड प्रौडक्ट मैपिंग, डिजाइन इंटरवेंशन, उत्पाद विविधीकरण तथा विकास, प्रशिक्षण एवं विपणन कार्यकलापों के माध्यम से मजबूत किया जाना।

7. जोधपुर मेगा क्लस्टर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के लिए व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर योजना के अंतर्गत प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट एण्ड इनोवेशन सेंटर की स्थापना।

8. राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के लिए जूट पर एकीकृत कौशल उन्नयन, डिजाइन विकास एवं उत्पाद विविधीकरण।

9. प्रमाण पत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम – सीपीटीपीडीडी, सीपीएफपीआरएम, सीपीआईडी एण्ड सीपीएफएमएसएम और 03 डिप्लोमा कार्यक्रम– डीपीएफजे, डीपीएफएससीएम एण्ड डीपीएपी एण्ड एम, 'पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास' (डीओएनईआर) के लिए ।

10. वाणिज्य और उद्योग निदेशालय के लिए अपैरल एक्सैसरी डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट स्किल।

उक्त सूची के अतिरिक्त, निफ्ट ने आईआरसीटीसी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, एनडीआरएफ, दिल्ली जल बोर्ड जैसे संगठनों हेतु परामर्शी परियोजनाओं और रेमण्ड, अरविंद, सीबीएसई तथा डोनियर जैसे संगठनों हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्य को भी लिया है।

आगामी परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है :

1. एनआईएफटी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को डिजाइन नवाचार योजना हेतु राष्ट्रीय प्रयास के अंतर्गत निफ्ट, नई दिल्ली में एक डिजाइन नवाचार केन्द्र (डीआईसी) को स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। परियोजना की लागत 10 करोड़ रूपये है और डीआईसी के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं –

- उद्योग, शिक्षा जगत, सरकारी संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं आदि के मध्य ज्ञान साझेदारी तथा सहयोग को बढ़ावा देना
- औद्योगिक सहयोगकर्ताओं को सुविधाएं मुहैया करवाना ताकि वे आंतरिक सुविधाओं का उपयोग करके कैम्पस में अपने नए उत्पाद विकास के लिए प्रोत्साहित हों।
- बदलती हुई उपभोक्ता आवश्यकताओं पर ध्यान देने हेतु लक्षित परियोजनाओं के माध्यम से डिजाइन आधारित शिक्षा को सिखाना और व्यवस्थित डिजाइन को व्यवहार में लाना।
- अंतर विधा डिजाइन केन्द्रित नवाचार तथा सृजनशीलता में वृद्धि करना।
- अंतरविधायी डिजाइन केन्द्रित शिक्षा, अनुसंधान तथा उद्यमशीलता क्रियाकलापों को सुकर बनाना ताकि वाणिज्यिक अवसर उत्पन्न हो सके और शिक्षा जगत तथा उद्योग के मध्य साझेदारियां विकसित हो सके।

एनआईएफटी, दिल्ली हब संस्थान होगा और निम्नलिखित निफ्ट कैम्पसों को सहायक संस्थान बनाया जाना प्रस्तावित है –

- निफ्ट चेन्नई
- निफ्ट भुवनेश्वर
- निफ्ट गांधीनगर

2. निफ्ट ने नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत अटल उद्भवन केन्द्र (एआईसी) की स्थापन हेतु एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है और संगठन से स्वीकृति/आगे के निदेशों की प्रतीक्षा कर रहा है।

जारी शिक्षा कार्यक्रम

वस्त्र क्षेत्र में वृद्धि की तीव्र गति के साथ उद्योग के उभरते हुए तथा कार्यशील पेशेवरों की जारी शिक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मुख्यालय में जारी शिक्षा कार्यक्रम (सीईपी) की स्थापना उद्योग की जनशक्ति प्रशिक्षण तथा ज्ञान उन्नयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है।

जारी शैक्षिक कार्यक्रम प्रयोगशाला में कार्य करते हुए विद्यार्थी

सीईपी द्वारा पेशकश किए जा रहे कार्यक्रम पेशेवरों तथा उभरते हुए लोगों की जारी शिक्षा आवश्यकताओं के एक व्यापक क्षितिज की पूर्ति कर रहे हैं और हम निश्चित रूप से इस तथ्य पर गर्व करते हैं कि यह देश के भीतर वस्त्र क्षेत्र हेतु जारी शिक्षा के लिए एक प्राथमिकता वाला केन्द्र है।

निफ्ट द्वारा पेशकश किए जाने वाले सीईपी ने परिधान उद्योग में डिजाइन, प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के मोर्चों से संबंधित प्रशिक्षण तथा ज्ञान के प्रसार के उद्देश्यों को बढ़ावा देना जारी रखा है।

वर्ष 2015–16 के दौरान 11 निफ्ट केंन्द्रों में 42 जारी शैक्षिक पाठ्यक्रम मुहैया कराए गए जिसमें 9,75,77,700/–रुपये का कुल राजस्व सृजित हुआ जो वर्ष 2014–15 के 5,68,77,220/–रुपये के राजस्व से 42 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2016–17 के दौरान, 12 निफ्ट केन्द्रों में 75 पाठ्यक्रम मुहैया कराने का प्रस्ताव है जिनसे कुल 13,98,50,000/–रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, इस प्रकार जारी शैक्षिक कार्यक्रमों से राजस्व सृजन में 2015–16 के दौरान संचालित कार्यक्रमों से 30 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

मुहैया कराए जाने वाले इन जारी शैक्षिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त निफ्ट नेशैक्षिक वर्ष 2014 में पहली बार डिप्लोमा कार्यक्रम कराने आरम्भ किएथे जिनका उद्देश्य केन्द्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिएवित्तीय रुप में व्यवहार्य बनाना है।

डिप्लोमा कार्यक्रमों का उद्देश्य उस राज्य के स्थानीय विदयार्थियों को मूल्य वर्धित कार्यक्रम मुहैया कराना है वहां नये निफ्ट कैम्पस स्थापित हैं और साथ ही निफ्ट केमौजूदा डिग्री कार्यक्रमों के लिएलेटरल एंट्री सरल बनाना है। वर्ष 2015–16 के दौरान, 2 निफ्ट कैम्पसों में 7 डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए गए थे और उनसे 4,32,14,000/– रूपए का कुल राजस्व प्राप्त हुआ। वर्तमान में, तीन निफ्ट कैम्पसों वर्ष 2016–17 के दौरान 13 डिप्लोमा कार्यक्रम को

पेश किया जाना प्रस्तावित हैं।

उद्योग एवं पूर्व छात्र मामले– निफ्ट कैम्पस प्लेसमेंटस

निफ्ट कैम्पस प्लेसमेंट – 2016 निफ्ट के 07 कैम्पसों अर्थात नई दिल्ली, मुम्बई, बैंगलूरू, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद में 22 अप्रैल, 2016 से 4 मई, 2016 तक के दौरान आयोजित किया गया। कैम्पस प्लेसमेंट के लिए पंजीकृत कुल 401 कम्पनियों ने विभिन्न कार्यक्रमों/कैम्पसों में 2011 नौकरियों की पेशकश की थी।

प्लेसमेंट के लिए कुल 1709 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए जिसमें से1470 विद्यार्थियों को प्लेसमेन्ट

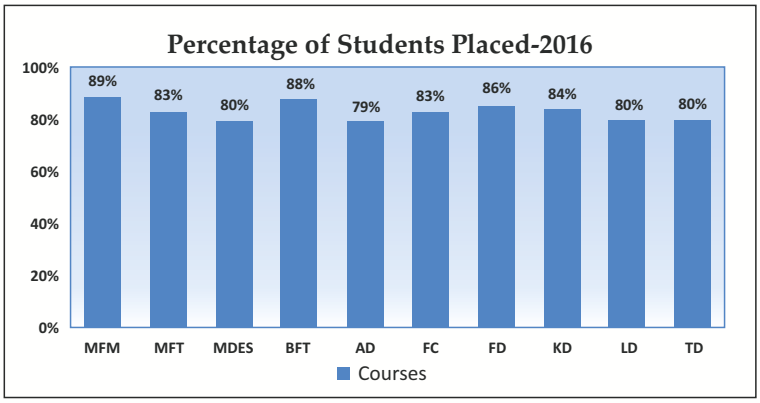

के स्थान पर ही नौकरी पर रख लिया गया अर्थात कुल पंजीकृत विद्यार्थियों के 86: को कैम्पस प्लेसमेंट में नौकरी पर रख लिया गया।

प्लेसमेंट 2016 का पाठ्यक्रमानुसार विश्लेषण चार्ट–1 में दिया गया है:–

भर्ती करने वाली कम्पनियां विभिन्न सेग्मेंट्स जैसे डिज़ाइनर्स, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स, बायिंग एजेंसीज़, कंसल्टेंट्स, **रिटेलर्स, फैशन ब्रांड्स, ई–रिटेलर्स, होम** फर्निशिंग्स, टेक्नोलॉजी

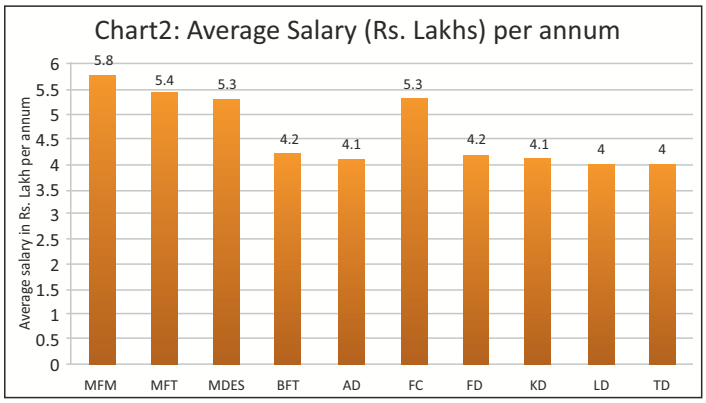

सॉल्यूशन प्रदाता से थीं इनके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स भी आये हुए थे।

अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार प्रमुख कम्पनियां थीं :

- आदित्य बिड़ला नूवो लिमिटेड
- एमेजॉन
- एएनडी डिज़ाइन इंडिया लिमिटेड
- अर्चना कोचर
- अरविंद लाइफ स्टाइल ब्रांड्स
- एवेन्यू सुपर मार्ट
- बाटा
- भरतिया इंटरनैशनल
- ब्लैकबेरी
- सीटीए अपैरल्स
- डेकाथेलन स्पोर्टस इंडिया
- फ्यूचर ग्रुप/फ्यूचर लाइफ स्टाइल
- इंडियन टिरेन फैशन लिमिटेड
- मैक्स, लैण्डमार्क ग्रुप
- मिन्त्रा डिजाइन्स

- रेमंडस
- मेजर ब्राण्डस इंडिया प्रा.लि.
- ट्राइडेंट इंडिया

रिटेल कंपनियों ने सबसे अधिक भर्तियां की थीं जबकि उनके बाद ब्रांड्स का स्थान था। भर्ती किए गए कुल स्नातक छात्रों में से 39 प्रतिशत रिटेल कंपनियों में गए। उसके बाद फैशन ब्रांड्स (20%), डिज़ाइनर्स/डिज़ाइन हाउस (19%), एक्सपोर्ट हाउसेस/बायिंग हाऊसेस (16%) का स्थान था।

अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू संपर्क

अंतर्राष्ट्रीय संपर्क निफ्ट की शैक्षिक नीति अंतर्राष्ट्रीयता को समाहित किएहुए है। संस्थान के प्रमुख क्रियाकलापों में अंतर्राष्ट्रीय स्पष्टता और समझ को बढ़ाया है। निफ्ट काउन 32 अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय फैशन संस्थानों एवं संगठनों के साथ नीतिगत सहमति है जिनकी शैक्षिकदिशा एक जैसी है। इससे निफ्ट केविद्यार्थी फैशन की वैश्विक मुख्य धारा से जुड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदान–प्रदान कार्यक्रमों की सहायता से विद्यार्थियों को 'स्टडी अब्रॉड' विकल्प काअनुभव लेने का अवसर प्रदान करता है।

इस क्रियाकलाप से आदान–प्रदान कार्यक्रम के लिएचुने गए निफ्टविद्यार्थियों को विभिन्न भौगोलिकों के विद्यार्थियों के साथ सम्पर्क करने का उत्कृष्ट अवसर प्राप्त होता है जिससे वे अपनी सोच, अपने लक्ष्य को व्यापक बना पाते हैं और विभिन्न संस्कृतियों की समझ पाते हैं । 'स्टडी अब्रॉड' का विकल्प सभी निफ्ट केन्द्रों के विद्यार्थियों और सभी विषयों केलिए उपलब्ध है।

शैक्षिक प्रवणता मुहैया कराने के प्रयोजन से संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय संपर्कविद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं/संगोष्ठियों/अनुसंधान एवं अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिएअनुमत करते हैं।

नीतिगत संबंध फैकल्टी स्तर पर भी शैक्षिक वृद्धि को भी प्रोत्साहित करती है। फैकल्टी आदान–प्रदान और संयुक्त अनुसंधान क्रियाकलाप सुनिश्चित करते हैं किसंस्थान की अध्यापन विधियांऔर सुविधाएं विश्व के श्रेष्ठ संस्थानों के समकक्ष हैं।

अध्यापन शिक्षा शास्त्र, अवधारणों तथा व्यावसायिक विचारों के आदान–प्रदान को सरल बनाने के लिएनिफ्ट कीफैकल्टी शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और ट्रेड शो में भाग लेती हैं जिससेकि उनका पर्याप्त अनुभव विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके तथा निफ्ट कानोलेज पूल समृद्ध हो सके।

कुछ महत्वपूर्ण संस्थान जिनसेनिफ्ट का सम्बंध है वे हैं क्वीन्सलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेकनॉलोजी, आस्ट्रेलिया, द मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी, यूके, स्विस टेक्सटाइल कॉलेज, स्विटज़रलैंड, मॉड आर्ट इंटरनेशनल, फ्रांस, ईएनएसएआईटी, अमेरिका; नाबा, इटली, स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन,यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन, यू के, द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयार्क कॉलेज, बफेलो, यू एस ए, मैनचेस्टर मेट्रोपोलटिन यूनिवर्सिटी, यू के, ईएसएमओडी, जर्मनी, सेक्सियॉन यूनिवर्सिटी ऑफएप्लाइड साइंसेस, नीदरलैंड्स, रॉयल अकैडमी ऑफ आर्टस, नीदरलैंड्स, बुनका गौकन यूनिवर्सिटी, जापान; डोंगहुआ यूनिवर्सिटी, चीन, बीजीएमईए

यूनिवर्सिटी ऑफ फैशन एंड टेकनॉलोजी (बीयूएफटी), बंगलादेश; एकोल डुपेर, फ्रान्स; यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थम्प्टन, यू.के.; पोलिटेक्निको दि मिलानो, इटली; शेनकर कॉलेज ऑफ़ एन्जीनियरिंग एन्ड डिज़ाइन एन्ड आर्ट, इज़राइल एवं अन्य कई संस्थान।

पार्टनर संस्थानों से विद्यार्थियों का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। 2016–17 में जबकि निफ्ट के 52 छात्र इन्सेट, फ्रांस; मोड आर्ट इंटरनेशनल, फ्रांस; क्वींसलेंड यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, आस्ट्रेलिया; स्विस टैक्सटाइल कॉलेज, स्विजरलैंड; यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन, यूके; रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट्स, नेदरलैंड्स; एम्सटर्डम फैशन इंस्टिट्यूट, नेदरलैंड्स; सैक्सियोन यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेस, नेदरलैंड्स; एस्मॉड, जर्मनी; नाबा, इटली; बीजीएमईस यूनिवर्सिटी ऑफ फैशन टैक्नोलॉजी (बीयूएफटी), ढाका, बांग्लादेश; पोलीटेक्नीको डी मिलानो, इटली; बुनका गौकन यूनिवर्सिटी, जापान; केईए दृ कोपनहेगन स्कूल ऑफ डिजाइन एण्ड टेक्नोलॉजी, डेनमार्क जैसे विदेशी संस्थानों में अध्ययन के लिए गए। वहीं अतंरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के 15 छात्र निफ्ट के विनिमय कार्यक्रम के तहत अध्ययन हेतु आए।

आदान–प्रदान वाले विद्यार्थी प्रयोगशाला में कार्य करते हुए

संस्थान अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भी आकर्षित करता है जो यहाँ आकर अकादमिक और सांस्कृतिक सम्पन्नता को अनुभव करते हैं। अपने विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से विदेशी संस्थानों के छात्रों ने न केवल भारतीय संस्कृति, कला और शिल्प से जुड़ा अमूल्य ज्ञान अर्जित किया है बल्कि भारत के बाज़ार और इसकी व्यापकता को समझा है। प्रबंध एवं प्रौद्योगिकी के छात्रों को प्रोडक्शन तकनीकों से बहुत महत्वपूर्ण जान पहचान होती है जो वैश्विक बाज़ार की उच्च फैशन मांगों को पूरा करती है।

इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कार्यालय प्राप्त प्रगति के मूल्यांकन के लिए आवधिक रूप से सभी समझौता ज्ञापनों की समीक्षा करता है। ऐसी एक क्रिया 2015 में संचालित की गई थी तथा अनुमोदन हेतु निफ्ट के बोर्ड के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसके आधार पर सूची को निफ्ट की वेबसाइट पर अद्यतन किया गया था। बुनका गौकन यूनिवर्सिटी, जापान के साथ समझौता ज्ञापन को आगे ले जाने में काफी प्रगति हुई है और पहली बार निफ्ट के विद्यार्थियों को बुनका में एक सेमेस्टर पढ़ने के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा, यदि वे बुनका द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हों तो। कोपनहेगन स्कूल ऑफ डिजाइन एण्ड टेकनोलॉजी, डेन्मार्ग के साथ भी वर्ष 2015 में क्रियाकलाप प्रारंभ किए गए थे।

दोहरी डिग्री के अवसर

निफ्ट – फैशन इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी (एफआईटी) न्यूयॉर्क, यूएसए रणनीतिक साझेदारी से निफ्ट के चुनिंदा छात्रों को निफ्ट और एफआईटी दोनों से दोहरी डिग्री प्राप्त करने का अनूठा अवसर निर्मित होता है। निफ्ट के छात्र गृह संस्थान में दो वर्षों के लिए अध्ययन करते हैं। उसके बाद एक साल के लिए उन्हें एफआईटी में

पढ़ाई करने का मौका मिलता है। तत्पश्चातछात्र निफ्ट में वापस अध्ययन जारी रखते हैं जिससे उन्हें दोनों संस्थानों से डिग्री मिलती है। विगत चार वर्षों के दौरान 32 छात्रों ने दोहरी डिग्री कार्यक्रम पूरा किया है और 2016–17 के दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित 13 छात्र एफआईटी में दोहरी डिग्री के अवसर का लाभ उठा रहे हैं।

वर्ष 2016 में निफ्ट का दौरा करने वाले अंतरर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल

- श्री निकोलस हक्सली का आस्ट्रेलिया से 18 बच्चों के साथ 4 अप्रैल, 2016 को निफ्ट,दिल्ली का दौरा
- ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट से फैकल्टी का 7 अप्रैल, 2016 को निफ्ट, बेंगलूरू का दौरा
- प्रो0 आफताब घरदा और उनके सहयोगी डा.बारबरा टुली, एसोसिएट डीन इंटरनेशनल, कोवेंटरी यूनिवर्सिटी में कला एवं मानविकी फैक्लटी का 29 अप्रैल, 2016 को निफ्ट, दिल्ली और 17 मई, 2016 को निफ्ट बेंगलूरू का दौरा
- सूश्री स्यू प्रेसकॉट मैसी यूनिवर्सिटी, वेंलिंगटन में वरिष्ठ व्याख्याता तथा प्रमुख समन्वयक – फैशन और श्री टिम क्रोफ्ट, मैसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ आर्टस के अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधक का 10 मई, 2016 को निफ्ट, दिल्ली का दौरा
- ब्रिटिश कांउसिल के प्रतिनिधियों और साउथएंपटन सोलेंट यूनिवर्सिटी तथा डी मौंटफोर्ट युनिवर्सिटी के फैकल्टी सदस्यों का 26 मई 2016 को निफ्ट बंगलूरू का दौरा
- श्री क्लासेस कार्लसन, आर्टिस्टिक निदेशक तथा परियोजना प्रबंधक, स्टाकहोम क्लचर प्रशासन और कार्यक्रम भाग/स्टाकहोम कल्चर फेसिटेबलऑर श्री संजू मल्होत्रा, मुख्य कार्यकारी निदेशक, इंडिया अनलिमिटेड का 1 जून, 2016 को निफ्ट, दिल्ली का दौरा
- जसबीर कौर, निदेशक फैशन एवं वस्त्र में स्नातकोत्तर कार्यक्रम और अभिषेक दत्त, बीसीए, स्नातकोत्तर डिप्लोमा (यूके), एमबीए कंट्री कॉर्डिनेटर (भारत), बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, यूके का 13 जून, 2016 को निफ्ट, दिल्ली का दौरा
- श्री जशीमुद्दीन अहमद, अध्यक्ष (अपर सचिव) बांग्लादेश हथकरघा बोर्ड, बांग्लादेश सरकार, डा. नजरूल अनवर, अपर सचिव, वस्त्र एवं जूट मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार, सुश्री तजकेरा खातून, निदेशक, आईएमईडी, योजना मंत्रालय, बांग्लादेश, मो.अब्दुल मतीन, उप प्रमुख, वस्त्र एवं जूट मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार, मो. अखतरूजमान, माननीय मंत्री के निजी सचिव, वस्त्र एवं जूट मंत्रालय, बांग्लादेश, श्री रथिन्द्र नाथ दत्ता, सचिव वस्त्र एवं जूट मंत्रालय, बांग्लादेश के निजी सचिव, मो. अयूब अली, प्रमुख (योजना तथा कार्यान्वयन), बांग्लादेश हथकरघा बोर्ड, श्री सैकत चन्द्र हल्धर, जन संपर्क अधिकारी, वस्त्र एवं जूट मंत्रालय, बांग्लादेश, श्री सुशान्तो कुमार शील, अनुसंधान अधिकारी, योजना आयोग, बांग्लादेश, सुश्री नसरीन सबीहा अख्तर बानू, माननीय मंत्री, वस्त्र एवं जूट मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार की निजी सहायक ने 28 जून,2016 को निफ्ट, दिल्ली का दौरा
- लवीश बांगीया, एसोसिएट डाइरेक्टर, दक्षिण एशिया एवं मध्य पूर्व, जार्ज ब्राउन

कॉलेज का 27 जुलाई, 2016 को निफ्ट, दिल्ली का दौरा

- अंगीरा मित्रा, विपणन प्रबंधक, इंडिया, वूलमार्क सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का 16 अगस्त , 2016 को निफ्ट, दिल्ली का दौरा
- फ्रेनेलफ जेलाया, एसोसिएट डाइरेक्टर, इंटरनेशनल एडमीशन – लैटिन अमेरिका, एससीएडी यूनिवर्सिटी का 24 अक्तूबर, 2016 को निफ्ट, दिल्ली का दौरा

निफ्ट प्रतिनिधिमंडल की अंतर्राष्ट्रीय तथा देशीय संस्थानों की यात्रा

- श्री एस.एस.रे, एसोसिएट प्रोफेसर, बी. एफ.टेक, निफ्ट, कोलकाता ने 6 से 9 अप्रैल, 2016 तक ओसाका,जापान में जापान अंतर्राष्ट्रीय परिधान मशीनरी तथा वस्त्र उद्योग व्यापार प्रदर्शनी 2016 में भाग लिया।
- डा. अर्चना गांधी, एसोसिएट प्रोफेसर, डीएफटी दिल्ली, डा. संदीप मुखर्जी, एसोसिएट प्रोफेसर, एफडी, निफ्ट कोलकाता और सुश्री हरलीन साहनी, सहायक प्रोफेसर और सुश्री प्रीति गंधावी सहायक प्रोफेसर, एमएफएम, निफ्ट, गांधी नगर ने 25 से 28 अप्रैल, 2016 तक पोजनाम, पोलेंड में आयोजित 90वें वस्त्र संस्थान विश्व सम्मेलन में एक पेपर प्रस्तुत किया।
- सुश्री अनुप्रीत बी. दुग्गल, सहायक प्रोफेसर, निफ्ट दिल्ली एफसी ने 20 से 21 अप्रैल, 2016 तक स्पेन में फैशन सम्मेलन एक्स, यूनिवर्सीडाड डी नवारा में एक पेपर प्रस्तुत किया
- श्री दिबेंदु बिकास दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, निफ्ट कोलकाता ने एनआईटी जालंधर, पंजाब में 8 से 10 अप्रैल, 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, आरटीसीटी, 2016 में एक पेपर प्रस्तुत किया।
- सुश्री गिरिजा झा, सहायक प्रोफेसर, डीएफटी निफ्ट दिल्ली ने एनआईडी, अहमदाबाद में 25 से 27 अप्रैल, 2016 तक "एर्गोनौमिक्स और उपयोगकर्ता केन्द्रित डिजाइन" संबंधी कार्यशाला में भाग लिया
- प्रो0 डा. वन्दना भण्डारी, तत्कालीन डीन–ए को ब्रूनई गैलरी, एसओएएस, लंदन में 14–15 मई, 2016 के दौरान आयोजित विश्व इकत वस्त्र प्रदर्शनी तथा विचार गोष्ठी में एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था।
- श्री क्रिस्टो अफ्रेट रयान, निफ्ट बेंगलूरू और सुश्री नयनिका ठाकुर, निफ्ट दिल्ली के साथ 2 विद्यार्थी 19 से 23 मई, 2016 तक स्वीडन में नमस्ते स्टाक होम महोत्सव 2016 में प्रदर्शनी के लिए गए थे।
- चाणक्यपुरी, दिल्ली में आस्ट्रेलियाई उच्चायोग द्वारा आयोजित आस्ट्रेलिया–भारत शैक्षणिक एवं अनुसंधान विचार गोष्ठी में प्रो0 डा. प्रबीर जना, अनुसंधान प्रमुख, निफ्ट, प्रो0 डा. शालिनी सूद, प्रमुख – अंतर्राष्ट्रीय एवं देशीय लिंकेज, निफ्ट, सुश्री जैसमिन एस. दिक्षित, सहायक प्रो0 एवं नोडल अधिकारी, आस्ट्रेलिया ने भाग लिया जिसका आयोजन 11 फरवरी, 2016 को किया गया था।
- मोहन कुमार, सहायक प्रोफेसर निफ्ट बेंगलूरू और नोडल अधिकारी एसटीसी ने 6 से 10 जून, 2016 तक मई–जून, 2016

के ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम हेतु एसटीसी के विद्यार्थियों के साथ गए।

- प्रो0 डा. प्रबीर जना, अनुसंधान प्रमुख निफ्ट ने 13 से 19 जून, 2016 तक एचसीएमसी, वियतनाम में 2 दिवसीय प्रदर्शनी में भाग लिया।
- डा. दीपक पंघाल, सहायक प्रोफेसर – डीएफटी, निफ्ट दिल्ली ने 20 से 24 जून, 2016 तक एनआईटी, वारांगल, तेलंगाना में "3डी प्रिंटिंग एवं एडीटिव विनिर्माण" संबंधी कार्यशाला में भाग लिया
- श्री संजय श्रीवास्तव, निदेशक, एनआईएफटी पटना ने 3 से 6 जुलाई 2016 तक बुसान, कोरिया में "चौथे विश्व शिक्षा अग्रणी मंच " (आईवाईएफ कैम्प) में भाग लिया।
- सुश्री राखी वाही प्रताप, एसोसिएट प्रोफेसर, टीडी, निफ्ट हैदराबाद ने 3 से15 अक्तूबर, 2016 तक स्कूल ऑफ फैशन एण्ड टैक्सटाइल्स, आरएमआईटी यूनिवर्सिटी, मेलबॉर्न, आस्ट्रेलिया में आईएफएफटीआई फैकल्टी एक्सचेंज पहल में प्रतिभागिता की।
- डा. डी. सैमुअल वेसले, एसोसिएट प्रोफेसर, फैशन प्रौद्योगिकी विभाग (परिधान उत्पादन) निफ्ट चेन्नई ने 4 जुलाई, 2016 से 15 जुलाई, 2016 तक 2 सप्ताह हेतु स्कूल ऑफ फैशन एण्ड टैक्सटाइल्स, आरएमआईटी यूनिवर्सिटी, मेलबॉर्न, आस्ट्रेलिया में आईएफएफटीआई फैकल्टी एक्सचेंज पहल में प्रतिभागिता की।
- श्री राजेश कुमार झा,सहायक प्रोफेसर – डीएफटी, निफ्ट कन्नूर ने 14 से 16 जुलाई, 2016 तक आईआईटी मुम्बई में "बौद्धिक सम्पदा अधिकार का प्रबंधन तथा रणनीति (एमआईपीएस) संबंधी तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" पर कार्यशाला में भाग लिया।
- प्रो0 डा. वन्दना भण्डारी, तत्कालीन डीन–ए ने 8 से 9 अगस्त, 2016 तक फैशन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यूयार्क में आईएफएफपीआई की 36 वीं कार्यकारी समिति बैठक में भाग लिया ।
- प्रो0 मोनिका गुप्ता, एफटी, निफ्ट दिल्ली ने 15 से 17 अगस्त, 2016 तथा 18 से 19 अगस्तज, 2016 तक लास वेगास, अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो तथा फैशन वीक में भाग लिया।
- श्री जी चिरंजीवी रेडडी, एसोसिएट प्रोफेसर और सीपी – एफ एवं एलए ने 14 से 16 अक्तूबर, 2016 तक बार्सीलोना – स्पेन में शिक्षा में अध्ययन संबंधी पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक पेपर प्रस्तुत किया।
- श्री नीलेश कुमार शिदपुरा, सहायक प्रोफेसर, टीडी, निफ्ट गांधीनगर ने 1 से 3 अक्तूबर, 2016 तक आईडी 11 पीजे रटन, नीदरलैण्ड में इंटरनेशनल आर्ट रेजीडेन्सी में भाग लिया।
- प्रो.डा.शर्मिला जे.दुआ, डीन–ए, निफ्ट दिल्ली, प्रो.(डा.) सुधा ढींगरा, सीपी–टीडी निफ्ट दिल्ली और डा.एम.वसंथा, एसोसिएट प्रोफेसर टीडी, निफ्ट चेन्नई, ने 19 से 23 अक्तूबर, 2016 के दौरान 15वीं द्विवार्षिक विचार–गोष्ठी, सावनाह जार्जिया, अमेरीका में एक पैनलिस्ट के रूप में पेपर प्रस्तुत करने के लिए पैनल चर्चा में भाग लिया।

निफ्ट बेंगलूरू में एसटीसी विद्यार्थी

घरेलू संपर्क

निफ्ट भारत में डिजाइन शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए कटिबद्धहैं और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निफ्ट विभिन्न महत्वपूर्ण संगठनों/संस्थाओं से जुडा हुआ है।निफ्ट का निम्न संगठनों/संस्थानों के साथ एमओयू है:

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन (निड), अहमदाबाद – अध्ययन के लिएपैनलिस्ट, ज्यूरीज़ और पी एच डी कार्यक्रमों के लिएगाइड्स के रुप में फैकल्टी शेयरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, जॉएंट स्टूडेंट्स फील्ड ट्रिप्स,डिजाइन एजुकेशन एंड प्रमोशन के क्षेत्रों में दो संस्थाओं के बीच सहयोग।

स्कूल ऑफ फैशन टेक्नालोजी (सॉफ्ट), पुणे एंड सेंटर फॉर कॉन्टिनियुइंग ऐजुकेशन (सीसीई) केरल – पाठ्यक्रम डिजाइन,सिमेस्टर प्लानिंग, अकेडमिक शेड्युलिंग, परीक्षक एवं मूल्यांकन पद्धतियां, फैकल्टी भर्ती, कंडक्ट ओरियंटेशन कार्यक्रम, फैकल्टी प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण रिसोर्स केन्द्रकी स्थापना, मशीनरी/उपस्कर खरीद में सहायता ऐसे क्षेत्र हैं जहां एमओयू के माध्यम से विशेषज्ञता हासिल की जाती है।

फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट (एफडीडीआई) – निफ्ट नेएफडीडीआई, दिल्ली के साथ दिसम्बर, 2013 में एमओयू पर हस्ताक्षर किए।दोनों संस्थानों ने अध्यापन, पैनलिस्ट, ज्युरीज़ और पी एच डी कार्यक्रमों के लिएगाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, जोएंट स्टयूडेंट्स फील्ड ट्रिप्स,डिजाइन एजुकेशन एंड प्रमोशन के क्षेत्रों में सहयोग स्थापित किया है।

कोवेन्ट्री यूनिवर्सिटी के कला एवं मानविकी फैक्लटी से प्रतिनिधिमण्डल का दौरा, यूकेएसटीसी विद्यार्थी दौरा 2016

सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईसी) : निफ्ट ने सीसीआईसी, दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों संस्थानों के बीच निम्नलिखित प्रकार का सहयोग है:

1. निफ्ट, नई दिल्ली डिजाइनों तथा उत्पाद विकास की तकनीकों पर कार्य करेगा और उन्हें सीसीआई को भेजेगा और फिर निफ्ट और सीसीआईसी उन डिजाइनों का प्रयोग करते हुए नमूने तैयार करेंगे।
2. इसके करने में सीसीआईसी उन नमूनों को अपने ऑर्डर बुक करने के उद्देश्य से शोरूमों/विभिन्न प्रदर्शनियों में प्रदर्शित करेगा और इस आधार पर ऑर्डर के रूप में अलग–अलग क्लस्टरों में रखेंगे।

पीएचडी और अनुसंधान

पीएचडी कार्यक्रम : निफ्ट वस्त्र, फैशन एंड लाइफस्टाइल और परिधान सैक्टर के व्यापक संदर्भ में सहित प्रयुक्त डिजाइन,प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पी एच डी प्रदान करता है। यह कार्यक्रम बड़े स्तर पर अकेडमियों और उद्योग के प्रयोग के लिए मूल ज्ञान के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वस्त्र, फैशन तथा परिधान क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने के लिए तैयार किया गया है।

पीएचडी कार्यक्रम की दाखिला प्रक्रिया प्रति वर्ष परीक्षाफल की घोषणा के साथ अप्रैलमाह में आरम्भ की जाती है और जुलाई माह के दौरान पंजीकरण किया जाता है। पी एच डी कार्यक्रम के दाखिले हेतु पात्रता मानदंड पी एच डी कार्यक्रम के लिएविनियमों में विनिर्दिष्ट हैं।

वर्ष 2009 में 7 पंजीकृत विद्यार्थियों के साथ पी एच डी कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इस समय निफ्ट सेकुल 31 छात्र पी एच डी कर रहे हैं। कार्यक्रम की समयावधि के संबंध में अभ्यर्थी से उम्मीद की जाती है कि वह पांच वर्षों के भीतर पर्यवेक्षित अध्ययन पूरा कर ले, जिसे निफ्ट के महानिदेशक की सात वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। 1 अप्रैल, 2016 से अद्यतन तिथि तक कुल सात छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है।

फेकल्टी ओरिएंटेशन प्रशिक्षण एवं विकास, फेकल्टी विकास तथा ब्रिज कार्यक्रम गतिविधियां

तेजी से बदलते फैशन बिज़नेस शिक्षा के प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण और गतिशीलता में विश्व में श्रेष्ठ की तुलना में सर्वोत्तम शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मानकों की आवश्यकता है।

आगे रहने के क्रम में, आवश्यक क्षमताओं को संस्थागत मेकेनिज़्म और प्रक्रिया द्वारा निरंतर विकसित एवं अपग्रेड करने की आवश्यकता है।

प्रशिक्षण में मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व शामिल है जो निफ्ट के विभिन्न विभागों और कैम्पसों के मध्य अंतर विभागीय नेटवर्क तथा लिंकेजेस उपलब्ध कराने के द्वारा शैक्षणिक कार्मिकों का वैयक्तिक/संस्थागत विकास तथा सशक्तिकरण करता है। यह निफ्ट परिवार के मध्य एक दृष्टि तथा एक लक्ष्य की भावना को भी समाहित करता है।

ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर (टीओटी) कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य, किसी सेमेस्टर के आरंभ से पहले कैम्पसों को आत्मनिर्भर बनाना और बाहरी स्रोतों पर न्यूनतम निर्भरता सुनिश्चित करना है। टीओटी में सामान्यतः निफ्ट पाठ्यक्रम से संबंधित विषय होते है। 4 से 7 दिनों की अवधि के 23 कार्यक्रम संचालित किए गए। कुल 141 फेकल्टी लाभार्थी थे।

कवर होने वाले मुख्य क्षेत्रों में शामिल हैं – डिजाइन सोच तथा डिजाइन अनुसंधान, पैटर्न निर्माण और फिट मूल्यांकन, लेक्ट्रा स्तर 1 तथा 2, डिजाइन शिक्षण पद्धतियां, फैशन स्टाइलिंग तथा पत्रकारिता के आधारभूत सिद्धांत, फैशन उद्योग हेतु ई–कामर्स, नई फैशन व्यवस्थाओं का पाठ्यक्रम और अध्यापन–कला, डिजीटल पोर्टफोलियो विकास, प्राकृतिक रंगाई के साथ शिबोरी तकनीके आदि।

अंतर–विषयक क्षेत्रों जैसे अध्यापन–कला प्रशिक्षण, कोर्स करिकुलम डेलिवरी, शिक्षण सहायता सामग्री, केस स्टडीज़, मुख्यधारा के फैशन उद्योग को समझना इत्यादि पर विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। विशेष कार्यशालाओं की अवधि 4 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होती है। कुल 14 अध्यापक लाभार्थी हुए हैं। कुछ विशेष जिनको प्रशिक्षण के दायरे में

लाया गया था, वे हैं: इफेक्टिव करिकुलम डेलिवरेंस इत्यादि।

निफ्ट फेकल्टी को माइक्रो लेवल पर उद्योग की कार्यप्रणाली से अद्यतन करने या उद्योग की होलिस्टिक समझ रखने और उनके अंतरसंबंध में समर्थ बनाने के उद्देश्य से, फैकल्टी उद्योग अटेचमेंट्स को सरल बनाया जाता है जो फेकल्टी को नवीनतम पद्धतियों की जानकारी देता है ताकि उक्त जानकारी को क्लास रूम में बताया जा सके। जून–जुलाई 2016 के दौरान कुल 43 फेकल्टी सदस्य डिजाइनर–राजेश प्रताप सिंह, नई दिल्ली, वेलस्पन ग्लोबल ब्राण्डस लिमिटेड, मुंबई, कर्मा डिजाइनस, अहमदाबाद, द लिटिल बर्ड स्टाइलिंग कंपनी, नई दिल्ली, एसोसिएटिड इंडियन एक्सपोर्टस, नई दिल्ली, ओटो क्लोदिंग प्रा.लि., चेन्नई, बाया डिजाइन, मुंबई आदि जैसे प्रतिष्ठित संगठनों/कंपनियों में उद्योग से जुड़े। फेकल्टी द्वारा 13 प्रकाशन/पेपर/अनुसंधान लेख संकलित कर सभी निफ्ट कैम्पसों की फेकल्टी के मध्य व्यापक रूप से परिचालित किए गए।

शिल्प कलस्टर यूनिट

भारत में फैशन शिक्षा के अग्रणी के रूप में, निफ्ट अपने सामाजिक दायित्वों के महत्व को समझता है और ऐसे मूलभूत डिजाइनरों को बनाने के अपने प्रयास को जारी रखे हुए है जो भारत के विभिन्न शिल्पों की सराहना तथा संवर्धन में समर्थ हों। कई शैक्षणिक क्रियाकलाप विद्यार्थियों को शिल्प क्षेत्र की वास्तविकताओं के प्रति सुग्राहीकरण में सहायता करते हैं और क्षेत्रीय संवेदनाओं के ब्यौरे मुहैया करवाते हैं। निफ्ट में क्लस्टर पहलों को विद्यार्थियों को शिल्प क्षेत्र की वास्तविकताओं के प्रति सुग्राहीकरण तथा आधारभूत क्लस्टर स्तर पर अनुभव साझा करने हेतु अवसर मुहैया करवाने के लिए बनाया गया है।

निफ्ट शिल्प कलस्टर पहल

निफ्ट शिल्प कल्स्टर पहल का मूल प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर दिया गया माननीय प्रधानमंत्री का भाषण तथा जिसमें उन्होंने यह विचार व्यक्त किए थे कि हथकरघा और हस्तशिल्प हमारी समृद्ध संस्कृति एवं परंपरा का एक अभिन्न अंग है। युवा फैशन पेशेवरों को परंपरागत हथकरघा तथा हस्तशिल्प उद्योग से संभव सीमा तक जोड़ने से वे हमारी सदियों पुरानी सभ्यता को समझ पाने तथा इसका महत्व जानने में समर्थ होंगे जो आगे चलकर उन्हें एक विशिष्ट बाजार के दोहन हेतु अनूठी बिक्री संभावना (यूएसपी) मुहैया करवाएगा ।

एनआईएफटी मुंबई में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा डिजाइन सूत्र 2016 का उद्घाटन

निफ्ट ने वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय और विकास आयुक्त (हस्त शिल्प) का कार्यालय के सक्रिय सहयोग से एक नया शिल्प क्लस्टर पहल कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित किया है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को हथकरघे तथा हस्त शिल्प क्लस्टरों के साथ सतत संपर्क मुहैया करवाना है जिससे उन्हें सृजनशील नवाचार तथा प्रयोग हेतु एक अवसर प्राप्त हो। इस प्रयास का उद्देश्य भविष्य के डिजाइनरों का भारत में विभिन्न शिल्प क्षेत्रों के प्रति सुग्राहीकरण है। यह परिकल्पना की

गई है कि शिल्प के साथ संपर्क विद्यार्थियों को "युवा परिवर्तन एजेंट " बनने में सहायता करेगा और हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के कौशला का उपयोग अनूठे समकालीन उत्पादों को विकसित करने के लिए किया जाएगा।

7 अगस्त, 2016 को वाराणसी में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर निफ्ट ने माननीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जेड.ईरानी की उपस्थिति में शेल्प क्लस्टर पहल के संबंध में विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्ताशिल्प) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित कार्यकलापों का ब्यौरा देने वाले निफ्ट शिल्प क्लस्टर पहल ब्राउशर को माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा मंच पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ जारी भी किया गया था। इस अवसर पर निफ्ट ने एक प्रदर्शनी भी लगाई जिसमें एक समकालीन फैशन में भारत के हाथ से बुने गए कपड़ों का उपयोग करते हुए निफ्ट के विद्यार्थियों द्वारा डिजाइन तथा विकसित किए गए 5 डिजइन संकलनों को भी प्रदर्शित किया गया था।

माननीया वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जे. ईरानी; वस्त्र राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा; निफ्ट के अध्यक्ष श्री चेतन चौहान; निफ्ट के महानिदेशक श्री सुधीर त्रिपाठी और निफ्ट के बीओजी सदस्य डिजाइन सूत्र 2016 के पुरस्कार विजेताओं के साथ

इस परिवर्तनशील पहल के अंतर्गत निफ्ट के विद्यार्थी भारत के क्लस्टरों में शिल्पकारों तथा बुनकरों के साथ निकट रूप से कार्य करेंगे और नैदानिक अध्ययन, डिजाइन हस्तक्षेप तथा प्रोटोटाइप विकास जैसे क्रियाकलापों को लेंगे। शिल्पकारों तथा बुनकरों को भी सम्पर्क कार्यशालाओं तथा प्रदर्शन कार्यशालाओं हेतु निफ्ट कैंपसों में आमंत्रित किया जाएगा जहां उन्हें शहरी बाजारों को समझने का अवसर मिलेगा। इस क्रियाकलाप हेतु निफ्ट को 5 वर्षों की अवधि में 49 करोड़ 89 लाख रूपये का अनुदान दिया गया है।

निफ्ट के पास हथकरघा तथा हस्तशिल्प क्लस्टरों के साथ जुड़ने और नई भागीदारियों बनाने का लाभ देशभर में 15 राज्यों में इसकी मौजूदगी के चलते उपलब्ध है। इस पहल के अंतर्गत निफ्ट के विभिन्न कैंपसों ने शिल्प क्लस्टरों को अपनाया और नैदानिक अध्ययन, शिल्प प्रलेखन तथा उत्पाद विकास जैसे क्रियाकलापों को लिया। एक नियमित क्रियाकलाप के रूप में निफ्ट के विद्यार्थियों को पाठयक्रम के एक भाग के रूप् में हथकरघा तथा हस्तशिल्प के क्लस्टरों के प्रति सुग्राहीकृत किया जाता है। 2000 से अधिक विद्यार्थियों ने फील्ड कार्य हेतु 10 दिन की अवधि के लिए विभिन्न क्लस्टरों का दौरा किया और शिल्प प्रलेखन तथा उत्पाद विकास के कार्य को किया। विभिन्न कैम्पसों से विद्यार्थियों ने समूचे भारत में शिल्प के एक व्यापक क्षितिज को कवर किया। प्रलेखित शिल्पों में से कुछ हैं जयपुर, अजमेर तथा उदयपुर में ब्लाक बनाना, ब्लाक प्रिंटिंग, नीली पॉट्री जयपुर में लहरिया, बंधेज, हस्त निर्मित कागज, दाबू प्रिंटिंग, चांदी के जेवरात, लहरिया (उदयपुर), पिछवाई पेंटिंग, धुरी बुनाई, मिनिएचर पेंटिंग, चमड़ा हस्तशिल्प, फाड पेंटिंग; जोधपुर

में ब्लाक प्रिंटिंग, धुरी बुनाई, चमड़ा कार्य, लक्कड कार्य, हडडी पर कार्य; गुजरात में अजरक प्रिंटिंग, बंधनी, मशरू, रबाड़ी कढ़ाई, सूफ, खरक तथा जाट कढ़ाई, मुतवा, अहीर, मोची तथा मोती कढ़ाई, परंपरागत परिधान, घंटी धातु शिल्प, कच्छ में लाख का कार्य; वाराणसी में लकड़ी के खिलौने, मीनाकारी, जरदोजी, पत्थर शिल्प, लकड़ी पर नक्काशी, जरी का काम; कुल्लू और मनाली में हाथ से बुने उत्पाद, शॉल बुनाई, गलीचे, धातु शीट का काम, पुल्ला चप्पल और परंपरागत परिधान; लाहौल और स्पीति में थंगका पेंटिंग्स तथा शॉलें; लातूर और सावंतवाड़ी में धुरी बुनाई, बंजारा कढ़ाई, नारियल जटा तथा बांस; औरंगाबाद में हिमरू; पुणे में पुनेरी साड़ी; दहानू में वरली पेंटिंग; मध्य प्रदेश में सारंगपुर, पदाना, सौंसर, वरासयोनी और मंडसौर में हथकरघा वस्त्र; आंध्र प्रदेश में मधावरम, धर्मावरम, हिंदूपुर, मंगलगिरी और चिराला के हथकरघा उत्पाद; श्रीकलाहस्ती में कलमकारी; नरसापुर लैस; वारांगल में धुरियां; तेलंगाना में ब्रास धातु, स्क्रॉल पेंटिंग तथा लाख की चूड़िया; रांची और पटना में टेराकोटा, बेत तथा बांस; कटक में बारंबा, बांकी, नुपतना और अभिमानपुर के हथकरघा; पुरी, कोणार्क तथा रघुराजपुर में समुद्री सीपियों की शिल्प, लकडी पर नक्काशी, सोलापीठ, पत्थर पर नक्काशी और पटटाचित्रा खिलौने; मैसूर में मैसूर सिल्क; वयानाद में बांस शिल्प; थलायोलापरंबू में केवड़ा शिल्प; कसारगोड में कसारगोड साड़ी; कन्नूर में पयानूर बेल धातु शिल्प; बीरभूम, पश्चिम बंगाल में कांथा, लेदर बाटीक और कढ़ाई; बर्दवान, पश्चिम बंगाल में डोकरा धातु शिल्प और बेगमपुर, पश्चिम बंगाल में हथकरघा बुनाई शामिल है।

डिजाइन सूत्र 2016

वार्षिक प्रतियोगिता "डिजाइन सूत्र" निफ्ट विद्यार्थियों को समकालीन ग्राहक हेतु परंपरागत वस्त्रों तथा हस्तशिल्पों का उपयोग करके नया उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक मंच है। प्रतियोगा का उद्देश्य विद्यमान शिल्प तकनीकों तथा उत्पादों में डिजाइन तथा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य विचारों की अवधारणा के माध्यम से एक नई दृश्य भाषा का विकास करना है। अंतर कैम्पस प्रतिस्पर्धा "डिजाइन सूत्र " के फाइनल दौर का आयोजन 30 अगस्त 2016 को नेफ्ट मुम्बई में किया गया था। प्रख्यात निर्णायक मंडल के सदस्यों जैसे कि हेमंत त्रिवेदी, अनाविला मिश्रा, सत्य शरण, मेहर कैस्टेलीनो, डॉली ठकोरे, कृष्णा मेहता, सलीम आरिफ और पिनाकिन पटेल को हथकरघा (परिधान तथा गृह साज–सज्जा),हस्तशिल्प तथा पोस्टर की विभिन्न श्रेणियों के मूल्यांकन के लिए आमंत्रित किया गया था। तीन लाख रूपये मूल्य के नकद पुरस्कार सहित विद्यार्थियों को पुरस्कार निफ्ट मुम्बई ने माननीया वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जेड. ईरानी द्वारा प्रदान किए गए थे।

शिल्प कलस्टर परियोजनाएं

नेफ्ट विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से शिल्प क्षेत्र में अधिक भागीदारी की परिकल्पना करता है जिसे शैक्षणिक पाठयक्रम के साथ इसके एक व्यवस्थित तथा सतत प्रयास द्वारा एकीकरण, और हथकरघों तथा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में निफ्ट फैक्लटी तथा विद्यार्थियों की दक्षताओं तथा विशेषज्ञताओं के नियोजन द्वारा प्राप्त किया जाएगा। कुछेक उदाहरणों में जैसा कि निफ्ट ने उस्ताद योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ एक ज्ञान भागीदार के रूप में सहयोग अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध शिल्पकारों के कौशलों के प्रशिक्षण तथा उन्नयन के उद्देश्य से किया है ताकि उनके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही परंपरागत पुस्तैनी शिल्पों को बचाया जा सके। इस परियोजना में भारत के अल्पसंख्यक

समुदायों द्वारा उपयोग किए जा रहे 25 हथकरघे तथा हस्तशिल्प शामिल हैं। निफ्ट, कोलकाता ने भी विभिन्न राज्य तथा केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया है जैसे कि झारखंड सरकार के अंतर्गत कुचई रेशम परियोजना, एसजीएसवाई परियोजना और राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र (एनसीजेडी) हेतु उत्पाद डिजाइन कार्यशालाएं।

निफ्ट ने विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित डिजाइन संबंधी परियोजनाओं को सफलापूर्वक निष्पादित किया है। निफ्ट, कोलकाता में एक डिजाइन स्टूडियो स्थापित किया गया है जो परंपरागत तथा विविधतापूर्ण हस्तशिल्प उत्पादों के एक व्यवस्थित प्रदर्शन के माध्यम से क्षमताओं, संभावनाओं तथा उपयोगों के संबंध में मूल्यवर्धन तथा ज्ञान के प्रसार हेतु विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा प्रायोजित है। निफ्ट, जोतपुर 4.48 करोड़ रूपये की लागत वाले जोधपुर मेगा क्लस्टर परियोजना के अंतर्गत शिल्पकारों हेतु एक नवाचार केन्द्र विकसित कर रहा है जिसे व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) बाजार संवर्धन के अंतर्गत विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। निफ्ट चैन्नई, भुवनेश्वर तथा कोलकाता में भी अक्तूबर, 2016 में विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा प्रायोजित तीन दिवसीय क्षेत्रीय डिजाइन कार्यशालाओं का आयोजन किया था। कार्यशालाओं में शिल्प क्लस्टरों में कार्य कर रहे वस्त्र डिजाइनरों तथा बुनकर सेवा केन्द्रों के डिजाइनरों ने भी भाग लिया था।

निफ्ट ने हथकरघा क्लस्टरों में कार्य करने और हाथ से बने कपड़े का उपयोग करके फैशन वस्त्रों के डिजाइन में प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनरों की पहचान करने में विकास आयुक्त (हथकरघा) की भी सहायता की थी। ये डिजाइनर क्लस्टर को अपनाएंगे और डिजाइन हस्तक्षेप तथा शिल्पियों के कौशल उन्नयन के माध्यम से शिल्प को बढ़ावा देने तथा उसमें वृद्धि करने में भी सहायक होंगे। दूसरे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर निफ्ट ने राजेश प्रताप सिंह, सामन्त चौहान, सुनीता शंकर, संजय गर्ग, सुकेतधीर और मनीष त्रिपाठी जैसे अग्रणी डिजाइनरों को आमंत्रित किया था जो विभिन्न शिल्प क्लस्टरों को अपनाकर हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।

शिल्प क्षेत्र में निफ्ट फैकल्टी का योगदान

निफ्ट के विभिन्न कैम्पसों के फैकल्टी सदस्यों ने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अनुसंधान पेपर प्रस्तुत किए हैं और शिल्प क्षेत्र से संबंधित प्रतिष्ठित जर्नलों में पेपर प्रकाशित करवाए हैं। कुछेक के नाम हैं, "प्रोबलम्स एण्ड प्रोसपेक्टस ऑफ ससटेनेबल फैशन : ए केस स्टडी ऑफ कोटपाद नेचुरल डाइज" शीर्षक वाले पेपर को डा. बी.बी.जेना, डा. संतोष तराई और सुश्री हर्षा रानी द्वारा चीन में आयोजित आईएफएफटीआई सम्मेलन में; सुश्री सस्मिता पंडा और सुश्री ज्योतिरमई एस. ने "डिजाइन इंटरवेंशन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एण्ड टैक्नोलॉजिकल इनोवेशन्स फॉर द रिवाइवल ऑफ त्रिपुरा हैण्डलूम्स : एन एक्सपेरीमेंट एट इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, खैताबाद, हैदराबाद "; में ऋतु मल्होत्रा द्वारा लिखे गए "द डिटरमिनेंटस फॉर सस्टेनेबिलिटी इन ए लो टेक्नोलॉजी एसएमई टैक्सटाइल क्लस्टर इन एन इमर्जिंग इकोनॉमी " और "कलचरल आर्केटाइप ब्रॉण्ड फ्रॉम इंडियन क्राफ्टसमैन फॉर सोशियली रिस्पॉंसिबल सिटीजनशिप" शीर्षक वाले पेपर क्रमशः इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस इनोवेशन और रिसर्च एण्ड प्रोडक्टिविटी

जर्नल मे प्रकाशित हुए हैं। डा. गौतम शाह द्वारा लिखित " डेवलपिंग आर्टीसन इन इंडियन हैण्डीक्राफ्ट सैक्टर : एन इनक्लूजिव एप्रोच" शीर्षक वाला पेपर सीबीएस जर्नल ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसिस, खण्ड 2,सं. 2 में प्रकाशन हेतु स्वीकार किया गया है।

निफ्ट फैकल्टी शिल्प क्षेत्र से संबंधित विचार गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के आयोजन में सक्रिय रही है। सेंट पॉल बोर्डिंग एण्ड डे स्कूल के 100 विद्यार्थियों हेतु शिल्प जागरूकता कार्यक्रम की एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन निफ्ट, कोलकाता द्वारा किया गया था। इस कार्यशाला को विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा प्रायोजित किया गया था तथा इसका संचालन डा. संदीप मुखर्जी और श्री सुमंतरा बख्शी ने किया था। शिल्प जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चौं जैसे युवा नागरिकों हेतु परस्पर तथा भागीदारी वाली कार्यशाला के माध्यम से बंगाल के परंपरागत हस्तशिल्पों के संबंध में जागरूकता का प्रसार करना था ताकि वे इन नूतन परंपरागत प्रयासों की सराहना कर सके तथा भविष्य में उन्हें संरक्षण प्रदान कर सकें। जून,2016 में निफ्ट कोलकाता से सुश्री सिरीनन्दा पालित और डा. दीबेन्दु बिकास दत्ता ने परंपरागत कढ़ाई कान्था के संबंध में जागरूकता के प्रसार हेतु विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा प्रायोजित एक दो दिवसीय संगोष्ठी का संयुक्त रूप स समन्वय किया। इन फैकल्टी सदस्यों ने जूट के हैण्डबैग संबंधीएक परियोजना का संयुक्त समन्वय भी किया जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को निफ्ट के पूर्व छात्रों द्वारा कैंम्पस में प्रशिक्षित किया गया था। परियोजना जारी है और इसे एनजेबी द्वारा प्रायोजित किया गया था। निफ्ट, मुम्बई ने 15 शिल्पकारों हेतु एक डिजाइन कार्यशाला का आयोजन सौरभ कुमार द्वारा एक एनजीओ पारंपरिक कारीगर हेतु किया गया था। निफ्ट, हैदराबाद में अक्तूबर, 2016 में शिल्प कलस्टर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में फैकल्टी तथा विद्यार्थियों द्वारा एक दिवसीय विपणन कार्यशाला का आयोजन नेल्लोर कलस्टर में किया गया था।

निफ्ट, कोलकाता से सुश्री भारती मोइत्रा ने दक्षिणीन्दरी टेराकोटा क्लस्टर, 24 परगना (नार्थ), कोलकाता की टेराकोटा शिल्प की विपणनीयता में सुधार करने के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)के कार्यालय में इंटर्न के रूप में कार्य किया। एनआईएफटी, हैदराबाद से श्री सत्यप्रकाश को आंध्र प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड द्वारा "राज्य पुरस्कार 2015 " हेतु निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था।इस प्रतियोगिता में कलमकारी, चमड़े की कठपुतली, लकड़ी पर नक्काशी, ब्रासवेयर, टर्न–वुड लाख के बर्तन, पत्थर पर नक्काशी, जनजातीय हैण्ड पेंटिंग, पेपर क्राफ्ट, लेस एवं पाम लीफ क्रॉफ्ट जैसे विभिन्न शिल्पों से 24 शिल्पकारों की प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी।

12.3 सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट (एसवीपीआईएसटीएम)

सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाल्स एंड मैनेजमेंट (एसवीपीआईएसटीएम) वस्त्र और प्रबंधन शिक्षा के लिए फोकस करती है। यह संस्थान प्रबंधन परास्नातक डिग्री (पीजीडीएम) अर्थात (i) वस्त्र प्रबंधन (ii) अपैरल प्रबंधन और (iii) खुदरा प्रबंधन की पेशकश करता है। वस्त्र प्रबंधन में एमबीए, अपैरल प्रबंधन में एमबीए और कास्ट्यूम डिजाइन एवं फैशन में बी.एससी की पेशकश करने हेतु एसवीपीआई एसटीएम और सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडू (सीयूटीएन) के मध्य एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है।

अध्याय–13

सार्वजनिक उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रम वस्त्र क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास में सक्रियता से लगे हुए हैं :–

1. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि.(एनटीसी)
2. हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
3. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
4. भारतीय कपास निगम (सीसीआई)
5. सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., नई दिल्ली
6. ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी)
7. भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) लि., कोलकाता
8. राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण कारपोरेशन लि. (एनजेएमसी), कोलकाता

13.1 राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि.

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (एनटीसी) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक अनुसूची "क" वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। यह समूचे भारत में स्थित अपने 8.2 लाख स्पिंडलों तथा 408 करघों के साथ अपनी 23 मिलों के माध्यम से धागे तथा कपड़े के उत्पादन में नियोजित है। एनटीसी प्रति वर्ष लगभग 550 लाख किलो के धागे तथा तथा 200 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन करता है। एनटीसी अपनी संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से वस्त्रों का भी विनिर्माण करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय वस्त्र निगम का देशभर में सुस्थापित रिटेल नेटवर्क हैं जिसमें इसके 92 रिटेल स्टोर हैं। वर्तमान कर्मचारी संख्या लगभग 7800 की है।

एनटीसी प्रचालन मिलों में अपनी प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु तत्पर है और आधुनिकीकरण, विस्तार, उत्पाद विविधता आदि की ओर देख रही है। तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में प्रवेश करना – जो भविष्य का उदयीमान क्षेत्र है, अपने खुदरा विपणन केन्द्रों का रूपांतरण और अपनी ब्रॉण्ड छवि में सुधार निगम के वर्तमान एजेंडा में शामिल कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) की स्थापना मुख्य रूप से वर्ष 1974, 1989 और 1995 में तीन तीन राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अपने कब्जे में लिए गए रूग्ण वस्त्र उपकरणों के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए की गई थी। पुरानी प्रौद्योगिकी, अधिक जनशक्ति, खराब उत्पादकता आदि के कारण इसकी 9 सहायक कंपनी में से 8 को वर्ष 1992–93 में बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया था। बीआईएफआर ने सभी नौ सहायक कंपनियों के लिए पुनरूद्धार योजना अनुमोदित किया– उनमें से 8 को वर्ष 2002–03 में और 9वीं को वर्ष 2005 में अनुमोदित कियागया था। यह कंपनी तब से लेकर अभी तक पुनरूद्धार योजना को क्रियान्वित कर रही है। वर्ष 2002–03 की स्वीकृत मूल्य योजना (एसएस–02) को 53 मिलों के आधुनिकीकरण केलिए आबंटित 736 करोड़ रुपए के संघटक के साथ कुल 3937 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित किया गया था। यह योजना 2 बार संशोधित की गई थी दृ पहली बार 5267 करोड़ रुपए की कुल संशोधित लागत से वर्ष 2006 (एमएस–06) में जिसमें 22 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 530 करोड़ रुपए का संघटक शामिल था। और दूसरी बार यह योजना 4 नए मिलों की स्थापना सहित बढ़ाई गई क्षमता के साथ 22 मिलों के आधुनिकीकरण के

लिए 1155 करोड़ रुपए के संघटक के साथ 9102 करोड़ रुपए की कुल संशोधित लागत से वर्ष 2008 (एमएस–08) में संशोधित की गई थी। बीआईएफआर द्वारा इस योजना का विस्तार 31.03.2012 तक किया गया था।

निवल मूल्य सकारात्मक हो जाने के साथ एनटीसी, 28.10.2014 के बीआईएफआर के आदेश के माध्यम से एसआईसीए की धारा 3(1)(0) के आशय के भीतर रूग्ण औद्योगिक कंपनी नहीं रही। दिनांक 30 सितम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी का वर्तमान निवल मूल्य 1177.76 करोड़ रुपए (लगभग) बनता है।

एनटीसी के पास 3623.74 एकड़ माप वाली कुल भूमि का भूमि बैंक है, जिसमें से 960.85 एकड़ लीजहोल्ड तथा शेष 2662. 89 एकड़ फ्रीहोल्ड है।

मिलों का ऐतिहासिक ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:–

I. 119 मिलों को उक्त 3 राष्ट्रीयकृत अधिनियमों के अंतर्गत राष्ट्रीकृत किया गया और हसन में एक नई कंपोजिट मिल स्थापित की गई।

II. 78 मिलें बंद हो गई हैं।

III. 78 मिलों में से, 2 मिलें नामतः फिनले और न्यूमिनर्वा बंद तथा पुनः आबंटित की गई।

IV. 23 मिलों को आंशिक रूप से आधुनिकीकृत किया गया है/नई स्थापित की गई है (जिसमें 3 नई स्थापित की गई मिलें शामिल हैं)।

V. एक मिल को उदयपुर, राजस्थान में तकनीकी वस्त्र इकाई के रूप में स्थापित किऐ जाने का प्रस्ताव है।

VI. दो मिलें पुद्दुचेरी सरकार को हस्तांतरित कर दी गई हैं।

VII. 16 इकाइयां जेवी मार्ग के माध्यम से पुनर्जीवित किए जाने के लिए हैं। 5 संयुक्त उद्यम व्यवस्थाएं प्रचालनशील है और शेष 11 इकाइयां जहां जेवी के लिए एमओयू हस्ताक्षर किया गया था, समीक्षा करने पर रद्द कर दिया गया है। इन 11 मिलों के मामला न्यायालय/मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष लंबित है।

एनटीसी ने 3 नई ग्रीन फील्ड परियोजनाओं को प्रारंभ किया है और 20 अन्य मिलों का आंशिक आधुनिकीकरण किया है। निकट निगरानी तथा प्रबंधकीय हस्तक्षेपों के माध्यम से, एनटीसी धागा तथा कपड़ा दोनों खंडों में बेहतर भौतिक निष्पादन प्राप्त करने में समर्थ हुई है। एनटीसी के निष्पादन में सुधार हो रहा है और वर्तमान तथा पिछले कुछ वर्षों के दौरान उपलब्धियां नीचे दी गई है :

उत्पादन

उत्पाद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	अप्रैल–सितम्बर,16
धागा (लाख किलोग्राम)	427.98	489.11	518.54	562.02	295.65
कपड़ा (लाख मीटर)	127.29	147.78	171.70	190.34	111.91

क्षमता उपयोग

मानदण्ड	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	अप्रैल–सितम्बर,16
क्षमता उपयोग (%)	81.34	83.37	85.47	86.67	90.61

उत्पादकता

मानदण्ड	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	अप्रैल–सितम्बर,16
कपास उत्पादकता (40′ परिवर्तित)	जीएमएस	87.31	87.35	88.90	91.00	93.85
मिश्रित उत्पादकता (40′ परिवर्तित)	जीएमएस	88.67	90.35	92.28	93.00	94.12

करोबार

मानदण्ड	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	अप्रैल–सितम्बर,16
प्रचालनों से राजस्व	करोड़ रूपए	1025.88	1103.64	1213.89	1129.22	602.22

गत 8 वर्षों हेतु डीपीई द्वारा दी गई एमओयू रेटिंग

वर्ष	रेटिंग
2008–09	उत्तम
2009–10	आकलन नहीं किया गया
2010–11	उत्तम
2011–12	अच्छा
2012–13	बहुत अच्छा
2013–14	अच्छा
2014–15	अच्छा
2015–16	अच्छा प्रस्तावित

हालांकि कंपनी आरंभ के समय से ही बजट आबंटन के माध्यम से सहायता प्राप्त करती रही है, एनटीसी ने वर्ष 2009–10 से कोई बजटीय सहायता प्राप्त नहीं की है और अपने कार्यकलापों का प्रबंधन स्वयं के संसाधनों के माध्यम से कर रहा है।

कंपनी की स्वयं को एक एकीकृत वस्त्र कंपनी में बदलने की योजनाएं है जिसमें कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, वस्त्र निर्माण के कार्य शामिल है, और इसके अतिरिक्त तकनीकी वस्त्रों में विविधिकरण की भी योजना है। प्रचालन मिलों में प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए, एनटीसी ने उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (नेत्रा) के साथ मिलकर आधुनिकीकरण, विस्तार तथा विविधिकरण योजनाओं को बनाया है ताकि अधिक प्रतिस्पर्धी बना जा सके।

एनटीसी द्वारा की गई कुछ वर्तमान महत्वपूर्ण पहलें

1. ई–नीलामी के माध्यम से धागे की ब्रिकी

ई–नीलामी के माध्यम से धागे की बिक्री 10 दिसम्बर, 2015 से प्रारंभ की गई है।

2. पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा

उच्च मूल्य वाले लेन–देनों में अत्यधिक पारदर्शिता लाने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) ने 03.12.2015 को ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एक समझौता – ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है।

3. नई वेबसाइट को प्रारंभ किया जाना

एनटीसी ने 1 अप्रैल, 2016 को अपनी नई वेबसाइट प्रारंभ की जिसमें एनटीसी से संबंधित सारी सूचना एक क्लिक पर मौजूद है।

4. स्वच्छ भारत के अंतर्गत योगदान

एनटीसी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री की स्वच्छ विद्यालय अभियान पहल के अंतर्गत देश भर में फैली एनटीसी की 6 मिलों में 15 सरकारी स्कूलोंमें 34 शौचालयों का निर्माण करवाया है।

5. स्किल इंडिया के अंतर्गत योगदान

एनटीसी ने लोगों को संयंत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपनी कार्यशील मिलों में 10 प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ किए है। अद्यतन तिथि को, 1088 लोगों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और 538 लोग प्रशिक्षणाधीन है। प्रशिक्षित 1088 लोगों में से, एनटीसी ने अपनी कार्यशील मिलों में 444 लोगों को रोजगार प्रदान किया है।

6. रणनीतिक बैठक

एनटीसी ने फरवरी, 2016 के दौरान अपनी पहली रणनीतिक बैठक की और उसके पश्चात अप्रैल, 2016 में समापन सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें एनटीसी की शक्तियों, कमजोरियों और अवसरों का अध्ययन किया गया था।

7. मानव संसाधन उपलब्धियां

i. सीए/सीडब्ल्यूए पहल के माध्यम से कैम्पस नियोजन सहित लगभग 127 व्यक्तियों की पेशेवर के रूप में नियुक्ति

ii. समूचे देश में समान रूप से विभिन्न मानव संसाधन नीतियों का कार्यान्वयन, जैसे कि :–

क) भर्ती नीति

ख) पदोन्नति नीति

ग) निष्पादन प्रबंधन प्रणाली

घ) संशोधित चिकित्सा नियम आदि

8. परिसंपत्तियों का डिजीटलीकरण

एनटीसी के पास उपलब्ध भूमि के सभी ब्यौरे अर्थात स्थल, क्षेत्रफल आदि को वर्ष2015 में डिजीटलीकृत किया गया है।

भावी योजनाएं और रूपरेखा

1. मिलों का गैर–अर्थक्षम स्थलों से अर्थक्षम स्थलों पर स्थानांतरण तथा समेकन।
2. एनटीसी को एक पूर्णतः ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत कंपनी बनाना अर्थात कताई से वस्त्र तैयार करने तका।
3. मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन और खुदरा विपणन आउटलेटों का रूपांतरण।
4. अतिरिक्त आधुनिकीकरण, पुनर्स्थापन, समेकन और विस्तार द्वारा उन्नत, आधुनिक प्रतिस्पर्धी रूप से एकीकृत मिलों की स्थापना करना।
5. कंपनी की अधिशेष परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण द्वारा आंतरिक रूप से संसाधनों को जुटाना जिनका उपयोग स्तूना की सीमा के भीतर केवल वस्त्र क्रियाकलापों हेतु किया जाएगा।
6. निम्नलिखित के माध्यम से कंपनी का कायाकल्प करना :
   - सरकारी सुधारों का उपयोग करके विद्युत लागत का युक्तिकरण।
   - भारत सरकार के श्रम सुधारों तथा कार्य–भार निपटानों का उपयोग करके मजदूरी लागत का युक्तिकरण।
   - भारत सरकार के ई–गवर्नेन्स के माध्यम से कच्चे माल की लागतों को ईष्टतम करना।
   - लगातार बदलती बाजार आवश्यकताओं हेतु एनटीसी उत्पादों का पुनः संरेखण और उनका मूल्य अधिकतम करना।
7. तकनीकी वस्त्रों सहित मूल्य वर्धित उत्पादों में विविधीकरण।

13.2 हैंडीक्राफ्टस एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.

दि हैंडीक्राफ्टस एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

(कॉरपोरेशन) वस्त्र मंत्रालय के शासकीय नियंत्रण में भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में "इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि." के रूप में दो उद्देश्यों के साथ हुई (प) निर्यात प्रोत्साहन तथा (पप) हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम उत्पादों का व्यापार विकास, वर्ष 1962 में इसका नामकरण "दि हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि." के रूप में किया गया। कॉरपोरेशन वर्तमान में दो सितारा निर्यात घर है जो सोना एवं चाँदी के आभूषण/वस्तुओं का निर्यात करने के अतिरिक्त हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों (हाथ से बुने हुए वूलन कारपेट एवं सिले सिलाए वस्त्र सहित) के कार्य में लगा है। कोपोरेशन को वर्ष 1997–98 में सोने–चाँदी के आयात तथा घरेलू बाजार में बिक्री के लिए नामित किया गया था। वर्ष 2015–16 में प्रमुख सूचक के संबंध में कारपोरेशन का कार्य–निष्पादन नीचे दिया गया है :–

कुल बिक्री– 1970.37 करोड़ रुपए

कर पश्चात लाभ/(हानि) –(10.76) करोड़ रुपए

पूँजी

वर्ष 2015–16 के दौरान कॉरपोरेशन की प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूँजी अपरिवर्तित रहने के कारण क्रमशः 20.00 करोड़ रुपए तथा 13.82 करोड़ रुपए ही रही। संपूर्ण प्रदत्त पूँजी भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा अभिदत्त है।

लाभांश

प्रचालन हानियों और सामान्य राजस्व में ऋणात्मक शेष को देखते हुए, निदेशक मंडल ने इस वर्ष हेतु किसी लाभांश की संस्तुति नहीं की है।

कार्यशील परिणाम

कॉरपोरेशन की कुल बिक्री वर्ष 2014–15 में 2738.19 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष के दौरान कम होकर 1970.37 करोड़ रूपए रही जो 767. 82 करोड़ रुपए (28.04%) की कमी दर्शाता है। इस कमी के प्रमुख कारण हैं –

- सोने–चाँदी का व्यापार एक अवसरवादी व्यवसाय है। वर्ष के दौरान सोने–चाँदी के आयात में 1063.79 करोड़ रुपए (40%) की कमी हुई जो मुख्यतः मांग में कमी, कमजोर रूपए और सरकार द्वारा 20/80 स्कीम वापिस लेने के चलते हुई थी।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार–चढ़ाव के कारण कोर समूह के व्यवसाय में 2.08 करोड़ रुपए (4.30%) तक की कमी आई।

एचएचईसी की कोर ग्रुप पर अपना ध्यान केंद्रित करने की पहल जारी है और अब तक हमने 15 नए क्रेता जोड़े हैं और साथ ही घरेलू बाजार में विभिन्न विशिष्ट पहल की है।

पिछले वर्ष के दौरान 17.52 करोड़ रूपए के प्रचालन लाभों की तुलना में वर्ष के दौरान 15.26 करोड़ रूपए की राशि की प्रचालन हानियों के चलते प्रचालनशील लाभों को प्रचालनशील हानियों में बदला गया है और ऐसा निम्नलिखित कारणों से हुआ :

- मंत्रालय के निदेशों के अनुसार अवसर आधारित सोना–चांदी व्यापार में कमी,
- 20:80 स्कीम को वापिस लिए जाने के कारण सोना–चांदी व्यापार में लाभ में कमी,
- असंतुलित संगठनात्मक ढांचे के कारण कोर व्यापार में कमी,
- विवेकसम्मत लेखांकन नीति के रूप में संदिग्ध ऋणों का प्रावधान।

इसके अतिरिक्त, निगम ने वर्ष के अंत में 10.76 करोड़ रूपए की कर पश्चात निवल हानि दर्ज की जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 3.40 करोड़ रूपए का कर पश्चात निवल लाभ दर्ज किया गया था। ऐसी हानि हेतु मुख्य कारण

विवेकसम्मत लेखांकन नीतियों को अपनाने के चलते संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया जाना था।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संपोषितता :

कॉरपोरेशन विभिन्न साधनों के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में समाज को उचित योगदान देने के लिए प्रयासरत है अर्थात कारीगरों और बुनकरों के लिए रोजगार उत्पन्न करना मुख्यतः उनके लिए जो गरीबी रेखा के नीचे वाले तबके के हों, उनकी पारंपरिक कला और शिल्प को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना तथा नोएडा कॉम्प्लेक्स में उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने एवं बिक्री के लिए कारीगरों एवं बुनकरों को आयोजित कार्यक्रमों में निशुल्क जगह उपलब्ध कराना।कॉरपोरेशन कमजोर वर्ग के कारीगरों तथा बुनकरों के उत्पादों को बाजार मंच उपलब्ध कराकर तथा प्रोत्साहित कर एवं इनके प्रापण केंद्रों से कपड़ा और क्राफ्ट क्लस्टरों से प्राप्त कर उन्हें शक्ति प्रदान करने पर सदैव बल देता रहा है।

वर्ष 2015–16 के दौरान कॉरपोरेशन ने 10.50 लाख रुपए के कुल खर्चे पर सुलभ स्वच्छता मिशन फाउंडेशन के माध्यम से सफलतापूर्वक दो विशिष्ट परियोजनाएं आरंभ की हैं :–

- भदोही में स्कूलों में 6.00 लाख रुपए के खर्च से शौचालय परिसर की 3 यूनिट का निर्माण करके स्वच्छता सुविधा का निर्माण।
- भदोही में स्कूलों 2.53 लाख रुपए के खर्च से 5 मार्क प्प के हैंडपंप स्थापित कर पेय जल की सुविधा प्रदान की गई।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा निधि को 2.00 लाख रूपए का योगदान।

कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति) नियमावली 2014 के अनुसार सीएसआर के कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध–प्ट के रूप में संलग्न है।

ऊर्जा का संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी अवशोषण

ऊर्जा के संरक्षण के लिए कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 8(3) के पठित कंपनी

क्र. सं.	विवरण	
(i)	किए गए उपाय अथवा ऊर्जा के संरक्षण पर प्रभाव	एचएचईसी ने हरित पहलें की हैं और नोएडा में कारपोरेट ऑफिस के भवन में 50 केवी के एक सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है जो नोएडा में कारपोरेट कार्यालय और कारखाना में खपत के लिए प्रतिमाह औसतन 5000–6000 केवीए का उत्पादन कर रहा है।
(ii)	ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपाय	
(iii)	ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	शून्य

निगम द्वारा शुरू किए गए कार्यकलाप प्रौद्योगिकी अवशोषण के लिए कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 8(3) के पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एम) के अंतर्गत प्रकटीकरण के दायरे में नहीं आता है।

निर्यात संवर्धन एवं व्यापार विकास

कॉरपोरेशन ने विदेशी डिजाइनों एवं फैशन पर ज्ञान बढ़ाने के साथ ही साथ परम्परागत शिल्प और टैक्सटाइलस क्लस्टरों से नए नमूनों के विकास की प्रदर्शित करने के लिए भारत और विदेशों में विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लिया। वर्ष के दौरान, कॉरपोरेशन ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मेलों यथा 26वें इंडिया होम फर्निशिंग फेयर, 2015, जापान; 36वें इंडिया गारमेन्ट फेयर 2015, जापान; नमस्ते स्टॉकहोम 2015, स्वीडन;

हेमटेक्सटाइल फेयर 2016, जर्मनी और एम्बियेन्ट फेयर 2016, जर्मनी; में भाग लिया। घरेलू मेलों में प्रतिभागिता में आईएचजीएफ (पतझड़कालीन)–2015 ग्रेटर नोएडा, आईएचजीएफ (बसन्त)–2016 ग्रेटर नोएडा, दीवाली मेला 2015 (नोएडा काम्प्लैक्स), इंडिया इंटरनेशनल हैंडवूवन फेयर–2016, चैन्नई, शामिल है।

एचएचईसी की कोर ग्रुपकार्यकलापों पर केन्द्रित रहने एवं उन्हें जारी रखने की योजना है तथा उद्यमशील अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू बाजार नीतियों को अगले स्तर पर प्रारंभ करने की आयोजना है।

- **नए खुदरा आउटलेट/संग्रहालय दुकानें खोलना** : वर्ष 2015–16 के दौरान सारनाथ म्यूजियम, सारनाथ, वाराणसी; उत्तर प्रदेश हथकरघा दुकानों को लिया और न्यू फ्रेण्डस कालोनी, नई दिल्ली, नोएडा–सेक्टर 27 और नोएडा सेक्टर–21 में 4 नए खुदरा आउटलेट खोल कर प्रचालन प्रारंभ किए गए हैं। वस्त्र तथा हस्तशिल्प को पर्यटन के साथ जोड़ने के लिए दिल्ली में कुतुब मीनार, लाल किला, आगरा में ताज महल और गोवा में ओल्ड पुर्तगाली चर्च में दुकाने खोलने के लिए एएसआई के साथ चर्चा अग्रिम चरण में है।
- **कारपोरेट संस्थागत बिक्री** : कॉरपोरेशन बड़ी संस्थाओं जैसे राष्ट्रपति भवन, उप राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद भवन, विदेश मंत्रालय, एलआईसी, एचएएल, एनटीपीसी, सेल, आईआरसीटीसी, ऑयल इंडिया, भेल आदि के साथ निजी क्षेत्र के अन्य कॉरपोरेशनों पर विशेष फोकस करते हुए निगम संस्थागत बिक्री पर विशिष्ट ध्यान केंद्रित कर रहा है। वर्ष के दौरान, एचएचईसी अन्य निजी उद्योग के साथ इस कार्य को फैलाने की भीयोजना कर रहा है।
- **ई–मार्किटिंग** : खरीदारी के आधुनिक तरीकों को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेशन ने अपने वेबसाइट के माध्यम से हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों की बिक्री करने के लिए भारत में आनलाईन वेबसाइट स्नैपडील के साथ करार किया है। इससे न केवल ई–वाणिज्य पोर्टल पर एचएचईसी देखा जाएगा बल्कि यह शिल्पकारों एवं बुनकरों की रंगाईकी कला/शिल्प के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा।
- **सामान्य सुविधा केन्द्र** : वाराणसी के हथकरघा बुककरों का उत्थान करने के लिए एचएचईसी कूड़ी एवं करघना, वाराण्सी के गांवों में 2 सामान्य सुविधा केन्द्रों का प्रबंधन कर रहा है जहां बुनकरों के लिए यार्न की रंगाई, कच्ची सामग्री बैंक और संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- **डिजाइन एवं तकनीकी कार्यशालाएं** : एचएचईसी ने उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नए तकनीकों और प्राद्योगिकियों को शुरू करके और पंरपरागत कौशल का प्रयोग करते हुए समकालीन बाजार की अधिमानता के अनुरूप नए प्रोटोटाइप विकसित करने के उद्देश्य से वाराणसी, बरेली, दिल्ली, मुरादाबाद, बस्तर, गोरखपुर और पटना में 7 डिजाइन और प्रौद्योगिकी कार्यशालाओं का आयोजन किया।
- **क्षमता विस्तार** : विशिष्ट बायरों की मांग को पूरा करने, अंतर्राष्ट्रीय मानकोंएवं प्रौद्योगिकी को पूरा करने तथा सिले–सिलाए वस्त्रों के लिए माँग तथा क्रमशः बढ़तेहुए खरीदारों के लिए कॉरपोरेशन ने चेन्नई एवं नोएडा में नई मशीनों को जोड़ते हुए अपनी गारमेंट

फैक्टरी में विस्तार की योजना की है तथा इसने यह भी योजना की है कि यह एचएचईसी की ओखला में पड़ी जमीन में सिले–सिलाए वस्त्रों की फैक्टरी के लिए आधारिक संरचना की स्थापना करे।

- **सार्क संग्रहालय** : एचएचईसी ने परियोजना के विकास, इसके अनुरक्षण तथा प्रबंधन के लिए विदेश मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तदनुसार, एचएचईसी ने सार्क संग्रहालय के निर्माण कार्यों तथा विकास के लिए डीटीटीडीसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सार्क संग्रहालय में सिविल कार्य पूरा हो गया है। सार्क संग्रहालय के लिए इंटीरियर का काम करने के लिए डीटीटीडीसी को कार्य आबंटन किया जा रहा है।
- तीसरा भारत–अफ्रीकी फोरम सम्मेलन 26 से 29 अक्तूबर, 2015 के दौरान आयोजित किया गया और इसमें अफ्रीका के 41 राष्टाध्यक्षों और सभी 54 देशों के सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान आयोजित किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया परस्पर परिचयात्मक रात्रि भोज था जिसके लिए अफ्रीकी नेताओं से उनमें से प्रत्येक के लिए विशेष रूप से बनाए गए रेशम के इक्कत कुर्ते तथा रॉ सिल्क की जैकेट पहनने का अनुरोध किया गया था। एचएचईसी को कुर्ते तथा जैकेट की डिजाइन तथा आपूर्ति करने का कार्य सौंपा गया था जिसे थोड़े से समय में सफलतापूर्वक पूरा किया गया था और उन्हें विदेश मंत्रालय से प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ था।
- एचएचईसी को भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा 22.07.2015 से 24.07.2015 तक ओसाका में आयोजित 26वें इंडिया होम फनिर्शिंग फेयर में "डिजाइन तथा प्रदर्शन में उत्कृष्टता" हेतु कांस्य पदक से सम्मानित किया गया था।
- बदलते फैशन के साथ, क्रेताओं के प्रयोग और चिंताओं के साथ एचएचईसी ने प्राकृतिक उत्पाद श्रेणी को और बढ़ाया है तथा "प्राकृतिक उत्पादों" की उस नई विविध रेंज को जोड़ा है जो ताड़–पत्र, समुद्री घास, पुआल घास, आदि सेबनते हैं। इसके अलावा, इसकी यह भी योजना है कि वर्तमान पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की श्रेणी को नए फल फाइबर/घास से जोड़कर मजबूती प्रदान की जाए। फाइबर का अन्य प्राकृतिक फाइबर के साथ फ्यूजन का पता लगाया जाएगा।
- एचएचईसी चेन्नई शाखा वर्तमान शिशु सदन, कार्यालय भवन के साथ लगभग दो एकड़ के क्षेत्र के प्लॉट में है। अब, एचएचईसी की योजना इस खाली पड़ी जमीन का उपयोग चेन्नई शाखा का आधुनिकीकरण कर वर्तमान भवन को तोड़े बिना प्रथम चरण में नए भवन का निर्माण करना है जिसके लिए सरकारी सपोर्ट/समझौता प्रक्रियाधीन है।

सार्वजनिक खरीद नीति

भारतीय शिल्प और कौशल के उत्पादों को विस्तृत करने, संवर्धन करने और विदेश में आक्रामक तरीके से बिक्री करने के उद्देश्य से इस कारपोरेशन का निर्माण किया गया था। इस प्रकार यह शिल्पकारों और कारीगरों के लिए विपणन चैनल प्रदान कर रहा है तथा स्टेकहोल्डर को पर्याप्त लाभ प्रदान कर रहा है। किंतु एक व्यापार कंपनी होने के कारण एचएचईसी अधिकांशतः अपने आवश्यकता के अनुसार अपने उत्पादन हमारे क्रेताओं मुख्य रूप से कारीगरों, बुनकरों और सोसाइटियों के माध्यम से खरीद करती है। हमारी प्रमुख खरीदों के

संबंध में एचएचईसी निम्नलिखित का पालन करती है:

- **सोना चांदी की खरीद :** जहां तक सोना चांदी के व्यवसाय के लिए खरीद का संबंध है, सोने के आयात के लिए नामित एजेंसी होने के कारण यह निगम या तो एलबीएमए सदस्य अथवा बैंक से सोने का आयात करता है। इसलिए इन खरीदों को सार्वजनिकखरीद नीति के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है।
- **कोर ग्रुप मर्चेंडाइज की खरीद:** हस्तशिल्प, हथकरघा, सिलेसिलाए परिधान और कालीनों आदि के मामले में क्रेता द्वारा उत्पाद के नमूनों का चयन किया जाता है और एचएचईसी क्रेताओं के नामित आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर जारी करता है।

तथापि, एमएसएमई से अधिकतम खरीद को प्रोत्साहित किया जाता है और वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान हमारी व्यापार खरीद (कोर समूह) 28.32 करोड़ रुपए है जिसकी तुलना में पंजीकृत एमएसई से खरीद 34% तक है।

मानव संसाधन विकास एवं औद्योगिक संबंध

- निगम अपने सभी स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देनेके लिए उचित महत्व देती है जिससे उनकी पूर्ण क्षमता को साकार किया जा सके तथा जिन क्षेत्रों में उनमें कमी है उन क्षेत्रों में सुधार लाया जा सके तथा वे उत्तरदायित्व के अत्यधिक बोध से कार्य कर सकें। कर्मचारियों की पुनः तैनाती और प्रेरणा को भी इस दृष्टि से प्राथमिकता दी जाती है कि कर्मचारियों की आंतरिक शक्ति और और गुणों का विकास किया जा सके।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सभी शाखाओं/इकाइयों में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे। कोई भी कार्य–दिवस हड़ताल या तालाबंदी से बर्बाद नहीं हुआ। सभीकर्मचारियों ने नए जोश और उत्साह से कार्य किया।
- कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने कंपनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।
- निगम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़े वर्ग के साथ–साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का सख्ती से पालन करता है एससी/एसटी/ओबीसी के पदों के आरक्षण के लिए विधिवत रोस्टर बनाया जाता है ताकि इस विषय में नियमों/ अनुदेशों का कोई भी उल्लंघन नहीं हो। समीक्षाधीन अवधि में एससी/एसटी/ ओबीसी के लिए आरक्षित कोई भी पद अनारक्षित नहीं किया गया।
- सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी मानव संसाधन प्रबंधन पर मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, निगम द्वारा विविध क्रियाकलाप आयोजित किये गए जैसे कैड/कैम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, जोखिम प्रबंधन, गैर–वित्त अधिकारियों के लिए वित्त पोषण, मर्केंडाइजिंग, एमएस ऑफिस (एक्सेल), प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, भंडार प्रबंधन, आयात–निर्यात प्रक्रिया एवं प्रलेखन, ई–कामर्स पर कार्यशाला, कारखाना अधिनियम, 1948 एवं कानूनी मामलों संबंधी नियम आदि।
- **निःशक्त व्यक्तियों की नियुक्ति (पीड्ब्ल्यूडी):** 31.3.2016 के अनुसार, कुल 114 व्यक्ति कार्यरत थे जिनमें से छह कर्मचारी (1 अस्थि विकलांग समूह 'क' में, 2 दृष्टिबाधित विकलांग समूह 'ख' में, 1 श्रवणबाधित विकलांग और 1 अस्थि

विकलांग समूह 'ग' में और 1 श्रवणबाधित विकलांग समूह 'घ') निशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्त थे। पूर्व में, आरक्षण केवल समूह "ग" और "घ" में किया जाता था। शीर्षस्थ न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए तीन पदों को भरा गया है जिन्हें विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत निशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया था अर्थात सहायक (समूह 'ग') का एक पद श्रवणबाधित विकलांग हेतु, सहायक विपणन प्रबंधक (समूह 'ख') का एक पद दृष्टिबाधित विकलांग हेतु और उप विपणन प्रबंधक (समूह 'क') का एक पद अस्थि विकलांग के लिए आरक्षित किया गया है।

- **यौन उत्पीड़न के मामले** : एचएचईसी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रावधानों (रोकथाम, निषेध एवं निवारण), अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया है जो यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करती है। वर्ष 2015–16 के दौरान, न तो आईसीसी द्वारा और न प्रबंधन द्वारा ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

13.3 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लि., लखनऊ की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में भारत सरकार द्वारा फरवरी 1983 में की गई। एनएचडीसी लि. की प्राधिकृत पूँजी 2000 लाख रुपए है तथा इसकी प्रदत्त पूँजी 1900 लाख रुपए है। एनएचडीसी के प्रमुख उद्देश्य हैं:–

- हथकरघा क्षेत्र के लाभ के लिए यार्न की सभी प्रकार की सप्लाई के व्यवसाय को चलाया।
- हथकरघा क्षेत्र के लिए आवश्यक गुणवत्ता रंगों तथा संबंधित सामग्री की आपूर्ति आयोजित करना।
- हथकरघा फैब्रिक को बाजार उपलब्ध कराना।
- आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, हथकरघा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी सहित हथकरघा फैब्रिक के उत्पादन के साथ जुड़ी हुई परियोजनाओं को सहयोग, सहायता तथा अभिपूर्ति।

उक्त उद्देश्यों के अनुसरण में एनएचडीसी निम्नांकित कार्यों को कर रहा है:–

यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस) भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जिसके अधीन एनएचडीसी द्वारा मिल गेट की दरों पर संपूर्ण भारत के पात्र हथकरघा बुनकरों को समस्त प्रकार की यार्न की आपूर्ति की जाती है। वाईएसएस के अधीन 5 वर्षों में आपूर्ति किए गए यार्न का विवरण निम्न है:

वर्ष	यार्न की आपूर्ति	
	मात्रा (लाख किग्रा. में)	मूल्य (रूपए करोड़ में)
2012-13	1070.78	1318.56
2013-14	1262.09	1788.46
2014-15	1484.300	2160.77
2015-16	1725.00	2356.86
2016-17 (अक्तूबर 2016 तक)	964.65	1550.87

वाईएसएस के अंतर्गत भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो प्रचालन एजेंसियों को 2% की दर से डिपो प्रचालन खर्चे दिए जाते हैं। वर्तमान में, सारे भारत में ऐसे 932 यार्न डिपो कार्यरत हैं। एनएचडीसी हथकरघा क्षेत्र को प्रतियोगी/न्यून दरों पर गुणवत्ता रंग और रसायन की आपूर्ति भी करता है। 5 वर्षों में की गई आपूर्ति का विवरण निम्न है:–

वर्ष	डाई एवं रसायन	
	मात्रा (लाख किग्रा. में)	मूल्य (रूपए करोड़ में)
2012-13	27.62	20.90
2013-14	36.31	35.69
2014-15	36.90	49.48
2015-16	37.46	44.84
2016-17 (20 सितम्बर, 2016 तक)	15.70	25.18

इस योजना के अधीन नकद आधार पर प्रयोक्ताओं को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए एनएचडीसी ने सीतापुर एवं मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), गुवाहाटी (असम), समुंद्रगढ़ (पश्चिम बंगाल), कन्नूर (केरल), चिराला एवं करीमनगर (आंध्र प्रदेश), अगरतला (त्रिपुरा), भुवनेश्वर (ओड़िशा) एवं रांची/गोड्डा (झारखंड) में 10 गोदाम खोले हैं।

2. हथकरघा फैब्रिक के बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए कॉरपोरेशन सिल्क फैब्स एवं वूल फैब्स नामक विशेष प्रदर्शनियाँ आयोजित करता है। भारत सरकार इन प्रदर्शनियों में निगम द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करता है। विगत 4 वर्षों के दौरान प्रदर्शनियों की संख्या, भागीदार एजेंसियाँ तथा की गई कुल बिक्री का ब्यौरा नीचे दिया गया है : –

वर्ष	कार्यक्रमों की सं.	स्टॉलों की सं0	कुल बिक्री (रूपए करोड़ में)
2012-13	19	1834	84.25
2013-14	23	2168	101.00
2014-15	24	1742	89.00
2015-16	23	1802	92.37

इसके अतिरिक्त, निगम ने जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, कानपुर, इंदौर, नवी मुम्बई तथा नई दिल्ली में 8 विपणन काम्प्लैक्स स्थापित किए हैं जहाँ हथकरघा एजेंसियाँ देश के विभिन्न भागों से हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करती हैं और विवेकी ग्राहकों को बेचती हैं ।

3. एनएचडीसी बुनकरों को नवीनतम रंगाई तकनीकों के विषय में शिक्षित करने के लिए तथा हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए एवं बुनकरों की जानकारी के लिए भारत सरकार की जारी योजनाओं के विषय में भी निम्नलिखित कार्यक्रम जारीहैः–

- क्रेता–विक्रेता बैठकें
- एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम।
- विभिन्न प्रकार के यार्न प्रयोग करते हुए नए उत्पादों के विकास पर कार्यक्रम।

विगत 4 वर्षों के दौरान एनएचडीसी का कुल कारोबार, जारी किया गया लाभांश, रेटिंग इत्यादि का विवरण निम्न हैः–

(रूपए लाख में)

वर्ष	कुल बिक्री	निवल लाभ	लाभांश	एमओयू रेटिंग
2012-13	137546.57	697.39	141.00	उत्कृष्ट
2013-14	184003.11	1203.28	241.00	उत्कृष्ट
2014-15	221696.49	2540.00	511.00	उत्कृष्ट
2015-16	240604.43	2407.92	731.00	उत्कृष्ट

13.4 भारतीय कपास निगम (सीसीआई)

सीसीआई भारत सरकार द्वारा 1970 में कपास विपणन के क्षेत्र में एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के रूप में स्थापित की गई थी। अपनी शुरूआत से निगम निजी कपास व्यापारियों और अन्य संस्थागत खरीदार क्रेताओं से प्रतिस्पर्धा में चल रहा है। इसकी बाजार हिस्सेदारी एमएसपी अभियानों के अंतर्गत कुछ वर्षों को छोड़कर जब यह 31 प्रतिशत तक चली गई, 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत है।

बदलते कपास परिदृश्य के साथ निगम की भूमिका और कार्यों की समीक्षा की गई थी और समय–सयम पर संशोधित की गई। 1985 में मंत्रालय से प्राप्त हुए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीआई मूल्य समर्थन अभियान चलाने के लिए सरकार की एकमात्र एजेंसी है, जब कभी कपास का मूल्य (बीज कपास) न्यूनतम समर्थन स्तर पर पहुंचता है। हालांकि, मूल्य समर्थन अभियानों की अनुपस्थिति में निगम एनटीसी मिल, राज्य वस्त्र निगमों की इकाई मिलों, सहकारी कताई मिलों और निजी मिलों को कपास की आपूर्ति के लिए वाणिज्यिक अभियान चलाती है, इसके अतिरिक्त, निर्यात प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कपास की खरीद भी करती है। निगम को सौंपे गए कार्य संक्षिप्त में, निम्नानुसार है:

- जब कपास का बाजार मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन कीमत को छू जाए तबबिना किसी मात्रात्मक सीमा के कीमत समर्थन कार्यों को आरंभ करना।
- सीसीआई के अपने जोखिम पर केवल वाणिज्यिक कार्यों को प्रारंभ करना तथा
- निर्यात प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कपास की खरीद करना।

सीसीआई की उपरोक्त भूमिका वर्ष 2000 की नई वस्त्र नीति के अधीन जारी रही। तथापि, पूर्व उल्लिखित कार्य संगत नहीं हैं क्योंकि कपास का निर्यात अब मुक्त है और सरकार कोई कोटा जारी नहीं करती है। फिर भी, सीसीआई अब भी मंत्रालय के साथ समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में प्रवृत्तियों को देखते हुए कपास का निर्यात करता है।

वित्तीय परिणाम

- वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान निगम पिछले वर्ष के 5389.27 करोड़ रुपए के कुल कारोबार की तुलना में 17066.97 करोड़ रुपए का कारोबार प्राप्त कर सका।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 और 2015–16 के दौरान वित्तीय परिणामों की विशेषताएं निम्नलिखित थी:

विवरण	वित्तीय वर्ष	
	2015-16	2014-15
घरेलू बिक्री (लाख गांठ में)	85.67	4.20
निर्यात बिक्री (लाख गांठ में)	0.67	0.00
कारोबार (करोड़ रुपए में)	17066.97	5389.27
कर पश्चात लाभ / (हानि) (करोड़ रुपए में)	11.69	22.59

- सीसीआई की अल्प कालीन ऋण की रेटिंग केयर ए1+(एसओ)[केयर ए1 प्लस], (संरचनात्मक दायित्व) अर्थात 4000 करोड़ रुपए की अल्प कालीन बैंक उधार के लिए इस श्रेणी में सौंपा गया उच्चतम क्रेडिट रेटिंग है जो अल्प कालीन ऋण दायित्व के समय से भुगतान के लिए सशक्त क्षमता को प्रदर्शित करता है और न्यूनतम ऋण जोखिम रखता है।

लाभांश

- सीसीआई ने वित्तीय 2015–16 के दौरान कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी का 30 प्रतिशत अर्थात 3.51 करोड़ रुपए के लाभांश की अनुशंसा की है।

13.5 सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., नई दिल्ली

सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज एम्पोरियम की स्थापना वर्ष 1952 में दिल्ली में इण्डियन कोआपरेटिव यूनियन की प्रबंधकारिणी के अधीन किया गया। बाद में 1964 में सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा अधिकार में ले लिया गया तथा 4 फरवरी, 1976 को सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआईसी) के रूप में निगमित किया गया। सीसीआईसी वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

सीसीआईसी का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्ता भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा वस्तुओं का डीलर, निर्यातक, विनिर्माता तथा एजेंट होना है और भारत तथा विदेशों में इन उत्पादों के लिए बाजार विकसित करना है। कॉरपोरेशन के दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, बंगलौर, चैन्नई तथा हैदराबाद में शोरूम हैं।

पूँजी

कॉरपोरेशन की प्राधिकृत पूँजी 1200 लाख रुपए तथा प्रदत्त पूँजी 1085 लाख रुपए है ।

कार्यशील परिणाम

क) कारोबार

निगम का कारोबार पूर्व वर्ष अर्थात 2014–15 में 8,284.09 लाख रुपए के मुकाबले वर्ष 2015–16 में 8,592.44 लाख रुपए था।

ख) निर्यात

वर्ष 2015–16 के दौरान निगम का कुल निर्यात पिछले वर्ष में 334.39 लाख रुपए की तुलना में 288.20 लाख रुपए था।

ग) लाभप्रदता

वर्ष 2015–16 में सकल आय पूर्व वर्ष के 4395.58 लाख रुपए से बढ़कर 4551.13 लाख रुपए हो गई। निगम का उपरिव्यय पूर्व वर्ष में 4357.86 लाख रुपए से बढ़कर चालू वर्ष में 4452.27 लाख रुपए हो गया है। चालू वर्ष, पिछले वर्ष के 166.97 लाख रुपए के तदनुरूपी लाभ की तुलना में 93.50 लाख रुपए के कर पूर्व लाभ के साथ समाप्त हुआ।

सांख्यिकी

पिछले तीन वर्षों के कार्यशील परिणामों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित में दिया गया है:–

(लाख रुपए में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 के लिए लक्ष्य
कारोबार	7776.33	8185.64	8284.09	8592.44	9300.00
कर पूर्व निवल लाभ (+)/हानि (–)	51.64	36.63	166.97	93.50	120.00
कर पश्चात निवल लाभ (+)/हानि (–)	24.57	12.85	93.31	21.10	80.00
लाभांश	4.92	2.57	18.67	8.68	24.00

डिजाइनों का विकास / प्रदर्शनियाँ

वर्ष 2015–16 के दौरान सीसीआईसी ने एम्पोरियमों में तथा बाहर विषय आधारित 70 प्रदर्शनियाँ आयोजित की जिनमें कॉरपोरेशन के ग्राहकों को बढ़ाने के लिए कॉरपोरेशन ने नए उत्पादों की नई रेंज प्रदर्शित की।

शो–रूमों के माध्यम से बिक्री करने के लिए विशिष्ट नए डिजाइनों तथा नए उत्पादों को विकसित करने की दृष्टि से सीसीआईसी ने वर्ष के दौरान विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय से वित्तीय सहायता लेकर धातु शिल्प, काष्ठ कला, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, चम्बा रूमाल, केन क्राफ्ट, ज्वैलरी आदि क्षेत्रों में तकनीकी डिजाइनविकास कार्यशालाओं का आयोजन किया।

इसके अतिरिक्त, सीसीआईसी के सभी शोरूमों में दीपावली के उपहार के रूप में जिन वस्तुओं की सर्वाधिक मांग होती है अर्थात चाँदी की कलात्मकवस्तुएं, पीतल, सफेद धातु के बर्तन, वुड क्राफ्ट तथा पॉटरी को नए आकर्षक रूप में प्रदर्शित किया गया।

ग्राहकों की खरीदारी के अनुभव को उन्नत बनाने की दृष्टि से, सीसीआईसी ने नई दिल्ली शोरूम के विन्यास में प्रमुख सुधार, दर्शनीय सज्जा,लाइटिंग और अंतरंग सज्जा का कार्य किया।

चोलापुर और रामनगर, वाराणसी में दो सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) की स्थापना

सीसीआई ने बुनकरों के लाभ के लिए जनवरी 2015 में चोलापुर और रामनगर, वाराणसी में दो सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) की स्थापना की है।

31 मार्च, 2016 तक सीसीआईसी ने विभिन्न योजनाओं पर सूचना और सेवा प्रदान करने के लिए 1990 बुनकरों को सुविधा प्रदान की, 221 बुनकरों को कार्य सौंपा गया और सीसीआईसी एम्पोरिया के माध्यम से विपणन हेतु वाराणसी में बुनकरों के विभिन्न हथकरघा उत्पादों के लिए 201.75 लाख रुपए मूल्य का ऑर्डर किया।

उपर्युक्त सीएफसी में, रिचार्ज सर्विसेज, पासपोर्टपंजीकरण सेवा, बैंकिंग सेवा, ट्रेवलिंग एवं टिकिटिंग, पैन–कार्ड, आधार कार्ड सेवा आदि जैसी विभिन्न सेवा प्रदानकरने के लिए दो सीएससी ई–गवर्नेंस के माध्यम से दो सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) भी स्थापित किए गए हैं।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य और उपलब्धियां :–

सीसीआईसी हेतु एमएसएमई पंजीकृत वेंडरों से हस्तशिल्प और हथकरघा वस्तुओं की खरीद के लिए वर्ष 2015–16 हेतु 20 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है।

सीसीआईसी, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, (वस्त्र मंत्रालय के अधीन केन्द्र सरकार का एक विभाग) के कार्यालय के साथ पंजीकृत हस्तशिल्प एवं हथकरधा उत्पादों की खरीद हेतु एमएसएमई पंजीकृत स्रोत माने जाने वाले प्राथमिक उत्पादकों से हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की खरीद कर रहा है।

सीसीआईसी ने उक्त लक्ष्य को प्राप्त किया है। वर्ष 2015–16 के दौरान, सीसीआईसी, एमएसएमई वेंडरों से 20 प्रतिशत खरीद के विहित लक्ष्य से अधिक की खरीद हेतु सभी प्रयास करेगा।

ऑन–लाइन शॉपिंग :–

सीसीआईसी की अपने मूल्यवान ग्राहकों के लिए अपनी ऑनलाइन शॉपिंग वैबसाइट अर्थात www.thecottage.in है। यह वैबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग के लिए विवरण सहित 1000 हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित

करती है। उत्पादों की खरीद सुरक्षित भुगतान द्वारा क्रेडिट कार्ड से की जा सकती है जो बैंक द्वारा प्रमाणित होती है। खरीदा गया सामान विश्व के समस्त देशों में नौवहन से भेजा जा सकता है। इसकी विभिन्न सरकारी वैबसाइटों, अतुल्य भारत आदि से आदेश ट्रेकिंग प्रणाली और लिंक है।

13.6 ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी) पृष्ठभूमि

ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी) को 24 फरवरी, 1920 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया। भारत सरकार द्वारा इसे 11 जून, 1981 में ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (शेयरों का अधिग्रहण) अध्यादेश के अंतर्गत अधिकार में लिया गया। बीआईसी लिमिटेड, कानपुर दो ऊनी मिलों को स्वामित्व में रखता है तथा उनका प्रबंधन करता है (1) कानपोर वूलन मिल्स शाखा, कानपुर (2) न्यू एजर्टन वूलन मिल्स शाखा, धारीवाल। इन दो मिलों के उत्पादों को क्रमशः 'लाल इमली' तथा 'धारीवाल' के ब्रांड नामों से जाना जाता है। ये इकाइयाँ ऊनी/ब्लेंडेड सूटिंग, ट्वीड, वरदी का कपड़ा, लोही, शॉलों गलीचों, कम्बलों आदि का निर्माण करती है ।

बीआईसी लिमिटेड का आधुनिकीकरण /पुनर्वासन

वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर बी.आई.सी. लिमिटेड को 1992 में बीआईएफआर को सौंप दिया गया और एक रूग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया। वर्ष 2002 में बीआईएफआर ने कुल 211 करोड़ रुपए की लागत से एक पुनर्वास योजना अनुमोदित की। योजना को समग्रतः लागू नहीं किया जा सका क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पट्टे की भूमि को पूर्ण स्वामित्व की सम्पत्ति में परिवर्तित कर मंजूरी प्रदान नहीं की गई। वर्ष 2008 में बीआईएफआर द्वारा 273 करोड़ रुपए की संशोधित पुनर्वास योजना मंजूर की गई जिसमें 273 करोड़ रुपए की बजट सहायता भारत सरकार द्वारा तथा शेष 116 करोड़ रुपए अधिशेष भूमि की बिक्री से विचार योग्य थी। वर्ष 2010 में ब्यूटो फॉर रिकंस्ट्रक्सन ऑफ पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइजेज (बीआरपीएसई) की संस्तुति के आधार पर वर्ष 2011 में एक और संशोधित योजना रुपए 338 करोड़ की मंजूर की। एक एमडीआरएस तैयार किया गया और बीआईएफआर के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तथा 14.02.2008 को हुई इसकी सुनवाई में 273.28 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी प्राप्त हुई जिसमें से 157.35 करोड़ रुपए की सरकारी बजट सहायता तथा शेष अतिरेक भूमि की बिक्री से रखी गई।बीआरपीएसई ने दिनांक 28.07.2010/18.12.2010 को हुई अपनी बैठक में 338.04 करोड़ की एक संशोधित योजना संस्तुत की। संशोधित योजना को कैबिनेट भारत सरकार ने 9.6.2011 को हुई अपनी बैठक में मूल रूप में इस शर्त पर अनुमोदित कर दिया था कि पहले उत्तर प्रदेश सरकार से अतिरेक भूमि की बिक्री की अनुमति प्राप्त कर ली जाए ।

विचारार्थ वित्तीय साधन निम्नवत हैं :–

(रुपए करोड़ में)

भारत सरकार वीआरएस से अनुदान	17.10
प्रचालन हानियाँ 9/10, 10/11 अनुदान	66.99
भूमि की बिक्री से ब्याज मुक्त ऋण	128.66
वेतन के लिए (2 वर्ष) भारत सरकार से हल्के ब्याज पर ऋण	78.00
परिवर्तन प्रभार भुगतान हेतु भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण	47.35
योजना की लागत	**338.04**

योजना का कार्यान्वयन अभी प्रारंभ होना है क्योंकि अतिरेक भूमि की बिक्री के लिए आवश्यक मंजूरी अभी उत्तर प्रदेश शासन से ली जानी है। इसका मुद्दा विविध स्तरों पर उठाया जा रहा है और अद्यतन रूप में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने डिवीजनल कमिश्नर, कानपुर की अध्यक्षता में कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25.11.2014 के द्वारा मुद्दे के त्वरित निपटान के लिए एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी की पहली बैठक 7.1.2015 को हुई जिसमें यह निर्णय हुआ था कि सरकार कानपुर स्थित बीआईसी की इकाई को वर्तमान प्रबंधन या पीपीपी माडल के अनुसार चलाना चाहती है।इसका प्रमुख उद्देश्य कानपुर के औद्योगिक परिदृश्य को पुनः प्राप्त करना तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना है।

बीआईएफआर तथा बीआरपीएसई दोनों ही योजनाएं पट्टे की भूमि को पूर्णस्वामित्व वालीभूमि में बदलने के लिए यूपी सरकार से पूर्व अनुमति लेकर अधिशेष भूमि की बिक्री से निधियों कीप्राप्ति पर बल देती हैं।उत्तर प्रदेश शासन भूमि परिवर्तन के मामले की जांच कर रहा है।

बीआईसी लिमिटेड की सहायक कंपनियां

एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड, कानपुर

एल्गिन मिल्स कंपनी लि. वर्ष 1864 में स्थापित की गई थी और यह वर्ष 1911 में दो इकाइकों, एल्गिन नं.1 और एल्गिन नं.2 को मिलाकर पंजीकृत की गई थी। एक अध्यादेश नामतः ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. (शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम 1981 द्वारा भारत सरकार ने बीआईसी लि. के सभी शेयरों को अधिप्राप्त किया और इस प्रकार 11 जून, 1981 को एक सरकारी कंपनी बनी। एल्गिन मिल्स कंपनी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी होने से सरकारी कंपनी का दर्जा प्राप्त किया। कंपनी सामान्य बाजार और रक्षा के लिए सूती और मिश्रित फैब्रिकों, अर्द्धसैनिक बलों, सरकारी और अन्य संस्थानों को तौलिए, चादरें, सूटिंग एवं सर्टिंग्स, ड्रिल, सैल्यूलर आदि के उत्पादन में संलग्न हैं।

कंपनी द्वारा लगातार घाटा उठाए जाने के कारण एसआईसीए के प्रावधानों के अंतर्गत बीआईएफआर को सौंपी गई थी और रुग्ण घोषित की गई थी। बीआईएफआर में 1994 में कंपनी को बंद करने की सिफारिश की। एएआईएफआर ने 1997 में उक्त आदेश की पुष्टि की और तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद ने 1999 में बंद करने का आदेश पारित किया तथा सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की। भारत सरकार ने जून,2001 में स्वैच्छिक पृथककरण योजना कार्यान्वित की। मैसर्स एल्गिन मिल्स कंपनी लि. ने 1980 के आसपास कार्यशील पूंजी और आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया। इन ऋणों को निधियों की कमी के कारण पुनर्भुगतान नहीं किया जा सका और मैसर्स कोटक महिन्द्रा बैंक मैसर्स आईसीआईसीआई की संपत्ति–भागी ने वर्ष 2009 में अपने बकायों की वसूली के लिए माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर किया और वर्ष 2011 में माननीय इलाहाबादउच्चन्यायालय ने परिसमापन के आदेश पारित किए थे। कंपनी ने आईएफसीआई और कोटेक महिंद्रा बैंक को छोड़कर प्रतिपूर्ति ऋणदाताओं के बकायों का भुगतान कर दिया है। कंपनी की अधिकांश परिसंपत्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सरकारी परिसमापक के पास हैं।

मैसर्स एल्गिन मिल्स फिलहाल बंद किए जाने के लिए प्रतिभूति ऋणदाताओं द्वारा दायर मामलों का सामना कर रही है और आईएफसीआई एकमुश्त समाधान के अंतर्गत अपने बकाए की स्वीकृति के लिए अपने पेशकश को नया करने का अनुरोध किया है। जहां तक कोटेक महिंद्रा

बैंक के बकाए का संबंध है, निपटारे की भावना और शर्त के अनुसार माननीय न्यायालय के समक्ष उनको करार की गई राशि का भुगतान कर दिया गया है। कंपनी माननीय न्यायालय के समक्ष केएमबी द्वारा अनापत्रित प्रमाणपत्र जारी करने के मामले का सामना कर रही है। पिछली सुनवाई में माननीय न्यायालय ने प्रतिभूति ऋणदाताओं के बकाए का निपटारा करने के लिए एल्गिन मिल की फ्री होल्ड संपत्ति की बिक्री करने के लिए सरकारी परिसमापक द्वारा जारी विज्ञापन का रद्द कर दिया था। उक्त समग्र संपत्ति का खाली करवाने और तीन महीने की अवधि के भीतर सूचित करने के लिए सरकारी परिसमापक को जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर से संपर्क करने का भी निदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एल्गिन मिल्स पर आईएफसीआई के देयों का निपटान उनके साथ एकमुश्त निपटान के माध्यम से आईएफसीआई को 26.10.2016 को 9.29 करोड़ रूपए का भुगतान करके कर लिया गया है।

कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड, कानपुर

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार की एक कंपनी है। कानपुर टेक्सटाइल्स मिल्स बीआईसी लि. की एक सहायक कंपनी है और वर्ष 1990 में निगमित की गई थी। कंपनी घरेलू सामान्य बाजार और रक्षा, अर्द्धसैनिक बलों, सरकारी और अन्य संस्थाओं के लिए फैब्रिक और यार्न के उत्पादन में लगी थी।

निरंतर नुकसान और कंपनी की निवलमूल्य कम/नकारात्मक होने के कारण कंपनी को एसआईसीए के प्रावधानों के अंतर्गत बीआईएफआर को सौंपा गया था और 1992 में कंपनी को रुग्ण घोषित किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1999 में बंद करने का आदेश पारित किया तथा सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की। भारत सरकार ने 2001 में स्वैच्छिक पृथक्करण योजना कार्यान्वित की। प्रतिभूति ऋणदाताओं ने माननीय उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया और कावटेक्स की मिल और आवासीय परिसरों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। सभी प्रतिभूति ऋणदाताओं को ओटीएस के अनुसार भुगतान किया गया और कंपनी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कंपनी को परिसमापन के बाहर लाने के लिए अनुमति मांगी है।

13.7 भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) लि.,कोलकाता

भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) 1971 में स्थापित भारत सरकार का एक उद्यम है। जेसीआई वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) की सरकारी एजेंसी है जो पटसन उत्पादकों के लिए एमएसपी नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है और कच्चे पटसन बाजार में एक स्थिर कर्ता एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जेसीआई वाणिज्यिक प्रचालन भी करता है, जैसे लाभ के सृजन के लिए वाणिज्यिक प्रतिफल पर एमएसपी से ऊपर मूल्यपर पटसन की खरीद करना। जेसीआई के मूल्य समर्थन संकार्यो में जब भी पटसन का प्रचलित बाजार मूल्यएमएसपी से नीचे जाता है जो किसी मात्रात्मक सीमा के बिना छोटे और सीमांत किसानों से एमएसपी कर कच्चा पटसन खरीदना शामिल है। ये अभियान कच्चे पटसन के मूल्य में अंतर–मौसमी और अंतरा–मौसमी उतार–चढ़ाव को रोकने के उद्देश्य से अत्यधिक आपूर्ति करके बाजार में एक अनुमानिक प्रतिरोधक (बफर) के सृजन मे सहायता करते हैं। जेसीआई के विभागीय क्रय केन्द्र (डीपीसी), जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति है,किसानों से पटसन सीधे खरीदते हैं। जेसीआई के लगभग 171

डीपीसी हैं जिनमें से 101 पश्चिम बंगाल, 26 असम, 20 बिहार और शेष आंध्र प्रदेश,ओडिशा और त्रिपुरा के तीन अन्य पटसन उत्पादकराज्यों में हैं।

निगम की प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रूपए हैं और 31.3.2016 की स्थिति के अनुसार निवल मूल्य 107.33 करोड़ रुपए है। संपूर्ण प्राधिकृत पूंजी को भारत सरकार द्वारा अभिदत्त किया गया है ।

मिशन / विजन

भारत सरकार की मूल्य समर्थन एजेंसी के रूप में कार्य करना और पटसन उत्पादकों को कच्चेपटसन का लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियान चलाना तथा घरेलू व्यापार में इसके बाजार हिस्से को धीरे–धीरे बढ़ाना।

मुख्य कार्य

1. जब भी कच्चे पटसन का मूल्य भारत सरकार द्वारा नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर को छूता है तो बिना किसी मात्रात्मक सीमा के सरकार की ओर से समर्थन मूल्य अभियान चलाना।
2. जब भी आवश्यकता हो अन्य प्रयोजन के लिए एनजेएमसी की पटसन मिलों के लिए वाणिज्यिक कार्य शुरू करना।
3. एनजेबी की इमदाद योजना के तहत पटसन के प्रमाणित बीजों का वितरण करना और किसानों को प्रमाणित पटसन के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ धीरे–धीरे मात्रा को बढ़ाना।
4. अन्य विस्तारित गतिविधियों को संचालित करना जैसे कि पटसन उत्पादकों के लाभ जेटीएमएमएम– ।।। और एनजेबीयोजनाओं के तहत केन्द्रों के आवंटन द्वारा नई रेटिंग तकनीकी का प्रदर्शन करना और दैनिक बाजार दर को प्रदर्शित करना।
5. मिनी मिशन– ।।। के लिए कार्यान्वयनएजेंसी की भूमिका निभाना और मिनी मिशन–प्ट तथा पटसन प्रौद्योगिकी मिशन के अन्य मिनी मिशन की गतिविधियों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना।
6. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत स्कीमों की योजना बनाना और उनकों कार्यान्वित करना।

भारतीय पटसन निगम के कार्यनिष्पादन को निम्नवत स्पष्ट किया गया है:

विवरण मात्रात्मक (गाठें / लाख में)	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	अनुमानित (एमओयू केके अनुसार) 2016–17
कच्चे पटसन की खरीद	3.63	1.90	0.57	0.05	2.50
कच्चे पटसन की बिक्री	2.40	2.60	1.46	0.20	2.22
अंत शेष माल	1.75	1.07	0.17	0.02	0.30
वित्तीय (रूपए लालाख में)					
कच्चे पटसन की बिक्री	11135.58	12331.00	8027.07	1506.45	18240.00
पटसन बीज की बिक्री	132.65	227.13	895.44	627.55	730.00

13.8 राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. (एनजेएमसी), कोलकाता

राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. को निम्नलिखित 6 (छह) पटसन मिलों अर्थात पश्चिम बंगाल में नेशनल, किन्नीसन, खरदाह, एलेक्जेंडर, यूनियन और कटिहार, बिहार में आरबीएचएम इकाई को शामिल करते हुए भारत सरकार को पूर्ण स्वामित्व वाले एक उपक्रम के रूप में 3 जून, 1980 को पंजीकृत या निगमित किया गया था। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य सरकार के खाद्य प्रसंस्करण एजेंसियों को आपूर्ति के लिए पटयन की वस्तुओं (बोरों) के विनिर्माण का व्यवसाय करना है। इसके प्रारंभ से निरंतर हानि और निवल मूल्य के ह्रास के कारण 1992 में कम्पनी को बीआईएफआर को संदर्भित किया गया था। तथापि, वस्त्र मंत्रालय के हस्तक्षेप से 19 मार्च, 2010 और 25 नवम्बर, 2010 के मंत्रिमंडल के निर्णय को ध्यान में रखते हुए छह मिलों में से एनजेएमसी द्वारा अपनी तीन मिलों (पश्चिम बंगाल में किन्नीसन, खरदाह और कटिहार, बिहार में इकाई : आरबीएचएम) को चलाने के लिए बीआईएफआर ने 31.3.2011 को आयोजित अपनी बैठक में कम्पनी के पुनरूद्धार प्रस्ताव को अंततः मंजूरी दे दी । इन मिलों के प्रचालन को 2003–04 में रोक दिया गया था और सभी कामगारों और कर्मचारियों को इस वर्ष से पूर्व स्वीकृत योजना के अनुसार वीआरएस दे दिया गया था। ठेके के श्रमिकों की नियुक्ति के द्वारा वर्ष के दौरान उत्पादन शुरू करने के लिए एचटी विद्युत लाइनों को बहाल करने, कारखाने के शेड, भण्डार, कार्यालय की मरम्मत और संयंत्र और मशीनरी तथा अन्यअवसंरचना की मरम्मत और नवीकरण के लिए पूरे प्रयास किए गए। वर्ष के दौरान उपर्युक्त तीनों मिलों में नियमित उत्पादन शुरू हो गया।

एनजेएमसी सैकिंग (पटसन के बोरों) का निर्माण कर रहा है जिनकी आपूर्ति पटसन आयुक्त के कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी पीसीओ के प्रति सरकार की खाद्य प्रापण एजेंसियों को की जा रही है। 2000 से अधिक ठेका मजदूर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और उनकी मजदूरी को सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों के परामर्श से उत्पादन औरउत्पादकता के आधार पर समय–समय पर नियत किया जाता है और पीएफ,ईएसआई तथा अन्य लाभों के साथ पारदर्शी तरीके से ठेकेदार के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

बीआईएफआर द्वारा पुनरूद्धार योजना को स्वीकृति

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने लम्बी सुनवाई के बाद 31 मार्च, 2011 को कम्पनी के पुनरूद्धार योजना को स्वीकृति दी। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:–

(i) एनजेएमसी सभी कर्मचारियों को वीआरएस एवं बकाया दायित्वों के भुगतान के लिए 645.07 करोड़ रूपए,देनदारियों और कार्यान्वयन हेतु निधियों की व्यवस्था करने के लिए 702.21 करोड़ रूपए और आधुनिकीकरण एवं शुरूआत खर्च के लिए 215.70 करोड़ रूपए सहित 1562.98 करोड़ रूपए की कुल लागत पर 3 मिलों (पश्चिम बंगाल में मिन्नीसन,खरदाह और बिहार में आरबीएचएम) को स्वयंचलाएगा और 3 मिलों (पश्चिम बंगाल में नेशनल, एलेक्जेंडर एवं यूनियन) को बंद करेगा।

(ii) एनजेएमसी को भारत सरकार से 483.60 करोड़ रूपए का नया ब्याजमुक्त ऋण प्राप्त होगा जिसे एनजेएमसी की 3 (तीन) मिलों (नेशनल,यूनियम एवं ऐलेक्जेंडर) की परिसम्पत्तियों और किन्नीसन एवं खरदाह और आरबीएचएम के तीन पुनरूद्धार मिलों की अधिशेष परिसम्पत्तियों की बिक्री के माध्यम से वापस किया जाना है।

(iii) 215.70 करोड़ रूपए की लागत पर पूर्ण आधुनिकीकरण के बाद स्थापित क्षमता 305 मीट्रिक टन प्रति दिन होगी।

(iv) छठे वर्ष अर्थात 2015–16 में निवलमूल्य के सकारात्मक होने की संभावना है।

(v) संयुक्त पैकेज के अंतर्गत अधिकारियों केवीआरएस का निपटारा।

(vi) आधुनिकीकरण पूरा होने तक शुरूआत में संविदा आधार पर कार्यबल की नियुक्ति।

शेष 3 बंद मिलों नामतः (यूनियन, नेशनल और एलेक्जेंडरा मिल) की परिसंपत्तियों का उपयोग जहां सभी में 130 एकड़ भूमि को टेक्सटाइल हब, अपैरल पार्क आदि जैसे व्यवहार्य उत्पाद उपयोग के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए संव्यहार्य सलाहकार की नियुक्ति (मैसर्स प्राइस वाटर हाऊस कूपर्स लि.) की गई है और एक रूपरेखा तैयार किया गया है। मिलों को औपचारिक रूप से बंद करने के लिए भूमि सहित अधिशेष परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में सहयोग के लिए मामले को श्रम मंत्रालय सहित पं.बंगाल सरकार के साथ उठाया जा रहा है। अंतरिम अवधि में, चल रही मिलों का लाभप्रदता के साथ प्रचालित करने और भूमि की परिसंपत्तियों के नकदीकरण के लिए समूचित मॉडूल की पहचान करने के लिए विकल्प तलाशे जा रहे हैं।

सभी 3 पुनरूद्धार मिलों में औसत उत्पादन

विवरण	2014-15	2015-16
	करोड़ रुपए में	करोड़ रुपए में
बिक्री	37.70	43.00
अन्य आय	20.40	22.58
कुल आय	58.10	65.58
स्टॉक की वृद्धि	2.50	(2.78)
कच्ची सामग्री एवं स्टोर	22.62	26.24
वित्तपोषण लागत	0.49	0.70
वेतन एवं लाभ	2.20	2.04
वीआरएस व्यय	–	–
अन्य व्यय	29.06	30.27
मूल्यह्रास	1.72	1.02
कुल व्यय	58.59	57.49
निवल लाभ / हानि (–)	(0.48)	7.31

13.8.1 बड्र्स जूट एंड एक्सपोर्ट लि. (बीजेईएल), एनजेएमसी की एक सहायक कंपनी

बड्र्स जूट एंड एक्सपोर्ट लि. (बीजेईएल), पटसन वस्त्रों की एक संसाधन इकाई बड्र्स एंड कंपनी की एक सहायक कम्पनी थी जिसकी स्थापना 1904 में की गई थी। भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लि. (बीपीएमईएल) ने 1980 में राष्ट्रीयकरण होने पर इन परिसम्पत्तियों को अपने अधिकार में ले लिया था और यह बीजेईएल के 58.94 प्रतशितइक्विटी शेयरों की नियंत्रक बन गई। उसके बाद भारत सरकारने 1986 में बीजेईएल शेयरोंको एमजेएमसी में अंतरित करने का निर्णय लिया।

बीजेईएल ने पटसन तथा ब्लेंडेडवस्त्रों के विरंजन,रंगने और प्रिंटिंग के लिए प्रसंस्करण

इकाई के रूप में कार्य किया। लगातार घाटे और प्रतिकूलनिवल पूंजी के कारण इसे वर्ष 1999 में रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम,1985 की धारा 3(1)(0) के तहत बीआईएफआर द्वारा रूग्ण घोषित कर दिया गया था। काफी समय पहले, उक्त अधिनियम की धारा 17(3) के तहत पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए आईडीबीआई बैंक लि. को प्रचालन एजेंसीके रूप में नियुक्त किया गया है।

बीजेईएल ने सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार संशोधन के पश्चात बीजेईएल की अधिशेष भूमि की बिक्री और ब्याज मुक्त भारत सरकार के ऋण से मुख्य रूप से वित्त पोषित किए जाने वाले 137.88 करोड़ रूपए की कुल योजना लागत के साथ पुनरूद्धारप्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत किया। बीजेईएल की अधिशेष भूमि की बिक्री और भारत सरकार के ब्याजमुक्त ऋण और नियंत्रक कम्पनी का ऋण, सामान्य दर पर प्रोद्भूत ब्याज के साथ लौटाए जाने का प्रस्ताव किया गया था। इस प्रस्ताव में 30.57 करोड़ रूपए की कार्यशील पूंजी सहित पूंजीगत व्यय से इसके विद्यमान संयंत्र का आधुनिकीकरण और नवीकरण भी शामिल है। उपर्युक्त प्रस्ताव बीआईएफआर को भेजा गया। बीआईएफआर ने 21.20 करोड़ रूपए की राशि के शुरूआती खर्च ब्रिज लोन के रूप में प्रदान करने हेतु वस्त्रमंत्रालय से सिद्धांत रूप से स्वीकृति के साथ बीजेईएलका संशोधित डीआरएस स्वीकार किया और इसे 3.11.2011 को स्टेकहोल्डरों में परिचालित करने का निदेश दिया।

कम्पनी की उत्पादकता गतिविधि को अक्टूबर 2002 से रोक दिया गया है और कम्पनी ने अपने सभी कामगारों और कर्मचारियों को वर्ष 2003 और 2004 में वीआरएस दे दिया है। वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लिए वित्तीय कार्य निष्पादन नीचे तालिका में दिया गया है:–

वास्तविक	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
उत्पादन	--	--	--
वित्तीय परिणाम	(लाख रुपए में)	(लाख रुरुपए में)	(लाख रुरुपए में)
कुल आय (बिक्री तथा अन्य आय)	बिक्री–0 अन्य आय -8.78	बिक्री–0 अन्य आय -8.89	बिक्री–12.95 अन्य आय -68.12
कुल	8.78	8.89	81.07
वेतन एवं मजदूरी	-	-	-
वीआरएस व्यय	-	-	-
प्रशासनिक एवं अन्य ओवरहेड	80.61	139.93	119.67
जीओआई एवं एनजेएमसी ऋण पर ब्याज	400.57	419.02	423.93
अवमूल्यन	1.01	4.07	1.77
कुल	482.19	563.02	545.36
कर पूर्व हानि	265.10	584.64	464.29

अध्याय–14

वस्त्र अनुसंधान

वस्त्र अनुसंधान संघ

14.1 वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तथा प्रक्रियाओं की प्रगति में अनुसंधान एवं विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए मंत्रालय द्वारा वस्त्र अनुसंधान संघों, जो इस क्षेत्र की समग्रता को कवर करते हैं, को सक्रिय सहायता प्रदान की जा रही है। आठ टी.आर.ए. अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगे हुए हैं:

(i) अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (एटीआईआरए)

(ii) बॉम्बे वस्त्र अनुसंधान संघ (बीटीआरए)

(iii) दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एसआईटीआरए)

(iv) उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एनआईटीआरए)

(v) मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ (एमएएनटीआरए)

(vi) सिंथेटिक एवं आर्ट रेशम मिल्स अनुसंधान संघ (एसएएसएमआईआरए)

(vii) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (आईजेआईआरए)

(viii) ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यूआरए)

वर्ष 2014–15 से 2016–7 तक टीआरए का परियोजना और पेटेंट ब्यौरा

क्र. सं.	टीआरए का नाम	आरएंडडी परि–योजनाओं के नाम	दर्ज की गई / प्राप्त हुई पेटेंट की संख्या
1	एटीआईआरए	9	4
2	बीटीआरए	10	3
3	एसआईटीआरए	9	3
4	एमएएनटीआरए	2	1
5	एसएएसएमआईआरए	11	7
6	आईजेआईआरए	8	4
7	एनआईटीआरए	7	-
8	डब्ल्यूआरए	6	-

14.1.1 मौजूदा आरएंडडी स्कीम को अधिक परिणाम उन्मुखी बनाने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए हाल ही में संशोधित किया गया है। आएंडडी की इस संशोधित स्कीम के तीन प्रमुख संघटक डिजाइन किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

संघटक–I: वस्त्र और संबद्ध क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़े वस्त्र अनुसंधान संघों सहित प्रतिष्ठित अनुसंधान एजेंसियों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, उद्योग संघों आदि द्वारा अनुसंधान और विकास परियोजनाएं चलाई जाएंगी (कुल परिव्यय – 50 करोड़ रुपये)।

उद्देश्य :

- संविदा अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से उद्योगों के साथ सहयोग करके बाजार प्रेरित अनुसंधान को सुनिश्चित करना।
- नए उत्पादों और नई प्रक्रियाओं का विकास।

- अनुसंधान और विकास का क्षेत्र वस्त्र श्रृंखला के सभी क्षेत्रों और विशेषकर तकनीक जैसे अग्रणी क्षेत्रों में बुनियादी और प्रायोगिक अनुसंधान को शामिल करेगा।
- उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नए कारोबारी अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए बाजार में नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को लाने के उद्देश्य से विकसित प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने/बाजारीकरण की भी इस संघटक में परिकल्पना की गई है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण करना कि आर एंड डी प्रयास उस प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए लक्षित हो जो इस सेक्टर और उद्योग के विकास के लिए आवश्यक और प्रासंगिक हो।

संघटक–II: पटसन क्षेत्र में आर एंड डी का प्रोत्साहन; पटसन क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों का अंतरण और प्रसार के क्रियाकलाप (कुल परिव्यय–80 करोड़ रुपये)।

उद्देश्य: स्कीम में इस संघटक के उद्देश्य हैं:

- पटसन का उपयोग और विविध कार्यों में बढ़ाने के लिए आर एंड डी प्रयासों को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से जहां पटसन का उपयोग भारी मात्रा में होता हो।
- बारहवीं योजना में आर एंड डी प्रयासों का जोर पटसन का उपयोग पटसन–जियो––टेक्सटाइल, पटसन– एग्रोटेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, पेपर की लुगदी का निर्माण, ऑटोमोबाइल और अन्य क्षेत्रों में पटसन मिश्रित चीजों का उपयोग करने में होगा।
- अन्य टेक्सटाइल प्रयोगों में पहले से हासिल की गई प्रौद्योगिकी को (वुलेनाइजेशन, बलेंड्स, महीन धागा, सुगंधित कपड़े, अग्निरोधी और जलरोधी कपड़ा इत्यादि) पटसन में प्रयोग के लिए और आर एंड डी के माध्यम से सुग्राह्य बनाना।
- विकसित प्रौद्योगिकियों का अंतरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए औद्योगिक/क्षेत्रीय प्रदर्शन।

संघटक–III: मानकीकरण संबंधी अध्ययन, ज्ञान का प्रसार और आर एंड के माध्यम से हरित प्रयासों को प्रोत्साहित करना (कुल परिव्यय–15 करोड़ रुपये)।

उद्देश्य: स्कीम के इस संघटक का उद्देश्य है:

- औद्योगिक मानक और मानकीकरण तैयार करने के लिए अनुसंधान अध्ययन चलाना और उचित मानकीकरण हासिल करने के लिए चरणों की पहचान करना और उन्हें प्रलेखित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उद्योग हरित प्रयासों को कार्यान्वित कर सकें।
- इस प्रकार तैयार किए गए मानकीकरणों का प्रसार और इकाइयों को सजग करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना; और
- इस मानकीकरण को हासिल करने वाली इकाइयों को प्रत्यायन में सहयोग देना और बेहतर राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता के लिए प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता देना।

14.1.2 पात्र एजेंसियां:

वस्त्र अनुसंधान संगठनों सहित प्रतिष्ठित अनुसंधान एजेंसियां, विश्वविद्यालय, उद्योग संघ, सरकार अनुमोदित अनुसंधान केंद्र जैसे आईआईटी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएं/मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/डीएसटी/डीएसआईआर आदि से अनुमोदित

संस्थान परियोजना प्रस्ताव देने के लिए पात्र होंगे।

14.1.3 कार्यान्वयन एजेंसी और नोडल अधिकारी:

(i) संघटक I और III के लिए वस्त्र आयुक्त का कार्यालय कार्यान्वयन एजेंसी होगा और पटसन आयुक्त का कार्यालय कार्यान्वयन एजेंसी संघटक II के लिए होगा।

(ii) भारत सरकार का अपर सचिव/संयुक्त सचिव रैंक का वस्त्र आयुक्त संघटक I और III के सभी आर एंड डी क्रियाकलापों हेतु प्रत्यक्ष रूप से नोडल अधिकारी होगा और संघटक II के तहत सभी पटसन संबंधी आर एंड डी क्रियाकलापों के लिए भारत सरकार का संयुक्त सचिव रैंक का पटसन आयुक्त नोडल अधिकारी होगा। परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन पीएएमसी करेगा और अपनी सिफारिशों को पीएसी को भेजेगा।

14.1.4 पात्र निधि सहायता:

(i) **व्यावहारिक अनुसंधान** से जुड़ी परियोजनाओं के मामलों में, परियोजना लागत की अधिकतम 70 प्रतिशत राशि का सहयोग दिया जाएगा और शेष राशि का प्रबंध संबंधित परियोजना अधिशासी एजेंसी/संस्थान द्वारा उद्योग से अथवा स्वयं के स्रोतों से किया जाएगा; जिसका ब्यौरा परियोजना प्रस्ताव जमा कराते समय दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अनुसंधान उद्योग की जरूरत के अनुसार होगा। यदि एजेंसी का पूर्ण या आंशिक योगदान सेवाओं के रूप में होगा तो इसका मूल्य निर्धारित करके परियोजना लागत में जोड़ा जाएगा।

(ii) **बुनियादी अनुसंधान** से जुड़ी परियोजनाओं के लिए पीएएमसी 100 प्रतिशत निधि तक की सिफारिश पुरजोर तर्क सहित केस–वार आधार पर कर सकती है।

14.1.5. इसके अलावा, मंत्रालय भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्चतर आविष्कार योजना और इम्प्रिंट योजना की सहायता कर रहा है।

इम्प्रिंट – राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा दिनांक 5 नवंबर, 2014 को शुरू की गई सरकार की अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी प्रभाव (इम्प्रिंट) नामक अग्रणी राष्ट्रीय नवाचार पहल का उद्देश्य राष्ट्र के सामने आ रही इंजीनियरिंग से संबंधित सर्वाधिक संगत चुनौतियों को दूर करना और उनका समाधान करना है जिसमें चुनींदा क्षेत्रों में अर्थक्षम प्रौद्योगिकी (उत्पाद या प्रसंस्करण) की जानकारी प्रदान की जाती है ताकि समावेशी विकास और आत्मनिर्भर बनने में राष्ट्र, सक्षम, सशक्त और सुदृढ़ हो सके। इम्प्रिंट के तहत दस प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की पहचान की गई है जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, दोनों में जीवन की गुणवत्ता, रक्षा और सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। ये क्षेत्र हैं (1) स्वास्थ्य सुविधा, (2) ऊर्जा,(3) संपोषणीय पर्यावास, (4) नैनो प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, (5) जल संसाधन और नदी प्रणाली, (6) उन्नत सामग्री, (7) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, (8) विनिर्माण, (9) सुरक्षा और रक्षा और (10) पर्यावरणीय विज्ञान और जलवायु परिवर्तन। वस्त्र मंत्रालय, जल संसाधन (औद्योगिकी प्रदूषण का शोधन जिसे विधिवत रूप से उद्योग–वार किया गया है) क्षेत्र में आता है और हमारा समन्वयकर्ता संस्थान आईआईटी कानपुर है।

यूएवाई–उच्च स्तर के ऐसे नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई) शुरू की है जो उद्योग/उद्योगों

की जरूरतों पर शीधे प्रभाव डालती है और इस तरह यह भारतीय विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करती है। इस योजना के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) ने अनुसंधान परियोजनाओं के लिए उद्योग के साथ साझेदारी की है और इससे उनकी समस्याओं के नवोन्मेषी हल निकलेंगे। इसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि अनुसंधान परियोजनाओं की लागत का 25% योगदान उद्योग द्वारा, 25% योगदान सहभागी विभाग/मंत्रालय द्वारा और 50% योगदान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। सहभागी मंत्रालय के रूप में वस्त्र मंत्रालय, आरएंडडी योजना के तहत अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों की धनराशि प्रदान कर योजना की सहायता करेगा।

14.1.6 वर्ष 2014–15 से 2018–19 की अवधि के लिए आरएंडडी योजना के तहत वस्त्र मंत्रालय का कुल आबंटन 149 करोड़ रुपए है।

14.2 वस्त्र समिति

वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 द्वारा स्थापित वस्त्र समिति का मुख्य उद्देश्य आंतरिक विपणन और निर्यात दोनों के लिए वस्त्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। इसके कार्यों में वस्त्रों की गुणवत्ता और वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देना, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में अनुसंधान करना, वस्त्रों और वस्त्र मशीनरी के लिए मानक स्थापित करना, प्रयोगशालाओं की स्थापना, आंकड़ों का संग्रहण आदि शामिल है। समिति का मुख्यालय मुंबई में है और इसके 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उनमें 9 परिस्थितिकी–मानदंड परीक्षण प्रयोगशालाओं सहित 17 प्रयोगशालाएं हैं।

14.2.1 वर्ष 2016–17 के दौरान निष्पादन

1.0 वस्त्र समिति की प्रयोगशालाएं:

1.1 वस्त्रों के अनिवार्य लदान–पूर्व गुणवत्ता निरीक्षण में सहायता करने के लिए वस्त्र समिति ने देश में प्रमुख वस्त्र केंद्रों में प्रयोगशालाएं स्थापित कीं।

1.2 वर्ष 1969 के दौरान मुंबई में वस्त्र समिति में पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। वर्ष 1973 से 2002 तक की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण वस्त्र केंद्रों में 17 और प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। इस समय अहमदाबाद, बंगलौर, कन्नानूर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गुंटूर, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, करूर, कोलकाता, लुधियाना, मदुरई (पीपीपीके अंतर्गत), मुंबई, नई दिल्ली, पानीपत और तिरूपुर में प्रयोगशालाएं हैं। 14 प्रयोगशालाएं आईएसओ/आईईसी/17025:2005 मानकों के अनुसार एनएबीएल से प्रत्यापित हैं और इनमें से बंगलौर, कन्नानूर, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, लुधियाना, करूर, मुंबई, नई दिल्ली और तिरूपुर स्थित 10 प्रयोगशालाओं में पारिस्थितिक जांच हेतु सुविधाएं भी हैं।

1.3 प्रयोगशाला स्कंध की संगठनात्मक संरचना में निदेशक शामिल है जिनकी सहायता संयुक्त निदेशकों, उप निदेशकों, सहायक निदेशकों, गुणवत्ता आश्वासन अधिकारियों, कनिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन अधिकारियों और अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा की जाती है।

1.4 जांच कार्यकलापः प्रयोगशालाओं द्वारा अनुसूचित जांच प्रभार लेकर वाणिज्यिक जांच योजना के अंतर्गत वस्त्रों के गुणवत्ता संबंधी पहलुओं के लिए तथा गुणवत्ता के सुधार हेतु उनके नमूनों की जांच कर वस्त्र क्षेत्र से जुड़े निर्यातकों, विनिर्माताओं, व्यापारियों और अन्य एजेंसियों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 के दौरान सभी प्रयोगशालाओं

द्वारा 1,007.21 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किए जाने का अनुमान है।

1.5 अन्य कार्यकलाप:

1.5.1 वस्त्र परीक्षण संबंधी प्रशिक्षण: वस्त्र उद्योगों और संस्थानों के लाभार्थ वस्त्र समिति की प्रयोगशालाओं द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान वस्त्र समिति की विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा रंगो, रसायनों एवं वस्त्रों की जांच से संबंधित चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और 69 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया था। जो संस्थान समिति की प्रशिक्षण सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, उनमें से कुछ हैं – बीडी सोमानी इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलॉजी, रचना संसद, कार्यालय, वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन, उद्योग मंत्रालय, असम एंड राइट्स लि., हैदराबाद।

1.5.2 प्रत्यायन: वस्त्र समिति की 17 प्रयोगशालाओं में से 14 को एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित किया गया है। गुंटूर, जयपुर, करूर, नई दिल्ली और तिरूपुर की पांच प्रयोगशालाओं की पुनर्मूल्यांकन लेखा–परीक्षा पूरी हो गई है। कैनानोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, जयपुर और लुधियाना की प्रयोगशालाओं की डेस्कटॉप लेखा–परीक्षा पूरी हो गई है और उनके प्रत्यायन स्टेटस को जारी रखने की सिफारिश की गई है। मुंबई प्रयोगशाला का पुनर्मूल्यांकन करने का आवेदन पत्र एनएबीएल को पस्तुत कर दिया गया है। क्षेत्रीय प्रयोगशाला, कन्नूर, अपना आवेदन पत्र एनएबीएल को प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

1.5.3 प्रयोगशाला प्रबंधन प्रणाली पर परामर्श: मैसर्स पीएसजी टेक, सीओई इंदूटेक, कोयम्बटूर को आईएसओ/ आईईसी/ 17025:2005 के मानकों के अनुसार प्रयोगशाला के प्रत्यायन के लिए परामर्श जुलाई, 2014 में शुरू हुआ। प्रयोगशाला ने सफलतापूर्वक एनएबीएल लेखा परीक्षा पूरी कर ली है। वस्त्र समिति ने प्रयोगशाला, नॉन–वूवन, इचलकरंजी के लिए डीकेटीई उत्कृष्टता केंद्र से प्रत्यायन के लिए परामर्शी सेवा भी प्रदान करनी शुरू कर दी है। वस्त्र समिति के पदाधिकारियों ने इस प्रयोगशाला का शुरूआती दौरा कर दिया है।

1.5.4 प्रवीणता जांच प्रदाता: अपनी 14 प्रयोगशालाओं की प्रत्यायन स्थिति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा की जाने वाली राउंड रोबिन जांच में भागीदारी के कारण होने वाले व्यय से बचने के लिए अप्रैल, 2007 में पीटी प्रदाता प्रकोष्ठ नाम से प्रयोगशाला के भीतर एक पृथक प्रतिष्ठान की स्थापना की गई है। यह प्रकोष्ठ वस्त्र समिति की प्रयोगशालाओं और भारत की अन्य प्रयोगशालाओं के लिए अंतर तुलनात्मक कार्यक्रम का आयोजन करता है और पड़ोसी देशों को भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वर्ष 2015–16 के दौरान, प्रकोष्ठ ने टेक्सटाइल के रासायनिक, पारिस्थितिक और यांत्रिक मानकों के लिए तीन प्रवीणता जांच स्कीमों का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में भारत और विदेशों से 58 प्रयोगशालाओं ने भाग लिया। वर्ष 2015–16 के दौरान 4.48 लाख रुपए का राजस्व इस कार्यक्रम के लिए प्रतिभागिता शुल्क के रूप में प्राप्त कर लिया है।

1.5.5 इंडिया हैंडलूम ब्रांड

अच्छी किश्म के हथकरघा उत्पाद सुनिश्चित कर हथकरघा क्षेत्र के लिए प्रीमियम ब्रांड को बढ़ावा देने के एक भाग के रूप में तथा साथ ही बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए हाई–एंड उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 7 अगस्त, 2015 को 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड योजना का शुभारंभ किया। 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड में आला हस्तनिर्मित उत्पादों के लिए

हाई–एंड उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी किश्म, सामाजिक और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का निर्माण किया जाता है। वस्त्र समिति की प्रयोगशालाएं, हथकरधा उत्पादों की गुणवत्ता का परीक्षण करती हैं। जब उत्पाद, गुणवत्ता पैरामीटरों में सफल हो जाते हैं तब वस्त्र समिति द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इंडिया हैंडलूम ब्रांड में 1421 नमूनों का परीक्षण किया गया।

1.6 कारोबार करने को सरल बनाने संबंधी नए प्रयास

1.6.1 कोचीन और जेएनपीटी पोर्ट में वस्त्र समिति की प्रयोगशालाएं स्थापित करना

कोचीन और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी), नवीं मुंबई के स्थानीय आयातकों की आयात सामग्री की शीघ्र निकासी को सुकर बनाने की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत दो नई प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। इन दो प्रयोगशालाओं को स्थापित किए जाने की प्रक्रिया पहले ही प्रगति पर है।

1.6.2 ऑनलाइन भुगतान सुविधा

वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा समय कम करने और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए निर्यात में लेन देन की कीमत के संबंध में गठित किए गए दूसरे कार्य समूह की सिफारिशों के अनुसार वस्त्र समिति की प्रयोगशालाओं में आनलाइन भुगतान व्यवस्था आरंभ की गई है। वस्त्र समिति की प्रमुख प्रयोगशालाओं में कार्ड से भुगतान की सुविधा भी आरंभ की गई है।

1.6.3 सिंगल विंडो क्लीयरेंस

परीक्षण के लिए अपेक्षित पैरामीटरों के संबंध में सूचना प्राप्त कर नमूनों की त्वरित निकासी और परीक्षण और जांच पड़ताल में कायाकल्प करने में लगने वाले समय को कम करने और परीक्षण परिणाम इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने के लिए वस्त्र समिति की प्रमुख प्रयोगशालाओं के साथ कस्टम साफ्टवेयर अर्थात आईसीईगेट को जोड़ दिया गया है। अब इसका प्रयोग किया जा रहा है और कस्टम्स तथा वस्त्र समिति की प्रमुख प्रयोगशालाओं की बीच डाटा अंतरण का कार्य शुरू हो गया है। वस्त्र समिति की शेष प्रयोगशालाओं को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2.0 निर्यात संवर्धन एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग:

2.1 निर्यात संवर्धन एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग निम्नलिखित कार्य करता है:

i) वस्त्र उद्योग में तकनीकी अध्ययन करना

ii) वस्त्रों का निर्यात संवर्धन

iii) वस्त्रों और पैकिंग सामग्री हेतु मानक विर्निदेशन स्थापित करना, उनका अंगीकरण करना और उन्हें मान्यता देना ।

iv) वस्त्रों पर लागू होने वाली गुणवत्ता नियंत्रण अथवा निरीक्षण की जरूरत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करना ।

v) वस्त्रों पर लागू होने वाले गुणवत्ता नियंत्रण की तकनीकों पर प्रशिक्षण देना ।

vi) वस्त्रों तथा वस्त्रों की पैकिंग में प्रयुक्त पैकिंग सामग्री के निरीक्षण और जांच की व्यवस्था करना

vii) वस्त्र उद्योग के विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देना और ऐसे अन्य मामलों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, के लिए व्यवस्था करना ।

viii) एचटीएस और एचएस प्रणाली के अंतर्गत वस्त्रों का वर्गीकरण

2.2 इस प्रभाग का प्रमुख एक निदेशक होता है जिसकी सहायता मुख्यालय, मुम्बई और क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात प्रशासनिक कर्मचारियों के अलावा, संयुक्त निदेशकों, उप निदेशकों, सहायक निदेशकों और गुणवत्ता आश्वासन अधिकारियों द्वारा की जाती है। अधिकारी योग्य वस्त्र प्रौद्योगिकीविद होते हैं ।

2.3 निर्यात संवर्धन में सहायता के रूप में गुणवत्ता निरीक्षण करने के अलावा, यह प्रभाग विभिन्न द्विपक्षीय करारों/स्कीमों के अंतर्गत अपेक्षित निर्यातकों को निम्नलिखित विशेष प्रमाण पत्र भी जारी करता है ।

(क) **सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली (जीएसपी) के अंतर्गत उद्गम प्रमाण पत्र** : सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली (जीएसपी) की योजना के अंतर्गत समिति निर्यातकों को वस्त्रों तथा वस्त्र मदों के लिए प्रपत्र–क में जीएसपी प्रमाण पत्र जारी करती है। इस प्रमाण पत्र से आयातक आयात स्थान पर शुल्क में अंतर का दावा कर सकते हैं।

(ख) **वस्त्र और मेड–अप्स के लिए बारह व्यापार करार के तहत मूल प्रमाण पत्र**

वस्त्र समिति वर्ष 1971 से जीएसपी योजना के तहत मूल प्रमाण पत्र और जून, 2014 से भारत–जापान व्यापक आर्थिक सहभागिता करार (आईजेसीईपीए) के तहत मूल प्रमाणपत्र जारी कर रही है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 30.03.2016 के पब्लिक नोटिस सं. 67/2015–2020 के तहत वस्त्र समिति को टेक्सटाइल्स और मेड–अप्स के लिए ग्यारह और व्यापार करारों के तहत मूल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया है। वस्त्र समिति ने टेक्सटाइल्स और मेड–अप्स के लिए सभी ग्यारह एफटीए/पीटीए/सीईसीए/सीईपीए के लिए मूल प्रमाणपत्र जारी करना शुरू कर दिया है।

(ग) **उद्गम प्रमाण पत्र (गैर अधिमानी)**: वस्त्र समिति को जुलाई, 2005 से उद्गम प्रमाण पत्र (गैर अधिमानी) जारी करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है ताकि निर्यातक निर्यातित सामग्री के उद्गम के देश की पुष्टि कर सकें ।

(घ) **हथकरघा प्रमाण पत्र**: विकसित देशों के साथ विभिन्न द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत समिति द्वारा पात्र वस्त्र मदों के हथकरघा उद्गम को सुनिश्चित करने के लिए सीमित निरीक्षण करने के बाद हथकरघा एवं कुटीर उद्योग प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं ताकि आयातक शुल्क रियायतों का दावा कर सकें ।

(ड.) **टैरिफ दर कोटा प्रमाण पत्र (टीआरक्यूसी)**: निम्नलिखित देशों के लिए विशिष्ट वस्त्र मदों हेतु आयात कोटे की निगरानी करने के लिए टीआरक्यूसी पर पृष्ठांकन किया जाता है :

i) भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएफटीए) के अंतर्गत श्रीलंका से सिले–

सिलाए वस्त्रों के लिए

ii) दक्षिण एशियायी मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) के अंतर्गत बंगलादेश से परिधानों के लिए

iii) भारत–नेपाल व्यापार संधि के अंतर्गत नेपाल से एक्रीलिक यार्न के लिए

च) **वस्त्रों का वर्गीकरणः** वस्त्र समिति सुमेलीकृत प्रणाली (एचएस)/ संयुक्त राज्य एनोटेड की सुमेलीकृत टैरिफ अनुसूची (एचटीएसयूएसए)/ संयुक्त नामावली (सीएन) कोड के अंतर्गत वस्त्रों और वस्त्र मदों के वर्गीकरण पर वस्त्र उद्योग एवं व्यापार जगत को सेवाओं की पेशकश करती है। इस सेवा का लाभ मुख्यतः वस्त्र निर्यातकों, आयातकों और भारतीय सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा उठाया जाता है ।

2.4 वर्ष 2016–17 (अक्तूबर, 2016 तक) के दौरान इस प्रभाग द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	विवरण	2016-2017 (अप्रैल से अक्तूबर, 2016)
1.	आरएसओ–17020 के अंतर्गत गुणवत्ता निरीक्षण (लाटों की संख्या)	172
2.	एफटीए/पीटीए/सीईसीए/सीईपीए के अंतर्गत किए गए वास्तविक सत्यापन की संख्या	290
3.	जारी किए गए जीएसपी प्रमाण पत्रों की संख्या	263993
4.	जारी किए गए उद्गम प्रमाण पत्रों की (गैर अअधिमानी) संख्या	58493
5.	जारी किए गए एफटीए/पीटीए/सीईसीए/सीईपीए प्रमाण पत्रों की संख्या	2039
6.	हथकरघा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए करघे के उद्गम हेतु सीमित निरीक्षण के अंर्तगत जांच किए गए लाटों की संख्या	70
7.	जारी किए गए हथकरघा और अन्य विशेष प्रमाण पत्रों की संख्या	86
8.	एचएस कोड, विवरण आदि हेतु वर्गीकृत नमूनों की संख्या	3194
9.	पंजीकृत नए निर्यातकों की संख्या	477
10.	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या	2325
11.	कोरे जीएसपी प्रपत्रों की संख्या	186592
12.	कोरे उद्गम प्रमाण पत्र (गैर अअधिमानी) के प्रपत्रों की बिक्री	72074
13.	सीओओ (एफटीए/पीपीटीए/सीईसीए/सीईपीए) की बिक्री	2571
14.	द्विपक्षीय करार के अंतर्गत कोरे प्रमाण पत्रों की बिक्री	209
15.	आईएसएफटीए के अंतर्गत आरएमजी के आयात कोटे की निगरानी हेतु टीआरक्यूसी पर पृष्ठांकन	298
16.	भारत–नेपाल व्यापार संधि के अंतर्गत एक्रेलिक यार्न के आयात कोटे की निगरानी हेतु टीआरक्यूसी पर पृष्ठांकन (मी. टट. में)	3322
17.	साफ्टा के अंतर्गत बंगलादेश से परिधान मदों के लिए टीआरक्यूसी पर पृष्ठांकन	0
18.	जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखानों की रेटिंग हेतु पंजीकृत इकाइयों की संख्या	27
19	उपर्युक्त क्र.सं. 1 से 18 पर उल्लिखित कार्यकलापों के लिए सृजित कुल राजस्व (करोड़ रुरुपये में)	12.04

2.5 वर्ष के दौरान अप्रैल, 2016 से अक्तूबर, 2016 तक निर्यात संवर्धन एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग द्वारा सृजित सेवा–वार राजस्व नीचे दर्शाया गया है:

सेवा–वार राजस्व का सृजन
ईपी एंड ओए प्रभाग (अप्रैल से अक्तूबर, 2016)

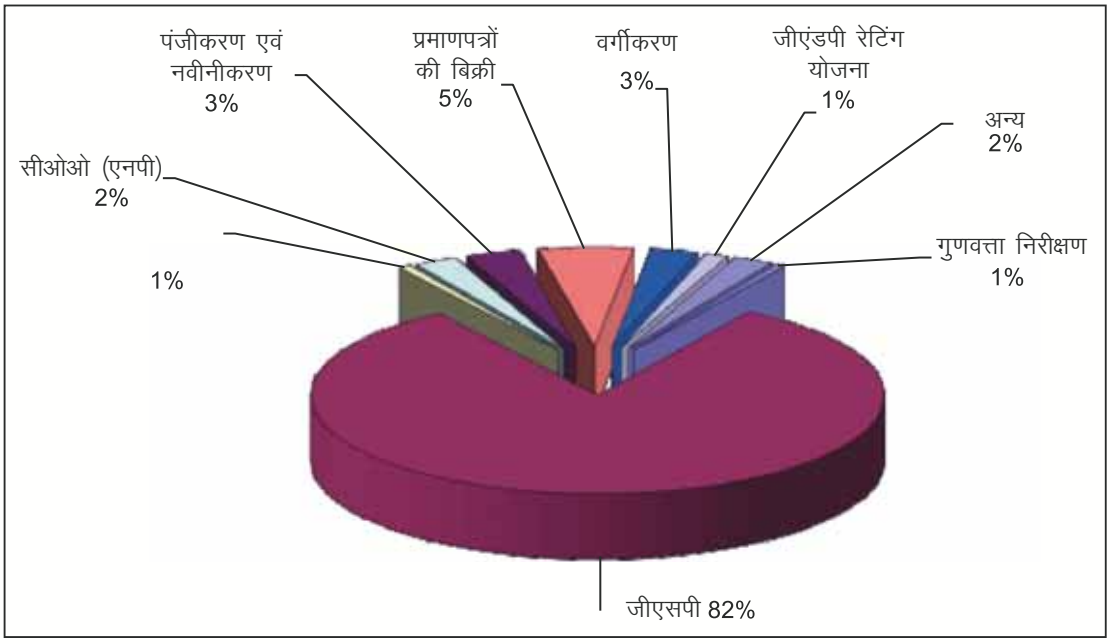

2.6 जीएसपी प्रमाण पत्रों के पृष्ठांकन से ईपीएंडक्यूए प्रभाग द्वारा सृजित राजस्व के एक बड़े भाग (82 प्रतिशत) का योगदान मिलता है। विभिन्न कोरे प्रमाणपत्रों की बिक्री से कुल राजस्व की 5: वसूली होती है जबकि मूल प्रमाण पत्र जारी किए जाने से 2: (गैर–अधिमान), एफटीए/ पीटीए/ सीईपीए/सीईए के लिए 1:, पंजीकरण और नवीकरण फीस से 3:, वर्गीकरण से 3:, जिनिंग और प्रेसिंग कारखानों के मूल्यांकन से 1:, गुणवत्ता निरीक्षण से 1: राजस्व की वसूली होती है। अप्रैल, 2016 से अक्तूबर, 2016 की अवधि के दौरान अन्य सेवाओं अर्थात टीआरक्यूसी पृष्ठांकन, सीसीआई अध्ययन से कुल राजस्व का 2: प्राप्त हुआ।

2.7 वर्ष 2012–13 वर्ष 2016–17 तक ईपीएंडक्यूए प्रभाग द्वारा सृजित राजस्व (अनुमानित) निम्नलिखित चार्ट में दिया गया है।

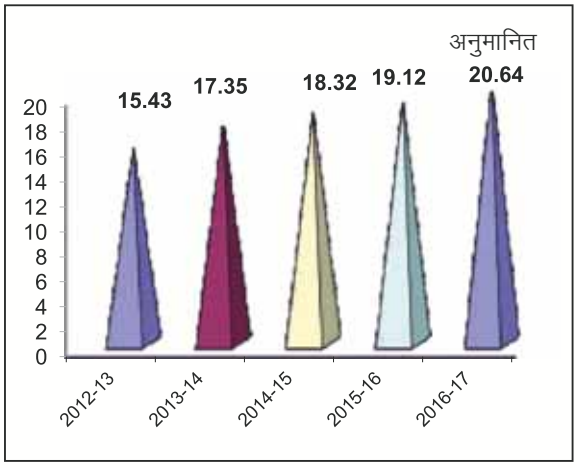

उपर्युक्त चार्ट से वर्ष 2012–13 से 2016–17 से ईपीक्यूए प्रभाग की राजस्व वसूली में रूझानों का पता चलता है। विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान प्रभाग के राजस्व सृजन में रूझान क्रमशः – +5. 59% (2014–15) + 4.36% (2015–16) और + 7.9% (2016–17) रहे हैं।

2.8 विकास गतिविधियां:

क. जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखानों के मूल्यांकन एवं रेटिंग संबंधी योजना

वस्त्र मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.4.2008 के पत्र के तहत वस्त्र समिति को "जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखानों के मूल्यांकन एवं रेटिंग" का कार्य सौंपा गया था। इकाइयों का मूल्यांकन नवम्बर, 2009 से शुरू हुआ था। रेटिंग हेतु 1064 इकाइयां पंजीकृत गई थीं और 1017 इकाइयों का निर्धारण पूरा हो गया है।

अक्तूबर, 2016 की स्थिति के अनुसार निर्धारण एवं रेटिंग की स्थिति से संबंधित आंकड़े:

नामांकित आवेदन	1064
मूल्यांकित इकाइयों की संख्या	1017
रेटेड इकाइयों की संख्या	1017
5 स्टार रेटेड इकाइयां - 027	
4 स्टार रेटेड इकाइयां - 123	
3 स्टार रेटेड इकाइयां - 281	
2 स्टार रेटेड इकाइयां - 408	
1 स्टार रेटेड इकाइयां - 055	
1 स्टार (सीमित अवधि के लिए) - 079	
अनंतिम रूप से रेटेड इकाइयों की संख्या - 044	

ख. भारतीय कपास निगम (सीसीआई), मुंबई के लिए अध्ययन

भारतीय कपास निगम (सीसीआई), मुंबई ने एमएसपी अभियानों के दौरान अपने कपास की जिनिंग और प्रेसिंग के लिए सीसीआई द्वारा जीएंडपी फैक्ट्रियों को नियुक्त करते हुए जिनिंग और प्रेसिंग खर्चों को कम करने के उपयुक्त सुझाव देने के लिए वस्त्र समिति से अध्ययन करने का अनुरोध किया था। यह अध्ययन, 22,56,000/– रुपए + यथा लागू करों की लागत से सीसीआई की भटिंडा, अहमदाबाद और वारंगल नामक तीन शाखाओं में किया गया।

उपर्युक्त अध्ययन से संबंधित कार्य दिनांक 25.01.2016 से शुरू हुआ। अध्ययन से संवर्धन फील्ड कार्य करने के लिए आवंटित केंद्रों में 100 जीएंडपी इकाइयों में छः मूल्यांकन टीमें प्रतिनियुक्त की गई थीं। हर प्रकार से यह अध्ययन पूरा हो गया है और दिनांक 10 जून, 2016 को सीसीआई को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

ग. हस्तनिर्मित कार्पेट उद्योग के लिए रेटिंग योजनाः

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) ने वस्त्र समिति से हस्तनिर्मित कार्पेट उद्योग की मानकीकरण योजना विकसित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। भदोही–मिर्जापुर क्षेत्र में 25 इकाइयों का प्रारंभिक दौरा पूरा करने के बाद निम्नलिखित क्षेत्र और उद्देश्य के साथ 'हस्तनिर्मित कार्पेट उद्योग की रेटिंग योजना' तैयार किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गयाः

– हस्तनिर्मित कार्पेट उद्योग में अपनाई जा रही कार्य प्रक्रिया का मूल्यांकन

और यथा लागू सामाजिक और पर्यावरणीय जरूरतों की पहचान करना।

– अपनाई जा रही कार्य प्रक्रियाओं, सामाजिक और पर्यावरणीय जरूरतों के अनुपालन स्तर और रेटिंग की पांच श्रेणियों के तहत कार्पेट इकाइयों को रखने के मानदंड निर्धारण के आधार पर 'हस्तनिर्मित कार्पेट उद्योग के लिए रेटिंग योजना' तैयार करना।

– रेटिंग योजना के क्रियान्वयन के संबंध में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के पदाधिकारियों के पहले बैच को प्रशिक्षण प्रदान करना।

योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

3.0 टीक्यूएम सेवाएं :

3.1 टीक्यूएम सेवाएं: वस्त्र समिति ने अपनी भूमिका, विनियामक से बदलकर विकासात्मक कर ली है। इस प्रक्रिया में यह उद्योग–हितैषी संगठन के रूप में उभरी है। विकास कार्यकलाप शुल्क आधार पर इच्छुक वस्त्र इकाइयों को आईएसओ–9000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों, आईएसओ–14000 पर्यावरणिक प्रबंधन प्रणालियों, एसए–8000 सामाजिक जिम्मेवारी संबंधी प्रबंधन प्रणालियां, ओएचएसएएस–18000 व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा निर्धारण श्रंखला, सेडेक्स, बीएससीआई, सीटीपीएटी आदि जैसे कोड अनुपालनों पर परामर्श प्रदान करने में शुरू किए गए थे।

3.2 वर्ष के दौरान आईएसओ 9000/आईएसओ 14000/एसए 8000/ओएचएसएएस 18000/सेडेक्स, बीएससीआई, सीटीपीएटी आदि के अंतर्गत परामर्श सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 5 इकाइयां आगे आईं। परामर्शी–इकाईयों की कुल संख्या 686 तक हो गई है। वस्त्र समिति, देश में एकमात्र ऐसा संगठन है जो कई वस्त्र इकाइयों को परामर्श सेवाएं प्रदान करती है।

3.3 01 अप्रैल, 2016 से 31 अक्तूबर, 2016 तक वस्त्र समिति ने जागरूकता कार्यक्रमों, सांख्यिकीय तकनीकों एवं आंतरिक लेखा परीक्षा जैसे गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों से संबंधित विषयों में 69 उद्योगों से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

3.4 प्रमाणन पश्चात कार्यकलाप: लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के विकास में वस्त्र समिति की सतत प्रासंगिकता का प्रदर्शन करने के लिए समिति ने प्रमाणन पश्चात् कार्यकलाप शुरू किए हैं। दिनांक 31.10.2016 की स्थिति के अनुसार रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 13 कंपनियों ने वस्त्र समिति से प्रमाणन पश्चात सहायता सेवाओं का लाभ उठाया है।

3.5 हैण्डलूम मार्क: वस्त्र समिति को विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के रूप में नियुक्त किया गया है। हथकरघा चिन्ह की शुरूआत 28.06.2006 को की गई थी। दिनांक 31 अक्तूबर, 2016 की स्थिति के अनुसार हथकरघा चिन्ह योजना की निष्पादन रिपोर्ट नीचे दी गई है:

क्र. सं.	कार्यकलाप का नाम	लक्ष्य	उपलब्धियां (01 अप्रैल, 2016 से 31 अक्तूर, 2016)
1.	आवंटित पंजीकरणों की संख्या	1000	1421
2.	बेचे गए लेबल की संख्या	1 करोड़	8489545

3.6 घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय प्रचार के जरिए चिन्ह को लोकप्रिय बनानाः

हथकरघा चिन्ह योजना की सफलता इसे लोकप्रिय बनाने के लिए की गई कार्रवाई पर निर्भर करती है। इसे न केवल जानकारी प्रदायी सेमिनारों के जरिए अपितु, प्रचार के अन्य उपायों के जरिए भी हासिल किया गया है। प्रचार उपायों को मोटे तौर पर एटीएल (लाइन से ऊपर) कार्यकलापों और बीटीएल (लाइन से नीचे) कार्यकलापों जैसी दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एटीएल कार्यकलापों में प्रिंट तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के साधनों के जरिए प्रकाशन शामिल है जबकि बीटीएल कार्यकलापों में प्रदर्शनियों, मेलों, सेमिनारों आदि में भागीदारी जैसे क्षेत्र स्तर पर कार्यकलाप शामिल हैं।

3.7 बीटीएल क्रियाकलापों के माध्यम से प्रचारः

3.7.1 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियांः बीटीएल क्रियाकलापों के एक भाग के रूप में वस्त्र समिति, हैंडलूम मार्क के प्रचार के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदशनियों और व्यापार मेलों में भाग लेती है। वर्ष के दौरान वस्त्र समिति ने 2 घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लिया।

3.7.2 कॉलेजों में जागरुकता कार्यक्रमः युवा पीढ़ी में भारतीय हथकरघा और हैंडलूम मार्क के प्रति जागरुकता फैलने के लिए वस्त्र समिति ने कॉलेजों और विशेष रूप से समूचे देश में महिला कॉलेजों में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है।

3.7.3 कलस्टर स्तरीय सेमिनार और शिविरः व्यक्तिगत बुनकरों, मास्टर बुनकरों, प्राथमिक सहकारी समितियों, शीर्ष सोसाइटियों, खुदरा व्यापारियों, विनिर्माता निर्यातकों आदि जैसे प्रयोक्ताओं में हैंडलूम मार्क योजना के बारे में जागरुकता का सृजन करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

3.7.4 जागरूकता/प्रचार–प्रसार संबंधी बैठकें: उद्योग के हितधारकों के बीच सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए समिति ने बुनकर सेवा केन्द्र, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम आदि जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों/प्रचार–प्रसार बैठकों में सह–भागीदारी की है। अब तक वस्त्र समिति ने 04 कार्यक्रमों में भाग लिया है। जागरूकता/प्रचार–प्रसार बैठकों में 240 भागीदारों ने भाग लिया था।

4.0 बाजार अनुसंधान विंगः

4.1 बाजार अनुसंधान विंग को वस्त्र एवं क्लोदिंग क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित डाटाबेस तैयार करने के क्षेत्रीय विश्लेषण करने के लिए वस्त्रों संबंधी आर्थिक अनुसंधान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह विंग वैश्वीकरण, अंतरराष्ट्रीय

व्यापार, विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं, इस क्षेत्र की बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण, डाटाबेस तैयार करने के अतिरिक्त घरेलू मांग के आकलन का अध्ययन अर्थात् "मार्केट फॉर टेक्सटाइल एंड क्लॉदिंग" का नियमित आधार पर प्रकाशन जैसे संबंधित विषयों पर गहन अध्ययन का कार्य करता है। बदलते वैश्विक परिदृय को ध्यान में रखते हुए, विंग ने वस्त्र बाजार आसूचना (एमआईटी), प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण, भारत के निर्यात पर नॉन–टैरिफ बैरियर (एनटीबी), व्यापार सुविधाएं, मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)/क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरटीए)/प्रतिस्पर्धी आर्थिक सहभागिता समझौता (सीईपीए) आदि क्षेत्रों में भी नई पहल आरंभ की हैं।

4.2 टेक्सटाइल और क्लॉदिंग सर्वेक्षण (एमटीसी) के लिए बाजार:

यह एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना है जो वर्ष 1969 से बाजार अनुसंधान विंग के तत्वाधान में चल रही है। राष्ट्रीय स्तर का यह नमूना सर्वेक्षण घरेलू मांग संबंधी आंकड़े जुटाता है और उपभोक्ताओं की पसंद के रूझानों की निगरानी करता है। 'वस्त्र और क्लॉदिग (एमटीसी) में ''राष्ट्रीय हाऊसहोल्ड सर्वेक्षण बाजार 2015'' संबंधी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

4.3 **भौगोलिक संकेतन (जीआई) अधिनियम के माध्यम से आईपीआर संरक्षण:** वस्त्र समिति, वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत पंजीकरण के माध्यम से देश में विशिष्ट वस्त्रों और हस्तशिल्प उत्पादों को आईपीआर संरक्षण प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाती है। समिति ने देश में अब तक 46 विशिष्ट उत्पादों के जीआई पंजीकरण को सुकर बनाया है जिनमें से 16 विशिष्ट उत्पादों को विगत वित्तीय वर्ष में पंजीकृत किया गया है जिसमें 13 लोगो पंजीकरण शामिल हैं। इसने अधिनियम के भाग–ख में प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के रूप में 1009 कारीगरों/विनिर्माताओं के संघों के पंजीकरण को सुकर बनाया है। उत्पादकों की क्षमता निर्माण के भाग के रूप में समिति ने विगत कुछ वर्षों के दौरान 105 से अधिक कार्यशालाएं/सम्मेलन आयोजित किए हैं। इसके अलावा इस जीआई पंजीकरण प्रक्रिया नियमावली हिंदी में तैयार कर ली गई है और इसे उद्योग के स्टेकहोल्डरों में वितरित कर दिया गया है।

इसके अलावा विंग ने देश में घरेलू पारंपरिक जानकारी के दस्तावेज तैयार करने के लिए 8 राज्यों में पारंपरिक ढंग से बुने वस्त्रों के दस्तावेज तैयार करने के संबंध में अध्ययन किया और बुनकरों/कारीगरों के लाभ तथा साथ ही इन उत्पादों को आईपीआर संरक्षण शुरू करने के लिए स्टेकहोल्डरों को इसे उपलब्ध कराता है।

4.4 वस्त्रों में बाजार आसूचना (एमआईटी):

एमआईटी, वस्त्र एवं कपड़ा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर संदर्भ बिंदु का कार्य करता है और उत्पादन, घरेलू मांग, निर्यात एवं आयात, मूल्य और इसका निर्धारण, प्रतिस्पर्धा एवं प्रतिस्पर्धी, लागत मानकीकरण, सरकारी नीति निर्माण, कर संरचना, आरटीए/पीटीए, अवसंरचना और उद्योग हितधारकों और नीति निर्माताओं संबंधी अन्य मुद्दों के लिए व्यापक (मैक्रो) स्तर पर जानकारी उपलब्ध

कराता है।

- समिति के प्रतिनिधि ने दिनांक 13–14 अप्रैल, 2016 को ब्रुसेल्स में हुई संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) की बैठके में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया और नॉन–टैरिफ उपाय (एनटीएम), लेवलिंग, रीच रेगुलेशन ऑफ ईयू.न्यू ई यू–जीएसपी स्कीम एंड टैक्सटाइल्स इकोनॉमिक रिसर्च (टीईआर) से संबंधित पांच मुद्दों पर प्रस्तुतीकरण किया।
- एजो डाइज एंड कंपीटीटिवनेस ऑफ ग्लोबल सैल्यूलोसिक फाइबर्स पर रिपोर्ट तैयार की गई।
- ट्रेंड एडं परफारमेंस ऑफ टैक्नीकल टैक्सटाइल्स एंड स्पेसलिटी फाइबर्स पर डाटाबेस तैयार किया गया।
- कंपीटीटिवनेस एनालिसेस ऑफ ग्लोबल ट्रेड ऑफ अपैरल्स शुरू किया गया।
- भारतीय टीएंडसी क्षेत्र पर ब्रेक्सिट का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन शुरू किया गया।

4.5 आरएसए के अंतर्गत भारत के वस्त्र एवं क्लॉदिंग क्षेत्र में दक्षता की कमी का विश्लेषणः

वस्त्र एवं क्लॉदिंग उद्योग में प्रत्येक कार्य के लिए दक्ष श्रम शक्ति की जरूरत और श्रम बाजार में वर्तमान उपलब्धता का अध्ययन करने के उद्देश्य से वस्त्र समिति द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए दक्षता की कमी का विश्लेषण किया जा रहा है। दक्षता कमी संबंधी इस विश्लेषण से प्रत्येक कार्य के संबंध में इस समय उपलब्ध श्रमशक्ति, उद्योग की आवश्यकता तथा साथ ही प्रत्येक कार्य की भूमिका की भविष्य की जरूरतों के भविष्य के अनुमान के संबंध में विस्तृत सूचना मिलने की आशा है। इसी के अनुसार, दक्ष श्रम शक्ति की मांग और आपूर्ति में अंतर की पहचान करके कौशल विकास के माध्यम से इस अंतर को पाटा जा सकता है। कमी संबंधी यह विश्लेषण जॉब रोल की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने के लिए उपाय करने के सुझाव देने और 2024–25 तक श्रम शक्ति की आवश्यकता संबंधी विकास अनुमानों का पता लगाने में मदद करेगा। आशा है कि यह अध्ययन दिसम्बर, 2016 तक पूरा हो जाएगा।

4.6 इंडिया हैंडलूम ब्रांडः

माननीय प्रधान मंत्री के राष्ट्र को 'मेक इन इंडिया' के आह्वान से प्रेरणा लेते हुए शून्य त्रुटियों वाले उत्पाद और पर्यावरण पर शून्य प्रभाव आधारित ब्रांड विकसित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने उच्च गुणवत्ता युक्त, विशिष्ट हथकरघा उत्पादों के ब्रांड का कार्य आरंभ किया है जो 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड' स्कीम के माध्यम से अवसरों से भरपूर बाजार की जरूरतों को पूरा करेगा। इससे यार्न, बुनाई डिजाइन जैसी गुणवत्ता और उपभोक्ता संतुष्टि जैसे ब्रांड संबंधी अन्य मानक सुनिश्चित होंगे। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 7 अगस्त, 2015 को पहले हैंडलूम दिवस के अवसर पर 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड' की शुरूआत की है। अब तक वस्त्र समिति ने 1458 आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की है और योजना के तहत 626 आवेदकों को पंजीकरण मंजूर किया है। ऑन–लाइन पंजीकरण के लिए योजना के तहत

पेमेंट–गेट–वे के साथ–साथ समर्पित वेबसाइट विकसित और शुरू की गई है ताकि आवेदन पत्रों आदि से संबंधित स्थिति की जानकारी प्रदान की जा सके।

5.0 समिति का वित्त :

समिति जांच और प्रमाणन प्रभारों, परामर्श शुल्क आदि जैसे प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में आंतरिक राजस्व का सृजन करती है। वर्ष 2016–17 के दौरान वसूली गई राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है: –

(लाख रूपए)

क्र. सं.		लेखा शीर्ष	वर्ष 2016–17 अक्तूबर, 2016 तक
क.		**सेवा प्रभार:**	
	1	**निर्यातकों को प्रमाणन** पंजीकरण, जीएसपी सेवा प्रभार, उद्गम का प्रमाण पत्र (एनपी), अन्य प्रमाणन प्रभार, एक्रलिक यार्न/ भारत–नेपाल संधि / बांगलादेश / श्रीलंका के लिए हैंडलूम प्रमाणन शुल्क, रेटिंग शुल्क, पंजीयन प्रभार, जिनिंग और प्रेसिंग कारखानों के नवीनीकरण शुल्क, जीएसपी सेवा प्रभार (जापान), सीओ सेवा प्रभार (जापान), पूर्वव्यापी प्रभाव (जापान) से मूल प्रमाण पत्र(एनपी), पूर्वव्यापी प्रभाव से जीएसपी सेवा प्रभार, जीएंडपी खर्चों की लागत पर सीसीआई अध्ययन कर रहा है, इंडिया हैंडलूम ब्रांड के लिए पंजीकरण फीस	845.78
	2	**गुणवत्ता निरीक्षण** (गुणवत्ता मूल्यांकन, बुने गए वस्त्रों का वर्गीकरण/ आरएमजी अभिप्रमाणन, गुणवत्ता मूल्यांकन (जापान)	13.03
	3	**प्रयोगशाला परीक्षण** (नमूनों के परीक्षण हेतु प्रभार, प्रयोगशाला परामर्श संबंधी शुल्क)	591.87
	4	**संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन** (आईएसओ)	4.95
	5	**प्रकाशनों की बिक्री**	0.06
	6	**प्रशिक्षण शुल्क**	0.68
	7	**फार्मों की बिक्री (जीएसपी), उद्गम का प्रमाणन (एनपी),, जी,एसपी (जापान)**	106.34
	8	**अन्य**	
	a.	**निजी संपत्ति से आय**	2.62
	b.	**हैंडलूम मार्क स्कीम**	19.68
	c.	**टीटीडीसी, मदुरै (वस्त्र परीक्षण और विकास केंद्र)**	13.81
		कुल	**1598.82**

अध्याय–15

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र

15.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस)

प्रस्तावनाः पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र विकास हेतु आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 7 नवंबर, 2013 को पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) को अनुमोदित किया। इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना में 1038.10 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय किया गया है। भौतिक अवसंरचनाओं की कमी तथा भौगोलिक रूप से अलग–अलग होने के कारण, पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में संगठित वस्त्र उद्योग की कम उपलब्धता के मद्देनजर वस्त्र मंत्रालय ने परियोजना आधारित अनुपालन रणनीति की परिकल्पना की है ताकि परियोजनाओं के डिजाइन तथा कार्यान्वयन में क्षेत्रवार लचीलापन अपनाया जा सके।

15.1.1 योजना के उद्देश्यः पूर्वोत्तर वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) का व्यापक लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग का विकास तथा आधुनिकीकरण करना है। यह कच्ची सामग्री, बीज बैंक, मशीनरी, साझा सुविधा केन्द, कौशल विकास, डिजाइन सहायता इत्यादि अपेक्षित सरकारी सहायता द्वारा हासिल किया जाएगा। इस योजना के विशेष उद्देश्यों में वस्त्र उत्पादन का मूल्य–संवर्धन, तकनीकी उन्नयन, डिजाइन क्षमता में सुधार, उत्पाद का विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, घरेलू तथा निर्यात बाजारों की बेहतर उपलब्धता, संकुलीकरण तथा श्रम उत्पादकता में सुधार शामिल हैं।

15.1.2 योजना का कार्यक्षेत्रः इस योजना में सभी वस्त्र उप–क्षेत्र, पारंपरिक गांव, हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन, जूट, संबंधित तंतु (फायबर), विद्युत चालित करघा, गारमेंट तथा मेड–अप क्षेत्र जैसे लघु उद्यम सम्मिलित है। ऐसी अवसंरचना, जो इस परियोजना का अभिन्न अंग हो या इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए अहम हो, की अनुमति दी जाएगी जबकि सड़क, बिजली, जलापूर्ति, कार्यालय भवन निर्माण जैसी अवसंरचना को इस योजना/परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।

संभावित प्रभावः इस प्रकार एनईआर–टीपीएस से यह अपेक्षा है कि यह इस क्षेत्र में प्रधानतः घरेलू वस्त्र क्षेत्र संबंधी क्रियाकलापों को व्यावसायिक तरीके पर पुनर्गठित करेगी। और इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में संगठित वस्त्र उद्योग को भारी उछाल मिलेगा।

वित्त पोषण की पद्धतिः आमतौर पर खर्च का वहन 90:10 के अनुपात में भारत

सरकार तथा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा। तथापि अंशदान के इस तरीके को ऐसी किसी परियोजना की कुल लागत का 100: सरकारी सहायता तक भी संशोधित किया जा सकता है, जहां कार्यान्वयन केन्द्रीय स्वरूप वाले तरीके से जुड़ा हो।

15.2 एनईआरटीपीएस के तहत नई पहलें: इस योजना के तहत, मंत्रालय ने रेशम उत्पादन परियोजना, हस्तशिल्प, हथकरघा इत्यादि जैसे विभिन्न वस्त्र क्षेत्रों वाली परियोजनाओं को संस्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं से पूर्वोत्तर राज्योंके वस्त्र उद्योग के पारंपरिक क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों में वस्त्र तथा परिधान निर्माण केन्द्रों की स्थापना हेतु एक उल्लेखनीय कदम उठाया गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 1 दिसम्बर, 2014 को इस योजना की घोषणा की थी।

इन आधुनिक वस्त्र तथा परिधान निर्माण केन्द्रों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ स्थापित किया जा रहा है। प्रत्येक वस्त्र तथा परिधान निर्माण केन्द्र में 3 इकाइयों सहित 100 मशीनें लगाई गई हैं तथा वस्त्र/फैशन क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उद्यमियों को 'प्लग एंड प्ले' मोड में अपनी स्टार्ट–अप इकाई लगाने हेतु सुविधाएं दी जाएंगी। परियोजना की पूरी फंडिग मंत्रालय द्वारा की जाएगी तथा प्रत्येक राज्य में इस पर 18.18 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय होगा। केन्द्रीय सहायता अगले तीन वर्षों तक वास्तविक अवसंरचना के विनिर्माण की लागत, इकाइयों के लिए मशीनरी की खरीद तथा क्षमता निर्धारण के लिए लागत वहन हेतु इस्तेमाल की जाएगी। राज्य सरकार 1.5 एकड़ भूमि के रूप में अंशदान देगी। इन केन्द्रों का उपयोग स्थानीय हथकरघा उत्पादों को फैशन परिधान बनाने में होगा। हर केन्द्र से सीधे तौर पर 1200 रोजगार मिलेगा।

नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर में अपैरल एवं परिधान निर्माण केंद्रों का पहले ही उद्घाटन किया जा चुका है तथा असम एवं मेघालय में अन्य केंद्र शुरूआत के लिए तैयार हैं और उनका उद्घाटन शीघ्र ही किया जाएगा। सभी राज्यों के लिए परियोजना क्रियान्वयन एजेसियां (पीईआईए) नियुक्त की जा चुकी हैं और उत्पादन एवं कौशल इकाइयों के लिए प्रचालन एजेंसियों का चयन भी पूर्ण होने वाला है। विभिन्न केंद्रों के उद्घाटन की तिथियां निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	राज्य	उद्घाटन की तिथि
1.	त्रिपुरा	5 अप्रैल, 2016
2.	नागालैंड	8 अप्रैल, 2016
3.	मिजोरम	4 जून, 2016
4.	अरुणाचल प्रदेश	13 सितंबर, 2016
5.	मणिपुर	27 नवंबर, 2016

15.2.1 रेशम उत्पादन

पूर्वोत्तर क्षेत्र–वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस):

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने "पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस)" नामक एक व्यापक योजना वाली परियोजना आधारित रणनीति का अनुमोदन किया है। पूर्वोत्तर वस्त्र संवर्धन योजना का व्यापक उद्देश्य है – कच्ची सामग्री, बीज बैंक, मशीनरी, साझा सुविधा केन्द्र, कौशल विकास, डिजाइन, विपणन सहायता इत्यादि के रूप में अपेक्षित सरकारी सहायता प्रदान कर पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र को विकसित करना तथा उसे आधुनिक बनाना। एनईआरटीपीएस के अंतर्गत एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी) तथा गहन बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईबीएसडीपी) नामक दो व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न रेशम उत्पादन परियोजनाएं को अनुमोदित किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन के साथ प्लांटेशन विकास से फैब्रिक के उत्पादन तक सभी आयामों में रेशम उत्पादन का समग्र विकास करना है।

इन परियोजनाओं से परियोजना अवधि के दौरान अतिरिक्त 2,285 मी.टन कच्ची रेशम तथा उसके उपरांत 1,100 मी.टन रेशम प्रति वर्ष का योगदान किए जाने की आशा है जिसके अंतर्गत 33,550 परिवारों को शामिल करते हुए 1,67,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

क. एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी)

आईएसडीपी के अंतर्गत 2014–15 से 2018–19 के दौरान असम, बीटीसी, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा 8 पूर्वोत्तर राज्यों में 584.00 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 16 रेशम उत्पादन परियोजनाओं को क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित किया है। इनके अंतर्गत त्रिपुरा के लिए रेशम प्रिंटिंग तथा प्रसंस्करण इकाई, बीटीसी के लिए भूमि से रेशम तथा नागालैंड के लिए पीसीटी की स्थापना शामिल हैं। एक और जहां 15 परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्यों द्वारा किया जाना था ताकि अभिज्ञात क्षेत्रों में किसानों/बीज कोया उत्पादकों/रीलरों/बुनकरों के स्तर पर मौजूदा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के राज्यों के प्रयासों को समेकित किया जा सके वहीं दूसरी ओर एक परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु सीएसबी के लिए बीज अवसंरचना का सृजन करना है।

नवंबर, 2016 तक मलबरी, एरी तथा मूगा क्षेत्रों के अंतर्गत 4100 हैक्टेयर के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में 3000 हैक्टेयर की खेती का विकास किया गया है। मंत्रालय ने उपर्युक्त परियोजना के लिए 179.68 करोड़ रुपए जारी किए हैं जिसकी तुलना में वर्ष 2016–17 के लिए जारी निधि सहित 127.01 करोड़ रुपए का व्यय (71:) सूचित किया गया है।

(ख) गहन बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईबीएसडीपी)

अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले बाइवोल्टाइन रेशम के उत्पादन के लिए 236.78 करोड़ रुपये की कुल लागत (भारत सरकार का अंशदान 210.41 करोड़ रुपये) के साथ सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए (मणिपुर को छोड़कर) सघन बायवोल्टिन रेशम उत्पादन विकास (आईबीएसडी) संबंधी 8 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य आगामी वर्षों में बाइवोल्टाइन रेशम के आयात को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाली बोइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन करना है। इस परियोजना में प्रत्येक कलस्टर के 2 ब्लॉक में शहतूत रोपण के अंतर्गत 200 हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल

करने का लक्ष्य है, जिसमें बुनकरों सहित प्रत्येक राज्य से लगभग 1100 महिला लाभार्थी होंगी। कुल मिलाकर इसमें शहतूत उत्पादन हेतु 4,000 एकड़ क्षेत्र, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के 8 कलस्टर के अंतर्गत लगभग 8750 महिलाएं भी होंगी, कवर करने का लक्ष्य है। रोपण विकास तथा अवसंरचना निर्माण हेतु सहायक साधनों के साथ–साथ सामाजिक जागरूकता तथा महिला समूह निर्माण भी परियोजना के अभिन्न अंग है। संवंधित राज्यों में यह परियोजनाएं अभी कार्यान्वयन के चरण में हैं।

नवंबर, 2016 तक 1600 हैक्टेयर के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में 1000 हैक्टेयर शहतूती की खेती का विकास किया गया है। मंत्रालय ने उपुर्यक्त परियोजना के लिए 110.06 करोड़ रुपए जारी किए हैं जिसकी तुलना में नवंबर, 2016 तक 46.42 करोड़ रुपए का व्यय (42%) सूचित किया गया है। आईएसडीपी और आईबीएसडीपी परियोजनाओं की स्थिति का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

एनईआरटीपीएस के अंतर्गत आईएसडीपी और आईबीएसडीपी परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरणः

I. एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी)

#	राज्य	कुल लागत (करोड़ रुपए)	भारत सरकार का हिस्सा (करोड़ रुपए)	भारत सरकार द्वारा आज तक जारी राशि (करोड़)	शामिल किए जाने वाले लाभार्थी (सं.)	परियोजना के दौरान उत्पादन (मी.ट.)
1	असम	66.67	47.42	16.11	3,265	196
2	बीटीसी	34.92	24.68	15.62	1,576	171
3	बीटीसी (आईईडीपीबी)	11.41	10.61	2.29	500	60
4	बीटीसी (भूमि से रेशम)	51.61	49.37	0.00	300	245
5	अरुणाचल प्रदेश	18.42	18.42	12.28	1,362	79
6	मणिपुर (घाटी)	149.76	126.60	38.08	2,896	450
7	मणिपुर (पहाड़ी)	30.39	24.67	7.75	1,514	68
8	मेघालय	30.16	21.91	13.87	1,466	162
9	मिजोरम	32.49	24.49	15.51	1,811	117
10	मिजोरम (आईएमएसडीपी)	13.52	12.83	1.90	600	15.86
11	नागालैंड	31.47	22.66	14.35	1,898	166
12	नागालैंड (आईईएसडीपी)	13.66	12.83	0.00	1000	72
13	नागालैंड (पीसीटी)	8.57	8.48	0.00	400	पश्च यार्न कोया एवं पश्च क्रियाकलाप
14	त्रिपुरा	47.95	33.20	21.02	3,510	275
15	त्रिपुरा (प्रिंटिंग)	3.41	3.41	2.88	--	1.50 लाख मी.ट./वर्ष
16	सीएसबी के अंतर्गत	39.60	39.60	18.00	--	30 लाख मलबरी एवं 21.50 लाख मूगा/एरी/डीएफएलएस/वर्ष
	कुल (क)	**584.00**	**481.18**	**179.68**	**24,798**	**2,076**

II. गहन बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन विकास परियेाजना (आईबीएसडीपी)

#	राज्य	कुल लागत (करोड़ रुपए)	भारत सरकार का हिस्सा (करोड़ रुपए)	भारत सरकार द्वारा आज तक जारी राशि (करोड़)	शामिल किए जाने वाले लाभार्थी (सं.)	परियोजना के दौरान उत्पादन (मी.ट.)
1	असम	29.55	26.28	14.26	1,100	29
2	बीटीसी	30.06	26.75	15.35	1,200	26
3	अरुणाचल प्रदेश	29.47	26.20	14.23	1,100	20
4	मेघालय	29.01	25.77	14.90	1,000	27
5	मिजोरम	30.15	26.88	15.70	1,100	26
6	नागालैंड	29.43	26.16	15.13	1,100	27
7	सिक्किम	29.68	26.43	5.50	1,050	27
8	त्रिपुरा	29.43	25.95	14.99	1,100	27
	कुल (ख)	**236.78**	**210.41**	**110.06**	**8,750**	**209**

15.2.2 तकनीकी वस्त्र

तकनीकी वस्त्र उच्च निष्पादन वाले वस्त्र हैं जिनमें पूर्वोत्तर के लिए व्यापक संभावना है और इन्हें कृषि, अवसंरचना विकास, ढलान अपर्दन नियंत्रण, पहाड़ों के साथ तटबंध लगाने, नदी के किनारों के कटाव को रोकने आदि जैसे क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रासंगिकता और संभावना को स्वीकार करते हुए 5 वर्षों के दौरान 482 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय से जियो टैक्निकल वस्त्रों तथा कृषि वस्त्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के विशेष फोकस के साथ दो नई प्रायोगिक योजनाओं की परिकल्पना की गई है। योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रोटैक्सटाइल्स के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना (निधि परिव्यय – 55 करोड़ रुपये)

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने 55 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि वस्त्रों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए एक योजना आरंभ की है। इस योजना को 2012 में अनुमोदित किया गया था तथा यह जून 2013 से प्रभावी हुई थी। योजना का उद्देश्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि, बागवानी, पुष्पोत्पादन उत्पादों में सुधार लाने हेतु कृषि वस्त्रों के उपयोग को प्रोत्साहन देना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रयोग के लिए ग्राहकोन्कूल कृषि वस्त्र उत्पादों का विकास करना और कृषि वस्त्र उत्पादों के प्रयोग–लाभों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी–सेटअप तैयार करना है। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत किसानों को कृषि वस्त्र किट दिए जा रहे हैं, जिसमें कृषि वस्त्र सामग्री, अनुदेश सही विधियां तथा तरीके संबंधी जानकारी इत्यादि शामिल हैं। कृषि वस्त्रों की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए यह अपेक्षित है कि उद्यमी देश में, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि वस्त्र उत्पादन इकाइयां स्थापित करेंगे।

(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो टैक्सटाइल्स के प्रयोग के लिए योजना:

यह योजना पाँच वर्षों की अवधि वर्ष 2014–15 से वर्ष 2018–19 के लिए 24.03.2015 को शुरू की गई है। इस योजना का लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना

विकास में जियो टैक्सटाइल्स का संवर्धन करना तथा उसे प्रयोग में लाना है। इसमें सड़क, पहाड़/ढलान संरक्षण तथा जलाशय संबंधी विद्यमान/ नई परियोजनाओं में जियो टेक्स्टाइल्स के प्रयोग स्वरूप किसी अतिरिक्त लागत, कोई हो तो, हेतु तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग मुहैया कराना है। राज्य सरकारों तथा संबंधित हितधारक एजेंसियों के परामर्श से परियोजनाओं को चिह्नित किया जाएगा।

इस योजना में दो घटक हैं:

- **घटक – I:** जियो टेक्निकल टेक्स्टाइल सोल्यूशन (हार्ड इंटरवेंशन)
- **घटक –II:** सॉफ्ट इंटरवेशन जैसे कार्यस्थल निरीक्षण, तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता, डिजायन समाधान, डीपीआर निर्माण, कार्य–स्थल पर निगरानी तथा परीक्षण, अभिवर्णन, निर्माण, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, जागरूकता अभियान, विपणन विकास सहयोग तथा मूल्यांकन अध्ययन इत्यादि।

15.2.3 हथकरघा

हथकरघा जनगणना 2009–10 के अनुसार, हथकरघा क्षेत्र देश में 23.77 लाख हथकरघों पर कार्य कर रहे 43.31 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है जिनमें से 21.60 लाख बुनकर और 15. 50 लाख हथकरघे पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं। राष्ट्रीय रूझान की तुलना में, पूर्वोत्तर राज्यों में बुनकरों की संख्या 14.60 लाख बुनकर (1995 में) से बढ़कर 15.10 लाख बुनकर हो गयी (जनगणना 2009–10)। पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकांश करघे घरेलू उपयोग के लिए लगाए जाते हैं जबकि अत्यंत कम करघों को घरेलू एवं वाणिज्यिक उपयोग, दोनों के लिए लगाया जाता है। इसका कारण यह है कि हथकरघा बुनाई पूर्वोत्तर के सभी सामाजिक वर्गों की संस्कृति का साझा तत्व है। वर्ष 2009–10 की जनगणना के अनुसार, कुल बुनकरों की संख्या में महिला बुनकरों की संख्या पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक है।

क्षेत्र में डिजायन–विकास तथा बुनकरों को सूचना प्रदान करने के लिए गुवाहाटी, अगरतला तथा इम्फाल में तीन बुनकर सेवा केन्द्र (डब्ल्यूएससी) कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, नगालैंण्ड तथा मिज़ोरम में दो नए बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। गुवाहाटी स्थित भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) तकनीकी रूप से प्रशिक्षित श्रमशक्ति मुहैया कराता है।

(i) हथकरघा क्षेत्र हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलसमिति (सीसीईए) ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1038.10 रुपये के कुल परिव्यय से वस्त्र मंत्रालय की एक व्यापक योजना के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।

हथकरघा क्षेत्र संबंधी 'एनईआरटीपीएस' का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र का विकास तथा आधुनिकीकरण करना है। इसमें तकनीकी उन्नयन, डिजायन क्षमता में सुधार, प्रोडक्ट लाईन का विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, घरेलू तथा विदेश बाजार तक सुगमता, संकुलीकरण तथा श्रम उत्पादकता में सुधार के जरिए रोजगार तथा वस्त्र उत्पादों के मूल्य में

संवर्धन हेतु अपेक्षित सरकारी सहायता मुहैया कराना है। इस योजना में पूर्वोत्तर राज्य सरकारों की महती भूमिका की परिकल्पना की गई है, जिसके तहत योजना का प्रचार, हितधारकों की बैठक, परियोजना प्रस्ताव का निर्माण, प्रगति की निगरानी, अपेक्षित मंजूरी प्रदान करना, भू–प्रापण तथा अपेक्षित श्रम वातावरण उपलब्ध कराने जैसे कार्यकलाप सम्मिलित हैं।

प्रस्तावित योजना में तीन प्रमुख श्रेणी के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगीः (प) तकनीकी उन्नयन; (पप) डिजायन विकास सहित क्लस्टर विकास परियोजना तथा (पपप) पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र के संपूर्ण विकास हेतु हथकरघा उत्पादों का विपणन। साथ ही, ऐसी परियोजनाओं के लागू होने से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार तथा आय सृजन के काफी अवसर मिलेंगे।

परियोजना अनुमोदन तथा निगरानी समिति (पीएएमसी) ने हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए श्रेणीवार लागत का अनुमोदन किया है, जैसे क्लस्टर विकास परियोजना रुपये 135.56 करोड़ रुपये, प्रौद्योगिकी उन्नयन 47.63 करोड़ रुपये तथा हथकरघा उत्पादों का विपणन हेतु 67.50 करोड़ रुपये।

(ii) एनईआरटीपीएस के अंतर्गत स्वीकृत विपणन कार्यक्रम और जारी की गई निधियां

विपणन सहायता

विपणन सहायता के लिए, भारत सरकार विपणन कार्यक्रम यथा राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो आयोजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। निर्यात संवर्धन योजना के तहत विभिन्न पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य नाम	2013-14		2014-15		2015-16	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	असम	0.03	0.58	0.11	2.12	0.08	3.20
3	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	मणिपुर	0.01	0.19	0.02	0.19	0.00	0.54
5	मिजोरम	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
6	नगालैंड	0.01	0.19	0.02	0.52	0.02	0.73
7	त्रिपुरा	0.01	0.19	0.03	0.75	0.03	0.58
8	सिक्किम	0.01	0.18	0.03	0.91	0.03	0.95
	कुल	**0.07**	**1.33**	**0.22**	**4.49**	**0.16**	**6.00**

(iii) यार्न आपूर्ति योजना

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) सहित पूरे देश में यार्न आपूर्ति योजना को लागू किया गया है। इस क्षेत्र के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र को यार्न आपूर्ति योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विशेष सुविधा प्रदान की जाती है जहां भाड़ा प्रतिपूर्ति की दर इस क्षेत्र में दुर्गम भू–भाग के मद्देनजर अन्य राज्यों की तुलना में उस स्थिति में अधिक होती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में ढुलाई हेतु यार्न आपूर्ति योजना के अंतर्गत अनुमत्य प्रतिपूर्ति की दर निम्नानुसार हैः

(आपूर्ति किए गए यार्न के मूल्य का %)

क्षेत्र	भाड़ा		
	रेशम / पटसन यार्न के अलावा	रेशम यार्न	पटसन / पटसन मिश्रित यार्न
मैदानी क्षेत्रों में	2.5%	1%	10%
पहाड़ी / दूर–दराज के क्षेत्रों में	2.5%	1.25%	10%
पूर्वोत्तर क्षेत्र में	5%	1.50%	10%

यार्न आपूर्ति योजना के तहत 2012–13 से आगे पूर्वोत्तर क्षेत्र में यार्न की आपूर्ति निम्न प्रकार से रही है:

वर्ष	मात्रा (लाख किलोग्राम)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
2012-13	2.696	12.46
2013-14	2.966	11.75
2014-15	2.69	1430.10
2015-16	2.70	1584.90
2016-17 (20 अक्तूबर, 2016 तक)	0.963	1124.97

15.2.4 हस्तशिल्प

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय सर्वांगीण तरीके से हस्तशिल्प क्षेत्र का विकास करने के एकीकृत उपाय पर बल देने के लिए **'राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)'** नामक एक व्यापाक योजना के अंतर्गत हस्तशिल्प क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाता है।

योजनाओं का ब्यौरा

(i) अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई)

इस योजना का उद्देश्य सदस्यों की प्रभारी भागीदारी तथा परस्पर सहयोग के सिद्धांत पर हस्तशिल्प कलस्टरों को पेशेवर रूप में विकसित करना तथा उन्हें आत्म–निर्भर सामुदायिक उद्यम के रूप में भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। इस योजना का बल परियोजना आधारित, हस्तकारों की भागीदारी के माध्यम से हस्तशिल्प क्षेत्र के सतत विकास हेतु आवश्यकता आधारित समेकित उपाय करना है जिससे कारीगरों का सशक्तीकरण हो।

(ii) डिजाइन तथा तकनीकी उन्नयन

इस योजना का उद्देश्यः– अभिनव डिजायन का विकास, विदेशी बाजारों के लिए प्रोटोटाईप उत्पाद, जीर्ण–शीर्ण पड़े शिल्प का पुनरूद्धार, धरोहर संरक्षण उपाय इत्यादि के माध्यम से शिल्पकारों के कौशल का विकास। योजना में निम्नलिखित घटक हैं:–

1. डिज़ाइन तथा तकनीकी उन्नयन विकास संबंधी कार्यशाला
2. समेकित डिजायन तथा तकनीकी विकास परियोजना
3. डिज़ाइन प्रोटोटाईप हेतु निर्यातकों तथा उद्यमियों को सहायता।
4. डिज़ाइन, रूझान तथा तकनीकी रंग पूर्वानुमान के जरिए व्यावसायिक बाजार जानकारी।

(iii) मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) योजना का लक्ष्य हस्तशिल्प क्षेत्र को योग्य तथा प्रशिक्षित श्रमबल मुहैया कराना है। यह श्रमशक्ति उत्पादन आधार को मजबूरी देगी, जिससे आज के बाजार की जरूरतों के हिसाब से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण होगा। यह योजना अपने घटकों के माध्यम से प्रासंगिक जानकारी प्रदान कर हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए एक प्रशिक्षित डिजायनर वर्ग तैयार कर मानव

पूंजी का सृजन करने का लक्ष्य रखती है। इसमें शिल्पकारों को आवश्यक कौशल प्रशिक्षण दिए जाने की भी व्यवस्था है जिससे वे सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय चलाने में समर्थ हो सकें।

1) स्थापित संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण
2) हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम
3) गुरू–शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रशिक्षण
4) प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण
5) डिज़ाइन मेंटरशिप और अप्रेंटिस कार्यक्रम

(iv) कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ

इस योजना में स्वास्थ्य और जीवन बीमा, मान्यता, ऋण सुविधाएं प्रदान करने, कारीगरों को औजार तथा उपकरण आदि की आपूर्ति जैसे कल्याणकारी उपायों की परिकल्पना की गई है। प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं:

1) राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना (आरजीएसएसबीवाई)
2) हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना (आम आदमी बीमा योजना – एएबीवाई)
3) कठिन परिस्थितियों में कारीगरों को सहायता
4) ऋण गारंटी योजना
5) ब्याज आर्थिक सहायता योजना
6) पहचान पत्र जारी करना और डाटा बेस का निर्माण
7) उपकरणों, सुरक्षा उपकरणों, करघों, फर्नेस आदि की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता
8) हस्तशिल्प क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए शिल्प गुरू पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राष्ट्रीय गुणता प्रमाण पत्र।

(v) अवसंरचना तथा प्रौद्योगिकी विकास

अपेक्षित प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, डिज़ाइन का विकास, कच्ची सामग्री बैंक और यथा संभव निकटतम क्षेत्र में विपणन तथा संवर्धन सुविधाएं सुनिश्चित करना एवं देश में कुशल व्यक्तियों के संशाधन पूल में सुधार करना। इस योजना का उद्देश्य हस्तशिल्प उत्पादन में सहायता प्रदान करने के लिए देश में विश्वस्तरीय ढांचा तैयार करना और उत्पाद की गुणवत्ता तथा लागत में वृद्धि करना है ताकि वे विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सकें।

(vi) विपणन सहायता एवं सेवाएं

हस्तशिल्प का संवर्धन और विपणन करने के लिए बडे शहरों/राज्य की राजधानियों/पर्यटन स्थलों अथवा वाणिज्यिक हित/अन्य स्थलों में घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय शिल्प प्रदर्शनियों/संगोष्ठियों के आयोजन/ प्रतिभागिता के लिए विभिन्न पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(vii) अनुसंधान और विकास

अनुसंधान और विकास योजना महत्वपूर्ण शिल्पों के बारे में सर्वेक्षण तथा अध्ययन करने और हस्तशिल्प के विनिर्दिष्ट पहलुओं और समस्याओं का गहन विश्लेषण करने के लिए शुरू की गई थी ताकि नीतिगत आयोजना में सहायता प्रदान करने के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान की जा सके और जारी पहलों के संबंध में बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके और इस कार्यालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सके।

अध्याय–16

नागरिकों / ग्राहकों का चार्टर (सीसीसी)

16.1 विजनः

अत्याधुनिक उत्पादन क्षमताओं का निर्माण करना एवं विनिर्माण में विशिष्ट वैश्विक स्थान प्राप्त करना और तकनीकी वस्त्र, पटसन, रेशम, कपास एवं ऊन सहित सभी प्रकार के वस्त्रों का निर्यात करना तथा सतत आर्थिक विकास के लिए एक जीवंत हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र का विकास करना और इन क्षेत्रों में प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं संरक्षण प्रदान करना।

16.2 मिशनः

वस्त्र एवं अपैरल उत्पादन में 12: का सीजीएआर प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित वृद्धि करना, तकनीकी वस्त्र, पटसन, रेशम और ऊन सहित वस्त्र की सभी किस्मों का प्रौद्योगिकी उन्नयन करना, 5 वर्षों में 15. 00 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ सभी वस्त्र कामगारों, हथकरघा बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों का कौशल का विकास करना, सभी बुनकरों और कारीगारों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और बीमा सुरक्षा आसानी से प्रदान करना, वस्त्र और हस्तशिल्प की सभी किस्मों का निर्यात करना ताकि 15 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की जा सके और वस्त्र और अपैरल के विश्व निर्यात में भारती की हिस्सेदारी में वृद्धि की जा सके।

16.3 मुख्य सेवाएं / संव्यवहार और सेवा मानक

वस्त्र मंत्रालय वस्त्र उद्योग के विकास और वृद्धि के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं को नीतिगत सहायता प्रदान करता है और उन्हें कार्यान्वित करता है। हम निम्नलिखित सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध हैंः

(I) मुख्य सेवाए/संव्यवहार

क्र सं.	सेवाए/ संव्यवहार	अधिमान (%)	उत्तरदायी अधिकारी और पदनाम	ईमेल	मोबाइल फोन नं0	शामिल प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	भुगतान किया जाने वाला शुल्क
1	वस्त्र मंत्रालय के कार्य कार्य क्षेत्र के भीतर अधिकारियों की नियुक्ति	2.0	श्री केशव कुमार निदेशक	keshav.kr.76@nic.in	011-23061537	i) मंत्रालय द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत पप) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति	http://minis tryoftextiles .gov.in में उपलब्ध जांच सूची के अनुसार	लागू नहीं
2	(i) केन्द्रीय रेशम बोर्ड का गठन/पुनर्गठन (ii) कन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य क्षेत्र के भीतर अध्यक्ष/निदेशक (वित्त)/अधिकारियों की नियुक्ति।	2.0	श्री एस.आर. गायकवाड़, निदेशक	sushil.rg@nic.in	011-23061003	i) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत। ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति।	http://minis tryoftextiles .gov.in में उपलब्ध जांच सूची के अनुसार	लागू नहीं
3	i) सीसीआईसी बोर्ड/समितियों/ निदेशक मंडल का गठन/पुनर्गठन। ii) सीसीआईसी के कार्यक्षेत्र के भीतर महानिदेशक/ सीवीऔ/प्रबंध निदेशक/सचिव/ अधिकारियों की नियुक्ति	4.0	श्री ए.के. शर्मा, उप सचिव	ak.sharma 59@nic.in	011-23063736	i) सी सी आई सी द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत। ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति।	http://minis tryoftextiles .gov.in में उपलब्ध जांच सूची के अनुसार	लागू नहीं
4	i) एसवीपीआईएस टीएम के बोर्ड/समितियों/ निदेशक मंडल का गठन पुनर्गठान। ii) एसवीपीआई– एसटीएम के कार्यक्षेत्र के भीतर महानिदेशक/ सीवीओ/प्रबंध निदेशक/सचिव/ अधिकारियों की नियुक्ति	4.0	श्री एस.आर. गायकवाड़, निदेशक	Sushil. rg@nic.in	23061003	i) एसवीपीआईएसटी एम द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत। ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति।	http://minis tryoftextiles .gov.in में उपलब्ध जांच सूची के अनुसार	लागू नहीं

क्र सं.	सेवाए / संव्यवहार	अधिमान (%)	उत्तरदायी अधिकारी और पदनाम	ईमेल	मोबाइल फोन नं0	शामिल प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	भुगतान किया जाने वाला शुल्क
5	i) वस्त्र समिति के बार्ड / समितियों / निदेशक मंडल का गठन / पुनर्गठन	2.0	श्री एस.पी. कतनौरिया, निदेशक	Sp.katnauria @nic.in	23061142	i) वस्त्र समिति द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्रप्ति।	http://minis tryoftextiles. gov.in में उपलब्ध जांच सूची के अनुसार	लागू नहीं
5a	ii) वस्त्र समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर महानिदेशक / सीवीओ / प्रबंध निदेशक / सचिव / अधिकारियों की नियुक्ति		श्री एस.पी. कतनौरिया, निदेशक	sp.katnauria @nic.in	011-23061142	i) वस्त्र समिति द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्रप्ति।	http://minis tryoftextiles .gov.in में उपलब्ध जांच सूची के अनुसार	लागू नहीं
6	i) निफ्ट के बोर्ड / समितियों / निफ्ट के शासक मंडल (बीओजी), निदेशक मंडल का गठन / पुनर्गठन ii) निफ्ट के कार्यक्षेत्र के भीतर महानिदशक / सीवीओ / प्रबंधक निदेशक / सचिव / अधिकारियों की नियुक्ति	2.0	श्री नीरव कुमार मलिक, निदेशक	neerav kr@nic in	23063728	i) निफ्ट द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्रप्ति।	http://minis tryoftextiles. gov.in में उपलब्ध जांच सूची के अनुसार	लागू नहीं
7	i) पटसन क्षेत्र के निदेशक मंडल का गठन / ii) जेटीएम के कार्यक्षेत्र के भीतर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति	2.0	श्री एस.आर. गायकवाड़, निदेशक	sushil.rg@ni c.in	23061003	i) जेटीएम द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत। ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति।	http://minis tryoftextiles. gov.in में उपलब्ध जांच सूची के अनुसार	लागू नहीं
8	बीआईसी के कार्यक्षेत्र के भीतर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशक–(तकनीकी) / (विपणन / वित्त / (मानव संसाधन) / सीवीओ एवं अन्य निदेशकों की नियुक्ति	1.0	श्री एस.पी.कतनौरिया, निदेशक	sp.katnauria @nic.in	011-23061142	i) बीआईसी द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति।	http://minis tryoftextiles. gov.in में उपलब्ध जांच सूची के अनुसार	लागू नहीं

क्र सं.	सेवाए/ संव्यवहार	अधिमान (%)	उत्तरदायी अधिकारी और पदनाम	ईमेल	मोबाइल फोन नं0	शामिल प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	भुगतान किया जाने वाला शुल्क
9	एनटीसी के कार्यक्षत्र के भीतर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (तकनीकी/(विपणन) /(वित्त) मानव संसाधन/ सीवीओं एवं अन्य निदेशकों की नियुक्ति	1.0	श्री नीरव कुमार मलिक, निदेशक	neeravkr@nic.in	011-23063728	i) एनटीसी द्वारा प्रक्रिया की शरूआत ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति।	http://ministryoftextiles.gov.in में उपलब्ध जांच सूची के अनुसार	शून्य
10	अनुदान प्राप्तकर्ताओं को सहायकता अनुदान जारी करना	2.0	श्रीमती पुष्पा सुब्रह्मण्यम, अपर सचिव	pushpa.s@nic.in	011-23062326	निधियों को जारी करने के लिए आईएफडी की सहमति से संस्वीकृति आदेश जारी करना	अनुमोदान के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति	शून्य
11	पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 पेजीएम अधिनियम) के तहत निरस्तीकरण आदेश	10.0	श्री एस.आर. गायकवाड, निदेशक	sushil.rg@nic.in	23061003	(i) पटसन आयुक्त से टिप्पणियां निविष्टि प्रदान करना (ii) प्रस्ताव की जांच (iii) आदेश जारी करना	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से प्रस्ताव	शून्य
12	(i) विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदनों की प्रोसेसिंग. (ii) एकीकृत वस्त्र पार्कों के लिए योजना (एसआईटीपी) के तहत अनुमोदित प्रस्तावों की संस्वीकृति जारी करना।	10	श्री एस.पी. कतनौरिया, निदेशक सुश्री जया दुबे, निदेशक	011-23061142 011-23061865	23061003	i) विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदनों की प्रोसेसिंग ii) स्वीकृत प्रस्तावों की संस्वीकृति जारी करना	एसपीवी से प्रस्तावों की प्राप्ति	शून्य
13	एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) के तहत आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए लिया गया अधिकतम समय और अनुमोदित पाठ्यक्रमों की स्वीकृति जारी करना ।	10.0	श्री केशव कुमार, निदेशक	keshav. kr.76@nic. in	011-23061537	i) कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए आवेदनों की प्रोसेसिंग हेतु लिया गया अधिकतम समय ii) अनुमोदित पाठ्यक्रमों की स्वीकृति जारी करना. iii) जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने में लिया गया औसत समय	अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति ।	शून्य

क्र सं.	सेवाए / संव्यवहार	अधिमान (%)	उत्तरदायी अधिकारी और पदनाम	ईमेल	मोबाइल फोन नं0	शामिल प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	भुगतान किया जाने वाला शुल्क
14	बैंकोंध्लाभार्थियों को टीयूएफएस के तहत सब्सिडी जारी करना.	10.0	सुश्री जया दुबे, निदेशक	jaya.dubey @nic.in	011-23061142	(i) वस्त्र आयुक्त के कार्यालय से प्राप्त दावों की प्रोसेसिंग. (ii) बैंकों को संस्वीकृति जारी करना (iii)वेतन एवं लेखा अधिकारी को बिल भेजना (iv) आर जी टी एस के माध्यम से निधियों का अंतरण	अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति ।	शून्य
15	तकनीकी वस्त्र उत्पादों के रूप में मान्यता दिए जाने हेतु डीजीएफटी को एचएस कोड भेजना.	10.0	श्री ए.के. शर्मा, उप सचिव	ak. sharma 59@ nic.in	23063736	(i) संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एचसएन उप समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार करना जो एचएस कोड की सूची को अनुमोदन और मान्यता देती है और कूटों को व्यापार डाटा के उद्देश्य से निगरानी हेतु मान्यता के लिए डीजीएफटी को संस्तुत करती है ।	(i) पणधारकों जैसे कि वस्त्र समिति, सीईओ, उद्योग के व्यापारियों, आदि से प्रस्ताव	शून्य
16	संबंधित मंत्रालयों को एसएफसी ध्ईएफसी टिप्पणियों ध्मंत्रिमंडल टिप्पणियों पर राय	10.0	श्री केशव कुमार निदेशक	keshav.kr.76 @nic.in	011-23061537	प्रशासन प्रभाग से प्रस्तावों की प्राप्ति । प्रस्ताव की एकीकृत वित्त खंड में जांच और यदि कोई कमी है तो उसके बारे में पूछताछ करना।	समय–समय पर योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार	शून्य
17	वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा बिलों का भुगतान	2.0	श्रीमती नीलम एस. कुमार, मुख्य लेखा नियंत्रक	शून्य	011-23061622	बिलों की जांच, चेकध्डिमांड ड्राफ्ट जारी करना	अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति	शून्य
18	सीपीएओ को पेंशन प्राधिकार का प्रेषण	2.0	श्रीमती नीलम एस. कुमार, मुख्य लेखा नियंत्रक	शून्य	011-23061622	सेवा पुस्तिकाओं की जांच, पेंशन की गणना, पीपीओ तैयार करना और जारी करना	सेवा पुस्तिका, सतर्कता अनापत्ति, पेंशन के कागजात आदि	शून्य

क्र सं.	सेवाए / संव्यवहार	अधिमान (%)	उत्तरदायी अधिकारी और पदनाम	ईमेल	मोबाइल फोन नं0	शामिल प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	भुगतान किया जाने वाला शुल्क
19	जीपीएफ खाते का वार्षिक विवरण जारी करना	2.0	श्रीमती जयश्री शिवकुमार, अवर सचिव	Jaya.shiva@nic.in	23062256	तय समय पर प्रविष्टि, ब्याज की गणना, वार्षिक विवरणों को तैयार करना और जारी करना	-	शून्य
20	मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों का निवारण	16.0	श्री केशव कुमार निदेशक	keshav.kr76@nic.in	23061537	i) शिकायतों की पावती के लिए लिया गया समयय ii) केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की पावती में लिया गया समय iii) शिकायत को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को भेजने के लिए लिया गया समय iv) आवेदक को उत्तर देने के लिए लिया गया समय	अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से संपूर्ण शिकायत प्रस्ताव की प्राप्ति	शून्य

(ii) सेवा मानक

क्र.सं.	सेवाए / संव्यवहार	महत्व	सफलता संचेतक	सेवा मानक	इकाई	महत्व	आंकड़ों का स्रोत
1	वस्त्र मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के भीतर अधिकारियों की नियुक्ति	2.0	i) मंत्रालय द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत	30	दिन	1.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
			ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से लिया गया अधिकतम समय।	15	दिन	1.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
2	(i) केन्द्रीय रेशम बोर्ड का गठनध्पुनर्गठन	2.0	i) विद्यमान बोर्डध्समिति की समाप्ति से 6 माह पूर्व विभिन्न बोर्डों / समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करना ।	180	दिन	1.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
	(ii) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यक्षेत्र के भीतर अध्यक्ष / निदेशक (वित्त) / अधिकारियों की नियुक्ति		ii) नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू करना	30	दिन	0.5	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
			iii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से लिया गया अधिकतम समय।	60	दिन	0.5	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर

क्र.सं.	सेवाए/संव्यवहार	महत्व	सफलता संचेतक	सेवा मानक	इकाई	महत्व	आंकड़ों का स्रोत
3	(i) बार्डों/समितियों निफ्ट के शासक मंडल (बीओजी/सीसीआईसी के निदेशक मंडल/वस्त्र समिति/एसवीपीआईएसटीएम का पुनर्गठन	2.0	(i) विभिन्न बोर्डों/समितियों के गठन की प्रक्रिया मौजूदा बोर्ड/समिति की अवधि समाप्त होने से छः माह पूर्व शुरू करना	180	दिन	4.0	अनुभाग डायरी/प्रेषण रजिस्टर
	(ii) निफ्ट/सीसीआईसी/वस्त्र समिति/एसवीपीआईएसटीएम के कार्यक्षेत्र के भीतर कहा निदेशक/सीवीओ/प्रबंध निदेशक/सचिव/ अधिकारियों की नियुक्ति		(ii) नियुक्तियों के लिए कार्रवाई आरंभ करना	60	दिन	2.0	अनुभाग डायरी/प्रेषण रजिस्टर
4	(i) पटसन सेक्टर के निदेशक मंडल निदेशक मंडल का गठन/पुनर्गठन	2.0	(i) मौजूदा बोर्ड/समिति की अवधि समाप्त होने से 6 माह पूर्व विभिन्न बोर्डों/समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ करना	180	दिन	1.0	अनुभाग डायरी/प्रेषण रजिस्टर
	(ii) जेटीएम के कार्यक्षेत्र के भीतर एनजेएमसी में मुख्य प्रबंधक निदेशक/अधिकारियों की नियुक्ति		(ii) नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया आंरभ करना	30	दिन	0.5	अनुभाग डायरी/प्रेषण रजिस्टर
			(iii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से लिया गया अधिकतम समय	60	दिन	0.5	अनुभाग डायरी/प्रेषण रजिस्टर
5	एनटीसी/बीआईसी के कार्य क्षेत्र के भीतर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक निदेशक/निदेशक (तकनीकी/एचआर/(वित्त/एचआर/सीवीओ और अन्य निदेशकों की नियुक्ति	2.0	(i) नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया आंरभ करना	30	दिन	1.0	अनुभाग डायरी/प्रेषण रजिस्टर
			(ii) अनुमोदन के साथ सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव के प्राप्त होने की तारीख से लिया गया अधिकतम समय	60	दिन	1.0	अनुभाग डायरी/प्रेषण रजिस्टर
6	अनुदान ग्राहियों के सहायतार्थ अनुदान जारी करना	2.0	निधियों को जारी करने के लिए आईएफडी की सहमति के बाद स्वीकृति आदेश जारी करना	30	दिन	2.0	
7	जूट पैकेज सामग्री (वस्तु) पैकिंग का अनुवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (जेपीएम अधिनियम) के अंतर्गत मंदन आदेश	10.0	सभी प्रकार के पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से लिया गया अधिकतम समय	15	दिन	10.0	अनुभाग डायरी/प्रेषण रजिस्टर
8	(i) विज्ञापन के उत्तर में आवेदन को प्रोसेस करना	10.0	i) विज्ञापन के उत्तर में आवेदन को प्रोसेस करना	40	दिन	5.0	अनुभाग डायरी/प्रेषण रजिस्टर
			ii) अनुमोदित प्रस्तवों की स्वीकृति जारी करना	30	दिन	5.0	अनुभाग डायरी/प्रेषण रजिस्टर

क्र.सं.	सेवाए / संव्यवहार	महत्व	सफलता संचेतक	सेवा मानक	इकाई	महत्व	आंकड़ों का स्रोत
9	एकीकृत कौशल विकास योजनाओं (आईएसडीएस) के अंतर्गत आवेदन को प्रोसेस करने और अनुमोदित पाठ्यक्रम की स्वीकृति जारी करने के लिए लिया गया अधिकतम समय	10.0	i) कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए आवेदन को प्रोसेस करने हेतु लिया गया अधिकतम समय	90	दिन	6.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
			ii) अनुमोदित प्रस्तावों की स्वीकृति जारी करना	30	दिन	2.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
			iii) जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए लिया गया औसत समय	30	दिन	2.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
10	बैंकों / लाभार्थियों टीयूएफएस के अंतर्गत सब्सिडी जारी करना	10.0	सब्सिडी जारी करने में लिया गया औसत समय	90	दिन	10.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
11	तकनीकी वस्त्र उत्पादों के रूप में मान्यता दिए जाने हेतु डीजीएफटी को एचएस कोर्ड अग्रेषित करना	10.0	प्रस्तावों पर विचार करने हेतु लिया गया औसत समय	30	दिन	5.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
			वस्त्र समिति, सीओई, उद्योग व्यापारियों आदि जैसे स्टेक होल्डरों से प्रस्ताव	15	दिन	5.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
12	संबंधित मंत्रालयों को एसएफसी / ईएफसी टिप्पणियों / मंत्रिमंडल टिप्पणियों पर अभिमत	10.0	प्रस्ताव प्राप्त होने पर लिया गया अधिकतम समय	15	दिन	10.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
13	वेतन तथा लेखा कार्यालय द्वारा बिलों का भुगतान	2.0	सभी प्रकार` पूर्ण प्रस्तावों को प्राप्त होने की तारीख से लिया गया अधिकतम समय	7	दिन	2.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
14	सीपीएओ को पेंशन प्रधिकार का प्रेषण	2.0	सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों को प्राप्त होने की तारीख से लिया गया अधिकतम समय	30	दिन	2.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
15	जीपीएफ खाते का वार्षिक विवरण को जारी करना	2.0	विवरण को जारी करने की अंतिम तारीख	आगले वर्ष के अगस्त माह की 31 तारीख		2.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
16	मंत्रालय के प्राप्त शिकायतों का निवारण	16.0	i) शिकायतों की पावती भेजने के लिए लिया गया समय	4	दिन	4.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
			ii) केन्द्रीकृत लोक शिकयत निवारण और मानीटरिंग निवारण और मानीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से प्राप्त शिकयतों की पावती देने के लिए लिया गया समय	2	दिन	4.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
			iii) आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधिक अधिकारी को शिकयत अग्रेषित करने हेतु लिया गया समय	7	दिन	4.0	अनुभाग डायरी / प्रेषण रजिस्टर
			iv) आवेदक को उत्तर देने के लिए लिए लिया गया समय	60	दिन	4.0	

टिप्पणी : जहां कहीं सेवा मानकों को 7 दिन या इससे कम के रूप में सूचित किया जाता है, वहां केवल कार्य दिवसों को ही गिना जाएगा।

समग्र वस्त्र उद्योग को शामिल करते हुए उप क्षेत्रों के बारे में नागरिकों को सेवाएं जिम्मेवार केन्द्रों द्वारा तैयार किए गए नागरिक चार्टरों के माध्यम से जिम्मेवार केन्द्रों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। किसी भी कमी/विवाद के मामले में नागरिक जिम्मेवार केन्द्रों में जा सकते हैं और यदि वे संतुष्ट न हों तो उपरोक्त सेवा मानकों के अनुसार मंत्रालय से आवेदन कर सकते हैं ।

16.4 शिकायत निवारण तंत्रः

वस्त्र मंत्रालय ने जनता की शिकायतों को ऑनलाइन प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए अपनी वैबसाइट http//ministryoftextiles-gov-in पर एक शिकायत निवारण पोर्टल (सीपीजीआरएएम) विकसित किया है। इस प्रणाली को इस ढंग से तैयार किया गया है ताकि जनता की शिकायतों पर कार्रवाई करने वाले संगठनों की ओर से कम कागजी कार्य शामिल हो।

प्रणाली के अनुसार कोई नागरिक 'लोक शिकायत' लिंक के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय की वैबसाइट का अवलोकन कर सकता है और अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। मंत्रालय में नोडल अधिकारी अपने प्रयोक्ता एकाउंट में लॉग इन कर अपने विषयों से संबंधित शिकायतों को हासिल करता है और निवारण हेतु कार्रवाई करता है। यदि शिकायत मंत्रालय के अधीन किसी संगठन से संबंधित होती है, तो नोडल अधिकारी उसे संबंधित संगठन को ऑन लाइन अंतरित कर देता है। इस समय मंत्रालय के अधीन निम्नानुसार 18 संगठनों को शिकायत निवारण तंत्र में शामिल किया गया हैः

क्र. सं.	कार्यालय का नाम
1.	विकास आयुक्त (हथकरघा)
2.	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
3.	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई
4.	भारतीय पटसन निगम लि., कोलकाता
5.	पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता
6.	भारतीय पटसन निगम लि., कोलकाता
7.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉर्पोरेशन, कोलकाता
8.	दि ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन, कानपुर
9.	नेशनल टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन लि., नई दिल्ली
10.	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., नई दिल्ली
11.	दि हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्टस कारपोरेशन आफ इंडिया लि.,नई दिल्ली
12.	भारतीय कपास निगम लि., मुंबई
13.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि., लखनऊ
14.	केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर
15.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरू
16.	राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान, नई दिल्ली
17.	सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन स्कूल, कोयम्बटूर
18.	वस्त्र समिति, मुंबई

जिम्मेवार केन्द्रों द्वारा प्रतिबद्धता को पूरा न किए जाने/शिकायतों का निवारण न किए जाने की स्थिति में प्रयोक्ता उचित कार्रवाई हेतु निम्नलिखित पते पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं अथवा व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं:

क्र. सं.	कार्यालय	लोक/कर्मचारी शिकायत	पता एवं दूरभाष
1.	वस्त्र मंत्रालय	डा. सुब्रत गुप्ता, संयुक्त सचिव (लोक शिकयत)	कमरा नं. 232, उद्योग भवन, नई दिल्ली – 110011 फोन : 011–23063192 ईमेल: subrata.gupta@ias.nic.in
2.	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	श्री सुभाशीष बनर्जी, अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	वेस्ट ब्लॉक–7, आर.के.पुरम, नई दिल्ली – 110066 फोन – 011–26191569, 26106902 फैक्स: 011-26163085 ईमेल: dchejs@nic.in
3.	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	श्री सुरेश चन्द्र, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी)	विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली – 110011 फोन : 011-23061976 (कार्यालय) फैक्स: 011-23063866 ईमेल: suresh.chandra57@nic.in
4.	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई	श्री एस. बालाराजू, अपर वस्त्र आयुक्त	न्यू सी.जी.ओ. बिल्डिंग, 48, न्यू मैरीन लाइन्स मुंबई–400 020 ईमेल: textilec@gmail.com फोन : 22-22014554 फैक्स: 22-22034134
5.	पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता	श्रीमती चन्द्रानी गुप्ता, आईईएस, उप–निदेशक (ईएंडएफ)	सीजीओ कॉम्पलैक्स, तीसरी एमएसओ बिल्डिंग, चौथा तल, डीएफ ब्लॉक, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता– 700 064 फोन : (033) 2337-6971, 2337-6970, फैक्स: 033-2337-6972, 6973, 6974/75. ईमेल: jcoffice@jutecomm.gov.in Website: www.jutecomm.gov.in
6.	राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता	श्री सुशांत पाल, प्रधान प्रचालन अधिकारी	3ए, तथा 3बी, पार्क प्लाजा, 71 पार्क स्ट्रीट, कोलकाता–700 016 फोन : 033-2226-3438 /2217-2107 फैक्स: 033-2217-2456 ईमेल: jute@njbindia.in Website:www.jute.com www.njbindia.com

क्र. सं.	कार्यालय	लोक/कर्मचारी शिकायत	पता एवं दूरभाष
7.	भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (जेसीई) कोलकाता	श्री अनिंदा मजूमदार, व्यापार विकास प्रबंधक	15 एन नेल्लई सेनगुप्ता सरनी कोलकाता – 700087 फोन : 033-22527027 / 7028 / 6770 फैक्सः 033-2252 6771 / 6890 ईमेलः jutecorp@vsnl.net Website:www.jci.gov.in
8.	नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन (एनजेएमसी) कोलकाता	श्री टी. के चक्रबर्ती, कार्यकारी (एचआर)	चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, दूसरा तल, 4 नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता : 700087 फोन : 033- 22306434 फैक्सः 033-22305103 ईमेलः njmc_corp@yahoo.co.in Website:www.njmc.gov.in
9.	सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन स्कूल, कोयम्बटूर	डॉ. सी. रमेश कुमार, निदेशक	1483, अविनाशी रोड, पीलामेडू, कोयम्बटूर – 641 004 फोन : 0422-2571675, 2592205 ईमेलः director@svpitm.ac.in Web: www.svpistm.ac.in
10.	नेशनल टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली	श्री राम गोपाल, वरिष्ठ प्रबंधक	नेशनल टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन लि., स्कोप कॉम्पलैक्स, कोर–IV, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 फोन : 011-24360892 मो0 : 9654642685 ईमेलः ntcqnd@de12.vsnl.net.in
11.	भरतीय कपास निगम लिमिटेड, मुंबई	श्री एम.के. चौक्कालिंगम निदेशक	कपास भवन, प्लाट सं. 3 ए, सेक्टर 10, पो.बा.नं. 60 सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई – 400 614 फोन : 022-2757 9217 फैक्सः 022-2757 6030 ईमेलः headoffice@cotcorp.com Website:www.cotcorp.gov.in
12.	केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर	श्री गिरिराज कुमार मीना, कार्यकारी निदेशक	सी–3, निकट शास्त्री सर्किल, शास्त्री नगर, जोधपुर – 342003 राजस्थान (भारत) फोन : 0291-2433967 / 2616328 फैक्सः 0091-291-2439017 ईमेलः woolindiajodhpur [at]dataone[dot]in

क्र. सं.	कार्यालय	लोक/कर्मचारी शिकायत	पता एवं दूरभाष
13.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर	श्री आर. के. मिश्र, निदेशक (तकनीकी)	सीएसबी काम्पलैक्स, बीटीएम लेआउट, माडीवाला, बंगलौर–560068, कर्नाटक फोन : 080 – 26282699, 26282503 फैक्स : 080-26681511 ईमेलः ms.csb@nic.in Website:http://www.csb.gov.in
14.	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0, नई दिल्ली	सुश्री सुधा बेदी, शिकायत अधिकारी	जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली–110001 फोन : 011 23323825, 23730374 फैक्स : +91-11-23328354 ईमेलः md@cottageemporium.in
15.	राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान, नई दिल्ली	सुश्री नीनू टेकचंदानी, रजिस्ट्रार (पूर्व)	कमरा नं. 4, द्वितीय तल, मुख्यालय, निफ्ट कैम्पस, हौज खास, नजदीक गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली–110016 फोन : 011-26542065, 011-26542100 फैक्स : 011-26542151, 26522212 ईमेलः registrar.estt@nift.ac.in, registrar.estt@gmail.com
16.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर	श्री एस. के. उपाध्याय प्रबंधक	11/6, श्रीमती पार्वती बागला रोड, पो.बा.सं. 77, कानपुर–208001 फोन : 0512- 2530196 ईमेलः bicltdsps@yahoo.co.in
17.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ	श्री एस.एस. ढ़क्करवाल, उप महाप्रबंधक	10वां तथा 11वां तल, विकास दीप 22, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001 फोनः 0522-2635133, 0522-2635287 फैक्स : 0522-2635282 ईमेलः honhdc@nhdcltd.co.in
18.	दि हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	श्री उज्जवल दत्ता, मुख्य वित्त प्रबंधक	जवाहर व्यापार भवन, 1, टॉलस्टोय मार्ग, नई दिल्ली–110 001 फोन : +(91)-(11)-23701086 फैक्सः +(91)-(11)-23701051 ईमेलः hhecnd@bol.net.in
19.	वस्त्र समिति, मुंबई	श्री अजित बी. चव्हाण, सचिव	पी.बाबू रोड, प्रभादेवी, प्रभादेवी, मुंबुई–400 025 फोन : 91-22-66527507, 66527506 फैक्सः +91-22-66527577/66527509 ईमेलः secytc[at]gmail[dot]com

16.5 स्टेकहोल्डर्स / ग्राहकः

किसान, बुनकर, दस्तकार, कामगार, उद्यमी, वस्त्र निर्यातक, जो निम्नलिखित के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में वस्त्र (सभी फाइबर) एवं परिधान / क्लोदिंग के उत्पादन, प्रसंस्करण, बुनाई, शिल्प, डिजाइनिंग, विपणन, निर्यात में संलग्न हैं :

1. हस्तशिल्प विकास आयुक्त, नई दिल्ली
2. हथकरघा विकास आयुक्त, नई दिल्ली
3. पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता
4. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई
5. केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरू
6. केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर
7. भुगतान आयुक्त, नई दिल्ली
8. वस्त्र समिति, मुंबई
9. राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान, नई दिल्ली
10. राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता
11. विद्युतकरघा सेवा केन्द्र
12. बुनकर सेवा केन्द्र
13. निर्यात संवर्धन परिषद (वस्त्र क्षेत्र के लिए)

16.6 जिम्मेवारी केन्द्रः

	नाम	पता
1.	पटसन आयुक्त का कार्यलय	सीजीओ कॉम्पलैक्स, तीसरी एमएसओ बिल्डिंग, चौथा तल, डीएफ ब्लॉक, सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता–700064 फोन : 91 (33) 2337 6970 फैक्स : 033–23376972 / 6973 / 6974 ईमेल : jcoffice@jutecomm.gov.in वेबसाईट : www.jutecomm.govin
2.	पटसन आयुक्त का कार्यलय	न्यू सीजीओ बिल्डिग, निष्ठा भवन, पो.बॉ.–11500, 48, न्यू मरीन लाइन्स, मुंबई–400020 फोन : 91–22–22014446 / 22004510 फैक्स : 022–22004693 ईमेल : txc–otxc@nic.in वेबसाईट : www.txcindia.gov.in
3.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	सीएसबी कॉम्पलैक्स, बीटीएम लेआउट, मडिवाला, मडिवाला, बंगलौर–560068 कर्नाटक फोन : 080–26282699, 26282503 फैक्स : 080–26681511 ईमेल : ms.csb@nic.in वेबसाईट : http://www.csb.gov.in

	नाम	पता
4.	केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड	सी–3, निकट शास्त्री सर्किल, शस्त्री नगर, जोधपुर – 342003 राजस्थान (भारत) फोन : 0291-2433967 / 2616328 फैक्स : 0091-291-2439017 ईमेल : woolindiajodhpur[at]dataone[dot]in
5.	वस्त्र समिति	पी. बालू रोड, वीर सावरकर मार्ग के पीछे, प्रभादेवी चौक, प्रभादेवी, मुंबई–400025 फोन : +91-22-66527507, 66527506 फैक्स : +91-22-66527577/66527509 ईमेल : secy.tc[at]nic[dot]in secytc[at]gmail[dot]com
6.	राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान	निफ्ट कैम्पस, हौजखास, नजदीक गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली–110 016 फोन : +91-11-26542000 फैक्स : 91-11-26535890 ईमेल : director.ho@nift.ac.in directoradmn.nift@gmail.com वेबसाईट : www.nift.ac.in
7.	राष्ट्रीय पटसन बोर्ड	3 ए तथा बी, पार्क प्लाजा, 71, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता–700016 फोन : 033-2226-3438 / 2217-2107 फैक्स : 033-2217-2456 ईमेल : jute@njbindia.in वेबसाईट : www.jute.com, www.njbindia.com

मंत्रालय के अधीन इनमें से प्रत्येक क्षेत्रीय संगठन के पास अपने खुद के नागरिक एवं सेवा चार्टर हैं जिनमें वे आपकी सेवा करने के प्रति वचनबद्धता करते हैं और निष्पादन मानक निर्धारित करते हैं जिनके द्वारा आप सेवाओं की गुणवत्ता और उनसे बेहतर निष्पादन करने के लिए समपर्ण का मूल्यांकन कर सकते हैं।

7. सेवा प्राप्तकर्ताओं से सांकेतिक उम्मीदें:

क्र.सं.	उम्मीदें
1.	हर प्रकार से विधिवत पूर्ण किए गए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना।
2.	राज्य सरकारों को परियोजनाओं के लिए उन्हें जारी की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का समुचित उपयोग करना चाहिए और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के प्रयास करने चाहिए।
3.	कृपया मंत्रालय के अधिकारियों के प्रति सहृदयता प्रदर्शित करें।

क्र.सं.	उम्मीदें
4.	मंत्रालय के साथ अपने पत्रों/पत्र व्यवहार का हमेशा उचित रिकॉर्ड रखें।
5.	यदि आपने मंत्रालय/उसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों में किसी अधिकारी से मिलने का समय लिया है तो कृपया समय से 15 मिनट पूर्व पहुंचें।
6.	यदि आप लिए गए समय को रद्द करना चाहते हैं तो कृपया कम से कम दो दिन पूर्व फैक्स या ईमेल के जरिए लिखित में सूचना दें।
7.	निर्धारित समय सीमाओं के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्टें भेंजें।
8.	नीतियों, कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं के बारे में अद्यतन स्थिति के लिए वैबसाइट की नियमित जांच करें।
9.	मंत्रालय की वैबसाइट पर डाले गए मसौदों के बारे में सुझाव/निविष्टियां दें।
10.	मंत्रालय और उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित हितधारक परामर्श बैठकों में भाग लें।

हमारा सूचना और सुविधा केन्द्र (आईएफसी) द्वार सं.18, उद्योग भवन, नई दिल्ली के निकट स्थित है। प्रयोक्ताओं का कोई फीडबैक/सुझाव श्रीमती जयश्री शिवकुमार, अवर सचिव, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को jaya.shiva@nic.in पर भेजा जाए। नागरिक चार्टर के बारे में सुझाव भी उन्हें भेजे जा सकते है।

अधिक जानकारी के लिए हमारी वैबसाइट (http//ministryoftextiles.gov.in) देखें।

16.8 चार्टर की अगली समीक्षा का माह और वर्ष

1. नागरिक चार्टर को वस्त्र मंत्री, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2. चार्टर की वार्षिक समीक्षा अप्रैल 2017 में वस्त्र मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

अध्याय–17

कल्याणकारी उपाय

17.1 वर्ष 2016–17 के दौरान पुनर्गठित केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) का क्रियान्वयन

17.1.1 रेशम–क्षेत्र

चालू वर्ष 2016–17 के दौरान एससीएसपी के अंतर्गत संघटकों के क्रियान्वयन के लिए राज्यो/क्रियान्वयन एजेंसियों हेतु 7.12 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। ये परियोजनाएं जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल तथा मध्य प्रदेश आदि राज्यों क्रियान्वित की जा रही हैं। इनके अंतर्गत (i) किसान नर्सरी का विकास, मलबरी खेती, मलबरी बगीचे की बाढ़बंदी के लिए सहायता (ii) वर्मी कम्पोस्ट शेड, रियरिंग हाऊस का निर्माण (iii) रियरिंग उपकरणों, गुणवत्तापूर्ण असंक्रमणीय सामग्री, सोलर लैंपों की आपूर्ति तथा (iv) चौकी रियरिंग केंद्रों (सीआरसी) में हॉट एयर ड्रॉयर की स्थापना आदि प्रमुख क्रियाकलापों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

चालू वर्ष 2016–17 के दौरान टीएसपी के अंतर्गत संघटकों के क्रियान्वयन के लिए राज्य/क्रियान्वयन एजेंसियों हेतु 1.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। यह परियोजनाएं झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं। इनके अंतर्गत (i) तसर खेती करने वालों, निजी खाद्यान्न उत्पादकों, रीलर्स/स्पिनर्स द्वारा किया गया संग्रह, फसल बीमा आदि के लिए सहायता (ii) मलबरी रेशम उत्पादन किसानों के लिए सहायता आदि प्रमुख क्रियाकलापों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

17.1.2 ऊन क्षेत्र

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड द्वारा अ.जा./अ.ज.जाति के लिए अलग से कोई कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित नहीं की जाती है । तथापि, बोर्ड की योजनाओं के अंतर्गत अधिकांश लाभार्थी सभी प्रमुख ऊन उत्पादक राज्यों के ग्रामीण और दूर–दराज के पहाड़ी क्षेत्रों तथा मरूस्थली क्षेत्रों से होते हैं जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के श्रमिक भी शामिल होते हैं।

17.1.3 हथकरघा

हथकरघा क्षेत्र 23.77 लाख हथकरघों के साथ बुनाई एवं संबद्ध क्रियाकलापों में 43.31 लाख कामगारों को रोजगार देता है। यह क्षेत्र बुनकर विशिष्ट/पेशेवर स्वरूप का है और इसमें अधिकतर बुनकर समाज के सबसे गरीब और निम्न वर्गों से हैं। भारत की हथकरघा गणना (2009–10) की रिपोर्ट के अनुसार कुल वयस्क कार्यबल में अनुसूचित जाति के 10 प्रतिशत बुनकर, अनुसूचित जनजाति के 18 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग से 45 प्रतिशत और शेष अन्य जातियों से हैं ।

इस कार्यालय द्वारा प्रचालित योजना हथकरघा स्कीमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वगों

तथा महिलाओं सहित सभी श्रेणियों के बुनकरों के लिए समान रूप से लागू हैं । इन स्कीमों के अंतर्गत बुनकर को हथकरघा विकास तथा बुनकर कल्याण हेतु (i) प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए, (ii) इन्पुट सहायता, (iii) विपणन सहायता, (iv) प्रचार एवं प्रदर्शन, (v) अवसंरचनात्मक सहायता, (vi) कल्याण उपाय, (vii) निर्यात योग्य उत्पादों के विकास (viii) अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है ।

योजनागत स्कीमों में वर्ष 2016–17 के दौरान अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) तथा जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के अंतर्गत अलग से बजट का आबंटन किया जाता है तथा वर्ष 2015–16 के दौरान एससीएसपी के अंतर्गत 16.38 करोड़ रुपए की राशि तथा टीएसपी के अंतर्गत 27.44 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) के अंतर्गत 40 करोड़ रुपए की राशि तथा जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के अंतर्गत 38.20 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। 21.11.2016 तक एससीएसपी के अंतर्गत 26.35 करोड़ रुपए की राशि तथा टीएसपी के अंतर्गत 29.99 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया गया है।

17.1.4 हस्तशिल्प

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय वर्ष 2016–17 के दौरान हस्तशिल्प कलस्टर का विकास समग्र रूप में करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर बल देने के लिए **'राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)'** नामक एक व्यापक योजना के अंतर्गत हस्तशिल्प क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है:

एनएचडीपी के अंतर्गत निम्नलिखित संघटक हैं:

I.क. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

(i) दस्तकार सशक्तिकरण योजना
(ii) डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन
(iii) मानव संसाधन विकास
(iv) कारीगरों के लिए प्रत्यक्ष लाभ
(v) अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता

ख. मेगा कलस्टर

II. विपणन सहायता एवं सेवाएं

III. अनुसंधान एवं विकास

हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानकर एनएचडीपी प्राथमिक उत्पादकों की सहायता, कारीगरों हेतु डिजाइन एवं प्रशिक्षण तथा विपणन सहायता के साथ ब्लॉक स्तर पर सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना पर आधारित संशोधित रणनीति पर कार्य कर रहा है।

अध्याय–18

राजभाषा

18.1 राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्यकलाप

हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है और सरकार की इस नीति का उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाना सुनिश्चित करना है। वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन, वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

18.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों आदि जैसे सभी दस्तावेजों और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने वाले सभी कागजातों को द्विभाषिक रूप से अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया गया है।

मंत्रालय में राजभाषा नियम, 1976 के नियम–5 का कार्यान्वयन उसकी मूल भावना के अनुरूप किया जा रहा है।

18.3 निगरानी और निरीक्षण

संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों/ बोर्डों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नियमित समीक्षा तथा समय–समय पर निरीक्षण के माध्यम से उनकी निगरानी की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों पर संबंधित कार्यालयों को अपेक्षित निदेश दिए जाते हैं तथा उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जाती है।

18.4 अनुवाद कार्य

मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग द्वारा नियमित रूप से मंत्रिमंडल नोट, सभी अधिसूचनाओं, सामान्य आदेशों, निविदाओं, बजट संबंधी कागजातों, वार्षिक रिपोर्ट, संसदीय आश्वासनों, स्थायी समितियों व अन्य संसदीय समितियों से संबंधित दस्तावेजों, वस्त्र मंत्री और वस्त्र राज्य मंत्री के कार्यालय से प्राप्त विभिन्न कागजातों तथा प्रेस विज्ञप्तियों का नियमित रूप से अनुवाद किया जाता है। इसके अलावा, संसदीय प्रश्नोत्तरों का अनुवाद संपन्न किया जाता है।

18.5 हिंदी पखवाड़ा एवं पुरस्कार वितरण समारोह

मंत्रालय में 14 से 28 सितंबर, 2016 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। सरकारी कामकाज हिंदी में करने को बढ़ावा देने के लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने हेतु हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन, प्रश्नोत्तरी, वाद–विवाद, हिन्दी टंकण एवं हिन्दी श्रुतलेख प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष उप सचिव एवं उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए 'अनुभव लेखन प्रतियोगिता' प्रारंभ की गई। वस्त्र मंत्रालय और उसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र

हिन्दी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह में माननीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी एवं वस्त्र राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हुए

के वस्त्र उपक्रमों में हिंदी में अधिकतम कार्य करने के लिए हिंदी दिवस के अवसर पर गृह मंत्री, वस्त्र मंत्री और सचिव (वस्त्र) की अपीलें परिचालित की गईं।

इसी क्रम में दिनांक 2 नवंबर, 2016 को आयोजित किए गए हिन्दी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह में माननीया वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी और माननीय वस्त्र राज्यमंत्री श्री अजय टम्टा द्वारा सभी पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

18.6 समितियां

वस्त्र मंत्रालय में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) संयुक्त सचिव एवं राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में गठित है। समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने से संबंधित निर्णयों के अनुपालन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

मंत्रालय में ''हिंदी सलाहकार समिति'' गठित है। समिति की 22वीं बैठक दिनांक 29.06.2016 को मसूरी में तथा 23वीं बैठक दिनांक 27.12.2016 को कोलकाता में आयोजित की गयी थी। हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर संघ की राजभाषा नीति के आलोक में कार्रवाई की जाती है।

माननीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा की अध्यक्षता में कोलकाता में 27 दिसंबर, 2016 को संपन्न हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित समिति के गैर–सरकारी सदस्य

अध्याय–19

वस्त्र क्षेत्र में डिजिटल पहल

19.1 डिजिटल इंडिया पहल भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है ताकि ऑनलाइन अवसंरचना में सुधार और इंटरनेट संपर्क में बढ़ोत्तरी करके नागरिकों को सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध कराना और देश को प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में डिजीटली सशक्त बनाना सुनिश्चित किया जा सके। यह सरकारी मंत्रालयों/विभागों को प्रभावी ई–गवर्नेंस उपलब्ध कराने में मदद करेगा। वर्तमान सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाएं तत्काल रूप से नागरिकों को उपलब्ध हों तथा उनकी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के संबंध में सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए उनके विचार प्राप्त किए जा सकें। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की डिजीटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत, नकद रहित लेनदेन (डिजी कैश) आदि जैसी पहलों को क्रियान्वित करने में अग्रणी रहा है।

वर्तमान सरकार के विजन और मिशन को हकीकत में बदलने के लिए इस मंत्रालय ने अपनी ई–गवर्नेंस सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु विभिन्न पहलें की हैं। सबसे पहले वस्त्र मंत्रालय ने सामग्री प्रबंधन रूप–रेखा (सीएमएफ) के माध्यम से अपनी वेबसाइट को नया रूप दिया है जिससे यह वेबसाइट पर पहुचने की एकाधिक रीतियों के संगत हो गया है। मंत्रालय के विभिन्न अधिनस्थ और संबंद्ध कार्यालयों में भी ऐसी ही उपाय किए जा रहे हैं। ई–ऑफिस स्यूट, ई–समीक्षा, ई–खरीद जैसे जी2जी/जी2बी/जी2ई एप्लीकेशनों के कार्यान्वयन और स्वैच्छिक संस्थाओं, आईएसडीएस आदि को हस्तशिल्प स्कीमों के लिए जारी निधि संबंधी एमआईएस के विकास के परिणामस्वरूप कार्य संचालन में सुधार हुआ जिससे गुणवत्तापूर्ण सेवा अदायगी हो रही है। मंत्रालय और इसके संगठन नियमित आधार पर विभिन्न राज्यों और विभागों के साथ विडियों कांफ्रेंसिंग सत्रों का संचालन करते हैं। अनुभागों में एनआईसी की गीगा बिट बैंडविद लैन/वैन/वायरलेस नेटवर्क और आईपीवी6 संगतता के साथ आधुनिक डेस्कटॉप और सॉफ्टवेयर सहित उन्नत किया गया है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डेस्कटॉप विडियो क्रांफ्रेंस सुविधा स्थापित की गई थी। उपायुक्त (हथकरघा), उपायुक्त (हस्तशिल्प) और वस्त्र समिति कार्यालय को भी उन्नत किया गया है और एनआईसी की क्लाउड सेवा (मेघराज) पर रखा गया है। वर्ष के दौरान मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों के लिए विभिन्न अप्लीकेसनों

पर प्रशिक्षण कार्यक्रम वस्त्र मंत्रालय, एनआईसी मुख्यालय, डायट वाई और राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र, शास्त्री पार्क, दिल्ली में आयोजित किए गए।

एनआईसी टेक्सटाइल एंफोरमेटिक्स डिविजन मंत्रालय और इसके अधीनस्थ/संबंद्ध कार्यालयों के संबंध में तकनीकी और कार्यात्मक समर्थन दे रहा है। ये अधिकारी वेबसाइट के विकास, कार्यान्वयन, रख–रखाव और समन्वय तथा उसकी 24x7 उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह डिविजन क्लाउड पर विभिन्न ऑनलाइन ई–गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंच बनाने, विभिन्न अप्लीकेसनों के विकास/उपयोग, नेटवर्क समर्थन सेवाएं उपलब्ध कराने और आईसीटी आधारिक संरचना के रख–रखाव में मदद कर रहा है।

19.2 वेबसाइट प्रबंधन

मंत्रालय की वेबसाइट http//ministry oftextiles.gov.in को सीएमएफ के माध्यम से विकसित किया गया है जिससे यह एकाधिक पहुंच रीति के संगत है, प्रयोक्ता हितैषी, दृष्टिहीन लोगों के अनुकूल तथा बहुभाषी समर्थन से लैस है। संबंधित कर्मचारियों/प्रभागों द्वारा वेबसाइट की सामग्री समय पर अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सामग्री प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) स्थापित है। इसे जीआईजीडब्ल्यू मानकों के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

19.3 आईसीटी अवसंरचना का उन्नयन

लैन/वैन/पीसी के बेहतर निष्पादन के लिए हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर अद्यतन किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सुरक्षा मार्गनिर्देशों के अनुसार और अधिक फायरवाल लगाकर और प्रबंधनीय नेटवर्क उपकरण स्थापित करके विभिन्न साईबर सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। लैन/वैन/सेवाओं में वायरस मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित पैच प्रबंधन और वायरस पहचान प्रणालियां भी अद्यतन की गई हैं।

19.4 ई–गवर्नेंस

मंत्रालय में कार्यप्रवाह को मजबूत करने के लिए वेब आधारित ई–ऑफिस सुइट को नई सुविधाओं के साथ अद्यतन किया गया है। फाइल प्रबंधन प्रणाली, ज्ञान प्रबंधन और साझाकरण, कर्मचारी मास्टर ब्यौरे, छुट्टी प्रबंधन जैसे मॉड्यूल भी प्रचालित किए गए। मंत्रालय में अधिकारियों के विभिन्न स्तरों पर ई–ऑफिस संबंधी उचित प्रशिक्षण भी दिए गए तथा मंत्रालय एवं विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय में ई–ऑफिस का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सभी संबंधित अधिकारियों के पास डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं तथा वे इनका प्रयोग फाइलों को तैयार करने तथा उनका लेनदेन करने और डिजीटल रूप से प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। वस्त्र मंत्री तथा वस्त्र राज्य मंत्री का कार्यालय में उन्नत की गई वीआईपी संदर्भ प्रणाली को क्रियान्वित किया गया।

सीओएमडीडीओ पे–रोल पैकेज, राष्ट्रीय आंकड़ा साझाकरण नीति (data.gov.in), ई–खरीद पोर्टल, आरएफडी, लोक शिकायत निगरानी प्रणाली, संसद प्रश्न/उत्तर (ई–उत्तर), आधार समर्थित

बायोमैट्रीक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), एसीसी रिक्ति निगरानी प्रणाली (एवीएमएस), स्पैरो प्रणाली, ई–आगंतुक निगरानी प्रणाली, विदेशी दौरा प्रबंधन प्रणाली, ई–पॉलिटिकल क्लियरेंस प्रणाली, वीआईपी संदर्भ निगरानी प्रणाली, अपील निगरानी प्रणाली, न्यायालय मामले निगरानी प्रणाली आदि जैसे नई जी2जी सेवाओं के प्रति मंत्रालय प्रतिबद्ध है।

19.4.1 नई पहलें

1. इंडिया हैण्डलूम ब्रांड के लिए एक नया पोर्टल तैयार किया गया है जो इंडिया हैण्डलूम ब्रांड प्रमाणन के लिए आवेदन करने वालों (हथकरघा उत्पादक) हेतु ऑनलाइन पंजीकरण और निगरानी आसान बनाएगा। इससे उन्हें अपने उत्पादों पर आईएचबी लोगो लगाने का हक प्राप्त होगा। इस एप्लीकेशन को एनआईसी क्लाउड पर अपलोड कर दिया गया है।

2. बुनकर मित्र माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा शुरू की गई एक समर्पित बहुभाषी कॉल सेंटर सुविधा है जिसका उद्देश्य देशभर के हथकरघा बुनकरों के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान करना तथा पूछताछ की सुविधा प्रदान करना है।

3. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय की नई डिजाइन की गई वेबसाइट http//handicrafts.gov.in] http//handicrafts.nic.in की शुरूआत की गई है।

4. हस्तशिल्प कारीगरों के लिए फोटो पहचान पत्र जारी करने हेतु एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का विकास किया गया है।

5. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय में ई–खरीद तथा भविष्य (पेंशन अनुमोदन तथा पेंशन निगरानी प्रणाली) को क्रियान्वित किया गया है।

6. सादे विद्युतकरघों के स्वस्थाने उन्नयन योजना के लिए प्रणाली के विकास को बुनकरों द्वारा लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्राथमिकता दी गई है।

7. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई द्वारा विकसित की गई आईटीयूएफएस एप्लीकेशन को एसएमएस तथा ई–मेल गेटवे सुविधा के साथ एनआईसी क्लाउड पर उपलब्ध करा दिया गया है।

8. माननीय वस्त्र मंत्री ने पटसन आयुक्त का कार्यालय द्वारा विकसित एक इंटरनेट पोर्टल जूट–स्मार्ट की शुरूआत की जिसका प्रयोग विभिन्न राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा जूट बोरों की खरीद के लिए किया जाता है। लगभग 5500 करोड़ रुपए की कीमत के बोरे इस पोर्टल के माध्यम से आदेशित किए जाएंगे जो कि अनुरोध, आदेश, निरीक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन, बिलिंग और भुगतान की प्रक्रियाओं के एंड–टू–एंड ऑटोमेशन की सुविधा उपलब्ध कराता है।

9. मंत्रालय की आईएसडीएस एप्लीकेशन को एनआईसी क्लाउड पर ई–मेल अलर्ट सुविधा के साथ उपलब्ध कराया गया है।

10. बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बीएएस) को उपायुक्त (हस्तकरघा) के कार्यालय उपायुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय तक विस्तारित किया गया है। दिल्ली स्थित डब्ल्यूएससी को भी इसमें शामिल किया गया है तथा देश भर बीस अन्य कार्यालयों

में इसे प्रारंभ किया जा रहा है तथा मार्च, 2016 तक इनके ऑनलाइन हो जाने की आशा है।

11. मेक इन इंडिया अभियान के तहत निवेशक और व्यवसाय समुदाय की सुविधा के लिए एक सहक्रियाशील पोर्टल (http://makeinindia.com)शुरू किया गया है जिसके माध्यम से वे नियमित आधार पर सरकार से विमर्श कर सकते हैं।'मेक इन इंडिया'से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए प्रोटोकॉल हेतु निदेश/मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार किए गए हैं।

12. भारतीय वस्त्रों http//MyGov.nic.in प्लेटफार्म के अधीन भारत और विदेशों में भारतीय रेशम उत्पादों की मांग को बढ़ाने के संबंध में एक परिचर्चा समूह शुरू किया गया है और MyGov सदस्यों से कई टिप्पणियां प्राप्त की गई हैं।

13. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रमुख विजन क्षेत्रों जैसे ''प्रत्येक नागरिक के उपयोग के लिए अवसंरचना'', और ''मांग पर शासन और सेवाएं'' और ''नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण'' को मंत्रालय द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें सार्वभौम डिजिटल साक्षरता, डिजिटल संसाधन उपलब्धता और शासन में भागीदारी के लिए सहयोगी डिजिटल प्लेटफार्म विभिन्न पुनःअभियांत्रिकी प्रक्रियाएं शामिल हैं।

19.5 संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में आईसीटी कार्यान्वयन

मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों ने भी संरचनाबद्ध और वायरलेस लैन के साथ अपेक्षानुसार अपनी आईसीटी आधारिक संरचना का उन्नयन किया है। उन्हें आईपीवी6 संगतता का निदेश दिया गया था। इन कार्यालयों ने अधिक प्रयोक्ता क्रेंद्रित सुविधाओं के साथ अपे वेबसाइटों को उन्नत किया है। विभिन्न योजनाओं के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जनता या व्यापार समुदाय द्वारा अपेक्षित विभिन्न आवेदन प्रारूप डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। औद्योगिक डाटाबेस आधारित बहुत सी सांख्यिकीय/विश्लेषण रिपोर्टें भी उद्योग जगत के संदर्भ हेतु प्रकाशित की जा रही हैं। कार्यालयों में ही एमआईएस एप्लीकेशन तैयार और सक्रिय किए गए। संबंधित प्रादेशिक कार्यालय/क्षेत्र स्तरीय कार्यालय भी पर्याप्त आईसीटी आधारिक संरचना से लैस किए गए। बेहतर प्रचालन कुशलता हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में मोबाइल गवर्नेंस को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अध्याय–20

लैंगिक न्याय और लैंगिक बजट

20.1 भारतीय कपास निगम लि.

भारतीय कपास निगम में दिनांक 31.03. 2016 की स्थिति के अनुसार कुल 925 कर्मचारी हैं जिसमें 105 महिला कर्मचारी हैं।

निगम ने महिला कार्यचारियों सहित निगम के सभी नियमित कर्मचारियों, के लिए भर्ती नियम, सीडीए नियम, चिकित्सा नियम, टीए/डीए नियम,एचबीए नियम, कर्मचारी कल्याण नियम, वाहन अग्रिम/रखरखाव नियम आदि जैसे कई नियम बनाए हैं।

निगम में मूलरूप से स्टॉफ पैटर्न यानी सामान्य और लेखा/वित्त की दो शाखाएं हैं। निगम में प्रवेश बिंदु वर्तमान में आमतौर पर प्रबंधन प्रशिक्षु अधिकारी, (विप./एचआरडी/सत.), प्रबंधन प्रशिक्षु, अधिकारी (वित्त/I–ए) कनिष्ठ कपास खरीददार, कनिष्ठ सहायक और ग्रेड–1 कर्मचारी के स्तर पर है। निगम की भर्ती/पदोन्नति नीति, भर्ती नियम द्वारा नियंत्रित होती है जो महिला कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं।

निगम में विभिन्न कर्मचारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो बिना किसी लिंग भेदभाव के लाभ प्राप्त करने के लिए सभी नियमित कर्मचारियों के लिए खुली हुई है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर ''कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न'' को रोकने के लिए मुख्यालय में कामकाजी महिलाओं की यौन उत्पीड़न से रक्षा करने और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समिति गठित की गई है। सीसीआई के सीडीए नियम 1975 के नियम 4(4) के तहत शिकायत समिति को जांच प्राधिकारी समझा जाएगा और इसकी रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट समझा जाएगा।

केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश सहित अवकाश की अनुमति है।

20.2 रेशम क्षेत्र

रेशम कीट पालन अपने कम निवेश, उच्च सुनिश्चित आय, अल्प जेस्टेशन अवधि, आय की वृद्धि के लिए अच्छे अवसरों और वर्ष भर परिवार के लिए रोजगार के सृजन के कारण सीमांत और लघु स्तर के भूमि धारकों दोनों के लिए उपयुक्त हैं। रेशम कीट पालन आर्थिक स्थितियों में सुधार करने, अच्छी पहचान के लिए महिलाओं को समर्थ बनाने तथा परिवार और समाज में दर्जा प्राप्त करने के लिए उत्पादन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी (नियोजित किए गए व्यक्तियों में से 55% से अधिक महिलाएं हैं) की गुंजाइश भी प्रदान करता है।

12वीं योजना के दौरान (2014–15 तक) सीएसबी ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना अर्थात उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) को क्रियान्वित किया है जिसके अंतर्गत महिला लाभार्थियों को व्यापक रूप से लाभ प्रदान किया गया है। विशेष रूप से वान्या क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश रेशम कीट पालन क्रियाकलाप एससी/एसटी/अल्पसंख्यक समूहों की अधिकतर

महिलाओं द्वारा पिछड़े क्षेत्र में किए जा रहे हैं। सीडीपी के अंतर्गत परिकल्पित महिलाओं का कवरेज कार्यक्रम/संघटक की प्रकृति पर निर्भर करते हुए 30% –70% तक है। तथापि महिला लाभार्थियों को शामिल करते हुए कुल बजट का औसतन 30% निर्दिष्ट किया गया था।

हालांकि, संपूर्ण रेशम मूल्य श्रृंखला के विभिन्न क्रियाकलापों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 55ः है। सीएसबी के आरएंडडी संस्थान रेशम कीट पालन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रेशम उत्पादन श्रृंखला से संबंधित सभी क्रियाकलापों में अधिक श्रम को कम करने पर जोर देती है।

एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना नामक योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लिए सीएसबी में महिलाओं और एससी/एसटी कर्मचारियों के संबंध में जनशक्ति पर व्यय का ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध I** और **II** में दिया गया है।

10.2.1 जनशिकायत निवारण तंत्रः

केंद्रीय रेशम बोर्ड के स्वतंत्र प्रभार वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है ताकि बोर्ड के कर्मचारियों एवं जनता की शिकायतों का निवारण किया जा सके। वर्ष 2015–16 के दौरान 683 शिकायतें प्राप्त हुई और 654 का निपटान किया गया था। चालू वर्ष के दौरान अभी तक 95 शिकायत प्राप्त हुई हैं और 94 का निपटान कर दिया गया है। सीएसबी में नामित शिकायत अधिकारियों की सूची **अनुबंध– III** में संलग्न है।

केंद्रीय रेशम बोर्ड, बंगलोर – 560 068

अनुबंध - I

"लैंगिक बजट" और अ.जा./अ.ज.जा. के विकास के लिए योजना के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

(राशि लाख रू. में)

		ब.अ.2016–17 (वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित)		सं.अ.2016–17 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)		ब.अ.2017–18 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)	
क्र. सं.	योजना का ब्यौरा	कुल वेतन एवं मजदूरी	अ.जा./अ.ज.जा. का हिस्सा	कुल वेतन एवं मजदूरी	अ.जा./अ.ज.जा. का हिस्सा	कुल वेतन एवं मजदूरी	अ.जा./अ.ज.जा. का हिस्सा
1.	2	3	4	5	6	7	8
I	सीएसबी जनशक्ति का ब्यौरा						
1	एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना	266.11	90.43	312.61	102.31	338.01	108.00

केंद्रीय रेशम बोर्ड, बंगलोर – 560 068

अनुबंध - II

"लैंगिक बजट" और महिलाओं के विकास के लिए योजना के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

(राशि लाख रू. में)

		ब.अ.2016–17 (वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित)		सं.अ.2016–17 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)		ब.अ.2017–18 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)	
क्र. सं.	योजना का ब्यौरा	कुल वेतन एवं मजदूरी	अ.जा./अ.ज.जा. का हिस्सा	कुल वेतन एवं मजदूरी	अ.जा./अ.ज.जा. का हिस्सा	कुल वेतन एवं मजदूरी	अ.जा./अ.ज.जा. का हिस्सा
1.	2	3	4	5	6	7	8
I	सीएसबी जनशक्ति का ब्यौरा						
1	एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना	266.11	90.43	312.61	102.31	338.01	108.00

अनुबंध–III

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलोर–560068

उन अधिकारियों की सूची जो केंद्रीय रेशम बोर्ड से संबंधित जनता/कर्मचारियों की शिकायतों पर कार्रवाई कर रहे हैं

दिनांक: 19.10.2016

क्र.सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय
01	डॉ. वी. शिवा प्रसाद, निदेशक	केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय रेशम बोर्ड, श्रीरामपुरा, मानंदवाड़ी रोड़, मैसूर–570008, कर्नाटक
02	डॉ. पी. जयप्रकाश,	राष्ट्रीय रेशम कीट बीजसंस्थान, केंद्रीय रेशम बोर्ड, माडीवाला, बंगलोर–560068, कर्नाटक
03	डॉ. ए.के.सिन्हा, निदेशक	केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय रेशम बोर्ड,नागरी रांची– 835303, जिलाः रांची, झारखंड
04	डॉ.कनिका त्रिवेदी, निदेशक	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, पो.आ.: बहरमपुर, ींक्रड्डद्दींफ्रड्डदृ 742 101 ह्•कृ-दृद्दफ्रड्डध् •घर्नी-घ, पश्चिम बंगाल
05	डॉ.अनिल धर, वैज्ञानिक–डी (अतिरिक्त प्रभार)	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, गलंदर, राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए, पम्पोर –192121, राज्यः जम्मू एवं कश्मीर
06	डॉ. बी.के.सिंह, निदेशक	केन्द्रीय मूगा इरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, लाडोई गढ़चराली, पो.बा.सं. 131, जोरहॉट–785 700 जिलाःजोरहॅाट, असम
07	डॉ. कालीदास मंडल, निदेशक	बेसिक तसर रेशम कीट बीजसंस्थान, केंद्रीय रेशम बोर्ड, सत्यम कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, लिंकरोड, बिलासपुर– 495001, छत्तीसगढ़
08	डॉ. आलोक सहाय, निदेशक	केंद्रीय रेशम जनन द्रव्य संस्थान केंद्र, , केंद्रीय रेशम बोर्ड, थल्लीरोड, पो.बा. सं; 44, होसूर. 635109, धर्मापुरी, तमिलनाडु
09	डॉ. सुभाष नायक वी, निदेशक	केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय रेशम बोर्ड, सीएसबी कॉम्प्लैक्स, बीटीएम ले–आउट, मडीवाला, बेंगलूरू –560068
10	डॉ. आर.के .मिश्रा, निदेशक	केंद्रीय रेशम बोर्ड, सीएसबी कॉम्प्लैक्स, बीटीएम ले–आउट, मडीवाला, बेंगलूरू –560068
11	डॉ. आर.के .मिश्रा, निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	सेरी–बायोटेक रिसर्च लेब्रोट्रेरी, केंद्रीय रेशम बोर्ड, कोडाथी, बंगलोर दृ 560035
12	श्री बी. चौधरी, वैज्ञानिक–घ	मूगा रेशम कीट बीज संगठन , केंद्रीय रेशम बोर्ड, डीएस मेंसन, द्वितीय तल, आर.जी. बरूआ रोड़ पो.आ.–दिसपुर, गुवाहाटी,– 781038 जिला कामरूम, असम

20.3 हथकरघा

हथकरघा क्षेत्र में 23.77 लाख हथकरघों के साथ बुनाई और संबद्ध कार्यकलापों में 43.31 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं। इस क्षेत्र की प्रकृति बुनाई विशिष्ट/व्यवसायिक है जिसके अधिकांश बुनकर समाज के सब से गरीब और कमजोर वर्गों से संबंधित हैं। भारत में हथकरघा कार्यकलापों की कार्य भागीदारी में महिला श्रमिकों का बोलबाला है। लगभग 78 प्रतिशत हथकरघा श्रमिक महिला हैं। कुल बुनकर कार्यबल में महिला बुनकरों का प्रभुत्व सबसे अधिक पूर्वोत्तर राज्यों में है जहां भारतीय हथकरघा जनगणना (2009–10) की रिपोर्ट के अनुसार 99 प्रतिशत है।

हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय ने ग्यारहवीं योजना के दौरान हथकरघा विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण हेतु तीन योजनाओं को लागू किया है जो हैं–(i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास योजना; (ii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना; (पपप) यार्न आपूर्ति योजना। आईएचडीएस, एमईपीएस और डीएचडीएस को व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडीएस) में विलय कर दिया गया है। इसके अलावा, आरआरआर पैकेज और सीएचडीएस को भी एक केन्द्र प्रायोजित योजना अर्थात राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम में विलय कर दिया गया है। मिल गेट मूल्य योजना को भी यार्न आपूर्ति योजना का नाम दिया गया है।

यह कार्यालय इन योजना स्कीमों में अधिकतम महिला बुनकरों को शामिल करने का प्रयास करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान कोई भेदभावन हो।

लोक शिकायत निवारण, विकास आयुक्त (हथकरघा)

विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक गैर–प्रतिभागी संबद्ध कार्यालय है। वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से एक सुविधा केंद्र प्रचालनशील है। हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय के संबंध में लोक शिकायत और निवारण अधिकारी के रूप में श्रीसुरेश चंद्र, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी को दायित्व दिया गया है।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय द्वारा कार्यान्वित योजनाएं मिश्रित प्रकृति की हैं और क्षेत्र, जाति अथवा लिंग विशिष्ट नहीं हैं। तथापि महिला कारीगरों सहित सभी समुदायों के कारीगर योजनाओं से लाभ प्राप्त करते हैं।

20.4 हस्तशिल्प

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय 2016–17 के दौरान संर्वागींण तरीके से हस्तशिल्क कलस्टरों के विकास के लिए एकीकृत अप्रोच्च पर जोर देने के लिए एक व्यापक योजना नामतः **'राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)'** के अंतर्गत हस्तशिल्प क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए निम्नलिखित सात सामान्य योजनाओं को लागू कर रहा है।

एनएचडीपी के संघटक निम्नलिखित हैं:

1.क अम्बेडकर हस्तशिल्प विकाय योजना

i. दस्तकार सशक्तिकरण योजना
ii. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन
iii. मानव संसाधन विकास
iv. कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ
v. अवसंचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता

ख. मेगाकलस्टर

।।. विपणन सहायता एवं सेवाएं

।।।. अनुसंधान एवं विकास

20.4.1शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय किसी शिकायत/सुझाव/शिकायतों की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर यथा शीघ्र कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारीसेवाओं के कारीगर/निर्यातक/डिजाइनर/उपयोगकर्ता किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय अथवा मुख्यालय, नई दिल्ली में अपने सुझाव, शिकायत कर सकते हैं अथवा इसे किसी भी कार्य दिवस को क्षेत्रीय कार्यालय अथवा मुख्यालय, नई दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखी गई शिकायत/सुझाव पेटी में डाल सकते हैं।

महत्वपूर्ण पता

1. **विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)**

   विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय

   वेस्ट ब्लॉक VII, आर.के. पुरम,

   नई दिल्ली – 110066,

   फोन नं. 26106902, 26103562

   फैक्स : 26163085

2. **निदेशक (हस्तशिल्प)**

   विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय वेस्ट ब्लॉक VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली – 110066,

   फोन नं. 26191569, 26177781

   फैक्स : 26163085

   वेबसाइट :http//handicrafts.nic.in

20.5 सैंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (सीसीआईसी)

जहां तक सीसीआईसी का संबंध है महिला कर्मचारियों के कार्य की स्थितियां उत्कृष्ट हैं। जहां तक मजदूरी, कार्य के घंटे, अन्य लाभों आदि का संबंध है उनके साथ महिला कर्मचारियों के बराबर व्यवहार किया जाता है। वे विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर हैं और वास्तव में खरीदने, प्रचार, आईडीएस, डिस्प्ले आदि जैसे विभागों की प्रमुख हैं। उनके विरूद्ध जो भी हो कोई भेदभाव नहीं है। उनकी सामान्य शिकायतों और लैंगिक उत्पीडन के मामले, यदि कोई हों, के निवारण के लिए एक समुचित तंत्र है। महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए, यदि काम की आकस्मिकता के कारण किसी महिला कर्मचारी को सीसीआईसी के मुख्यालय और शाखाओं में रात 8 बजे के बाद काम करने की आवश्यकता होती है तो ऐसी महिला कर्मचारियों को निगम के विश्वसनीय सुरक्षा गार्ड अथवा पुरूष कर्मचारी के माध्यम से टैक्सी सेवा द्वारा छुड़वाना संबंधित विभाग प्रमुख की जिम्मेवारी होगी।

अध्याय–21

सतर्कता संबंधी कार्यकलाप

21.1 वस्त्र मंत्रालय के सतर्कता इकाई के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जो मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग की मंजूरी पर की जाती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय की सतर्कता व्यवस्था में नोडल बिन्दु होता है और उन्हें निम्नलिखित कार्य सौंपे गए है:

- कदाचार/लालच संबंधी प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करना;
- शिकायतों की जांच करना और उन पर जांच/जांच पड़ताल संबंधी उपयुक्त उपायों की पहल करना;
- निरीक्षण करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा अपेक्षित टिप्पणियों सहित वास्तविक रिपोर्ट/जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर अथवा अन्यथा विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में समुचित कार्रवाई करना;
- जहां कहीं आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की पहले और दूसरे स्तर की सलाह प्राप्त करना।
- जहां कहीं आवश्यक हो, अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
- आरोपी अधिकारी पर लगाए जाने दंड की मात्रा पर संघ लोक सेवा आयोग की सांविधिक सलाह प्राप्त करना।
- वस्त्र मंत्रालय ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित सतर्कता स्वीकृति जारी करना और मंत्रालय के अंतर्गत कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के मामले में सीवीसी से सतर्कता स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करना।
- वस्त्र मंत्रालय में एवं इसके अंतर्गत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति रिटर्न का रखरखाव करना और डीओपीएंडटी द्वारा अपेक्षित संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी/संवर्ग को अग्रेषित करना।
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 से संबंधित कार्य।
- सहमत सूची और संदिग्ध सत्यनिष्ठा और अनिच्छुक संपर्क व्यक्तियों की सूची तैयार करना।
- मंत्रालय के नियत्रंणाधीन संगठनों में सीवीओ/अंशकालिक सीवीओ की नियुक्ति/विस्तार से संबंधित कार्य।
- चल और अचल, बहुमूल्य संपत्तियों तथा संबंधित व्यक्ति को इसकी पावती के रिकार्ड का रखरखाव करना।
- प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन और सीवीओ को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

वस्त्र मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में अंशकालिक सतर्कता अधिकारी हैं। मंत्रालय के नियत्रंणाधीन कार्यशील निम्नलिखित संगठनों ने मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पद स्वीकृत किए हैं:

1. नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. (एनटीसी लि.)
2. भारतीय कपास निगम लि. (सीसीआई लि.)
3. भारतीय पटसन निगम लि. (जेसीआई लि.)
4. राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (निफ्ट)
5. सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. एवं हैंडीक्राफ्ट एवं हैंडलूम एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि . (सीसीआईसी एवं एचएचईसी लि.)।

तथापि, इन कार्यालयों के सतर्कता संबंधी क्रियाकलापों का पूरा उत्तरदायित्व वस्त्र मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी पर है।

मुख्य रूप से कदाचार तथा लालच संबधी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान पर जोर उपचारात्मक सतर्कता की ओर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाता है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जाता है। की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल है:

1. मंत्रालय में संवेदनशील प्रकृति के क्षेत्रों की पहचान की जाती है और उन पर नजर रखी जाती है।
2. सुरक्षा उपाय समुचित रूप से सुदृढ़ किए गए हैं और कदाचार को रोकने के लिए उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था लागू की गई है।

इस वित्त वर्ष (दिनांक 30.01.2017 की स्थिति के अनुसार) के दौरान विभिन्न स्रोतों अर्थात केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय पोर्टल, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा व्यक्तियों से 109 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित प्रशासनिक डिवीजनों और सीवीओ को समय पर अग्रेषित करके कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। सीवीओ को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कुछ शिकायतों पर जांच रिपोर्ट/की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। इन मामलों में सीवीसी की प्रथम स्तर की सलाह मांगी गई है। सीवीसी की प्रथम चरण की सलाह मांगने के लिए 6 मामले प्रक्रियाधीन हैं।

वर्ष के दौरान दो प्रशासनिक मामलों में यूपीएससी की सांविधिक सलाह मांगी गई है। 7 अन्य मामले विभिन्न स्तरों पर हैं और मंत्रालय के नियत्रंणाधीन कार्यरत संबंधित संगठनों द्वारा प्रक्रियाधीनहै।

मंत्रालय में एवं इसके अंतर्गत कार्यरत 115 अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्कता स्वीकृति जारी की गई है। सीवीसी से सतर्कता स्वीकृति मांगने के लिए पीएसयू के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के 7 मामलों को आगे बढ़ाया गया है।

निफ्ट और एनटीसी लि. में दो सीवीओ की नियुक्ति की गई है।

मंत्रालय में दिनांक 31.10.2016 से 05;11. 2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2016 मनाया गया है। सतर्कता

जागरूकता सप्ताह 2016 शपथ ग्रहण समारोह के साथ आरंभ हुआ। यह शपथ सचिव (वस्त्र) द्वारा मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 31.10.2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न दिलाई गई। मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए इस सप्ताह के दौरान 'अखंडता के संवर्धन और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जनता की भागीदारी' और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए– जनता की भागीदारी अथवा सरकार की पहल, कौन अधिक महत्वपूर्ण है?' नामक विषय पर निबंध लेखन/वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। मंत्रालय में दिनांक 02.11.2016 को अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सतर्कता संवेदीकरण पर एक चर्चा की गई। श्री पी.एम.पिल्लई, निदेशक (सेवानिवृत्त), सीवीसी ने सतर्कता संवेदीकरण पर अनौपचारिक चर्चा की। इस चर्चा में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और इस विषय पर वक्ता के साथ बातचीत किया। 'सत्यनिष्ठा के संवर्धन और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जनता की भागीदारी' विषय पर एक नारा लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। तीन सर्वश्रेष्ठ चयनित नारों के रंगीन पोस्टर तैयार कराए गए और मंत्रालय के भीतर प्रदर्शित किए गए। 29 अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 04.11.2016 को आयोजित समापन समारोह के दौरान विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार प्रदान किए गए। इन कार्यक्रमों के आयोजन पर अत्यधिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। तदनुसार सीवीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

सीवीसी के दिनांक 23.09.2016 के परिपत्र सं.10/9/16–(।।) के अनुसार सभी स्टेकहोल्डरों की व्यापक भागीदारी के लिए मंत्रालय की वेबसाइट/इंटरानेट पर सत्यनिष्ठा शपथ प्रस्तुत की गई है। मंत्रालय के वेबसाइट पर सतर्कता संबंधी निम्नलिखित मामले अपलोड किए गए हैं:–

1. सीवीओ, वस्त्र मंत्रालय का नाम और मंत्रालय के नियत्रंणाधीन कार्यरत सीवीओ/वीओ (अंशकालिक) की सूची
2. व्हीशल ब्लोअर नीति के दिशानिर्देश (पीआईडीपीआईआर का भारत सरकार का संकल्प)

अध्याय–22

निःशक्त व्यक्ति

22.1 निःशक्त व्यक्ति अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उनके लिए आरक्षित रखी जाने वाली 3 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध समूह क, ख, ग तथा घ में विभिन्न पदों में विभिन्न निःशक्त व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:

		ग्रुप क		ग्रुप ख		ग्रुप ग		ग्रुप घ	
क्र.सं.	कार्यालय/संगठन	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या
1.	वस्त्र मंत्रालय	36	0	79	2	55	0	36	0
2.	हैंडीक्राफ्ट्स एंड हेण्डलूम एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफइंडिया	47	1	78	2	68	2	21	1
3.	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय	62	0	242	4	325	2	0	0
4.	विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय और उसके संगठन	102	0	279	0	738	17	1119	17
5.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड	259	1	284	3	584	4	6476	47
6.	कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	73	2	91	1	1188	13	155	4
7.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	811	10	1461	27	1575	29	10	0
8.	भारतीय पटसन निगम	38	1	100	3	199	5	65	3
9.	पटसन आयुक्त का कार्यालय	11	0	16	0	52	0	--	--
10.	राष्ट्रीय पटसन बोर्ड	8	0	15	0	33	0	--	--
11.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	71	0	79	3	62	0	25	2
12.	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय	33	0	356	0	2302	2	--	--
13.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशनटैक्नॉलॉजी (निफ्ट)	831	0	305	0	764	0	--	--
14.	वस्त्र समिति	80	0	156	2	198	3	82	0
15.	सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	69	0	45	4	481	2	156	3

एसएस – स्वीकृत संख्या
पीडब्ल्यूडी की संख्या–रोजगार पाने वाले विकलांगों की संख्या।

अध्याय–23

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

हाल की एवं महत्त्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणिया/पैरे

क्र.सं.	लेखापरीक्षा संदर्भ	विषय	स्थिति
1	वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं– 21 का पैरा सं– 6–1 (वाणिज्यिक)	निपटान में कमी के कारण हानि	सीएंडएजी का कार्यालय ने सूचित किया है कि सीबीआई जांच का अंतिम प्रमाण आने और उस पर प्रबंधन/मंत्रालय द्वारा आगे की कार्रवाई किए जाने तक पैरा रुका है।
2	वर्ष 2014 की रिपोर्ट सं– 13 का पैरा सं– 18–1 ञवाणिज्यिक)	विचार–विमर्श का विकल्प नहीं होने के कारण भूमि की बिक्री कम दरों पर की गई है।	विधीक्षा के लिए सीएंडएजी के पास लंबित है।
3	वर्ष 2016 की रिपोर्ट सं. 11 का पैरा सं. 15.1	निजी पार्टी अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद को अनुचित लाभ	विधीक्षा के लिए सीएंडएजी के पास लंबित है।

दिनांक 02.08.2016 को संसद में प्रस्तुत की गई संघ सरकार (सिविल) की अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणी–2016 की रिपोर्ट सं. 11 के संबंध में सीएंडएजी का कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई लेखापरीक्षा टिप्पणी का सारांश नीचे दिया गया है:–

वस्त्र मंत्रालय

अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद

निजी पार्टी को अनुचित लाभ

अपैलर निर्यात सवंर्धन परिषद (एईपीसी) द्वारा तैयार कराए गए कार्यालय को लीज पर देने के लिए अपनाई गई निविदा प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी। यद्यपि मैसर्स तीस्ता ऊर्जा लि. (टीयूएल) ने निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, बोली खोलने के एक सप्ताह के पश्चात उनकी बोली पर विचार किया गया था। मैसर्स टीयूएल को संविदा पश्चात कई लाभ प्रदान किए गए थे जो एईपीसी के लिए अत्यंत प्रतिकूल थे जिसके परिणामस्वरूप मैसर्स टीयूएल को अनुचित वित्तीय लाभ हुआ और एईपीसी को 17.42 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 17.1)

अध्याय–24

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यकलाप

24.1 राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 2012 के अनुसार प्रशिक्षण का उद्देश्य पेशेवर, निष्पक्ष और कुशल सिविल सेवा विकसित करना होगा जो नागरिकों की आवश्कताओं के प्रति जिम्मेवार हो। ऐसा करने में समुचित आचरण का विकास, काम के प्रति प्रतिबद्धता और दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति आदि जैसे संवेदनशील वर्गों के लिए संवेदना का विकास करने पर जोर दिया जाएगा। दक्षता ढांचे का प्रयोग किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोक सेवकों के पास, उनको सौंपे गए कार्य प्रभावशाली ढंग से करने की जानकारी, कौशल और तरीके हों। इस प्रशिक्षण की सफलता लोक सेवकों के निष्पादन में वास्तविक सुधार पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति में किए गए उल्लेख के अनुसार, स्टाफ की कमी के मद्देनजर मंत्रालय स्थापना अनुभाग में एक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ को तैयार किया गया है। निदेशक (प्रशासन) को प्रशिक्षण प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है।

वस्त्र मंत्रालय का अपना कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुख्यतः अखिल भारतीय सेवाओं, अन्य समूह 'क' सेवाओं, भारतीय आर्थिक सेवा, केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा एवं केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त सामान्य केंद्रीय सेवा से संबंधित कुछ कर्मचारी जैसे इन्वैस्टीगेटर, स्टाफ कार ड्राइवर और मल्टी टास्किंग स्टाफ आदि भी शामिल हैं।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, अन्य समूह 'क' सेवाओं, भारतीय आर्थिक सेवा, केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा एवं केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के संबंध में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को उनके संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा पूरा किया जाता है। इन सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा नामित किए जाने पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा, अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) तथा देश में एवं विदेशों में स्थित अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भी नामित किया जाता है।

वर्ष के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को एनआईसी की सहायता से ई–ऑफिस के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्हें नगद रहित लेनेदेन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए यूपीआई ऐप का प्रयोग करने के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

अध्याय–25

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियां

25.1 एमएसएमई अधिनिमय, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसएमई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति का प्रभावी क्रियान्यवन सुनिश्चित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय, मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन इसके अधीनस्थ कार्यालय और संबद्ध कार्यालय तथा सीपीएसई के सभी संबंधितों को निदेश दिया गया था कि यह प्रावधान करने का ध्यान रखा जाएगा कि सामानों और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का कम से कम 20: प्रावधान, एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई से 4: की खरीद के उप–लक्ष्य की व्यवस्था सहित, एमएसएमई से किया जाएगा। वर्ष 2015–16 में की गई खरीद को दर्शाते हुए वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न सीपीएसई से प्राप्त सूचना और वर्ष 2016–17 के अंतर्गत खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार हैं:–

(i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी)

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान एनएचडीसी लि. ने 2454 करोड़ रुपए के यार्न की खरीद की है, इसमें से एमएसई (मध्यम एवं लघु उद्यम) से खरीदा गया यार्न 1126 करोड़ रुपए का है। एमएसई से खरीदा गया यार्न वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान कुल वार्षिक खरीद का 46% है। एमएसई से खरीद में हथकरघा बुनकरों को आपूर्ति करने के लिए कपास, रेशम, ऊन, पटसन, मिश्रित यार्न शामिल है।

(ii) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., नई दिल्ली

सीसीआईसी विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत केंद्र सरकार का विभाग, के पास पंजीकृत प्राथमिक उत्पादकों से हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों को प्राप्त कर रहा है जोकि हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों की खरीद के लिए एमएसएमई पंजीकृत स्रोत माने गए हैं।

सीसीआईसी ने वर्ष 2015–16 के लिए एमएसएमई विक्रेताओं से खरीद के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। सीसीआईसी वर्ष 2016–17 के लिए भी, एमएसएमई विक्रेताओं से सोर्सिंग के निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा खरीद के भरसक प्रयास करेगा।

(iii) हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स

एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

इस निगम की स्थापना भारतीय शिल्प एवं कौशल के उत्पादों का विदेशों में विकास, संवर्धन तथा अक्रामक रूप से विपणन करने के लिए की गई थी ताकि शिल्पियों एवं कारीगरों को एक विपणन माध्यम उपलब्ध कराया जा सके और स्टेक होल्डरों को पर्याप्त रिटर्न प्राप्त हो सके। परंतु एक ट्रेडिंग कंपनी होने के नाते एचएचईसी अधिकांशतः अपने उत्पादों की हमारे ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार कारीगरों, बुनकरों और समितियों के माध्यम से खरीद करता है। हमारी बड़ी खरीदों के संबंध में एचएचईसी के निम्नलिखित अनुभव हैः–

- **मंहगी धातुओं की खरीदः** जहां तक मंहगी धातु की खरीद का व्यापार का संबंध है, सोन के आयात एक नामित एजेंसी होने के कारण, निगम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार किसी एलबीएमए सदस्य अथवा बैंक से सोने का आयात करता है। इस प्रकार इन खरीदों को सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता।
- **कोर ग्रुप मर्चेन्डाइज की खरीदः** हस्तशिल्प, हथकरघा, रेडी टू वियर तथा कालीन आदि के मामले में उत्पादों के सैम्पल क्रेताओं द्वारा चुने जाते हैं तथा एचएचईसी क्रेताओं द्वारा नामित आपूर्तिकर्ताओं को सहमति के अनुसार आदेश प्रस्तुत करता है।

तथापि, एचएचईसी एमएसई से अधिकतम खरीद को प्रोत्साहित करता है और वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान इसकी व्यापारिक खरीदें (कोर ग्रुप) 28.32 करोड़ रुपए की हैं जिनकी तुलना में पंजीकृत एमएसई से खरीद 34% की सीमा तक की गई।

(iv) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि.

नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. (एनटीसी), एमएसई से न्यूनतम 20% खरीद के लक्ष्य को पार करने में सक्षम रहा है तथा कुल खरीद में से 36.86% (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और अप्रैल–सितम्बर, 2016 की अवधि के लिए की गई कुल खरीद में से केवल एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से न्यूनतम 4% की खरीद के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया है।

अप्रैल–सितम्बर, 2016 के दौरान, 26.52 करोड़ रुपए की कुल खरीद में से एमएसई (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद का कुल मूल्य 9.78 करोड़ रुपए (36.86%) था। केवल एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का कुल मूल्य 1.17 करोड़ रुपए (4.4%) था। वर्ष 2016–17 हेतु प्रस्तावित कुल वार्षिक खरीद का लक्ष्य 60.95 करोड़ रुपए है जिसमें से 20.55 करोड़ रुपए (33.72%) की खरीद का लक्ष्य एमएसई से तथा 3.14

करोड़ रुपए (5.15:) केवल एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए किया गया है।

(v) भारतीय पटसन निगम लि.

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान भारतीय पटसन निगम लि. ने एमएसई (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से 10,30,337 रुपए मूल्य के सामानों और सेवाओं की खरीद की गई।

(vi) ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन

बीआईसी में उत्पादन क्रियाकलापों के नगण्य होने के कारण एमएसएमई से खरीद संभव नहीं है। इसलिए इसे 'शून्य' समझा जाए।

(vii) भारतीय कपास निगम

भारतीय कपास निगम (सीसीआई) कपास (बीज कपास), मध्यमवर्ती उत्पादों और प्रसंस्करण हेतु जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रियों के कार्यों में संलग्न भी है। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 7137 लाख रुपए की कुल वार्षिक खरीद में से एमएसई (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से की गई वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का कुल मूल्य 1442 लाख रुपए है जोकि 20.20% है।

सत्यमेव जयते

वस्त्र मंत्रालय

भारत सरकार

उद्योग भवन, नई दिल्ली

www.ministryoftextiles.gov.in

CURRENT